एकादश माला, खंड 3, अंक 7

गुरूवार, 18 जुलाई, 1996
27 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

दिनांक 18 जुलाई, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद [हिन्दी संस्करण] का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची [I]	नीचे से 11	पंचायती राज संस्थानों	पंचायती राज संस्थाओं
विषय सूची [II]	2 और 5	[सेवा शर्तें]	[सेवा शर्तें]
15	22	श्री सी एस·इब्राहिम	श्री सी·एम· इब्राहीम
18	नीचे से 5	श्री मधुकर सर्वोतदार	श्री मधुकर सर्वोतदार
19	9	श्री मधुकर सर्पोपदार	
23	नीचे से 4	श्री सुलतान ओवेसी	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
51	3	[घ]	[ग]
75	नीचे से 15	सर्तसंगत	तर्कसंगत
117	नीचे से 7	श्री रूपचन्द्र पाल	श्री रूपचन्द पाल
122	22	श्री सी बम इब्राहीम	श्री सी·एम· इब्राहीम
205	23	बॉल	बाल
252	20	[ग] उक्त [ग]	[घ] उक्त [ग]
297	2	अवस्क	अयस्क
308	1	नए गोदामा खोजना	नये गोदाम खोलना
367	15	समस्याओं	संस्थाओं
368	पाद टिप्पण	कार्यकारी वृतांत	कार्यवाही वृतांत
370	1	अपराह्न 4·00 बजे	अपराह्न 4·20 बजे
370	4	1996 के पश्चात [1916 का संख्यांक 20] जोड़िए ।	
416	नीचे से 12	श्री प्रमलेश मुखर्जी	श्री प्रमथेस मुखर्जी

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 7, गुरूवार, 18 जुलाई, 1996/27 आषाढ़, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	121 से 124	1—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	125 से 140	25—42
अतारांकित प्रश्न संख्या	903 से 1079	42—313
सभा पटल पर रखे गए पत्र		314—315
कार्य मंत्रणा समिति		
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत		315
समिति के लिए निर्वाचन		
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड		315—316
काजेन्ट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट के बारे में		318—325
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ना जलाये जाने तथा उनकी बकाया राशि का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति		349—366
श्री अमरपाल सिंह		349—353
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी		353—355
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा		355—356
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव		357—363
श्री एच. डी. देवेगौडा		363—366
नियम 377 के अधीन मामले		366—369
(एक) उड़ीसा में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता डा. कृपासिन्धु भोई		366—367
(दो) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ किए जाने की आवयकता श्री मनोरंजन भक्त		367—368
(तीन) गुजरात में पिपावाव में विद्युत उत्पादन के लिए तापती क्षेत्र से गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता श्री हरिन पाठन		368
(चार) उत्तर कोइल सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह		368
(पांच) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी		369
(छह) उत्तर प्रदेश के मछलीशहर में तेंदुए के आतंक के बारे में जांच किए जाने की आवश्यकता डा. राम विलास वेदान्ती		369

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 20) के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और	
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन निधेयक	370—397
श्री गिरधारी लाल भार्गव	370—373
श्री पी.कोदडारमैय्या	373—377
श्री अजय चक्रवर्ती	377—379
श्री बीजू पटनायक	379—382
श्री बसन्त सिंह खालसा	382—384
प्रो. रासा सिंह रावत	384—388
श्री मनोरंजन भक्त	389—392
श्री पी.सी.थामस	392—393
डा. जयन्त रंगपी	393—395
श्री नीतीश कुमार	395—397
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति तथा प्राकृतिक आपदाएं	397—435
श्री जेवियर अराकल	398—400
श्री मंगल राम प्रेमी	400—402
श्री परसराम मेघवाल	402
श्री अनिल बसु	402—406
श्री सुरेन्द्र सिंह	406—408
डा0 प्रवीन चन्द्र शर्मा	408—411
प्रो0 रासा सिंह रावत	411—416
श्री आस्कर फर्नान्डीज	416—418
डा. असीम बाला	419—420
श्री एस.पी. जायसवाल	420—421
श्री प्रमथेस मुखर्जी	421—422
श्री सैयद मसूदल हुसैन	422
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी	422—423
श्री पीताम्बर पासवान	423—424
श्री अरविन्द शर्मा	424
श्री सत्य पाल जैन	424—425
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	425
श्री गिरधारी यादव	425
श्री चतुरानन मिश्र	425—435

लोक सभा

गुरूवार, 18 जुलाई, 1996/27, आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न दिया था और मेरा प्रश्न कल दूसरे के नाम से तारांकित प्रश्न में चला गया है। ...**(व्यवधान)** मैं पांच साल से टैक्सटाइल वर्कर्स के लिए फाइट कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)** महोदय, मैंने वर्ड टू वर्ड, कोमा टू कोमा दिया था। वही प्रश्न कल तारांकित में लगा हुआ है। ...**(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसको देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : *(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे रेलेवेंट पेपर्स देखने के बाद देखेंगे।

[अनुवाद]

मैं संबंधित कागजात देखूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

पंचायत मुख्यालयों में दूरसंचार सुविधाएं

***121. प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में लिए गए निर्णय को संतोषजनक ढंग से लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक राज्यवार क्या प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो सभी पंचायत मुख्यालयों में उपरोक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी;

(घ) इस उद्देश्य के लिये अब तक कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है तथा गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितना वास्तविक व्यय हुआ;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश पंचायत मुख्यालयों में खराब उपकरण लगाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप दूरभाष खराब रहते हैं; और

(च) यदि हां, तो उक्त खामियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). 1.4.96 तक 154352 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ग्रामीण टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। नीति में पंचायतों सहित सभी गांवों को वर्ष 1997 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना है।

(घ) पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का व्यय परिषण प्रणालियों के बजट प्रावधान में से पूरा किया जाता है। पिछले 2 वर्षों के दौरान पारेषण प्रणालियों के लिए 3600 करोड़ रु. का बजट प्रावधान था और पंचायत मुख्यालयों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए लगभग 306 करोड़ रु. के व्यय का अनुमान है। राज्यवार अनुमानित आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च). सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कई स्थानों पर लगे टेलीफोन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। खराबियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

— उपस्कर बदलना अथवा उसकी मरम्मत करना, डिजायन में सुधार, बिजली प्रदान करने के लिए सौ पैनलों की शुरूआत। सभी दूरसंचार मुख्यालयों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण का प्रतिदिन पता करते रहें।

विवरण-I

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायत सार्वजनिक टेलीफोनों की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल का नाम	1.4.1996 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायत सार्वजनिक टेलीफोन
1	2	3
1.	अंडमान-निकोबार	33
2.	आंध्र प्रदेश	16569
3.	असम	2067
4.	बिहार	8518
5.	गुजरात	11961
6.	हरियाणा	4868
7.	हिमाचल प्रदेश	2327

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया है।

1	2	3
8.	जम्मू और कश्मीर	705
9.	कर्नाटक	4807
10.	केरल	982
11.	मध्य प्रदेश	19224
12.	महाराष्ट्र	21122
13.	उत्तर-पूर्व	2121
14.	उड़ीसा	4956
15.	पंजाब	8501
16.	राजस्थान	7746
17.	तमिलनाडु	12943
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	15650
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5798
20.	पश्चिम बंगाल	3263
21.	महानगर टेलीफोन निगम लि., नई दिल्ली	191
	जोड़	154352

विवरण-II

पिछले 2 वर्षों के दौरान पंचायत टेलीफोन प्रदान करने में किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	पिछले 2 वर्षों के दौरान पंचायत टेलीफोन प्रदान करने में किया गया अनुमानित व्यय (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24.272
2.	असम	1.808
3.	बिहार	16.112
4.	गुजरात (दादर नागर, दमन एवं दीव सहित)	23.064
5.	हरियाणा	10.368
6.	हिमाचल प्रदेश	7.176
7.	जम्मू और कश्मीर	0.232
8.	कर्नाटक	16.376
9.	केरल (लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित)	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	47.208
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	54.696
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	4.192
13.	उड़ीसा	2.024
14.	पंजाब	7.544
15.	राजस्थान	13.848
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	9.336
17.	उत्तर प्रदेश	62.816
18.	पश्चिम बंगाल (अंडमान निकोबार एवं सिक्किम सहित)	4.656
	जोड़ :	305.728

(अर्थात् 306 करोड़ रु.)

टिप्पणी : एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने पर कुल मिलाकर 80000/-रु. का खर्च आता है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। सभी जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और ग्राम-पंचायतें भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रथम सोपान है। ग्राम-स्वराज्य की कल्पना साकार करने के लिए संविधान में जब से 73वां संशोधन किया गया और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गयी, तब से ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत समितियों के सदस्य, जिला परिषदों के सदस्य, इन सब में महिलाओं को, पिछडे वर्गों को, अनुसूचित-जाति और अनुसूचित जन-जाति को आरक्षण दिया गया तो उनमें सामाजिक और राजनैतिक चेतना पैदा हुई और गांवों के लोग भी दूरसंचार सुविधाओं से लाभ उठाने के लिए लालायित रहते हैं। इसी दृष्टि से एक राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधाओं से जोड़ने का निश्चय किया गया था। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की निरंतर उपेक्षा होती रही है। जैसा अभी बताया गया है कि संचार सुविधाओं के लिए 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन उसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में केवल तीन सौ छः करोड़ रुपये खर्च किया गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यही इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि 1.4.96 तक 154352 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधाओं से जोड़ा गया।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि देश के अंदर आज कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय अभी शेष रह गये हैं जिन्हें यह सुविधा

नहीं है, और जिनको 1997 तक आप दूरसंचार सुविधाओं से युक्त कर देना चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. अजय कुमार : महोदय, चूंकि अब प्रश्न काल है, अतः उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें प्रश्न पूछने के लिए कह चुका हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : आपने क्या योजना बना रखी है जिससे 1997 तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया कि प्रश्न पूछिये, तो उन्होंने पूछ लिया है।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : इतना यह नहीं पूछ रहे हैं उससे ज्यादा आप हिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम श्री रावत जी का धन्यवाद देंगे कि इन्होंने यह प्रश्न करके जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उन पर विचार करने और सेवाओं के बारे में बताने का मुझे मौका दिया है। श्रीमन, यह सही है कि ग्राम पंचायतों के लिए टेलीफोन की जो नीति अपनाई गयी थी उसका ठीक प्रकार से अनुसरण नहीं किया गया है और नतीजा यह है कि ज्यादातर टेलीफोन खराब ही रहते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभी खराब हैं।

एक माननीय सदस्य : यह सच्चे मिनिस्टर हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम आपसे बहुत असहमत नहीं हैं। 1997 तक यह परिकल्पना की गयी थी कि सभी ग्राम-पंचायतों को दूरसंचार सुविधाएं दे देंगे। अब वह नीति बदलकर सभी गांवों को 1997 तक टेलीफोन देने की योजना बन गयी है। हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त नहीं कर रहे हैं कि यह काम हो जाएगा, लेकिन इस साल 75 हजार टेलीफोन का कोटा गांवों के लिए रखा है और हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि इसके लिए हमने अलग से मॉनिटिरिंग सेल भी बना दिया है और उसके लिए बजट का एलोकेशन भी अलग होगा। अभी तक एक ही बजट होता था और उसी में से विलेज टेलीफोन के लिए भी बजट होता था। अब विलेज टेलीफोन का बजट अलग कर दिया जाएगा। हम शत-प्रतिशत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : मेरा पूरक प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने अभी जो कुछ कहा है वह कोरा आश्वासन ही है। क्या सामाजिक न्याय और ग्रामीण उन्नति की बात कहने वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार आने के बाद कम से कम ग्रामीण दूरसंचार सुविधाओं की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन गांवों में टेलीफोन की सुविधा है उनकी संख्या 193208 है। यह संख्या 31.10.95 तक है और अभी 31.10.95 के बाद 411717 गांव इस सुविधा से वंचित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं या खुद बता रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं सवाल पर आ रहा हूं। अभी 31.9 परसेंट ही कवर किया गया है। जो निजी क्षेत्र को न्यौता दिया गया है तो क्या यह निजी क्षेत्र की कंपनियां शहरी और मालदार ग्राहकों की सेवा में ही रहेगी अथवा ग्राम एवं कस्बे के उपभोक्ताओं को भी उनसे लाभ होगा। (ख) पार्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की गुणात्मकता, सेवा में नियमितता बनाए रखने के लिए क्या प्रत्येक जिले में दूरसंचार केन्द्र पर ग्रामीण प्रकोष्ठ की स्थापना करके विशेष कर्मचारी लगाएंगे जो इन ग्रामीण दूरसंचार सुविधाओं की ओर ध्यान रख सकें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में तीन लाख 87 हजार 274 गांव ऐसे हैं जहां पर टेलीफोन सुविधा नहीं है। जहां तक निजीकरण की पालिसी का सवाल है, उसमें पहले से ही प्रावधान है कि उनको कम से कम 10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन सुविधा देनी पड़ेगी। अभी हमने विभाग को आदेश दिये हैं कि गांव के टेलीफोन को देखने वाले एक्सचेंज हफ्तेवार अपनी रिपोर्ट सर्किल को और सर्किल माहवारी अपनी रिपोर्ट संचार मंत्रालय को भेजेगा। वहां हम खुद इसको देखेंगे। हम चाहते हैं कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन ठीक से काम कर सकें, इसके लिये हम आपका सहयोग चाहते हैं। मैं मानता हूं कि कागज पर 100 में से 28 टेलीफोन खराब हैं लेकिन उनकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है। यह देश गांवों में बसता है। इसलिये जब तक गांवों की तरक्की नहीं होगी, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और चाहेंगे कि आप जो भी इस बारे में सुझाव देंगे, हम विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री महेन्द्र कर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के माकड़ी और कटेकलियार विकास खंड मुख्यालयों पर टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है। क्या आप इसी सत्र में तत्काल इन विकास खंड मुख्यालयों पर दूर-संचार सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 9850 गांवों का टारगेट रखा हुआ है।

श्री महेन्द्र कर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विकास खंड मुख्यालयों की बात कर रहा हूं कि वहां पर फोन की सुविधा नहीं दी गयी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसे लिखकर दे दें, में प्राथमिकता आधार पर देखूंगा।

प्रो. अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'ग' और 'घ' के उत्तर में कहा गया कि उपस्कर बदलने अथवा उसकी मरम्मत करना, डिजाईन में सुधार करना वगैरः वगैरः। तो मैं माननीय मंत्री जी

से कहना चाहता हूं कि गांव में जहां MARR सिस्टम की व्यवस्था की गयी थी, वहां पर दो-दो साल से फोन की व्यवस्था खराब है और कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि उपस्कर उपलब्ध नहीं है और न उसको सुधारने वाला मिस्त्री है। मिस्त्री शायद मद्रास से आता है जो सुधार करता हैं और वह भी एक साल में या दो साल में एक बार आता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कुछ और गतिशीलता लायेंगे। क्या उत्तर भारत में मैकेनिक की व्यवस्था हो सकेगी जो MARR सिस्टम के अंतर्गत गांवों में काम कर सके?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सबसे ज्यादा खराबी MARR सिस्टम में पायी जाती है। पहले ज्यादा खराबी थी लेकिन डिजाईन बदलने के बाद उसमें खराबी कम हो गयी है। डिजाईन बदलने के बाद मैकेनिक की मदद ली जा रही है। एक मानिटरिंग सेल खोल दिया गया है जो बराबर चैक करेंगे कि क्या खराबी है और उसको दूर करने के लिये क्या किया जाना है। ...(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्ता : अध्यक्ष जी, 1,54,352 पंचायतों में इन्होंने टेलीफोन दिये हैं जिनमें से कश्मीर में सिर्फ 705 हैं और जो पैसा भी खर्च हुआ है वह 32 लाख रुपया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जानते हुए भी कि वह पूरी तरह से मिलिटेंसी में ग्रस्त क्षेत्र है और घटनाएं हो जाती हैं, चार-चार दिन तक सूचना नहीं मिल पाती है। डोडा जिले में विशेषकर टेलीफोन की जो व्यवस्था है, यह पंचायतों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बड़े-बड़े शहरों में भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जम्मू-कश्मीर में केवल 705 पंचायतों में ही टेलीफोन अभी तक पहुंच पाया है और वहां पर जो टेलीफोन विभाग का काम है वह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन् पिछले कारणों को तो मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन इस वर्ष जम्मू-कश्मीर के लिए 600 गांवों का लक्ष्य रखा गया है और हम कोशिश करेंगे कि यह जल्दी पूरा हो। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि अधिकारी पंचायतों में खराब उपकरण लगाये गये हैं और उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे सभी खराब उपकरणों को बदलने के उपाय किये गये हैं।

मेरा प्रश्न विशेष यह है कि अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, जो कि देश का सब से दूरस्थ स्थान है, टेलीफोन सुविधाओं के अभाव में बुरी तरह पीड़ित है। केवल 33 पंचायत क्षेत्रों में ही 33 टेलीफोन दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह देश के इन दूरस्थ द्वीपों को प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : यह हमारी प्राथमिकताओं में है। वहां के लिये अलग से सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन जो कुछ आप बतायेंगे वह हम विभाग से दिखवा लेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने आप से पूछा कि जो दूर-दराज के आदिवासी और पिछड़े इलाके हैं क्या आप उनको प्रायोरिटी देने के लिए तैयार हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : यह सरकार की नीतियों में है। हम भी देंगे।

[अनुवाद]

श्री वी.एम. सुधीरन : महोदय, ग्राम पंचायतों, ब्लाक पंचायतों के प्रेजीडेन्ट और जिला पंचायतों के सदस्य प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन पाने के हकदार नहीं हैं। इसमें उनको अपने कर्तव्यों को निभाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय इस मामले को देखेंगें और इन चुने गये सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन देने हेतु तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन् यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित तो नहीं है लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि वेटिंग लिस्ट हमारे देश में काफी है। अगर प्रायोरिटी लिस्ट भी बढ़ा देंगे तो जो मुख्य लोगों की प्रायोरिटी है वह भी वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी इसलिए दिक्कत आएगी प्रायोरिटी लिस्ट जरूरी हो तभी बढ़ानी चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मगर और भी प्रश्न हैं। हम इस पर 20 मिनट ले चुके हैं।

[अनुवाद]

आप्टिकल फाइबर केबल की खरीद

***122. श्री राम कृपाल यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग हेतु आप्टिकल फाईबर केबल की खरीद के लिए जारी की गई निविदा को रद्द करके उसके स्थान पर इस प्रयोजनार्थ कतिपय कम्पनियों का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) उपरोक्त कम्पनियों के हित में निविदा को रद्द करने संबंधी अपरिहार्यताओं का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). आप्टिकल फाइबर केबल की खरीद के लिए एक निविदा, जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22.3.96 को जारी की गई थी, 21.5.96 को खोली गई थी। यह निविदा 21000 कि.मी. की आप्टिकल फाइबर केबल प्राप्त करने के लिए जारी की गई थी जिसका अनुमानित मूल्य 250 करोड़ रु. से 275 करोड़ रु. तक था।

कुछ कम्पनियों को अलग से आर्डर देने का निर्णय लिया गया था जिसका अनुमानित मूल्य 250 करोड़ रु. था लेकिन उन्हें कोई आर्डर नहीं दिए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि निविदा को निरस्त नहीं किया गया था।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो निविदा आमंत्रित की थी, निविदा आमंत्रित करने के बाद इन्होंने एकाएक निर्णय लिया कि हम उन कंपनियों को ठेका नहीं देंगे। क्योंकि निविदा की प्रक्रिया पूरी करने में ज्यादा समय लगेगा जिससे रेट बढ़ जायेगा उसके बाद इन्होंने तय किया कि स्थानीय स्तर पर जो 10 कम्पनीज हैं उनको आर्डर देने का हम काम करेंगे लेकिन अभी तक इन्होंने उन कम्पनियों को आर्डर नहीं दिया है। शायद इनके मन में यह रहा होगा कि निविदा के प्रोसेस में लम्बा समय लगेगा और रेट ऊंचा जाएगा। लेकिन आज तक इन्होंने मन बनाकर विचार रखा था कि हम इन दस कम्पनियों को आर्डर देकर यह काम करवायेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक आर्डर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब इतना समय लग गया है क्या उससे रेट नहीं बढ़ा है। जो विचार इन्होंने रखा था कि उन कम्पनियों को हम आर्डर नहीं देंगे तो रेट बढ़ेंगे। मगर अभी तक किसी प्रक्रिया को इन्होंने अडाप्ट नहीं किया है तो क्या इससे रेट नहीं बढ़े हैं? अब जो आप काम करेंगे किसी दूसरे काम की तुलना में जो पहले काम होता उसमें जो पैसा लगता, क्या अभी उससे ज्यादा पैसा नहीं लगेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, यह सही है कि 22.3.96 को निविदा जारी की गई और 28.3.96 को कुछ कम्पनीज को, जो पिछले साल के टेंडर रेट्स थे, उन्हीं पर आर्डर दिया गया। लेकिन कभी कम्पनियों को सप्लाई करने के आर्डर नहीं दिये गये क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यह नई परम्परा होगी। चाहे दाम ज्यादा हो या कम हों, यह अलग बात है लेकिन टेंडर के जरिये ही सारी खरीद-फरोख्त की जाती है। अलग से आर्डर देने की एक नई परम्परा शुरू करना, एक तरह से जो पारदर्शिता सरकार की है उसका प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए जो टेंडर इनवाइट किया गया था वह रद्द नहीं किया गया, टेंडर प्रोसेस में है। जिन कम्पनियों को 28.3.96 को सलेक्ट किया गया था कि इनको पुराने रेट पर आर्डर दे दिया जाए, उनको आर्डर नहीं दिया गया। इसलिए कि वह एक नई परम्परा होगी। खरीद-फरोख्त के मामले में नई परम्परा नहीं पड़नी चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने यह तय किया है कि पुरानी कम्पनियों को पुराने रेट्स पर आर्डर देंगे तो कब तक यह टेंडर उन लोगों को दे देंगे, कब तक यह प्रोसेस में आयेगा और कब तक यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : टेंडर प्रोसेस करने का एक प्रोसीजर होता है। वह प्रोसीजर जैसे ही पूरा होगा और अभी हमारे पास आप्टीकल फाइबर की विभाग में कमी नहीं है हमारे पास कम से कम 3-4 महीने जो पुराना स्टाक है उससे काम चलाया जा सकता है हमारा कोई काम नहीं रुका हुआ है। टेंडर जिस तरह से प्रोसेस होता है उसकी तरह से प्रोसेस होने के बाद ही उस पर कोई फैसला लिया जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव : यह तो मंत्री जी ने गोल-मटोल जवाव दे दिया।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि टेंडर के कुछ नार्म्स होते हैं, विज्ञापन देने के बाद यह एक परटीकुलर समय पर, परटीकुलर डेट पर टेंडर सबके सामने खोला जाता है। कहने का मतलब ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जिसका लोएस्ट टेंडर होता है उसको दिया जाता है। हुआ क्या है पहले जिन्होंने भी किया होगा, चाहे अधिकारीगण हों या आपके पहले के मंत्री हों। उने मन में खोट आई होगी कि यह सब कैंसिल करके बंदरवाट कर दो। होता क्या है कि ठेकेदार रिंग बना लेते हैं। सप्लाई करने वाले एक रिंग बनाकर एक ही रेट में बांट लेते हैं, उसमें बहुत बड़ा भष्टाचार होता है, बहुत बड़ा घाटा होता है। मैं मंत्री जी की तारीफ करता हूं कि यदि यह सही है कि ट्रासपेरेंसी रहे तो चाहे आपको फिर से टेंडर काल करना पड़े, फिर से टेंडर का विज्ञापन देना चाहिए। लोगों को मालूम पड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें। अपना स्पष्ट आश्वासन दें कि पहले का टेंडर से कोई मतलब नहीं। किसी भी पार्टी को जो भी देने के आर्डर दिये वह निरस्त कर दिये जायेंगे। जो अधिकारी दोषी है उसको सजा दीजिए और फिर नये सिरे से क्लीन ट्रासपेरेंसी काम करे तो हम आपका अभिनंदन करेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं है। हमने पूरी तरह से देख लिया है। अधिकारियों ने उसको आर्डर नहीं होने दिया और हम आपसे कह चुके हैं कि जो बगैर टेंडर के आर्डर देने का फैसला हुआ था, उसको हम लागू नहीं करेंगे। टेंडर के जो नियम हैं उनका पूरी तरह से, सख्ती से पालन किया जायेगा और कहीं कोई मिलीभगत से टेंडर डालता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ट्रासपेरेंसी पूरी तरह से मेनटेन की जायेगी। उसमें हम कतई मौका नहीं देंगे कि कोई उंगली उठा सके। हम माननीय सदस्य से कहना चाहते हैं कि आपको हमारे विभाग की पारदर्शिता के बारे में कहीं पर यदि कोई संदेह हो तो आप हमसे सीधे मिल सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सी. नारायण स्वामी : बंगलौर में इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज और कर्नाटक टेलीफोन लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जो बड़ी क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण कर रहे हैं और जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को दूर-संचार विभाग में पर्याप्त आर्डर नहीं मिल रहे हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार की यह नीति है कि वह देखे कि इन सरकारी उपक्रमों को बन्द करने से बचाया जा सके। मैं माननीय संचार मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनको इस स्थिति का पता है और क्या वह विभाग को निदेश देंगे कि विभाग इन उपक्रमों को उपकरण सप्लाई हेतु तुरन्त आर्डर दे। ताकि उनको बन्द होने से बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केबल आप्टीकल फाईबर केबल के बारे में है।

श्री सी. नारायण स्वामी : मैं इस प्रश्न को पहले भी उठाना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ कहना है?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न मूल रूप से आप्टीकल फाईबर के टेंडर और आर्डर प्लेस करने के बारे में है लेकिन माननीय सदस्य ने पब्लिक सैक्टर के बारे में जो प्रश्न उठाया है, विभाग पहले से ही इस मामले में काफी सर्तक है कि पब्लिक सैक्टर को आर्डर देने में कुछ संरक्षन दिया जाये। हमारे यहां उस तरह के रूल भी हैं और उन्हें बगैर टेंडर के भी आर्डर दिये जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : भारत में अनेक पर्वतीय और वन क्षेत्र हैं विशेषकर इदुक्की जैसे पर्वती क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आया हूं। वहां पर मामूली सी वर्षा से भी उपरी लाइनें खराब हो जाती हैं। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध तथा प्रश्न है कि क्या वह विभाग को इस आशय के आदेश देंगे कि पर्वतीय तथा वन क्षेत्रों में जहां प्रायः वर्षा होती रहती है और जिससे बांधा पड़ती है आप्टीकल फाईबर के प्रयोग को कुछ प्राथमिकता दी जाए। विशेषरूप से केरल में, जहां आबादी घनी है केवल ओप्टीकल फाईबर ही अच्छी सेवा बनाये रख सकती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय पर्वतीय तथा केरल जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आप्टीकल फाईबर के प्रयोग के आदेश दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, ज्यादातर लांग डिस्टेंस लाइनों को केबल ओप्टीकल फाईबर से जोड़ा जा रहा है कहीं कहीं लोकल लाइनों में भी ओप्टीकल फाईबर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन लांग डिस्टेंस की लाइनों में ज्यादातर ओप्टीकल फाइबर का प्रयोग होता है। केरल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : मेरा प्रश्न यह था कि क्या माननीय मंत्री पर्वतीय तथा वन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता देंगे। क्या माननीय मंत्री विभाग को यह अनुदेश देने की कृपा करेंगे कि वह इन क्षेत्रों में ओप्टीकल फाईबर के प्रयोग को उच्च प्राथमिकता दे।

श्री संतोष मोहन देव : बेहतर कार्यकुशलता के लिए जैलीफील्ड के स्थान पर ओप्टीकल फाईबर लगाने की सरकार की नीति थी। यह नीति थी कि ओप्टीकल फाईबर का देश में भी उत्पादन किया जाये। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इस समय देश में ओप्टीकल फाईबर की उपलब्धता कितनी है और इसमें कितनी कमी है; क्या हम बाहर से अथवा देश में से भी टेंडर द्वारा खरीद कर रहे हैं। क्या हम ओप्टीकल फाईबर के मामले में आत्मनिर्भर हैं। यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि हम ओप्टीकल फाईबर उत्पादन के मामले में धीरे-धीरे आत्मनिर्भर हो जायें।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष जी, अभी जो हमारी आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमारे देश की कम्पनियां उत्पादन कर रही हैं। जो हमारी जानकारी है, अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूं, उसमें कोई ग्लोबल टैंडर औप्टिकल फाईबर के लिये अभी तक जारी नहीं किया गया।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्राइवेट से ज्यादा सामान खरीदा जाता है और सरकारी कंपनियों से, जो सरकार के अधीन हैं उनसे नहीं खरीदा जाता है। क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि सरकारी सैक्टर की जो कंपनियां हैं उनसे ही यह सामान खरीदा जाए और प्राईवेट कंपनियों से न खरीदा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाराधन राय।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : वे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जवाब नहीं देकर भी जवाब दे दिया।

श्री हाराधन राय : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में हिन्दुस्तान केबल्स सबसे बड़ी कम्पनी है, जो भारत सरकार का कारखाना है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट और टेलीकॉम निगम उसकी परवाह नहीं करते हैं। यह पब्लिक सैक्टर में है। जो आप्टिकल फाइबर कैबल्स ट्रांसफर किया गया है, हिन्दुस्तान कैबल्स हैदराबाद और सगनानपुर में भी बनाया जाता है, नोनी में भी बनाया जाता है। सरकारी कारखाना होते हुए भी उसको आर्डर नहीं मिला। मिनिमम टेंडर होते हुए भी उसे आर्डर नहीं दिया गया और उसे कहा गया कि 1993 की रेट पर सप्लाई करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री हाराधन राय : सवाल पर ही आ रहा हूं। उसको आर्डर क्यों नहीं मिलता है, उसका जवाब मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो पैसा बकाया है वह पैसा क्यों नहीं दिया जाता है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, इसमें क्या कह सकते हैं। यही कह सकते हैं कि खरीद के जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। पी.एस.यूज. के लिए नियमों में जो थोड़ी शिथिलता है उसका भी अनुपालन किया जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य : हिन्दुस्तान कैबल्स को कितना पैसा मिलेगा? उसका पैसा रिलीज कीजिए।

[अनुवाद]

पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाएं

+

*123. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान आज तक विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आस-पास पक्षियों के विमानों से टकराने की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पक्षियों से टकराने की घटनाओं के फलस्वरूप इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया को कुल कितना घाटा हुआ; और

(ग) पक्षियों से टकराने की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने और विमान यात्राओं को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहिम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों से भारत में पक्षियों के टकराने की रिपोर्ट की गई घटनाओं की वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 (30 जून, 1996 तक) की संख्या इस प्रकार है :

1994	146
1995	143
1996	55

(ख) इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया को, पक्षियों के विमानों से टकराने के कारण उक्त अवधि के दौरान हुई शुद्ध हानि नीचे दिये अनुसार है :

हानि (लाख रुपयों में)

वर्ष	इंडियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया
1994	14.45	1140.68
1995	30.85	21.83
1996	11.00	883.61
योग :	56.30	2046.12

(ग) विमानों से पक्षियों के टकराने की रोकथाम के लिए और सुरक्षित विमान यात्राएं सुनिश्चित कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

1. पोलीथीन थैलियों का इस्तेमाल करके कूड़े का उपयुक्त रूप से संग्रह और निपटान।
2. कूड़े के ढेरों को ढकना।
3. भस्मक लगाना।
4. जानवरों की खुले में गैर-कानूनी ढंग से खाल निकालने को रोकना।
5. लाश उपयोग केन्द्र की स्थापना।
6. आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना।
7. हवाई अड्डों के इर्द-गिर्द के स्लम, अनधिकृत सुअरबाड़ों और डेरीफार्मों को हटाना।
8. हवाई अड्डों के अन्दर जलाक्रान्ति की रोकथाम।
9. हैंगरों को कबूतररोधी बनाना।
10. हवाई क्षेत्र के अन्दर पक्षियों को डराना और शूट करना।
11. पक्षियों की उपस्थिति के बारे में हवाई यातायात नियंत्रकों द्वारा विमान चालकों को सूचित करना।
12. विमान आगमन और प्रस्थान कार्यविधियों में संशोधन।
13. विमान अधिनियम में संशोधन करना जिससे कूड़े के निपटान के बारे में विमान नियमों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाया जा सके।
14. हवाई अड्डों के अन्दर और उनके इर्द-गिर्द वाले क्षेत्रों का संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर संयुक्त निरीक्षण।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारे देश में पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाएं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपने जो स्टेटमेंट दिया है वह इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया से संबंधित है। यह कहां तक सही है, यह तो आप ही बताएंगे, लेकिन पक्षियों

के टकराने की घटनाएं सामान्य घटनाएं नहीं हैं। विमानों की हमारे हमारे देश में कमी है, महंगे विमान हैं और इन घटनाओं से जन-धन दोनों की हानि की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार का प्रश्न पहले भी लोक सभा में दो-तीन बार आ चुका है, लेकिन वही घिसा-पिटा पुराना उत्तर है और इस उत्तर के बाद भी इस प्रकार की घटनाओं में कमी नहीं हो रही है। एयरफोर्स का प्रश्न इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हम वायुयान की जब बात करते हैं तो एयरफोर्स के विमान भी शामिल हो जाते हैं। आज स्थिति यह है कि देश के अंदर पूना, अंबाला, आदमपुर, तेजपुर, बरेली, हिंडन, जोधपुर, ग्वालियर, सिरसा तथा हैदराबाद एयरफोर्स स्टेशन हैं जो बर्ड हिट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सन् 1992 में कृषि, नागरिक उड्डयन, रक्षा तथा पर्यावरण मंत्रालय की एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे। उसमें एक सुझाव यह भी था कि 40-50 करोड़ रुपये का वनटाइम एक्सपैंडिचर करके हम इन बर्ड-हिट्स की घटनाओं को कम कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी के सुझावों के बारे में वर्तमान सरकार कुछ विचार कर रही है और वे सुझाव कितने व्यावहारिक थे तथा आप उनको कब तक लागू करने का विचार रखते हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसके अलावा भी कोई और सुझाव हैं?

श्री सी.एस. इब्राहिम : यह सुझाव कैबिनेट सैक्रेटरी के माध्यम से, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी हुई थी, उसके कुछ सुझाव सरकार के सामने हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास वेदान्दी, कृपा कर अपने स्थान पर जाइये।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहिम : एक्शन प्लान सरकार के सामने है, हम ध्यान रखेंगे।

श्री सत्यदेव सिंह : उपाध्यक्ष जी, लगता है, सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है। वैसे मंत्री जी नए हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि नए वातावरण में, नई सरकार की नीतियों के अनुसार वे इस पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मुम्बई नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। उस सोसायटी ने भी बर्ड हिट समस्या के ऊपर अपने विचार रखे हैं और उसमें उन्होंने दो बातें प्रमुखता से कही हैं जिनमें से एक को तो मंत्री महोदय ने इसमें शामिल किया है, लेकिन एक बात जो उसके अंदर कही गई है वह यह है कि बड़े-बड़े एअरपोर्ट के किनारे झुग्गी-झोपड़ियों के जो क्लस्टर हैं, उनको हटाया जाएगा। अब यह नीतिगत निर्णय है। अगर आप बर्ड हिट से वायुयानों को बचाने के लिए झुग्गी-झोपड़ियों को हटाकर उनकी उनकी प्रापर कोई व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इससे सामाजिक न्याय को भी बल मिलेगा और बर्ड हिट की घटनाएं भी कम होंगी। इस पर सरकार का क्या मत है? ...**(व्यवधान)**

मुझे अभी और सप्लीमेंट्री करनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सैकिंड सप्लीमेंट्री का 'बी' भाग यह है कि आपके इन सुझावों को लागू करने में राज्य सरकारें भी बीच में आती हैं। राज्य सरकारों का केन्द्र के साथ सीधा तालमेल न होने के कारण और इस स्कीम को लागू करने में जितने धन की आवश्यकता पड़ती है, उसकी कमी के कारण, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर बोझ न डालकर, इस समस्या को दूर करने के लिए धन आबंटित करेगी?

मेरे सप्लीमेंट्री का 'सी' भाग यह है कि जो आपने अपने उत्तर में कहा है, उसी से यह प्रश्न पैदा होता है। आपने अपने उत्तर में कहा है :

[अनुवाद]

> "विमान अधिनियम में संशोधन करना जिससे कूड़े के निपटान के बारे में विमान नियमों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाया जा सके।"

[हिन्दी]

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं एअरपोर्ट के किनारे जो ये बूचड़खाने बने हैं, जहां जानवरों की खालें निकाली जाती हैं और 25 किलोमीटर रेडियस की जो बात कही गई है उसको देखते हुए, क्या इसको भी आप कागनीजेबल आफेंस बनाएंगे और सिर्फ कचरे तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे?

ये मेरे तीन प्रश्न हैं। माननीय मंत्री महोदय मुझे आशा है कि समझ गए होंगे और उत्तर भी देंगे। धन्यवाद।

श्री सी.एम. इब्राहिम : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह बात सच है कि जहां स्लम्स ज्यादा हैं वहां पर बर्ड हिट की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जो आपने पहला प्रश्न पूछा है कि जो स्टडी कर के दी है, उसके हिसाब से एअरफोर्स के लोगों ने 50 लोगों को भेजकर बर्ड शूटिंग का जो काम शुरू किया था, तो किसी ने कोर्ट में लिटीगेशन डाल दिया कि आप इस प्रकार से बर्ड को शूट नहीं कर सकते, तो वह मामला वहां रुक गया है।

अब मेरी स्थिति यह है कि एक तरफ प्राणी दया संघ के लोग हैं और दूसरी तरफ बर्ड हिटिंग के। अब मैं इनकी दया पर देखूं या उनको कंट्रोल करूं। इसलिए हमारी कोशिश यह है कि एअरपोर्ट के चारों तरफ छोटे-छोटे पेड़ लगाने से, पक्षी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, उतरेंगे नहीं। इसलिए यह कार्य पहले पहल दिल्ली से शुरू किया गया

है। दूसरा प्रयास हमारा यह है कि जो एअर रनवे पर लाल वाली लाइटें होती हैं उनको देखकर सुबह-सुबह बहुत से कीड़े उनके ऊपर जम जाते हैं जिनको देखकर पक्षी नीचे उतर आते हैं। इसलिए हमने यह काम शुरू किया है कि सुबह उनकी क्लीनिंग की जाए, ताकि उनके ऊपर पक्षी अट्रैक्ट न हों।

आपने जो स्लम्स की बात कही है, जब मैं मंत्री बना, महाजन जी यहां आए थे, जब मुम्बई के स्लम्स की बात हुई, तो हमने कोशिश की कि किसी प्रकार से कुछ जमीन प्राप्त हो जाए और 50-50 पर आकर कुछ साल्यूशन निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने सैक्रेट्री को कहा है कि आप जाइए और महाराष्ट्र सरकार के चीफ सैक्रेट्री से बात कर के इस समस्या को हल करने की कोशिश कीजिए। जहां तक जगह का सवाल है, करोड़ों अरबों रुपयों की जगह है। अब नेशनल एअरपोर्ट अथारिटी के पास इतना पैसा तो नहीं है क्योंकि सरकार के पास इसका कोई बजट नहीं है।

हम अपनी बचत से इसको चला रहे हैं। जगह तक देने की बात है। हम चाहते हैं कि जो सोशल जस्टिस की बात थी, हम किसी गरीब को हटाना नहीं चाहते। स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके और जो लोकल इलैक्टिड एम.पीज हैं, उनका सहयोग लेकर इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : आपके और प्रधान मंत्री जी के बड़े अच्छे संबंध हैं। अखबार में इसका रोज प्रचार होता है। आप उस संबंध का लाभ उठाकर अपने लिए पैसा ले लीजिये।

श्री सी.एम. इब्राहिम : देखिये, मेरा और उनका संबंध क्या है? अखबार में जो कुछ आता है, उसमें मैं तो नहीं हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, धन्यवाद। मेरा प्रश्न इस प्रकार है। मैं एक समस्या बताता हूं। क्या वह समस्या से अवगत हैं। यह नम्बर एक है। यदि हां, तो वह किस प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे?

मैं कलकत्ता हवाई अड्डे के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं उसके पास ही रहता हूं। वास्तव में वह मेरे चुनाव क्षेत्र का भाग हैं। पानी को जमा होने से रोकना, हवाई अड्डे क्षेत्र में पक्षियों को उडाना तथा उनका शिकार करना, ऐसा कार्य है जोकि ठेका मजदूरों को दिया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या वह इससे अवगत हैं?

दूसरे ठेका मजदूर को हवाई पट्टी के किनारे पर पहुंचने के लिए दो किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना पड़ता है ताकि वह पक्षियों को उडा सके और अपना कार्य कर सके। मजदूर के शौच आदि के लिए अथवा खाना खाने के लिए कोई स्थान नहीं है और उसको एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। उसको खाना खाने के लिए तथा दूसरे कार्य करने के लिए दो किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना पड़ता है। वह समूचे क्षेत्र को खराब करता है। क्या मंत्री महोदय हस्तक्षेप करेंगे और देखेंगे कि स्थिति में सुधार हो ताकि वह वांछित परिणाम प्राप्त कर सके। पानी जमा होने की समस्या के बारे में भी यही सच है। मैं ठेका मजदूर संघ का प्रजीडेन्ट हूं इसलिए मैं समस्या के बारे में जानती हूं। यह समस्या का एक भाग है।

समस्या का दूसरा भाग यह है माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में अनेक बातों का सुझाव दिया है अर्थात हवाई पट्टी के आस पास के क्षेत्र का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण। मैं हवाई अड्डे के के पास के म्युनिसिपल क्षेत्र में रहता हूं। यदि माननीय मंत्री कलकत्ता के बारे में जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि कलकत्ता में वी.आई.पी. सड़क पर पशु खुले आम मल-त्याग करते हैं और उनमें से बहुत गन्दी बदबू आती है क्या माननीय मंत्री को इस समस्या का पता है। वहां म्यूनिसिपलटी बहुत कमजोर है और उनके पास ऐसी चीजों को हटाने की सुविधा प्राप्त नहीं है। इससे बदबू उठती है। मैं वी आई पी रोड पर रहता हूं इससे पक्षी आकर्षित होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके प्रश्न पूछें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने अपना प्रश्न कह दिया है। क्या उन्हें इस प्रकार की समस्या का पता है और यदि उन्हें पता है तो वह म्यूनिसिपैलटी और ठेका मजदूरों की सहायता के लिये क्या करने जा रहे हैं और किस प्रकार?

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहिम : सच पूछें तो मुझे यह मालूम नहीं था। उन्होंने ही मुझे आगाह किया है। मैं अपने माध्यम से अधिकारियों को कहूंगा। उन्होंने कहा कि कांटेक्ट लेबर के आप अध्यक्ष भी हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उस पर निगरानी रखिये और उनको जो सुविधायें वहां पर उपलब्ध नहीं है, वे आगे उपलब्ध करने की पूरी कोशिश करें।

दूसरा, वहां पर एयरपोर्ट में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। जिला कलेक्टर उसके चेयरमैंने हैं। इण्डियन एयरलाइंज एयर इण्डिया म्यूनिसीपलिटी और सोशल आर्गनाईजेसन्स को कोआपटेट करके वह मीटिंग करते रहेंगे।

[अनुवाद]

वे हमें देंगे कि इसकी रोकथाम हेतु क्या उपाय किये जायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह ठीक है कि आप यह करेंगे। परन्तु क्या आप उसमें संसद सदस्यों को शामिल करेंगे।

श्री सी.एम. इब्राहिम : जी हां, निश्चय ही मुझे खुशी है। मैं आज ही आदेश जारी कर दूंगा कि जहां कहीं संसद सदस्य हैं उनको इनमें शामिल किया जाये।

श्री मधुकर सर्वोतदार : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में हवाई अड्डों के आसपास गन्दी बस्तियों के बारे में कुछ कहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में दो बड़े हवाई अड्डे हैं एक सान्ताकुंज और दूसरा सहार।

दोनों हवाई अड्डे गन्दी बस्तियों से घिरे हुए हैं गत कई वर्षों से अनेक लोगों ने उनको वैकल्पिक आवास देने और उस क्षेत्र से समूची

झोपड़ियों को हटाने अथवा गिराने के प्रयास किये हैं परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र राज्य ने इन बस्तियों के सभी लोगों को मुफ्त मकान देने की एक अच्छी योजना लागू की है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : इप्लीमैन्ट हो रहा है, इनको यही दुख है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोत्दार : श्री कलमाड़ी बतायें कि वे सभी योजनाएं कहां हैं जिनकी उन्होंने घोषणा की थी जब वे रेल मंत्री थे।

क्या माननीय मंत्री मन्दी बस्ती वाले सभी लोगों हेतु वैकल्पिक भूमि देने पर विचार करने को तैयार हैं? ऐसे मामले में हम एक सोसाइटी बनायेंगे और देखेंगे कि सभी लोगों को आवास दिया जाये क्योंकि सभी भूमि केन्द्रीय सरकार तथा हवाई पत्तन प्राधिकरणों की हैं। इस लिये यदि वह ऐसा करने जो तैयार है तो हम सभी झोपड पट्टी वालों का सहयोग प्राप्त करेंगे, हम सोसाइटी बनायेंगे और मकानों का निर्माण करेंगे यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है...

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कह सकते है कि मेरे अनुपूरक प्रश्न का यह (क) अथवा (ख) भाग हैं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : यह मेरी तथा सदन की जानकारी के लिये है। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं। स्थिति यह है। इसलिये प्रत्येक वर्ष होने वाली भारी हानि को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह देखने के लिये कोई सतर्कता बरती जा रही है कि क्या सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये अनुदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा वहीं, यदि हां, तो फिर दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहिम : जिस तरह से आपने कहा कि यदि वे लोग जाने के लिये तैयार हैं तो क्या आप जगह की व्यवस्था कर सकते हैं।

[अनुवाद]

मैंने नागर विमानन मंत्रालय के सचिव से बात की थी वह महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से मिल रहे हैं। मैंने उन्हें दो चीजों के बारे में पूरे अनुदेश दिये हैं। पहली यह कि हमे हवाई पट्टी के लिये कुछ भूमि बचानी है। दूसरी यह कि गरीबों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि मुम्बई से सचिव की वापसी पर मैं दिल्ली अथवा मुम्बई में संबंधित क्षेत्रों के संसद सदस्यों की बैठक बुलाऊंगा। मैं आश्वासन देता हूं कि हम उनसे भूमि जबरदस्ती खाली नहीं करायेंगे। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं ...(व्यवधान)

मैं आपसे पूरे सहयोग की आशा करता हूं। इसका सामना करने के लिए हमें वातावरण को साफ रखना है और दूसरे आपने समय समय पर निरीक्षण के बारे में कहा है परन्तु दुर्भाग्यवश हम पक्षियों की वृद्धि नहीं रोक सकते क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। जैसा कि आप सहमत हैं यह हवाई अड्डे पक्षियों तथा अन्य चीजों के लिए प्रजनन क्षेत्र बन गये हैं। जबतक हम आसपास के क्षेत्रों को साफ नहीं करते तब तक इस पर नियंत्रण करना असम्भव है।

1986 में 189 दुर्घटनाएं हुई थी। इनमें धीरे धीरे कमी आई है। 1995 में यह संख्या 143 थी और 1996 में यह संख्या 55 हैं।

श्री राम नाईक : यह छः महीनों के लिये है ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहिम : 110 है तो मैं समझता हूं कि थोडा और भी कम हो जायेगा।

[अनुवाद]

हम सावधानी के सभी उपाय कर रहे हैं। हानि बढ़ रही है परन्तु हम उसे बीमा से पूरा कर रहे हैं। 75 प्रतिशत हानि को हम बीमा के माध्यम से पूरा कर रहे हैं।

श्री सुरेश कलमाड़ी : यह खुशी की बात है कि पक्षियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी हो रही है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि हवाई अडडों के आसपास कसाईखानों को हटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। इन कसाईखानों को हवाई अड्डों के 10 किलोमीटर के भीतर नहीं होना चाहिए। हवाई अड्डों आसपास इनकी उपस्थिति से ही पक्षी उस तरफ आकर्षित होते हैं।

विश्व में आधुनिक हवाई अडडों में यह काम ठेका मजदूरों द्वारा नहीं किया जाता बल्कि यह काम रेंजर द्वारा किया जाता है जिनके पास प्लास्टिक प्लेट वाली बन्दूकें होती है जिससे वे पक्षियों को डरा कर दूर भगाते हैं। पक्षी जब झुण्ड में आते हैं तो उनको दूर भगाने का यह आधुनिक तरीका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना है जिसे सरकार मुख्य हवाई अड्डों पर लागू करना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहिम : जहां तक स्लाटर हाउस का मामला है। हम स्टेट गवर्नमैंट को लिख रहे हैं।

[अनुवाद]

उन्हें इनको हटाने के लिए बिना हमारी अनुमति प्राप्त किये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। यदि ऐसी चीजें यह मुख्य रूप से राज्य

सरकार का विषय है और उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। जहां कहीं भी ऐसे कसाईखाने हैं मंत्रालय वाले उनका लगायेंगे और विभाग के अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश देंगे।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इसमें कानून पास हुआ था कि एयरपोर्ट के पांच किलोमीटर के सीमा में कोई भी बस्ती नहीं बसाई जायेगी।

श्री सी.एम. इब्राहिम : कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाली स्टेट गवर्नमेंट है। वह स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम स्टेट को लिख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम इस पर पूरा दबाव डिपार्टमेंट से डालेंगे। ...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय के स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं कि वह मुम्बई के एयरपोर्ट के बाजू में जो लगभग पांच लाख झोपड़ पट्टी वाले हैं, उनके लिए दूसरे मकान देने की व्यवस्था करने के लिए प्रिंसीपली सहमत हैं।

श्री सी.एम. इब्राहिम : मैं आपको कहता हूं, जो मैंने कहा, वह मत कहलवाइए। मैंने यह नहीं कहा कि मैं मकान देने की कोई व्यवस्था मंजूर करता हूं। कल आप रिकार्ड से निकालकर बोल देंगे। मैंने यह कहा कि जो दो मीटिंग हो रही हैं, चीफ सैक्रेटरी और हमारे सैक्रेटरी के बीच मैं, उनको इतना में कह सकता हूं कि आल्टरनेटिव जगह देने के लिए महाराष्ट्र सरकार और हमारे बीच चर्चा होकर जो एग्रीमेंट होगा, उस पर हम बंधे हैं। दूसरा निर्णय वहां से यह भी आया है कि आगे जगह उनको दे दी जाये और आधी जगह वह हमको दे दें, हम इस पर भी तैयार हैं। आई एग्री फार बोथ।

श्री राम नाईक : इसलिए कभी-कभी यह हो जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वह समस्या को वैसे ही रख देते हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस समस्या के बारे में आपके जब सैक्रेटरी की रिपोर्ट आएगी तो मुम्बई के लिए जहां बड़ी संख्या में झोपड़पट्टियां हैं, इनके लिए एक सब-ग्रुप इस बात का ध्यान करके फैसला करने की दृष्टि से आपकी अध्यक्षता में बनाएंगे, ऐसा कुछ आप करेंगे क्या?

श्री सी.एम. इब्राहिम : जहां तक मेरे डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स का सम्बन्ध है, वह मेरे साथ बड़े प्यार और भावना के साथ हैं और मुझे विश्वास है कि वह जाएंगे चलना क्या है कि घोड़ा सवार को देखता है कि उसके ऊपर सवार कौन है। अगर सवार ठीक है तो वह सीधे रास्ते पर चलेगा मुझे मेरे आफिसर्स का पूरा सहकार है और मैंने उनको अधिकार दिया है कि आप वहां चीफ सैक्रेटरी से मिलें और लोकल एम.पी. से भी मिलें अगर यह ठीक नहीं हुआ तो निश्चय ही मैं हस्तेक्षप करूंगा मैं आप सबको बुलाऊंगा और हम देखेंगे कि यथा सम्भव इसका निटारा हो जाये।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण

+

*124. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों को उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में अलग से आरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने में कोई संवैधानिक अड़चन है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). धार्मिक अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी तथा शैक्षिक संस्थाओं में अलग से आरक्षण देने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अल्पसंख्यक समुदायों के उन वर्गों को भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। ऐसे ही आरक्षण कई राज्यों में विद्यमान है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं इस बयान के लिए मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। आज के प्रधान मंत्री तब के कर्नाटक के मुख्य मंत्री माननीय देवगौड़ा ने नवम्बर 1995 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए कहा था कि मैं मुस्लिम समुदाय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को नौकरियों में तथा शिक्षा में आरक्षण देने के पक्ष में हूं। उन्होंने कर्नाटक में मुख्य मंत्री के पद पर रहते हुए उनको चार प्रतिशत आरक्षण इस समाज को दिया है। धर्म-निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना धर्म-निरपेक्षता के खिलाफ बात होगी और इससे अलगाववाद की भावना पैदा होगी। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूं। इसके बजाए यदि यह कहा जाए कि सभी समुदायों में जो गरीब वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, तो यह उचित रहेगा, क्या ऐसा आप करेंगे?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए पहले से ही जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण प्राप्त है, वैसे ही इनको भी है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के अलावा भी क्या आरक्षण की व्यवस्था करेंगे?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अभी अल्पसंख्यकों के लिए इससे बाहर जाकर आरक्षण देने की कोई योजना हमारे पास विचाराधीन नहीं है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अभी सरकार ने और खासकर सत्तारूढ़ जनता दल ने अपने बयानों में और अपने घोषणा-पत्र में भी कहा है कि हम सभी दलित ईसाइयों को आरक्षण देंगे और इसके लिए बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मंतव्य भी उन्होंने प्रकट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि दलित ईसाइयों में जाति प्रथा नहीं होती है। पिछले 50 वर्षों के आप रिकार्ड उठाकर देखें तो पता चलेगा कि 1951 में ईसाइयों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी का 2.26 प्रतिशत था और अब 1991-92 में वह बढ़कर 2.30 प्रतिशत तक हुआ। इसमें नाम-मात्र का ही प्रतिशत बढ़ा है इसका मतलब यह हुआ कि इन 50 वर्षों में ईसाइयों की संख्या अधिक नहीं बढ़ी है। उसके बावजूद आज के आंकड़े बताते हैं कि ईसाइयों की संख्या, नौकरियों में ज्यादा है। जबकि इनमें जाति प्रथा भी नहीं होती और सरकार दलित ईसाइयों का आरक्षण करने की बात कर रही है। इसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति के लोगों को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, वह कम पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा बढ़ रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह दलित ईसाइयों को आरक्षण देने के लिए बिल लाने के लिए कटिबद्ध है? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि दलित ईसाइयों को आरक्षण दिया गया तो क्या वह अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के कोटे से दिया जायेगा या अलग से कोटे का प्रावधान किया जाएगा?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : माननीय सदस्य ने पहले जो प्रश्न पूछा था कि क्या गरीब वर्ग के लोगों को जो भले ही उच्च जाति के हों या पिछड़े वर्ग से हों, उनको आरक्षण दिया जाएगा, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। ऐसा है कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते। इस सदन को सोचना चाहिए कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण करेंगे तो जो लोग आर्थिक तौर पर गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा, इसके लिए हम तैयार हैं। जहां तक दलित ईसाइयों को आरक्षण देने की बात है तो जो सुविधाएं अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण के अंतर्गत मिलती हैं वह देने का हमारा पक्का इरादा है और हम देकर रहेंगे।

श्री रामेश्वर पाटीदार : उसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा या अन्य प्रावधान किया जाएगा? ...**(व्यवधान)**

प्रो. रीता वर्मा : क्या वे उसमें शामिल होंगे?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : यह सरकार दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल करके उन्हें आरक्षण देने का बिल ला रही है, उस समय माननीय सदस्य इसको उठा सकते हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है। मेरा सवाल है कि क्या अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण का कोटा है उसी कोटे में से उनको आरक्षण देंगे या अन्य कुछ निर्धारित करेंगे?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैंने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए जो कोटा है, दलित ईसाई अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएंगे। **(व्यवधान)**

मध्याह्न 12 बजे

श्रीमती शीला गौतम : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह संतोषजनक नहीं है क्योंकि जो 50 परसैंट आरक्षण है यदि उसी में से यह अल्पसंख्यकों को देने जा रहे हैं तो उनके साथ अन्याय होगा। आप जो दलित ईसाइयों में कह रहे हैं उसमें दलित ईसाई कोई जाति नहीं होती, उसमें सब ईसाई वर्ग में आते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह जो आप आरक्षण अल्पसंख्यकों को 50 परसैंट के अंतर्गत या इसके ऊपर दे रहे हैं, **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी पहले ही जवाब दे चुके हैं कि अल्पसंख्यकों का कोई प्रपोजल इनके पास नहीं है, यह पहले ही कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : आपने दूसरों को बोलने का मौका दिया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका नाम लिस्ट में था इसलिए इनको समय देना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : ...*

उपाध्यक्ष महोदय : इनका नाम लिस्ट में था इसलिए इनको कहना पड़ा। मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : ...*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम सूची में था।

(व्यवधान)

श्री सुल्तान ओवेसी : ...*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने पीठासीन पर आक्षेप किया है।

---

* अध्यपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें सुन नहीं सका।

श्री राम नाईक : पीठासीन उसे समझ नहीं सके हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती शीला गौतम का नाम सूची में था परन्तु वह कह रहे हैं कि आपने उन्हें अनुमति दी है ...(व्यवधान) आप से मेरा अनुरोध है कि आप रिकार्ड की जांच करें और अवांछित टिप्पणियों को हटा दें ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जांच करूंगा और फिर देखूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों से एअर इंडिया की प्रतिस्पर्धा

***125. श्री हरिन पाठक :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया विश्व में नये व्यावसायिक क्षेत्र प्राप्त करने में विफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और उनमें कितनी सफलता मिली है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहिम) : (क) और (ख). एअर इंडिया द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या में तो कमी नहीं आई है, परन्तु एयरलाइन उस गति से आगे नहीं बढ सही है जिस गति से अन्तरराष्ट्रीय यातायात बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप 1994 तक इसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई।

एअर इंडिया ने अपनी क्षमता में वृद्धि करने, अपने सेवा नेटवर्क में विस्तार करने तथा और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के संबंध में कदम उठाए हैं। इसकी बाजार हिस्सेदारी 1994 में 20.4 प्रतिशत की तुलना में 1995 में बढकर 23.1 प्रतिशत हो गयी है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में रोजगार

***126. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 से आगे की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार की विकास दर में कमी होती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का कृषि क्षेत्र में रोजगार की विकास दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग). योजना आयोग के अनुमानों के अनुरूप 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार की विकास दर में कोई गिरावट नहीं आई है।

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु रोजगार अभिमुख विकास नीतियां तैयार करना आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य दबाव क्षेत्र रहा है कृषि से रोजगार विकास में वृद्धि करने संबंधी मुख्य नीतियां निम्नप्रकार हैं :

(एक) कृषि क्षेत्र का तीव्र एवं भौगोलिक दृष्टि से विविध विकास, ताकि, अब तक पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास में अपेक्षाकृत अधिक अंशदान हो, उत्कृष्टता हेतु कृषि का विविधीकरण सब्जियों तथा फलों जैसी अधिक श्रम सघन फसलें, विशेष रूप से कृषि की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों में।

(दो) डेरी, मत्स्यपालन तथा कोशकीट पालन जैसे कृषि आधारित तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिये आधारभूत संरचना एवं विपणन व्यवस्था का विकास करना।

(तीन) उपज तथा वानिकी हेतु बंजर भूमि के विकास एवं उपयोग हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम।

एक कार्य दल द्वारा कृषि मंत्रालय में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार अभिमुखीकरण सहित कृषि विकास हेतु नीति तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

"सेल" और "टिस्को" में प्रदूषण नियंत्रण उपाय

***127. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और टाटा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (टिस्को) के इस्पात संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) ने प्रदूषण स्तरों को स्वीकार्य सीमा/मानदण्डों के भीतर रखने के लिए उपाए किए हैं।

"सेल" के सभी इस्पात संयंत्र कुल मिलाकर जल प्रदूषण मानदण्डों का अनुपालन कर रहे हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों में जहां वायु प्रदूषण मानदण्ड से अधिक है, वहां सेल ने एक समयबद्ध प्रदूषण नियंत्रण कार्यान्वयन कार्यक्रम शुरू किया है।

"टिस्को" भी लगभग सभी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों को पूरा कर रहा है। जहां तक जल प्रदूषण का संबंध है, हालांकि टिस्को ने सुसज्जित बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड (बी ओ डी) संयंत्र संस्थापित किया है, फिर भी यह अभी सायनाइड और अमोनियाकल नाइट्रोजन मानदण्डों का अनुपालन नहीं कर पा रहा है।

(ख) अक्तूबर, 1992 में "सेल" ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को एक कार्य योजना जिसमें पांच एकीकृत इस्पात कारखानों में 115 प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं का चरण-वार कार्यान्वयन शामिल है और जिसकी लागत 422 करोड़ रुपए है, के संबंध में प्रतिबद्धता की थी। लगभग 326 करोड़ रुपए की लागत से अब तक 103 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, शेष योजनाओं में से अधिकांश योजनाओं के दिसम्बर, 1996 तक पूरा करने की अनुसूची है बाकी योजनाएं 1998 तक पूरी की जा सकती हैं।

योजनाओं का संयंत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

संयंत्र	नियोजित योजनाओं की संख्या	पूरी की गई योजनाओं की संख्या
भिलाई इस्पात संयंत्र	28	28
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	20	17
राउरकेला इस्पात संयंत्र	28	23
बोकारो इस्पात संयंत्र	29	27
इण्डियन आयन एंड स्टील कंपनी	10	8

इसके अतिरिक्त सभी आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाओं में परिव्यय का 10-12 प्रतिशत परिव्यय केवल प्रदूषण नियंत्रण के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का सतर्कता से प्रबोधन कार्य समीक्षा बैठकों और स्थल का दौरा करके संबंधित संयंत्र और "सेल" के निगमित पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तिमाही आधार पर उन क्षेत्रों का उस समय जबकि क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण और वन मंत्रालय के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है और संयंत्रों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सलाह दी जाती है।

31.3.96 की स्थिति के अनुसार टिस्को ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 166 करोड़ रुपए के व्यय पर 70 से अधिक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। टिस्को द्वारा समय-समय पर अनुपालन रिपोर्टें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाती हैं और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करता है।

खाद्य तेल की कमी

*128. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, अक्तूबर, 1996 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्य तेल के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 हेतु खाद्य तेल की आवश्यकता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में खाद्य तेल की कमी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) खाद्य तेल की कमी को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). फरवरी-अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य व्यापार निगम को 2.00 लाख मी0 टन आर बी डी पाम्ओलीन का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) और (घ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु फरवरी-अक्तूबर, 1996 के महीनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई खाद्य तेल की कुल मांग लगभग 4.22 लाख मी. टन है। राज्यवार/महीने वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च). फिलहाल सभी देशीय स्रोतों से खाद्य तेलों की सकल आवश्यकता और निवल सुलभता के बीच लगभग 7-8 लाख मी0 टन का अंतर मौजूद है। चूंकि देश में खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है और किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र में उत्पादित खाद्य तेल के लिए उपभोक्ताओं की पसंद भी सीमित नहीं है। अतः राज्य वार खाद्य तेल की वास्तविक मांग और आपूर्ति बता पाना संभव नहीं है।

(छ) तिलहनों और दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से तिलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

विवरण

1996 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयातित पामोलीन की मांग

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		फर.	मार्च.	अप्रै.	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्तू.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	डी	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	135000
2.	अरुणाचल प्रदेश*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	डी	300	0	300	0	300	0	0	0	0	900
4.	बिहार	डी	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	31500
5.	गोवा	डी	600	600	600	600	600	600	600	600	600	5400
6.	गुजरात	डी	6000	6000	6000	6000	6000	6000	9000	9000	9000	63000
7.	हरियाणा**	डी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	डी	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1800
9.	जम्मू और कश्मीर	डी	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
10.	कर्नाटक	डी	0	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	12000
11.	केरल	डी	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	2000
12.	मध्य प्रदेश*	डी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	महाराष्ट्र	डी	3000	3000	5000	5000	5000	7000	7000	7000	7000	49000
14.	मणिपुर	डी	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7200
15.	मेघालय	डी	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1800
16.	मिजोरम	डी	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3600
17.	नागालैंड	डी	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4500
18.	उड़ीसा	डी	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	27000
19.	पंजाब *	डी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	डी	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2700
21.	सिक्किम	डी	110	110	110	110	110	110	110	110	110	990
22.	तमिलनाडु	डी	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	18000
23.	त्रिपुरा	डी	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
24.	उत्तर प्रदेश **	डी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	डी	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	40000
26.	अंडमान व निकोबार	डी	25	25	25	25	25	25	25	25	25	225
27.	चंडीगढ़	डी	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
28.	दादरा व नगर हवेली	डी	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
29.	दमण	डी	75	75	75	75	75	75	75	75	75	675
30.	दीव	डी	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450
31.	दिल्ली	डी	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4500
32.	लक्षद्वीप	डी	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
33.	पांडिचेरी	डी	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	8000
	जोड़	डी	36780	45480	44780	47480	44780	49480	49480	52480	49480	424020

* अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

** राज्य में आयातित खाद्य तेल की मांग नहीं है।

इंडियन एअर लाइन्स की विदेशी उड़ानें

*129. **श्री ई. अहमद :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअर लाइन्स द्वारा विदेशी उड़ाने चलाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के किन-किन घरेलू विमान पत्तनों से ऐसी उड़ानें चलाई जा रही हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से सऊदी अरब में जेद्दा, रियाद एवं देहरान के लिए इंडियन एअर लाइन्स की उडानें चलाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहिम) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स भारत में 10 हवाई अड्डों से विदेश स्थित 17 स्टेशनों के लिए अंतरराष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करती है।

(ग) और (घ). कालीकट से सऊदी अरब में गंतव्य स्थानों के लिए सीधा विमान सम्पर्क शुरू करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारत तथा सऊदी अरब के मध्य हवाई सेवा करार के अंतर्गत इस समय दोनों पक्षों की एक-एक विमान कम्पनी नामित करने की पात्रता है। एअर इंडिया इसी पात्रता के अधीन प्रचालन कर रहा है। दो-दो विमान कम्पनियों को नामित करने की व्यवस्था करने के लिए हवाई सेवा करार में संशोधन करने का अनुरोध सऊदी अरब के प्राधिकारियों से किया गया है, जिससे कि इंडियन एयरलाइन्स भी प्रचालन कर सके।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादक

*130. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद न करने के कारण देश में गन्ना उत्पादकों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ना उत्पादक अपनी फसल जलाने के लिए मजबूर हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के गन्ना उत्पादकों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गन्ना उत्पादकों की क्षतिपूर्ति करने और उन्हें उनके उत्पादन का लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चीनी मिलों ने चीनी मौसम 1995-96 में गन्ने की पेराई पिछले अन्य किसी भी वर्ष में की गई पेराई से बहुत अधिक की है। 31-5-1996 तक लगभग 1505 लाख टन गन्ने की पेराई की गई है जबकि पिछले मौसम 1994-95 में पूरे वर्ष में 1476 लाख टन पेराई की गई थी, जो कि उस समय तक रिकार्ड चीनी उत्पादन का वर्ष था। 31-5-1996 के बाद भी कई चीनी फैक्ट्रियों ने गन्ने की पेराई को जारी रखा तथा 1-7-1996 तक भी 101 फैक्ट्रियां कार्यरत थीं।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश ने 134 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना जलाए जाने की सूचना दी है लेकिन कहा है कि जलाया गया अधिकांश गन्ना प्रथम उपज के बाद दूसरी उपज का तथा अलाभकर था। यह खेत को आने वाली खरीफ मौसम की तैयारी के लिए जलाया गया था। इसमें शामिल जिले हैं—होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर जहां कोई भी चीनी फैक्ट्री नहीं है तथा गन्ने का उपयोग गुड़ तथा खांडसारी इकाइयों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश से गन्ना जलाए जाने की छिटपुट घटनाओं की सूचना मिली है।

(घ) चीनी फैक्ट्रियों को उपलब्ध गन्ने की पेराई करने में समर्थ बनाने तथा चीनी मिलों की नकदी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे-देर से पेराई के लिए प्रोत्साहन, बफर स्टाक का सृजन तथा चीनी के निर्यात की अनुमति। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चीनी फैक्ट्रियों को चीनी स्टाक के एवज में उच्चतर ऋण सीमा प्राप्त करने हेतु कुछ रियायतें दी हैं।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

*131. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के राज्यवार कितने गोदाम हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के कुछ और गोदाम स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और ये गोदाम कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 1802 (ढके हुए और कैप/अपने और किराये के) गोदाम उपलब्ध थे। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). जी, हां। वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास निम्नलिखित स्थानों पर नए गोदाम निर्माण करने संबंधी अनन्तिम प्रस्ताव हैं :

क्र.सं.	स्थान
	गैर-सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्र
1.	पय्यानूर (केरल)
2.	धामत्री (मध्य प्रदेश)
3.	मन्दिर हसौड (मध्य प्रदेश)
4.	कापा (मध्य प्रदेश)
5.	जोवई (मेघालय)
6.	दीमापुर (नागालैंड)
7.	धमोरा (उत्तर प्रदेश)
8.	रोजा (उत्तर प्रदेश)
9.	शोलापुर (महाराष्ट्र)
10.	राजकोट (गुजरात)
11.	झारसुगुडा (उड़ीसा)
12.	कटिहार (बिहार)
	सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्र
1.	बारामूला (जम्मू और कश्मीर)
2.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
3.	पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)
4.	शिमली (उत्तर प्रदेश)
5.	जैसलमेर (राजस्थान)
6.	उदीपी (कर्नाटक)
7.	कुर्ग (कर्नाटक)
8.	इदुक्की (केरल)
9.	वाइनाड (केरल)
10.	पोर्टब्लेयर (अण्डमान और निकोबार)
11.	गोड्डा (बिहार)
12.	गुमला (बिहार)
13.	बोकारो (बिहार)
14.	पारले-खा-मण्डी (उड़ीसा)

तथापि, अन्तिम निर्णय निधि और भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

दिनांक 1.4.96 को भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) की संख्या बताने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	गोदामों की सं.
1	2	3
1.	बिहार	61
2.	उड़ीसा	50
3.	पश्चिम बंगाल	66
4.	सिक्किम	2
5.	असम	41
6.	अरुणाचल प्रदेश	3
7.	मेघालय	6
8.	मणिपुर	3
9.	मिजोरम	6
10.	नागालैंड	6
11.	त्रिपुरा	7
12.	दिल्ली	10
13.	हरियाणा	122
14.	हिमाचल प्रदेश	17
15.	जम्मू और कश्मीर	15
16.	पंजाब	489
17.	चंडीगढ़	16
18.	राजस्थान	104
19.	उत्तर प्रदेश	257
20.	आंध्र प्रदेश	140
21.	केरल	31
22.	कर्नाटक	46
23.	तमिलनाडु	29
24.	पांडिचेरी	3
25.	गुजरात	53
26.	महाराष्ट्र	54
27.	गोवा	1
28.	मध्य प्रदेश	164
	जोड़	1802

खाद्यान्नों का भण्डारण

*132. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढके हुए भांडागारों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों को खुले भांडागारों में रखना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1996 में पृथक-पृथक कुल कितने खाद्यान्नों का भंडारण किया गया ;

(ग) क्या अपर्याप्त भांडागार सुविधाओं के कारण गत वर्षों के दौरान घाटे में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1995-96 के दौरान कितना घाटा हुआ;

(ङ) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के भंडारण को प्राथमिकता दी जाती है;

(च) यदि हां, तो 30 अप्रैल, 1996 तक केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदामों में कितने खाद्यान्नों का भंडारण किया गया; और

(छ) केन्द्रीय भांडागार निगम की कितनी भंडारण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितवरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) उच्चतम बूसली मौसमों के दौरान भण्डारण स्थान की तात्कालिक अंतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की कुछ मात्रा पूर्णतया अस्थायी उपाय के रूप में कवर और प्लिंथ में रखने के लिए बाध्य है।

(ख) अप्रैल, 1996 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कैप और ढके हुए गोदामों में क्रमशः 19.60 लाख मीटरी टन और 135.57 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का भण्डारण किया गया था।

(ग) और (घ). जी, नहीं। अपर्याप्त भाण्डागारण सुविधाओं के कारण हानियों में प्रतिशतता के रूप में किसी प्रकार की वृद्धि होने की सूचना नहीं है। 1990-91 के दौरान 0.21 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की हानि हुई थी। 1995-96 के दौरान हानियों का अनुमान निगम के 1995-96 के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दे देने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा।

(ङ) जी, हां। गोदाम किराये पर लेने के मामले में भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय भण्डारण निगम को प्राथमिकता प्रदान करता है।

(च) 30.4.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदामों में कुल 11.95 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का भण्डारण किया गया था।

(छ) केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों का औसत क्षमता उपयोग लगभग 83 प्रतिशत है जो 80 प्रतिशत के इष्टतम स्तर से अधिक है। अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर न लिए जाने की स्थिति में केन्द्रीय भण्डारण निगम की संग्रह क्षमता को इस्तेमाल हेतु शेष रहने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

[हिन्दी]

चीनी और मिट्टी के तेल की आपूर्ति

*133. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक राशनकार्ड धारक को कितनी-कितनी मात्रा में चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) लेवी चीनी का आवंटन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 1.1.1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के एक एकसमान दर पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन आमतौर पर भूतकालिक आधार अर्थात विगत में किए गए आवंटनों के आधार पर किया जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक राशन कार्ड धारक को दी जाने वाली मात्रा समेत प्रचालन संबंधी ब्यौरे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तय किए जाते हैं।

(ख) से (घ). जहां तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण का संबंध है, यह राज्य सरकारों द्वारा बताई गई स्थानीय परिस्थितियों और उनके द्वारा नियत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का दायित्व है कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण में किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करें।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन टॉवर

*134. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में टेलीफोन टॉवर स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) टेलीफोन टावर के लिए ऐसा कोई अनुरोध जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में व्यावसायिक विशेषज्ञ

*135. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न श्रेणियों के वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञों का अद्यतन आंकड़ा रखती है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1996 तक इन श्रेणियों के विशेषज्ञों की संख्या कितनी थी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञ देश छोड कर चले गए हैं; और

(घ) देश छोड़ कर जाने वाले इन विशेषज्ञों का तकनीकी कौशल किस स्तर का था?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) : देश में, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक कार्मिको में डाक्टर, इंजीनियर, वास्तुविद्, वैज्ञानिक, टेक्नालाजिस्ट, वकील, प्रबंधन एवं संचार विशेषज्ञ शामिल हैं। राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (एन टी एम आई एस) द्वारा रखे गए अनुमानों के अनुसार 1996 के प्रारम्भ में अभियांत्रिकी में डिग्रीधारियों की संख्या लगभग 7 लाख तथा डिप्लोमाधारियों की संख्या ।। लाख होगी। जनशक्ति की रूपरेखा पर अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि यहां 3,12,000 चिकित्सा स्नातक 15,670 दंत चिकित्सक, तथा 2,21,900 नर्सिंग कार्मिक हैं, आई ए एम आर के अनुमानों के अनुसार विज्ञान में परास्नातकों की संख्या 1996 के प्रारम्भ में 6,67 लाख के लगभग होगी।

(ग) और (घ). विगत तीन वर्षों के दौरान, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक कार्मिकों के भारत में विदेश में जा बसनेवालों से संबंधित विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

नए पर्यटन स्थलों का विकास

*136. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान विकसित किये गये पर्यटन स्थलों और बेहतर बनाई गई मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक भारत भ्रमण के लिए आते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) पर्यटक स्थलों का अभिनिर्धारण तथा विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है एवं मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बौद्ध पर्यटक परिपथ का विकास किया गया है।

(ख) बंगलादेश को छोड़कर प्रमुख दस देश, जिनसे विदेशी पर्यटक भारत आते हैं, वे यू.के., यू.एस.ए., श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, इटली, मलेशिया तथा सिंगापुर हैं।

लम्बित कार्यक्रम

*137. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रायल्टी" आधारित कार्यक्रम, कमीशन्ड कार्यक्रमों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं;

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों में इस समय स्वीकृति हेतु लंबित कार्यक्रमों की श्रेणीवार संख्या किनी-कितनी है;

(ग) प्रत्येक मामले में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को प्रसारण हेतु कार्यक्रमों के चयन में अनियमितताएं बरती जाने की शिकायतें मिली हैं जिसके परिणामस्वरूप अच्छे धारावाहिकों और टेलीफिल्मों का प्रसारण हेतु चयन नहीं हो पा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहिम) : (क) रायल्टी कार्यक्रमों और कमीशंड कार्यक्रमों की कीमतों/लागतों की तुलना नहीं की जा सकती। जबकि रायल्टी कार्यक्रमों के मामलों में दूरदर्शन किसी कार्यक्रम के केवल एक ही समय अथवा सीमित टेलीकास्ट अधिकारों के लिए भुगतान करता है तथापि कमीशंड कार्यक्रमों के सभी अधिकारों का स्वामित्व दूरदर्शन

के पास स्थायी रूप से रहता है। इसके अलावा, दूरदर्शन उन विषयों पर कार्यक्रम कमीशन करता है जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित होता है और/अथवा निजी क्षेत्र निर्माताओं द्वारा सामान्यतया जिनका निर्माण नहीं किया जाता।

(ख) प्रस्तावों की प्राप्ति और उनका चयन एक सतत प्रक्रिया है जोकि समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। केन्द्रों से एकत्रित सूचना के अनुसार, केन्द्रवार अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) कभी-कभार निधियों की कमी और केन्द्रों में आवश्यक पूर्वदर्शन उपस्करों के न होने से कमीशंड कार्यक्रमों को अनुमादित करने में विलम्ब हो जाता है।

(घ) और (ङ). विभिन्न केन्द्रों और दूरदर्शन महानिदेशालय को समय-समय पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। अत्यधिक प्रक्रियात्मक अनयमितताओं वाली गंभीर प्रकृति की शिकायतों की विभागीय स्तर पर जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा जाता है। उपर्युक्त कार्यवाही इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि कार्यक्रमों का चयन गुण दोष के आधार पर किया जाए।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्र	कार्यक्रमों की संख्या	
		कमीशंड	रायल्टी
1.	दिल्ली	–	60
2.	बंगलौर	3	9
3.	मुम्बई	7	–
4.	मद्रास	–	9
5.	भोपाल	1	–
6.	गुवाहाटी	–	–
7.	भुवनेश्वर	353	64
8.	हैदराबाद	–	–
9.	तिरुवअनन्तपुरम	–	35
10.	जालंधर	–	–
11.	कलकत्ता	–	26
12.	पटना	–	–
13.	श्रीनगर	–	–
14.	अहमदाबाद	–	–
15.	लखनऊ	42	–
16.	जयपुर	–	30
	कुल योग	406	233

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल

*138 **श्री सौम्य रंजन :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के निर्माण, नवीकरण और उनका दर्जा बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम के वर्ष 1996-97 के लिए योजना प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. चण्डीगढ़ में 100 कमरों वाले 5 सितारा होटल का निर्माण।
2. मौजूदा लोदी होटल का पुनर्निर्माण और उसको 300 कमरों वाले 5 सितारा होटल में परिवर्तित करना।

होटलों का नवीनीकरण/उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इसके लिए स्कीमें प्रतिवर्ष बनाई जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं।

[हिन्दी]

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

*139. **श्री रमेन्द्र कुमार :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के बेहतर कार्यक्रम हेतु प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) (क) और (ख). प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित एक योजना, उन उद्यमों को छोड़कर, सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में 1983 से संचालित की जा रही है जिन्हें इस योजना के संचालन से विशिष्टतः छूट प्रदान की गई है। केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा संचालित सभी उद्यमों को भी योजना से छूट प्रदान की गई है।

योजना में शॉप और संयंत्र स्तरों पर द्विपक्षीय मंचों के गठन की प्रकल्पना की गई है। उपयुक्त पाए जाने वाले उद्यमों में बोर्ड स्तरीय सहभागिता की भी व्यवस्था की गई है। योजना में कतिपय कार्य से संबद्ध मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श की व्यवस्था की गई है जो उत्पादकता, गुणवत्ता, लक्ष्य, प्रौद्योगिकीय सुधार, सुरक्षा, कल्याण उपाय, पर्यावरणीय मुद्दे, अनुपस्थितिता, उद्यम का वित्तीय निष्पादन आदि से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

घटिया खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति

*140. **श्री दत्ता मेघे : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को घटिया किस्म की खाद्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, और चीनी उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों के माध्यम से अच्छे किस्म का गेहूं, चावल और चीनी उपलब्ध कराने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। सरकार को पिछले कुछ महीनों में उचित दर दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता के गेहूं, चावल तथा चीनी जैसी वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में राज्य सरकारों से कोई महत्वपूर्ण शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सरकार ने उचित दर दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का गेहूं, चावल तथा चीनी उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हुए हैं। ये कदम इस प्रकार हैं :

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तरत उचित दर दुकानों के जरिए वितरण हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप केवल "क" व "ख" वर्ग का खाद्यान्न (गेहूं तथा चावल) तथा भारतीय चीनी मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की चीनी दी जाती है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों तथा चीनी की गुणवत्ता की राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से वस्तुएं लेते समय पूरी-पूरी जांच की जाती है।

3. भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी की जाने वाली खेपों में से खाद्यान्न के सीलबंध नमूने राज्य सरकारों को दिए जाते हैं, ताकि गुणवत्ता की तुलना करने के लिए उपभोक्ताओं के लाभार्थ उन्हें उचित दर की दुकानों पर प्रदर्शित किया जा सके।

4. खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकारों तथा साथ ही भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उचित दर की दुकानों का निरीक्षण किया जाता है जहां कहीं गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, भारतीय खाद्य निगम अथवा संबंधित राज्य सरकारों को तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाता है।

5. राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारतीय चीनी मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की चीनी दी जाती है तथा चीनी के कारखानों द्वारा सुपुर्दगी करने के समय तक चीनी की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

6. चीनी कारखानों के स्टाक का भी समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानक चीनी के रूप में चिह्नित बोरों में मानक चीनी हो।

7. सरकार गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने पर विचार कर रही है।

खाद्य तेल का उत्पादन

903. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नए उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क)और (ख). सरकार ने देशीय स्रोतों से खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय हैं :

(1) आर्थिक क्षेत्र में आनुक्रमिक फसल, अंन्तरवर्ती फसल के जरिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के लाभ करने के प्रयासों में तेजी लाना।

(2) आर्थिक रूप से कम लाभप्रद फलस को बदलना।

(3) सेवा संबंधी विभिन्न आदान उपलब्ध करके उत्पादकता में वृद्धि करना।

(4) बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए सहायता करना।

(5) मिनी किटों, स्प्रिंक्लर सेटों, खेती के उन्नत उपकरणों तथा रसायनों आदि का वितरण करना। इसके अलावा

उत्पादन प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए किसानों के खेतों पर फ्रंटलाईन तथा सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। गैर पारम्परिक स्रोतों से तेलों की प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सफाई मजदूरों के लिए राष्ट्रीय आयोग

904. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफाई मजदूरों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग का स्वरूप क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस उद्देश्य से कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ख) सफाई मजदूरों के पुनर्वास के लिए चालू वित्तीय वर्ष हेतु कितना योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) इस संबंध में दिल्ली में अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और इसमें से कितनी राशि वास्तव में उपयोग में लायी गयी है;

(घ) दिल्ली में सफाई मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है और अब तक सफाई मजदूरों के कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में सात सदस्य हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस आयोग के लिए बजटीय आबंटन 70.0 लाख रुपए है।

(ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना के लिए वर्तमान वर्ष के लिए बजट प्रावधान 90 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की है।

(घ) दिल्ली में 17,420 सफाई कर्मचारियों की पहचान की गई है। दिनांक 31.3.1996 तक 1829 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया जा चुका है।

(ङ) दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास पर 224.92 लाख रुपए व्यय किए हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तवित उपब्धि का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	प्रशिक्षण		पुनर्वास	
	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1992-93	-	-	1000	505
1993-94	100	13	3000	196
1994-95	100	121	3000	303
1995-96	100	44	3000	825

(ज) दिल्ली सरकार ने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में रही कमियों के लिए मुख्य रूप से भाग लेने वाले बैंकों के असहयोग तथा लक्षित समूहों द्वारा दिखाई गई उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर फोन सेवा

905. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार तथा विशेषतः महाराष्ट्र में किन-किन शहरो में सेल्यूलर फोन सेवा उपलब्ध है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान किन-किन शहरों में ये सेवायें उपलब्ध की जायेंगी और इस समय इस संबंध में कौन सी परियोजनायें चल रही हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इस समय चार महानगरों, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में सैल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। महाराष्ट्र सहित 16 प्रादेशिक दूरसंचार सर्किलों में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के संचालन के लिए लाइसेंस भी प्रदान किए गए हैं। जिन सर्किलों तथा कम्पनियों को लाइसेंस तथा आशय पत्र प्रदान किए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जैसा कि विवरण में बताया गया है, लाइसेंस धारकों ने दूरसंचार सर्किलों के अपने संबंधित सेवा क्षेत्रों में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने संबंधी परियोजनाएं आरंभ कर दी हैं। आगामी दो वित्तीय वर्षों के दौरान, देश में विभिन्न राज्यों की अधिकांश राजधानियों तथा अन्य बड़े शहरों में यह सेवा उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

विवरण

प्रादेशिक दूरसंचार सर्किलों में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए जारी किए गए लाइसेंस और आशय-पत्र

सर्किल	कम्पनी का नाम
असम	रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड
आन्ध्र प्रदेश	जे.टी. मोबाइल लिमिटेड
आन्ध्र प्रदेश	टाटा कम्यूनिकेशन्स प्रा. लिमिटेड
बिहार	रिलायन्स टेलीकॉम
बिहार	*कोशिका टेलीकॉम
गुजरात	बिड़ला कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
गुजरात	फैसेल लिमिटेड
हरियाणा	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स प्रा. लिमिटेड
हरियाणा	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि0
हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लिमिटेड
हिमाचल प्रदेश	रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड
कर्नाटक	*मेडिकॉम नेटवर्क प्रा0 लिमिटेड
कर्नाटक	*जे.टी. मोबाइल्स् लिमिटेड
केरल	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स प्रा0 लिमिटेड
केरल	यू एस वैस्ट बी पी एल सैल्युलर
मध्य प्रदेश	सैल्युलर कम्यूनिकेशन्स इण्डिया लिमिटेड
मध्य प्रदेश	रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड
महाराष्ट्र	बिड़ला कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
महाराष्ट्र	यू एस वैस्ट बी पी एल सैल्युलर
पूर्वोत्तर	रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड
पूर्वोत्तर	हैक्साकॉम इंडिया लिमिटेड
उड़ीसा	कोशिका टेलीकॉम
उड़ीसा	रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड
पंजाब	जे.टी.मोबाइल्स लिमिटेड
पंजाब	मोदीकॉम नेटवर्क प्रा. लिमिटेड
राजस्थान	*हैक्साकॉम इंडिया लिमिटेड
राजस्थान	*एयरटेल डिजिलिंक इंडिया लिमिटेड
तमिलनाडु	यू एस वैस्ट बी पी एल
तमिलनाडु	*हिन्दुजा एच सी एल एस कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.
उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	एस्कीटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	कोशिका टेलीकॉम
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	कोशिका टेलीकॉम
उत्तर प्रदेश(पूर्व)	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लिमिटेड
पश्चिम बंगाल	रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड

नोट : * यह संकेत करता है कि जारी किए गए आशय-पत्रों को अभी लाइसेंसों में परिवर्तित करना बाकी है।

केरल में दूरसंचार केन्द्र

906. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिले-बर कुल कितने दूरसंचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने दूरसंचार केन्द्रों के 24 घंटे कार्य करने के संबंध में कोई निर्देश दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्य में कुछ और दूरसंचार केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) केरल में कार्यरत दूरसंचार केन्द्रों की जिलावार कुल संख्या इस प्रकार है :

अलेप्पी	-	5
एर्नाकुलम	-	17
इडुकी	-	1
कन्नूर	-	3
कासरगोड	-	1
कोल्लम	-	11
कोट्टयम	-	8
कालीकट	-	5
मालापुरम	-	3
पालघाट	-	5
पतनमथिट्टा	-	8
त्रिवेन्द्रम	-	15
त्रिचूर	-	5
वयनाड	-	1
		80

(ख) जी नहीं।

(ग) अभी तक, केरल सर्किल में दूरसंचार केन्द्रों की जरूरत केवल दिन के समय में ही पड़ती है। वहां कर्मचारियों की भी कमी है।

(घ) इस वर्ष के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर बंगाल में सड़क-किनारे पर्यटन केन्द्रों का निर्माण

907. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर बंगाल में सड़क के किनारे पर्यटक केन्द्रों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने रायगंज, जिला उत्तरी दिनाजपुर में मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण के लिए 13.94 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है और इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने के लिए वर्ष 1995-96 में 3.00 लाख रुपए की राशि अवयुक्त की है। राज्य सरकार ने इस मार्गस्थ सुविधा के लिए विस्तृत डिजाइन और अनुमानित राशि का विवरण तैयार किया है और इस मानसून के पश्चात कार्य आरम्भ हो जाएगा। उत्तर बंगाल क्षेत्र में अन्य सुविधाएं यथा पर्यटक लांज, यात्री निवास और तम्बुओं में आवास भी स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था में कमियां

908. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान की हैंडलिंग और जांच में बढ़ती सुरक्षा कमियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सामान की समुचित जांच पड़ताल करने के लिए विभिन्न एयर लाइनों को क्या निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) हथियारों और विस्फोटक सामग्रियों का समुचित रूप से पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी तस्करी न हो सके?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहिम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी एयरलाइनों को (1) एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली (बी.आई.एस.) के माध्यम से जांच किए जाने वाले सामान की छानबीन, तथा (2) 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक छिटपुट वास्तविक जांच के अनुदेश दिए गए हैं।

(घ) एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली का प्रयोग हथियारों तथा विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए किया जाता है। संदेहात्मक सामान की वास्तविक जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, श्वान दस्ते तथा बम खोजी और निष्क्रीयकरण दस्ते की सेवाएं विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए उपयोग में लायी जाती हैं।

दूरदर्शन के चैनल-3 को बन्द करना

909. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के चैनल-3 को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दूरदर्शन को इससे कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(घ) इस चैनल के माध्यम से विज्ञापनदाताओं को उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री में आशाजनक वृद्धि न होने के कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहिम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस चैनल के परिचालन में कोई हानि नहीं है।

(घ) कोई भी विज्ञापक किसी मीडिया विशेष पर अपने उत्पाद का तभी विज्ञापन देता है जब उससे उसे कुछ लाभ होता है। अतः उसको प्रतिलाभ न मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेल की आपूर्ति

910. श्री राम नाईक : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने दिसबर, 1995 से अक्तूबर, 1996 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरणार्थ माह-वार कितनी मात्रा में खाद्य तेल की आपूर्ति का अनुरोध किया है;

(ख) जून, 1996 तक माह-वार कितनी आपूर्ति की गई; और

(ग) कम मात्रा में आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1995 से अक्तूबर, 1996 की अवधि में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल की मासिक मांग और इन महीनों के लिए केन्द्रीय पूल से किए गए आबंटन निम्नवत हैं :

(मात्रा मी. टन में)

माह	मांगी गई मात्रा	आबंटित की गई मात्रा
1	2	3
दिसम्बर, 95	3000	-
जनवरी, 96	3000	1000
फरवरी, 96	3000	2000
मार्च, 96	3000	2000
अप्रैल, 96	5000	3000
मई, 96	5000	3000
जून, 96	5000	3000
जुलाई, 96	7000	4000
अगस्त, 96	7000	4000
सितम्बर, 96	7000	4000
अक्तूबर, 96	7000	4000

टिप्पणी : फरवरी-अक्तूबर 1996 हेतु किया गया अग्रिम आबंटन।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित खाद्य तेल की आपूर्ति सीमित/अनुपूरक स्वरूप की होती है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष को आवंटन की मात्रा का निर्धारण आयातों की मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर जरूरतों, प्राप्त मांगों, विगत में उठाव आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखकर किया जाता है। महाराष्ट्र को फरवरी से अक्तूबर, 1996 के दौरान आयात किए जाने वाले कुल 2.00 लाख मी.टन आर बी डी पामोलिन में से लगभग 15 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

पर्यटन परियोजनाओं का निजीकरण

911. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों में पर्यटन परियोजनाओं का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्य सरकारों ने, केन्द्र सरकार से इस उद्देश्य हेतु मंजूरी ले ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). राज्य सरकारों को राज्य में पर्यटन परियोजनाओं का निजीकरण करने के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती।

[हिन्दी]

उज्जैन और रतलाम में एस.टी.डी. सुविधा

912. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1996 को उज्जैन और रतलाम में एस.टी.डी. सुविधा से जुडे क्षेत्र का एस.टी.डी. कोड नम्बर क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था के अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है; और

(घ) किन-किन स्थानों में वर्ष 1996-97 के दौरान सौर ऊर्जा की सहायता से दूरसंचार प्रणाली की स्थापना की जा रही है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश के जिलावार ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

उज्जैन और रतलाम में जून, 1996 तक एस टी डी सुविधाओं सहित सम्मिलित क्षेत्र के एस टी डी कोड नम्बर

क्र.सं.	जिला	एस डी सी ए का नाम	कालम 3 में एसडीसीए के सम्मिलित स्टेशनों के नाम	एस टी डी कोड संख्या
1	2	3	4	5
1.	रतलाम	अलोट	अलोट	07410
2.	"	"	ताल	"
3.	"	रतलाम	रतलाम	07412
4.	"	"	बिलपंक	"
5.	"	"	धनसूता	"
6.	"	"	कारटी	"
7.	"	"	नामली	"
8.	"	"	सेजोटा	"
9.	"	"	सिमलावाड	"
10.	"	सालाना	सालाना	07413
11.	"	"	बाजना	"
12.	"	"	धमनोद	"
13.	"	"	रावती	"
14.	"	"	सरवन	"
15.	"	जावरा	जावरा	07414
16.	"	"	धोधार	"
17.	"	"	हटपोपला	"
18.	"	"	कालूखेडा	"
19.	"	"	पीपलोदा	"
20.	"	"	रिंगनोद	07414
21.	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	0734
22.	"	"	अम्बोडिया	"
23.	"	"	चंदूखेड	"
24.	"	"	फतेहबाद	"
25.	"	"	जहांगीरू	"
26.	"	"	मताना	"
27.	"	"	नारवाड	"
28.	"	"	पिपलियाराग	"
29.	"	"	ताजपुर	"

1	2	3	4	5
31.	उज्जैन	तारना	तारना	07369
32.	"	"	कामथा	"
33.	"	"	मकदोन	"
34.	"	महोदपुरडी	महोदपुरडी	07365
35.	"	"	घोसला	"
36.	"	"	झरदा	"
37.	"	"	खेडाखाजू	"
38.	"	"	महोदपुरी	"
39.	"	खचरोद	खचरोद	07366
40.	"	"	अकया जागरि	"
41.	"	"	भेसोला	"
42.	"	"	कनवास	"
43.	"	"	मदवाडा	"
44.	"	"	घीनोदा	"
45.	"	"	नागदा	07842
46.	"	"	अनहेलोइटी	"
47.	"	"	अनहेलरीड	07842
48.	"	बारनगर	बारनगर	07367
49.	"	"	भटपाचला	"
50.	"	"	खरसीदकाल	"
51.	"	"	उतवास	"
52.	"	घाटीया	धाटीया	07368
53.	"	"	पानाबहार	07346

विवरण–II

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में दूरसंचार प्रणाली (सिस्टम)

पृष्ठ सं. 1

तारीख जून, 1996

क्र.सं.	जिला	ग्रामीण एक्सचेंज	ग्रामीण टेलीफोन	1996–97 के प्रस्तावित सौर ऊर्जा से चालित टेलीफोन
1	2	3	4	5
1.	बालघाट	30	550	72
2.	बस्तर	56	972	285
3.	बेतूल	49	677	180
4.	भिंड	43	381	240
5.	भोपाल	20	340	51
6.	बिलासपुर	99	1263	861
7.	छतरपुर	21	395	108
8.	छिंदवाड़ा	76	894	285
9.	दामोह	23	335	66
10.	दतिआ	14	288	36
11.	देवास	85	520	378
12.	धार	119	670	876
13.	दुर्ग	30	607	282
14.	गुना	61	765	528
15.	ग्वालियर	47	621	234
16.	होशंगाबाद	116	775	183

1	2	3	4	5
17.	इन्दौर	55	414	324
18.	जबलपुर	65	1180	72
19.	झबुआ	35	478	159
20.	खंडवा	87	797	542
21.	खरगोन	122	1047	528
22.	मांडला	27	491	144
23.	मन्दसौर	137	733	396
24.	मुरैना	59	756	288
25.	नरसिंहपुर	45	437	0
26.	पन्ना	16	192	0
27.	रायगढ़	55	822	180
28.	रायपुर	73	1419	318
29.	रायसेन	47	613	153
30.	राजगढ़	39	663	138
31.	राजनंद गांव	28	555	108
32.	रतलाम	60	518	81
33.	रीवा	32	390	51
34.	सागर	54	777	312
35.	सरगुजा	25	334	216
36.	सतना	25	431	15
37.	सिहोर	45	514	72
38.	सिओनी	42	494	36
39.	शहडोल	28	426	72
40.	शाजापुर	72	769	261
41.	शिवपुरी	43	516	60
42.	सिधी	19	397	0
43.	टीकमगढ़	17	331	15
44.	उज्जैन	99	688	144
45.	विदिशा	41	768	240
	जोड़	2381	28012	9590

ठेके पर काम करने वाले मजदूर

913. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली में भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदामों में अभी भी मजदूर ठेके पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कब से वहां कार्य कर रहे हैं; और

(घ) उन्हें नियमित करने में देरी के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) बरेली में भारतीय खाद्य निगम के अपने सी.बी. गंज और परसाखेड़ा नामक दो गोदाम हैं। इन दो गोदामों में सीधे भुगतान की प्रणाली प्रचलन में है और ठेकेदार के माध्यम से कोई श्रमिक नहीं लगाया जाता। भारतीय खाद्य निगम का स्टाक किराया आधार पर राज्य भण्डारण निगम के गोदामों में भी रखा जाता है जहां हैंडलिंग और ढुलाई के कार्य का प्रबन्ध भारतीय खाद्य निगम की बजाय राज्य भण्डारण निगम द्वारा किया जाता है। इस प्रकार बरेली में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कोई ठेका श्रम प्रणाली प्रचलन में नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

माल-भाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति

914. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पूरे माल-भाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति की मांग की है जबकि लेवी चीनी सड़क मार्ग द्वारा ले जायी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन थोक विक्रेताओं को भाड़े की प्रतिपूर्ति या तो वास्तविक रेल भाड़े के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर सड़क मार्ग द्वारा वास्तविक परिवहन प्रभार के आधार पर की जाती है और ये दरें उक्त राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक नहीं होंगी। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें उपलब्ध नहीं हैं वहां राज्य सरकार की दरें अनुमत हैं और ये दरें वास्तविक रेल भाड़े से अधिक नहीं होंगी। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें और रेल शीर्ष नहीं हैं वहां राज्य सरकार की दरें अनुमत हैं।

जनजातीय लोगों में साक्षरता

915. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय लोगों हेतु योजना परिव्यय चौथी पंचवर्षीय योजना के 79.85 करोड़ रुपए से बढा कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 18,119.00 करोड़ रुपया कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीयों में साक्षरता दर 16.35 प्रतिशत पर स्थिर रही है जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 41 प्रतिशत था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जनजातीयों में साक्षरता के प्रतिशत में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए परिव्यय 79.85 करोड रुपए था। कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 8वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए परिव्यय 2149.80 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य योजनाओं तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत आदिवासी विकास के लिए आबंटन किए गए हैं।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता पर 36.23 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 16.35 प्रतिशत थी। तथापि, अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर स्थिर नहीं रही है लेकिन 1981 में 16.35 प्रतिशत से बढकर 1991 में 29.60 प्रतिशत तक हो गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं उनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :

1. रियायती मानदंडों के साथ अनुसूचित जनजाति के निवास स्थानों में स्कूलों को खोलना।
2. आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत आदिवासी लोगों को शामिल करना।
3. अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में शामिल करना।
4. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रमों में आदिवासी जिलों को शामिल करना।

इसके अतिरिक्त कल्याण मंत्रालय आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए होस्टलों, आदिवासी लड़कियों तथा आदिम जनजाति समूहों के लिए कम साक्षरता क्षेत्रों में शैक्षिक परिसरों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्णयों जैसे अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं को कार्यान्वित करना है।

इस्पात संयंत्र का विस्तार

916. **श्री सुनील खान : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर स्थित "एलॉय स्टील प्लांट" में इस समय अर्जित लाभ में हो रही सतत् वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिक लाभ अर्जित करने हेतु इसका विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). जी, नहीं। मिश्र इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, तथापि उत्पादन लागत में कमी करने और उत्पादों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार करने के लिए मिश्र इस्पात संयंत्र में आर्गन आक्सीजन डीकार्बोराइजेशन (ए.ओ.डी.) इकाई की सुविधाओं के संबंध में "सेल" विचार कर रहा है।

दूरदर्शन कार्यक्रम

917. **श्री सुशील चन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थान-वार दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या कितनी है और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) भोपाल दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र द्वारा स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करके पिछले एक वर्ष के दौरान कितने कार्यक्रम तैयार किए गए ;

(ग) क्या स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करके तैयार किए गए कार्यक्रमों को भोपाल दूरदर्शन द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) संलग्न विवरण में दिए अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन नेटवर्क में 2 स्टूडियो तथा भिन्न-भिन्न शक्तियों के 73 ट्रांसमीटर शामिल हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य प्रदेश में इस समय कार्य कर रहे स्टूडियों, ट्रांसमीटरों (उ.श.ट्रा., अ.श.ट्रा. अ.अ.श.ट्रा. और ट्रांसपोजर) की अवस्थिति।

स्टूडियोज

भोपाल

रायपुर

अ.शा.ट्रा.

भोपाल

ग्वालियर
इंदौर
जबलपुर
जगदलपुर
रायपुर

अ.श.ट्रा.
अलीराजपुर
अशोक नगर
अम्बिकापुर
बैलाडेला
बालाघाट
बैतुल
भिंड
बीजापुर
बिलासपुर
बुरनपुर
भंडेर
चन्देरी
चाहतपुर
छिन्दवाडा
दामोह
दातिया
डुगरपुर
गुना
हरदा
इटारसी
जोरा
झाबुआ
कंकेर
खंडवा
खारगांव
खुरई
कोरबा
कुकडेश्वर
कुरसिया
खुरवई
लहर
मलंजखांड
मंडला
मंदसौर
मनिन्दरगढ़
मुरवाड़ा
नागदा
नरसिम्हापुर
नीमच
पंचमारी
पन्ना
शमोगढ़
रायगढ़
राजगढ़
राजहारा झारोंडिल
रतलाम
रीवा
सागर
सिरौंज
सतना
सियोनी
शहडौल
शाहजहांपुर
शीयोपुर
शिवपुरी
सिद्वी
सिंगरौली
टीकमगढ़
उज्जैन
मैहर
भोपाल (डी.डी.-2)

अ.अ.श.ट्रा
कोंडागांव
बुदनी
परसिया.
पाखनजोर

जशपुर नगर
ट्रांसपोजर
सिंगरौली

क्षमता
अ.श.ट्रा. - 10 कि.वा/1 कि.वा.
अ.श.ट्रा. - 300 कि.वा./100 वा.
अ.अ.श.ट्रा.- 10 वा.
ट्रांसपोजर-10 वा.

समाचार पत्र

918. श्री चमन लाल गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार भारत के प्रस पंजीयक द्वारा यथाप्रमाणित जम्मू और श्रीनगर से मुद्रित और प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की बिक्री कितनी-कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितना अखबारी कागज आयात किया गया;

(ग) 1990 के बाद राज्य में वर्ष-वार कौन-कौन से नये दैनिक समाचार-पत्र और अन्य पत्र प्रकाशित हुए;

(घ) क्या कुछ नए समाचार-पत्रों ने प्रेस पंजीयक से अनुमति प्राप्त किए बिना ही प्रकाशन आरम्भ कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान प्रस पंजीयक ने अखबारी कागज आयात नीति के परिप्रेक्ष्य में समाचारपत्रों को केवल हकदारी प्रमाणपत्र जारी किए जबकि 1.5.95 से अखबारी कागज के आयात को ओ.जी.एल. के अन्तर्गत रखा गया है और इसे सभी व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से आयात किया जा सकता है। कथित अवधि के दौरान समाचारपत्रों द्वारा आयातित अखबारी कागज की मात्रा के बारे में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा किसी प्रकार का ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(ग) उन नए दैनिक समाचारपत्रों और अन्य समाचारपत्रों जिन्होंने 1990 से अपना प्रकाशन आरंभ किया है और भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत हैं, का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय को इस प्रकार के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू तथा श्रीनगर से प्रकाशित समाचार-पत्रों का ब्यौरा जिनके परिचालन की जांच की गई है/उनका सत्यापन किया गया है

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम	भाषा/आवर्तिता	प्रकाशन का स्थान	सत्यापित परिचालन
		1993		
1.	ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर	अंग्रेजी दैनिक	जम्मू	22357
2.	शांक धुन	उर्दू दैनिक	जम्मू	21998
3.	तीव्र युग	उर्दू दैनिक	जम्मू	6800
		1994		
1.	बरकी दुनिया	उर्दू दैनिक	जम्मू	14632
2.	डोंगरा न्यूज	उर्दू दैनिक	जम्मू	16801
3.	अलसुफा न्यूज	उर्दू दैनिक	श्रीनगर	अप्रमाणित
4.	कश्मीर टाइम्स	अंग्रेजी दैनिक	जम्मू	79530
5.	कश्मीर टाइम्स	हिंदी दैनिक	जम्मू	30108
		1995		
1.	कश्मीर टाइम्स	अंग्रेजी दैनिक	जम्मू	परिचालन की
2.	कश्मीर टाइम्स	हिंदी दैनिक	जम्मू	जांच की जा रही है।

विवरण -II

उन दैनिक समाचार-पत्रों तथा अन्य समाचार-पत्रों की सूची, जिनका 1990 से जम्मू तथा कश्मीर में प्रकाशन आरंभ किया गया है।

वर्ष	समाचार-पत्र का नाम	भाषा/आवर्तिता	प्रकाशन का स्थान
1	2	3	4
1990	1. कश्मीर टाइम्स	हिंदी/दैनिक	जम्मू
	2. एयरपोर्ट टाइम्स	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	3. रमे मंजिल	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	4. मंजर	उर्दू/द्वि-साप्ताहिक	साम्बा
	5. लाल चौक टाइम्स	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	6. जे एंड के रिवोल्यूशन	अंग्रेजी/पाक्षिक	जम्मू
	7. सरापा कश्मीर	अंग्रेजी/पाक्षिक	जम्मू
	8. सब्ज बाग	उर्दू/पाक्षिक	जम्मू तवी
1991	1. अवामी-तंकीद	उर्दू/दैनिक	श्रीनगर
	2. बरकी दुनिया	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	3. बहार-ए-कश्मीर	उर्दू/दैनिक	श्रीनगर
	4. नवा-ए-वक्त अजीम	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	5. आलमजेब	उर्दू/साप्ताहिक	बारामूला
	6. अर्जन बानी	उर्दू/साप्ताहिक	जम्मू
	7. रोती दुनिया	उर्दू/साप्ताहिक	जम्मू
	8. अलनूर	उर्दू/मासिक	बारामूला
1992	1. जरारत	उर्दू/दैनिक	बडगाम
	2. म्निदा-ए-मशरिक	उर्दू/दैनिक	श्रीनगर
	3. बीनिश	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	4. दूरान	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	5. जबरूत	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	6. सर्व-ए-गुलिस्तां	उर्दू/पाक्षिक	श्रीनगर
	7. द॰ जिप्सी	द्विभाषिक/साप्ताहिक	जम्मू
	8. श्रीनगर-ए-जंग	उर्दू/पाक्षिक	बडगाम
	9. माउंटेन वैली कश्मीर	अंग्रेजी/मासिक	श्रीनगर
	10. स्प्रिंगर	अंग्रेजी/मासिक	जम्मू
	11. अंधेरा उजाला	उर्दू/मासिक	जम्मू
1993	1. जेहाद-ए-अखबार	उर्दू/दैनिक	श्रीनगर
	2. तवी समाचार	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	3. जे.के. पोस्ट	उर्दू/साप्ताहिक	जम्मू
	4. खाक-ए-वतन	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	5. किश्तवार टाइम्स	उर्दू/साप्ताहिक	जम्मू
	6. खत्म-ए-नबुवत	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर

1	2	3	4
	7. तफकुर	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	8. घ्रीक-ए-इंकलाब इस्लामी	उर्दू/पाक्षिक	जम्मू
1994	1. गुलामी को दूर करो	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	2. इकबाल-ए-कश्मीर	उर्दू/दैनिक	श्रीनगर
	3. तस्वीर-ए-कश्मीर	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	4. करंट एंड अंडरकरेंट्स	अंग्रेजी/साप्ताहिक	श्रीनगर
	5. हक-गो	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	6. कुर्सी	उर्दू/दैनिक	जम्मू
	7. शहंशाह	उर्दू/दैनिक	श्रीनगर
	8. वैली टुडे	अंग्रेजी/पाक्षिक	श्रीनगर
	9. राजौरी समाचार	उर्दू/पाक्षिक	राजौरी
	10. त्रिकुटा न्यूज एक्सप्रेस	उर्दू/पाक्षिक	जम्मू
	11. चन्द्रभागा संवाद	हिंदी/मासिक	जम्मू
1995	1. द मिरर ऑफ कश्मीर	अंग्रेजी/दैनिक	श्रीनगर
	2. द रिमार्कर	अंग्रेजी/त्रि-साप्ताहिक	जम्मू
	3. पीपल टाइम्स	अंग्रेजी/साप्ताहिक	जम्मू
	4. द झेलम टाइम्स	अंग्रेजी/साप्ताहिक	जम्मू
	5. द नार्थ लाइंस	अंग्रेजी/साप्ताहिक	जम्मू
	6. द सहयोगी टाइम्स	अंग्रेजी/साप्ताहिक	जम्मू
	7. हिल पोस्ट	अंग्रेजी/साप्ताहिक	राजौरी
	8. अवामी मजीन	उर्दू/साप्ताहिक	जम्मू
	9. इशराक	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	10. जन्नत-ए-कश्मीर	उर्दू/साप्ताहिक	जम्मू
	11. कारवां-ए-कश्मीर	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	12. खबर ओ नजर	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	13. तफकुर	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	14. बाहु लोचन	उर्दू/पाक्षिक	जम्मू
	15. आइसला मैसेज	अंग्रेजी/मासिक	जम्मू
	16. सलाल टाइम्स	उर्दू/त्रैमासिक	रयासी
1996 (15.7.96 तक)			
	1. कश्मीर पैराडाइज	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	2. बर्ग-ए-चिनार	उर्दू/दैनिक	श्रीनगर
	3. सम्पर्क टाइम्स	हिंदी/पाक्षिक	जम्मू
	4. सुबह कश्मीर	उर्दू/साप्ताहिक	श्रीनगर
	5. द नार्दर्न हैराल्ड	अंग्रेजी/पाक्षिक	जम्मू तवी
	6. सरगम वीकली जम्मू	अंग्रेजी/साप्ताहिक	जम्मू

उड़ीसा में नए डाकघर खोला जाना

919. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान उड़ीसा में कितने डाकघर खोले गए;

(ख) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान कुछ और डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उड़ीसा में वर्ष 1995-96 के दौरान कोई डाकघर नहीं खोला गया है।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा में, वार्षिक योजना 1996-96 के अंतर्गत 4 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 4 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

टैरिफ ढांचे की समीक्षा

920. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टलीकाम उपकरण निर्माताओं ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से टैरिफ ढांचे की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुरोधों पर विचार करते समय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसके कारण सामान्य टेलीकाम उपकरण उपभोक्ताओं पर नये का का भार नहीं दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण संघ (टीईएमए) ने शुल्क दर (टैरिफ) ढांचे में संशोधन करने का अनुरोध किया था। टी ई एम ए द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर सरकार सावधानी-पूर्वक विचार कर रही है। सरकार सभी के बेहतर हितों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेगी।

विवरण

भारतीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण संघ (टी ई एम ए) द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए प्रस्तावित शुल्क दर ढांचा।

क. सीमा शुल्क

क्रं. सं.	मद	मौजूदा सीमा शुल्क (1995-96)	टी ई एम ए द्वारा प्रस्तावित सीमा शुल्क (1996-97)
1.	समग्र दूरसंचार उपस्कर	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	सहायक साज-सामान	35 प्रतिशत	35 प्रतिशत
3.	गैर-इलेक्ट्रानिक पुर्जे	35 प्रतिशत	35 प्रतिशत
4.	इलेक्ट्रानिक संघटक		
	(क) सामान्य पृथक संघटक	25 प्रतिशत	15 प्रतिशत
	(ख) एस एम डी संघटक	25 प्रतिशत	5 प्रतिशत
5.	कच्ची सामग्री	15 प्रतिशत	5 प्रतिशत
6.	दूरसंचार उपस्करों के निर्माण हेतु पूंजीगत सामान	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत

ख. उत्पादन शुल्क

क्रं. सं.	मद	मौजूदा उत्पाद शुल्क (1995-96)	टी ई एम ए द्वारा प्रस्तावित उत्पाद शुल्क (1996-97)
1.	ग्रामीण दूरसंचार उपस्कर	15 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	रेडियो संचारण उपस्कर	15 प्रतिशत	10 प्रतिशत
3.	अन्य दूरसंचार उपस्कर (ग्रामीण तथा रेडियो माई-क्रोवेव उपस्कर के अलावा)	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
4.	आप्टिटकल फाइबर केबल	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
5.	दूरसंचार केबल	25 प्रतिशत	10 प्रतिशत

[हिन्दी]

उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाना

921. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बिहार के मुंगेर दूरदर्शन केन्द्र में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्य के अन्य जिलों में भी निकट भविष्य में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जायेगा तथा इनका स्थानवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). वर्तमान में मुंगेर स्थित मौजूदा अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर का उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). हालांकि मोतिहारी, जमशेदपुर तथा देवगढ़ में स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाने की परिकल्पना है तथापि बिहार में वर्तमान में नौमुंडी, कोडरमा, फूलपाड़ा, सरायकेला, लखीसराय, मुशाबनी एवं सिकंदरा में एक-एक (कुल 7 अतिरिक्त अल्प शक्ति ट्रांसमीटर) और गढ़वा एवं सिमदेगा में 2 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगने वाला सामान्य समय 2 से 4 वर्ष के बीच भिन्न-भिन्न है, जोकि संसाधनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड

922. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के शेहनाकलां में अभी तक एक एकक की भी स्थापना नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड, यूनिट रोहना कलां, जिला-मुजफ्फरनगर फैक्ट्री अस्तित्व में है जिसने 1995-96 के दौरान भी कार्य किया है।

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान

923. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 31 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की लगभग 700 करोड़ रुपयों की बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बकाया राशि में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया राशियों का भुगतान बैंक दर पर ब्याज सहित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). देश में स्थित चीनी मिलों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के आधार पर 1995-96 मौसम से संबंधित 31 जनवरी, 1995 तक गन्ना मूल्य बकाया 899.99 करोड़ रुपये था, जो कुल देय गन्ना मूल्य का 26.5 प्रतिशत दर्शाता है। 1995-96 मौसम से संबंधित देय गन्ना मूल्य पर गन्ना मूल्य बकाया का प्रतिशत 15.5.1996 को घटकर 19.2 प्रतिशत हो गया। 31.1.1996 तथा 15.5.1996 को स्थिति के अनुसार राज्यवार गन्ना मूल्य बकाया का ब्यौरा दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित कराना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, जिसके पास ऐसे भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक शक्तियां व क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं। केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से चीनी फैक्ट्रियों को किसानों के बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे-देर से पेराई हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना, बफर स्टाक का सृजन तथा चीनी के निर्यात की अनुमति।

विवरण

1995-96 मौसम से संबंधित गन्ना मूल्य के बकाया का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	गन्ना मूल्य बकाया (लाख रुपये में)		कुल देय राशि पर बकाया का प्रतिशत	
		31.1.96 तक	15.5.96 तक	31.1.96 तक	15.5.96 तक
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	5082.87	9206.02	20.61	20.94
2.	हरियाणा	4592.25	7444.38	35.04	24.11

1	2	3	4	5	6
3.	राजस्थान	789.81	573.82	93.51	25.70
4.	उत्तर प्रदेश	32924.17	58119.04	28.36	24.51
5.	मध्य प्रदेश	1078.50	2701.52	39.22	48.42
6.	गुजरात	1686.48	2189.12	7.49	5.46
7.	महाराष्ट्र	15185.16	16047.24	18.74	9.20
8.	बिहार	5919.13	10236.62	60.83	44.30
9.	असम	46.50	10.00	19.25	1.81
10.	आंध्र प्रदेश	5374.00	7221.76	36.21	20.03
11.	कर्नाटक	9766.34	14387.58	34.08	25.94
12.	तमिलनाडु	6336.35	9059.69	28.94	14.29
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	उड़ीसा	593.86	511.00	35.45	14.49
15.	पश्चिम बंगाल	145.13	60.83	44.35	11.36
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	पांडिचेरी	360.63	317.33	34.62	10.26
18.	गोवा	118.00	147.03	100.00	11.17
	समस्त भारत	89999.18	138232.98	26.51	19.16

नेत्रहीन व्यक्तियों को तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार

924. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेत्रहीनों की तकनीको शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार एवं राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, कल्याण मंत्रालय, नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान दे रहा है। विकलांग व्यक्तियों को रोजगार योजना के तहत, रोजगार प्राप्त करने के लिए अनन्य रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 47 विशेष रोजगार कार्यालय तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों में 41 विशेष सैल कार्य कर रहे हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों, की शेष योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए तथा उनके प्रशिक्षण का प्रबंध करने और उन्हें रोजगार में लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई धनराशि का योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा संग्न विवरण-I में दिया गया है

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की योजना-वार तथा राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक अन्य ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इन योजनाओं का मूल्यांकन समय समय पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इन संगठनों को अनुदान प्रदान किए जाने की सिफारिश करने से पहले प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार इनका निरीक्षण करती है।

विवरण–I

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को रोजगार		
		1993–94	1994–95	1995–96	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–	6.32	6.53	–	–	–
2.	बिहार	–	3.87	3.45	–	–	–
3.	गुजरात	11.60	16.57	14.50	–	3.34	–
4.	हरियाणा	–	–	–	0.31	0.52	–
5.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	0.67	–
6.	कर्नाटक	–	36.81	20.73	0.70	1.52	–
7.	केरल	1.95	–	20.64	–	1.03	–
8.	मध्य प्रदेश	–	–	0.11	4.30	–	1.55
9.	महाराष्ट्र	–	17.43	17.15	–	4.38	–
10.	मणिपुर	–	–	–	–	–	3.59
11.	उड़ीसा	2.73	–	–	–	–	–
12.	पंजाब	–	2.54	4.19	–	–	–
13.	राजस्थान	–	0.24	–	5.00	6.03	5.52
14.	तमिलनाडु	7.51	11.62	13.67	5.08	–	0.35
15.	त्रिपुरा	–	5.22	–	–	–	–
16.	उत्तर प्रदेश	4.97	23.99	14.52	–	–	3.89
17.	पश्चिम बंगाल.	3.42	14.12	26.57	–	–	–
18.	चंडीगढ़	–	0.42	0.21	0.75	1.00	2.73
19.	दिल्ली	–	38.40	18.81	–	1.00	2.37

विवरण–II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			विकालांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार			व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को रोजगार		
		1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	–	80	60	271	279	N/A	323	569	547
2.	असम	–	–	–	N/A	N/A	N/A	123	158	281
3.	बिहार	–	62	62	116	16	2	82	85	79
4.	गुजरात	83	3015	3040	886	908	18	488	42	559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	हरियाणा	–	–	–	N/A	N/A	N/A			
6.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	N/A	N/A	N/A			
7.	कर्नाटक	–	345	298	262	269	12	351	283	182
8.	केरल	–	–	30	35	40	4	487	496	513
9.	मध्य प्रदेश	–	–	50	101	110	4	150	145	126
10.	महाराष्ट्र	–	4000	6972	625	643	53	722	771	598
11.	मणिपुर	–	–	–	1	1	–			
12.	उड़ीसा	92	–	–	27	27	–	435	468	154
13.	पंजाब	–	488	660	45	45	N/A	286	294	237
14.	राजस्थान	–	27	–	42	44	–	220	226	280
15.	तमिलनाडु	2160	977	956	629	640	13	426	420	520
16.	त्रिपुरा	–	80	–	7	9	–	102	82	51
17.	उत्तर प्रदेश	181	220	151	189	194	–	682	654	602
18.	पश्चिम बंगाल	33	155	379	221	227	3	441	587	406
19.	चंडीगढ़	–	48	59	–	–	–	–	–	–
20.	दिल्ली	–	5496	347	917	922	15	224	262	244
	योग	2549	14993	13064	4274	4374	124	5542	5921	5379

एअर इंण्डिया और इंण्डियन एयर लाइन्स द्वारा मार्गों को सर्तसंगत बनाना और कोड का आदान-प्रदान

925. **श्री सुरेश कलमाड़ी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंण्डियन एयर लाइन्स बोर्ड ने मार्गों को तर्कसंगत बनाने और कोड की हिस्सेदारी करने के क्षेत्र में एअर इण्डिया के साथ सीमित समन्वय करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया बोर्ड ने दोनों एयरलाइनों के मध्य सहक्रियाशील सहयोग हेतु एक उप-समिति गठित की थी। अब सरकार द्वारा एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित मार्गों के युक्तिकरण तथा दोनों एयर लाइनों के मध्य संभाव्य कोड शेयरिंग पर सिफारिशें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

"सेलुलर फोन" सेवाएं

926. **श्री राजीव प्रताप रुडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार महानगरों में सेलुलर फोन सेवाओं के प्रयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "सेलुलर फोन" सेवाओं पर निगरानी रखने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सेल्यूलर प्रचालकों को जारी किए गए लाइसेंसों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान हैं।

(ख) (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेल्यूलर सेवा को मानक प्रबंध के तौर पर निगरानी प्रदान करनी पड़ती है।

(घ) दिल्ली, बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास, चार महानगरों में आठ सेल्यूलर लाइसेंसधारकों से कहा गया है कि प्राधिकृत सरकारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कॉलों की निगरानी करने के लिए सर्कट मुहैया करवाएं।

इलाहाबाद में रोजगार कार्यालय

927. **डा. मुरली मनोहर जोशी** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद जिले में कितने रोजगार कार्यालय हैं तथा उनमें । अप्रैल, 1994, 1995 और 1996 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष कुल कितने बेराजगार व्यक्ति पंजीकृत थे।

(ख) उपर्युक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला; और

(ग) इलाहाबाद जिले में 1.4.1996 को ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों की अनुमानित संख्या कितनी थी?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग). इलाहाबाद जिले में एक क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय तथा एक विश्वविद्यालय रोजगार बाजार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो कार्य कर रहा है। संदर्भाधीन अवधि के दौरान, इन दो रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, (यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेराजगार हों) तथा की गई नियुक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना निम्नानुसार दर्शायी गई है :

(हजार में)

वर्ष	के अंत तक चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या	के दौरान की गई नियुक्तियां
1993-94	135.5	0.2
1994-95	144.7	0.1
1995-96	147.2	0.2

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से संबंधित सूचना अलग-अलग नहीं रखी जाती।

भावनगर में दूरसंचार

928. **श्री राजू राणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भावनगर जिले के गरियाधर में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं बहुत पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या विलम्ब के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लोगों को कब तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। गरियाधर में दूरसंचार सुविधाएं पहले से ही किराये के भवन में उपलब्ध हैं। 120 चैनलों वाली डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली की संस्थापना के लिए किराये के परिसर में 40 मी. ऊंचे टावर का निर्माण जून, 96 में पूरा हो चुका है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) 4 लाख रुपए का व्यय हुआ है।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) सितम्बर, 96 तक माइक्रोवेव प्रणाली के चालू हो जाने की आशा है।

कम शक्ति/उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर

929. **श्री काशी राम राणा :**
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कम शक्ति ट्रांसमीटर/उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य-वार तथा वर्ष-वार, कम शक्ति ट्रांसमीटर/उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने, उनका विस्तार करने तथा उन्नयन करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्थान-वार तथा राज्य-वार स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जायेंगे?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). देश के अब तक कवर न किए गए / आंशिक रूप से कवर किए गए क्षेत्रों में टी.वी. सेवा का विस्तार करने के लिए जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। दूरदर्शन, संपूर्ण देश में टी.वी. सेवा में वृद्धि करने के अपने प्रयास के तहत विभिन्न तथ्यों जैसे परिणामी कवरेज की सीमा, पहाड़ी, पिछड़े, जनजातीय, दूरवर्ती, संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सेवा और आधारभूत सुविधाओं आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन अनुरोधों पर विचार करता है। आठवीं योजना के दौरान अब तक चालू की गई ट्रांसमीटर परियोजनाओं की राज्य-वार/स्थान-वार सूची विवरण)-II में दी गई है। 314 अतिरिक्त टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं भी कार्यान्वयन की स्थितियों में हैं तथा इनके लगभग 2-4 वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण-I

कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं की संख्या
(11.7.96 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टेलीविजन ट्रांसमीटर (डी.डी. 1)					टेलीविजन ट्रांसमीटर (डी.डी. 2)			
		उ.श.	अ.श.	अति अ.श.	ट्रांस	जोड़	उ.श.	अ.श.	अति अ.श.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	3	1	–	1	5	1	–	–	1
2.	आंध्र प्रदेश	4	20	1	–	25	1	–	–	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	2	28	1	31	–	–	–	–
4.	बिहार	3	11	2	–	16	–	–	–	–
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	1	–	1
6.	गुजरात	6	16	1	–	23	–	–	–	–
7.	हरियाणा	1	5	–	–	6	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1	5	23	–	29	–	1	–	1
9.	जम्मू और कश्मीर	2	3	10	1	16	–	–	–	–
10.	केरल	2	4	3	–	9	–	1	–	1
11.	कर्नाटक	5	9	3	–	17	1	–	–	1
12.	मध्य प्रदेश	4	13	6	–	23	–	–	–	–
13.	मेघालय	–	–	–	1	1	–	–	–	–
14.	महाराष्ट्र	4	32	6	1	43	–	–	–	–
15.	मणिपुर	1	–	3	–	4	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	1	1	1	3	–	1	–	1
17.	नागालैंड	1	–	2	1	4	–	1	–	1
18.	उड़ीसा	3	15	16	2	36	–	–	–	–
19.	पंजाब	1	1	–	–	2	–	–	–	–
20.	राजस्थान	7	33	5	–	45	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	3	–	3	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	3	15	2	–	20	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	5	1	–	6	–	1	–	1
24.	उत्तर प्रदेश	3	16	26	–	45	–	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	4	7	1	–	12	–	1	–	1
26.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	1	–	1	–	1	–	1
28.	दमन और दीव	–	1	–	–	1	–	–	–	–
29.	पांडिचेरी	1	–	–	–	1	–	1	–	1
30.	लक्षद्वीप समूह	–	3	–	–	3	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	दादर और	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	नगर हवेली	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	जोड़	59	219	144	9	431	2	11	–	13

विवरण–II

आठवीं योजना अवधि के दौरान चालू की गई टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं (अद्यतन स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		परियोजनाएं
1		2
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा.–	तिरूपति
		नांदयाल
	अ.श.ट्रा.–	अलागड्डा
		आत्माकुर
		भामावरम
		इम्मीगनुर
		गडवाल
		गिड्डलुर
		हिंदूपुर
		जगतियाल
		कवाली
		कोस्गी
		कामारेड्डी
		कुप्पम
		मदनापल्ली
		मधिरा
		मंडास्सा
		मेडक
		नागर कुरनूल
		निरमल
		सिद्दिपेट
		तंदुर
		विशाखापटनम
		वानापर्थी
		येल्लाडु
		हैदराबाद (डीडी–II)
		नारायणपेट
		एल.आर.पल्ली
	अ.अ.श.ट्रा.	इच्छापुरम
		पडेरु
		श्रीसैलम
		चिंतापल्ली
		पार्वतीपुरम
अरूणाचल प्रदेश	अ.श.ट्रा.	इटानगर (डीडी–II)
असम	अ.श.ट्रा.	सोनारी
		बोंगाईगांव
		गोलाघाट
		हाफलांग
		नार्थ लखीमपुर
		गुवाहाटी (डीडी–II)
		तिनसुखिया
		लुमडिंग
		हतसिंहमारी
		मारधिरिट्टा
		हजोई
	अ.अ.श.ट्रा.	डिगबोगई
बिहार	अ.श.ट्रा.	औरंगाबाद

1		2
		गोड्डा
		गुमला
		हजारीबाग
		लोहारदगा
		नवादा
		रक्सौल
		शेखपुरा
		पटना (डीडी-II)
गुजरात	उ.श.ट्रा.	भुज (अंतिरिम सेट-अप)
		अहमदाबाद (डीडी-II)
	अ.श.ट्रा.	दांडी
		धारंगधरा
		खम्बात
		महुवा
		मांगरोल (जूनागढ़)
		पालीताना
		रापर
		संजेली
		गांधीनगर (डीडी-II)
		देवगढ़ बरिया
		शामलाजी
		इंदर
	अ.अ.श.ट्रा.	नेतरांग
हरियाणा	अ.श.ट्रा.	मेहम
		रेवाडी
		मंडी डबवाली (डीडी-II)
हिमाचल प्रदेश	उ.श.ट्रा.	शिमला
	अ.श.ट्रा.	शिमला (डीडी-II)
	अ.अ.श.ट्रा.	आझु फोर्ट
		खड़ापत्थर
		धानेटर
		जोगिंदरनगर
		बैजनाथ
		भारती
		बांडला
		पालमपुर
		सरखाघाट
		डायर

1		2
		शिवबादर
		वीर
जम्मू और कश्मीर	उ.श.ट्रा.	लेह
	अ.श.ट्रा.	रियासी
		जम्मू (डीडी-II)
		श्रीनगर (डीडी-II)
		कठुआ
		श्रीनगर (कश्मीर चैनल)
		लेह (डीडी-II)
	अ.अ.श.ट्रा.	द्रास
		गुरेज
		किलहोतरन
		पुंछ
		साम्बा
		संकू
		सिमाओगाम
		बुढल
		कालाकोट
		थानामण्डी
		कुद
		बटोट
		अर्धकुआरी
		उड़ी
		टिथवाल
		बारामूला
कर्नाटक	उ.श.ट्रा.	धारवाड़
	अ.श.ट्रा.	भटकल
		बगलकोट
		गंगावती
		मांड्या
		मुदीगेरे
		पावागंडा
		रामादुर्ग
		बंगलौर(डीडी-II)
		कुमटा
		हुनगोंड
	अ.अ.श.ट्रा.	सकलेशपुर
केरल	उ.श.ट्रा.	कालीकट (अंतरिम)

1		2
	अ.श.ट्रा.	पुनालुर
		त्रिवेंद्रम (डीडी-II)
		कोचीन (डीडी-II)
		कालीकट (डीडी-II)
		काननगढ़
		चंगानुर
	अ.अ.श.ट्रा.	कंजिरापल्ली
मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रा.	जबलपुर
		जगदलपुर
	अ.श.ट्रा.	सिरोंज
		अलीराजपुर
		बिजयपुर
		दतिया
		जावरा
		लहार
		उज्जैन
		अशोकनगर
		मैहर
		भोपाल (डीडी-II)
		खुरई
		रागोगढ़
		कुकड़ेश्वर
		भांडेर
	अ.अ.श.ट्रा.	परासिया
		पाखंजोर
		बुधनी
		कोंडागांव
		जसपुरनगर
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रा.	मुंबई (डीडी-III)
	अ.श.ट्रा.	अकोट
		अकलुज
		चिपलुण
		हिंगनघाट
		कंकौली
		खामगांव
		मोरशी
		संगमनेर
		उमरगा

1		2
		वानी
		वाशिम
		चिखली
		मेहेकर
		नागपुर (डीडी-II)
		ब्रह्मपुरी
		करंजा
		देवरुख
		रिसोद
		राजापुर
		म्हासेल
		आरवी
	अ.अ.श.ट्रा.	चिकलधारा
		करजाट
		जुन्नार
		खेड
मेघालय	अ.श.ट्रा.	शिलांग (डीडी-II)
		तुरा (डीडी-II)
		विलियमनगर
	अ.अ.श.ट्रा.	बाघमारा
मिजोरम	उ.श.ट्रा.	लुंगलेई
	अ.श.ट्रा.	आइजोल (डीडी-II)
उड़ीसा	उ.श.ट्रा	कटक (डीडी-II)
	अ.श.ट्रा.	अथमलिक
		बालीगुरहा
		बानापुर
		भुबन
		बौध
		देवगढ
		धेनकनाल
		जी. उदयगिरि
		कामाख्या नगर
		खांडापारा
		लुथेरपुंक
		मलकानगिरि
		नवरंगपुर
		नुआपारा
		पदमपुर

1		2
		पदमपुरम
		पल्लाहारा
		पारादीप
		पुरी
		रायरंगपुर
		राज रानापुर
		रेधाखोल
		नरसिंगपुर
		दुधार कोट (डीडी-II)
		तालचेर
		तीर्थल
		दुर्गापुर
		दसरथपुर
		केंद्रपाड़ा
		बोनाई
		भुवनेश्वर (डीडी-II)
		धेनकनाल (डीडी-II)
		सम्बलपुर(डीडी-II)
	अ.अ.श.ट्रा	पटनागढ़
		ललितगिरि (डीडी-II)
		राउरकेला (डीडी-II)
मणिपुर	अ.श.ट्रा	इम्फाल (डीडी-II)
पंजाब	अ.श.ट्रा.	जालंधर (डीडी-II)
		अबोहर
राजस्थान	उ.श.ट्रा.	बूंदी
	अ.श.ट्रा.	बारन
		बसावा
		भद्रा
		चिरावा
		गंगापुर
		करनपुर
		कोटपुतली
		नोखा
		रायसिंहनगर
		रत्नागढ़
		रावतसर

1		2
		श्रीडूंगरगढ़
		सुजानगढ़
		वल्लभनगर
		जयपुर (डीडी-II)
		कोटा (डीडी-II)
		बंसी
	अ.अ.श.ट्रा.	अमेट
		चौमहला
		देवगढ़
		कुंभलगढ़
		राजगढ़
		भीम
		फतेहपुर
		जावर माइंस
		मंडलगढ़
सिक्किम	उ.श.ट्रा.	गंगटोक
	अ.श.ट्रा.	गंगटोक (डीडी-II)
त्रिपुरा	अ.श.ट्रा.	अगरतला (डीडी-II)
तमिलनाडु	उ.श.ट्रा.	रामेश्वरम (अंतरिम)
		मद्रास (डीडी-III)
	अ.श.ट्रा.	आरकोट
		अरानी
		मयूरम
		नागापट्टिनम
		पुडुकोट्टई
		राजापलयम
		उदगमंडलम
		मार्थण्डम
		गुडियातम
	अ.अ.श.ट्रा.	वल्लिउर
		उदमालपेट
		विजापडी
उत्तर प्रदेश	उ.श.ट्रा.	बरेली
		मऊ
	अ.श.ट्रा.	कानपुर (डीडी-II)
		चांपावत
		एटा
		कोटद्वार

1		2
		मुहम्मदाबाद
		रासरा
		सिंकदरपुर
		लखनऊ (डीडी-II)
		लालगंज
	अ.अ.श.ट्रा.	बागेश्वर
		डीडीहाट
		कलजीखाल
		घनड्याल
पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्रा.	कलकत्ता (डीडी-III)
	अ.श.ट्रा.	कोन्टै
		झारग्राम
		पुरूलिया
		रानाघाट
		कल्याना
	अ.अ.श.ट्रा	एगरा
		झालदा
चंडीगढ़	अ.श.ट्रा.	चंडीगढ़ (डीडी-II)
दिल्ली	उ.श.ट्रा.	दिल्ली (डीडी-III)
	अ.श.ट्रा.	दिल्ली (लोक सभा)
		दिल्ली (राज्य सभा)
लक्षद्वीप	अ.श.ट्रा.	कावारत्ती
	अ.अ.श.ट्रा.	कावारत्ती (डीडी-II)
पांडिचेरी	अ.श.ट्रा.	कराइकल
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अ.अ.श.ट्रा.	हेवलॉक
		कछाल
		बारातांग

[हिन्दी]

पूर्णिया हवाई अड्डे का बन्द किया जाना

930. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया जिले में गत अनेक वर्षों से कार्यरत हवाई अड्डे को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचर इस हवाई अड्डे को पुनः चालू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). पूर्णिया हवाई पट्टी बिहार सरकार से संबंधित है। इस समय, इस विमान क्षेत्र में कोई वाणिज्यिक प्रचालन नहीं है और न ही अन्तर्देशीय एयरलाइन ने अभी तक पूर्णिया विमान क्षेत्र के प्रचालन करने में कोई रुचि दिखाई है।

[अनुवाद]

लाइसेंस शुल्क का भुगतान न किया जाना

931. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाले बहुत से सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करके इन ठेकों से अलग हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बोली लगाने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा दी गई जमानत की राशि कितनी है और लाइसेंस शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख क्या है; और

(ग) क्या उनके द्वारा दी.गई बैंक गारंटी को भुनाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी केवल तभी भुनायी जानी है यदि बोलीदाता सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और लाइसेंस शुल्क तथा अन्य देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

पर्यटक स्थल

932. **श्री देवी बक्श सिंह :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री राधामोहन सिंह :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्री अनंत कुमार :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन पर्यटक स्थलों के नाम क्या हैं जहां पर अधिकतम विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया;

(ख) क्या उक्त पर्यटक स्थलों पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन पर्यटकों द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज की गई और शिकायतों की प्रकृति क्या है;

(ङ) इन शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों के भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान कराए गए विदेशी पर्यटकों के सर्वेक्षण के अनुसार, देश में जिन प्रमुख दस स्थानों पर विदेशी पर्यटक आए, वे हैं :-

1. बम्बई	2. दिल्ली
3. मद्रास	4. आगरा
5. जयपुर	6. गोवा
7. कलकत्ता	8. बंगलौर
9. त्रिवेन्द्रम-कोवलम	10. उदयपुर

(ख) और (ग). आधुनिक आधारिक संरचना सुविधाओं का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है तथा यह प्रदान की जा रही है। राज्य सरकारों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा इस संबंध में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया है। तथापि, ऐसी सुविधाओं के विकास के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हैं।

(घ) और (ङ). गत वर्ष के दौरान, पर्यटन विभाग को 117 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें अधिकतर विदेशी पर्यटकों से प्राप्त हुई हैं, इनमें अपर्याप्त सड़क तथा वायु सेवाएं, दुकानदारों द्वारा धोखा-धड़ी तथा पर्यटकों द्वारा उठाई गई असुविधाएं शामिल हैं। शिकायतें प्राप्त कर ली गई हैं तथा या तो सीधे ही या संबद्ध विभाग के माध्यम से पूछताछ की गई है। ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए पर्यटन विभाग में एक छोटा सा कक्ष भी स्थापित किया गया है।

(च) विदेशी पर्यटकों के देश में आगमन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों में, आधारभूत सुविधाओं में सुधार, पर्यटक आकर्षणों का विकास तथा प्रचार व संवर्धन प्रयासों को सुदृढ़ करना, शामिल हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन केन्द्रों का आधुनिकीकरण

933. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजगीर और नालंदा स्थित तीर्थस्थलों/पर्यटन केन्द्रों का विकास और सौन्दर्यकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित करने सहित आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए दिसम्बर, 1988 में जापान के विदेशी आर्थिक सहायता कोष (ओ ई सी एफ) के साथ एक आसान ऋण करार किया है। इसकी वित्तीय सहायता 7.76 बिलियन जापानी येन है।

इस परियोजना के तहत शुरू किए गए सभी कार्य प्रगति पर हैं। बिहार में अभिनिर्धारित किए गए स्थल हैं : बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को सुदृढ़ करना, स्थानीय सड़कों, भूदृश्यांकन का सुधार करना, जल और विद्युत आपूर्ति का विकास करना, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं

934. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दार्जिलिंग, शिलांग, कोहिमा और पूर्वोत्तर के अन्य भागों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). जी, हां। पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए, जिससे स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों दोनों को लाभ होगा, भारत सरकार, पर्यटन विभाग, 1996-97 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है :

आसाम

1. काजीरंगा में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन तथा विस्तार।
2. शिवसागर में तालातल घर पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन का उन्नयन।
3. काजीरंगा, मानस, ओरांग और टोबीटोरा के लिए 10 हाथियों की खरीद।

अरुणाचल प्रदेश

1. पासीघाट में पर्यटक परिसर

मणिपुर

1. इम्फाल में स्वास्थ्य सैरगाह का निर्माण

मेघालय

1. उमियम झील सैरगाह की लैंड स्केपिंग
2. पाइन वुड होटल का विस्तार
3. ओरचिड लेक रिसार्ट, उमियम का विस्तार
4. ओरचिड लॉज, तुरा का विस्तार
5. शिलांग और चिरापूंजी के लिए मास्टर प्लान (उमियम लेक पर केबिल कार के लिए संभाव्यता सहित)

मिजोरम

1. लुंगलेई में पर्यटक होम
2. हनथियाल में पर्यटक काटेज।

नागालैंड

1. सेडिमा (दीमापुर) में जलप्रपातों का विकास
2. चुमुकेडिमा (दीमापुर) में जलप्रपातों का विकास

त्रिपुरा

1. त्रिपुरा में फुलडांगशी प्रभाग उच्चतम चोटी के अधीन बीटालोंगछिप पर व्यू पाइंट।
2. नीरमहल परिसर में सार्वजनिक सुविधाओं के साथ कैफेटेरिया।

दार्जिलिंग

1. टाइगर हिल पेविलियन, दार्जिलिंग में सुविधाओं की मरम्मत, नवीकरण और स्केपिंग करना और इसका निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्वतारोहण के लिए आधारस्वरूप उपयोग करना।
2. दूरवर्ती स्थानों आदि में विभिन्न पर्यटक सुविधाओं में इको-फ्रेंडली और रिन्यूएवल एनर्जी संसाधन जैसे हवा से उत्पादित विद्युत शक्ति और सौर लालटेनों की व्यवस्था करना।
3. कालिम्पोंग, दार्जिलिंग जिले में कालिम्पोंग पर्यटक लॉज/मोर्गन हाउस का विस्तार।

स्टार टी.वी. नेटवर्क

935. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टार टी.वी. नेटवर्क आर्गिनाइजेशन को अपने अपलिंकिग प्रोजेक्ट को हांगकांग से स्थानान्तरित कर कर्नाटक के टुमकुर में स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी किन-किन शर्तों पर दी गई है; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारत को क्या लाभ होने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन

936. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ निजी विमान सेवाओं द्वारा विमान सुरक्षा मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1996 के दौरान अब तक प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). वर्ष 1996 (आज तक) के दौरान गैर-सरकारी एयरलाइनों अर्थात मेस्को एयरलाइंस तथा ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस द्वारा हवाई संरक्षा मानदण्डों के उल्लंघन के केवल दो मामले हुए हैं। मेस्को एयरलाइंस के एक विमानचालक ने दिनांक 06.01.1996 को वैध उड़ान अनुमति के बिना एक इक्युरिडल हेलीकॉप्टर उड़ाया, अंडरस्लंग अवस्था में प्रचालन किया जिसके लिए हेलीकॉप्टर में व्यवस्था नहीं थी तथा हवाई यातायात नियंत्रण सेवा के बगैर रात्रि उड़ान भरी। दिनांक 02.01.96 को दिल्ली से बंगलौर की उड़ान पर ईस्ट वेस्ट एअरलाइन्स के एक वी 737 विमान ने इस प्रकार अवतरण किया कि उसका बायां मुख्य पहिया धावन पथ से बाहर जमीन पर था।

(ग) इसमें ग्रस्त विमानचालक/सह-विमानचालक के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं। हवाई संरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय जैसे उड़ान रिकार्डरों की मॉनिटरिंग, नागर विमानन अपेक्षाओं का जारी करना, प्रचालकों की संरक्षा आडिट, सुरक्षा सेमिनार/बैठकें आयोजित करना, हवाई अड्डों का निरीक्षण इत्यादि सतत रूप से किए जाते हैं।

निजी एयर लाइन्स

937. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी एयर लाइनों द्वारा प्रदत्त सेवाएं निर्धारित स्तर की नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय निजी एयर लाइनों द्वारा नागपुर-बम्बई और बम्बई-दिल्ली के बीच संचालित की जा रही विमान सेवाएं पूर्ण रूप से असंतोषजनक हैं और इन मार्गों पर इंडियन एयर लाइन्स की सेवाएं शुरू करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/ करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). गैर-सरकारी विमान कंपनियों के विरुद्ध उड़ानों को रद्द करने, समय-पाबंदी आदि से संबंधित कुछ शिकायतें रही हैं।

(ग) और (घ). गैर-सरकारी प्रचालकों के अतिरिक्त इंडियन एयर लाइंस पहले से ही नागपुर-मुम्बई तथा मुम्बई-दिल्ली सेक्टरों पर प्रचालन कर रही है।

विकलांग व्यक्तियों की सेवाएं

938. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन प्रसारण के क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की सेवाएं लेने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है/कराया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) टेलीविजन के दृश्य माध्यम होने के कारण इसमें ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं लेने पर कोई पाबंदी नहीं है जो योग्य हैं और जिनकी विकलांगता उनके कार्य/अभिनय करने के समय बाधा नहीं डालती। तथापि, कार्यक्रम/कथानक की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए कई विकलांग व्यक्तियों को संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने और धारावाहिकों तथा टेलीफिल्मों आदि में अभिनय करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आई.एस.डी. और एस.टी.डी. लाइनें

939. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की मिलीभगत से विभिन्न उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपये के आई.एस.डी. और एस.टी.डी. काल बिल भेजे जाने सम्बन्धी घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस घोटाले में लिप्त पाये गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1995 और 1996 के दौरान, महानगर टेलीफोन निगम लि. के कर्मचारियों की मिलीभगत से टेलीफोन लाइनों के विपथन के संबंध में बम्बई तथा दिल्ली में क्रमशः एक-एक मामले का पता लगाया गया था।

(ख) अप्रैल, 96 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के दौरान, एम.टी.एन.एल. के कुछ कर्मचारी, जोरबाग एक्सचेंज के माध्यम से एस टी डी/आई एस डी युक्त टेलीफोनों के गैरकानूनी विपथन में लिप्त पाए गए थे।

बंबई में, एम टी एन एल के एक कर्मचारी द्वारा, एस टी डी/आई एस डी कालें करवाने के लिए एक टेलीफोन का विपथन किया गया था। इससे 23 लाख रु. तक का घाटा हुआ।

(ग) दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, विपथन में लिप्त 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और तत्पश्चात उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसमें लिप्त प्राइवेट व्यक्ति को भी, बाद में गिरफ्तार कर दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच जारी है। बंबई में 11.9.95 को, एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन निलंबित कर दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस कर्मचारी पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इसी मामले में एक फोन निरीक्षक के विरुद्ध बड़े दंड के लिए अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

940. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सर्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषतः असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन आवश्यक वस्तुओं की अनियमित और अपर्याप्त सप्लाई उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का मूल कारण है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन वस्तुओं की समुचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जनता कपड़ा जैसी कुछ और वस्तुओं को बढ़ाने की कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल, सॉफ्ट/सी आई एल कोक और मिट्टी के तेल का आवंटन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वस्तुओं का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका आशय किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं होता है। वस्तुएं निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं की नियमित और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जनता कपडों की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात का आयात

941. **श्री पी.आर. दासमुंशी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का इस्पात आयात किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान आयात करने वाले आयातकों के नाम क्या हैं; और

(ग) किन-किन देशों से इस्पात का आयात किया गया?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विक्रेय इस्पात के आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1993-94	1153.1	1603
1994-95	1932.6	2536
1995-96 (अनन्तिम)	1864.4	3175

(ख) इन वर्षों के दौरान कुछ प्रमुख आयातकर्त्ताओं के नाम अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) प्रमुख देशों जिनसे आयात किया गया है, वे हैं :- आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गेरिया, कनाड़ा, चीन, सी.आई.एस., चैक, ई.सी, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, हालैण्ड, हंगरी, ईरान, इटली, जापान, कोरिया, कुवैत, मैक्सिको, पौलेण्ड, रोमानिया, सिंगापुर, स्लोवाक रिपब्लिक, दक्षिणी अफ्रीका, स्पैन, स्वीडन, तंजानिया, टर्की, यू.के., संयुक्त राज्य अमरीका और वेनेजुला।

अनुलग्नक

1. आर्यन ओवरसीज प्रा. लि., बम्बई
2. अशोक लेलैण्ड लिमिटेड, मद्रास
3. बी.एच.ई.एल.
4. बजाज आटो लिमिटेड, पुणे
5. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स, विजाग
6. कॉमेट स्टील्स लिमिटेड, बम्बई
7. क्राम्पट नग्रीव्स लिमिटेड, बम्बई
8. ग्राहम फर्थ स्टील प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई
9. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
10. जिन्दल आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड, महाराष्ट्र
11. जिन्दल स्ट्रिप्स प्रा. लिमिटेड, थाणे
12. केइरा केन कंपनी लिमिटेड, बम्बई
13. खन्ना एण्ड कंपनी, बम्बई
14. लार्सन एण्ड टोब्रो लिमिटेड, बम्बई
15. लॉकिन लिमिटेड, बम्बई
16. लॉएड्स स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई
17. एल.एम.एल. लिमिटेड, कानपुर, उ.प्र.
18. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई
19. मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगावां, हरियाणा
20. मेटलमैन पाइप मैनुफैक्चरिंग कं. (प्रा0) लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश
21. नागार्जुन सिग्नोड लिमिटेड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
22. नथानी स्टील (प्रा0) लिमिटेड, बम्बई
23. निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड, नागपुर
24. ओ.एन.जी.सी., लिमिटेड
25. पिनार स्टील्स लिमिटेड, हैदराबाद
26. सेल, सेलम स्टील लिमिटेड, तमिलनाडु
27. शैटरॉन मेटल्स लिमिटेड, तमिलनाडु
28. श्री प्रीकोटेड स्टील्स लिमिटेड, बम्बई
29. श्री सरबती स्टील्स ट्यूब्स लिमिटेड, मद्रास
30. सिप्ता कोटेड स्टील लिमिटेड, बम्बई
31. स्पेशल स्टील्स लिमिटेड, बम्बई

32. स्टील्को गुजरात लिमिटेड बड़ौदा
33. टाटा इंजी. एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, पुणे
34. टिनप्लेट कं0 आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता
35. ट्रान्स-फ्राइट कंटेनर्स प्रा0 लिमिटेड, बम्बई
36. ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, मद्रास
37. उषा मार्टिन इंडस्ट्रीय लिमिटेड, कलकत्ता
38. उत्तम स्टील लिमिटेड, बम्बई
39. विजय इलैक्ट्रकल, हैदराबाद
40. व्हील्स इंडिया लिमिटेड, मद्रास

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन

942. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :
श्री शरत पटनायक :
डा. रमेशचन्द तोमर :
श्री राधामोहन सिंह :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री देवीबक्श सिंह :
श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की राज्य-वार आवश्यकता कितनी -कितनी है और चालू पेराई सत्र के दौरान चीनी के उत्पादन का राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) विभिन्न चीनी मिलों ने अब तक अनुमानतः राज्य-वार कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया है;

(ग) क्या गन्ने का उत्पादन चीनी के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता से कहीं अधिक है;

(घ) यदि हां, तो चीनी मिलों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है और 1994 के पश्चात् राज्य-वार और वर्ष वार इस क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया;

(ङ) चीनी मिलों के कार्यकरण में सुधार लाने और कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(च) चीनी मिलों द्वारा गन्ना न खरीदे जाने के कारण कितनी मात्रा में गन्ना खेतों में खड़ा है और इससे किसानों को कितना घाटा हुआ है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चालू मौसम 1995-96 के दौरान समस्त भारत के लिए घरेलू खपत हेतु लगभग 130 लाख टन चीनी की आवश्यकता का अनुमान किया गया है। इस आवश्यकता के अनुमान के आगे सरकार द्वारा चीनी के उत्पादन का लक्ष्य नहीं किया जा रहा है।

(ख) 1995-96 मौसम के दौरान 15-5-1996 तक, राज्यवार चीनी का उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ). वर्ष 1995-96 के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किए गए अग्रिम अनुमान के अनुसार चीनी का अनुमानित उत्पादन 2676.84 लाख टन था। पिछले पांच वर्षों (1990-91 से 1994-95 तक) के दौरान चीनी के उत्पादन के लिए उपयोग किए गए गन्ने का प्रतिशत 50.7 से 54.4 के बीच था तथा शेष का इस्तेमाल गुड़ तथा खांडसारी, बीज एवं चूसने के लिए किया गया। 1994-95 मौसम के लिए वार्षिक चीनी उत्पादन के रूप में राज्यवार संस्थापित क्षमता तथा इसके उपयोग का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) चीनी फैक्ट्रियों को उपलब्ध गन्ने की पेराई करने में समर्थ बनाने तथा चीनी मिलों की नकदी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे-देर से पेराई के लिए प्रोत्साहन, बफर स्टाक का सृजन तथा चीनी के निर्यात की अनुमति। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चीनी फैक्ट्रियों को उच्चतर सीमा तक ऋण प्राप्त करने में कुछ रियायतें दी हैं।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1995-96 मौसम के लिए 31-5-1995 तक चीनी मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने की मात्रा लगभग 1505 लाख टन थी (अनन्तिम) जबकि 1994-95 (अक्तूबर, 94 से सितम्बर, 95 तक) के समस्त मौसम के दौरान यह मात्रा 1475.98 लाख टन थी। कुछ फैक्ट्रियां अभी भी कार्यरत हैं।

विवरण-I

1994-95 मौसम के लिए वार्षिक चीनी उत्पादन के रूप में संस्थापित क्षमता तथा राज्यवार इसकी उपयोगिता दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	संस्थापित उत्पादन क्षमता (लाख टन में)	1994-95 मौसम के लिए (प्रतिशत) वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता के रूप में क्षमता उपयोगिता
1	2	3	4
1.	पंजाब	6.249	51.04
2.	हरियाणा	3.562	96.35
3.	राजस्थान	0.232	77.58
4.	उत्तर प्रदेश	32.058	112.57
5.	मध्य प्रदेश	0.987	70.92

1	2	3	4
6.	गुजरात	8.111	93.57
7.	महाराष्ट्र	38.341	131.06
8.	बिहार	4.122	95.58
9.	असम	0.184	38.04
10.	उड़ीसा	1.018	43.14
11.	पश्चिम बंगाल	0.067	104.47
12.	नागालैंड	0.064	15.62
13.	आंध्र प्रदेश	6.346	137.64
14.	कर्नाटक	8.366	146.35
15.	तमिलनाडु	11.844	157.01
16.	पांडिचेरी	0.383	161.88
17.	केरल	0.170	64.70
18.	गोवा	0.093	172.04
	समस्त भारत	122.197	119.83

विवरण-II

1995-96 मौसम के लिए 15.6.1996 तक चीनी का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	15.6.1996 तक चीनी का उत्पादन
1	2	3
1.	पंजाब	6.31
2.	हरियाणा	4.46
3.	राजस्थान	0.31
4.	उत्तर प्रदेश	42.86
5.	मध्य प्रदेश	1.29
6.	गुजरात	11.25
7.	महाराष्ट्र	52.69
8.	बिहार	3.78
9.	असम	0.07
10.	उड़ीसा	0.82
11.	पश्चिम बंगाल	0.08
12.	नागालैंड	0.01
13.	आंध्र प्रदेश	8.55
14.	कर्नाटक	11.90
15.	तमिलनाडु	12.81
16.	पांडिचेरी	0.53
17.	केरल	0.11
18.	गोवा	0.19
	समस्त भारत	158.02

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

943. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन स्वैच्छिक संगठनों को वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा में स्वैच्छिक संगठनों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति विकास				
1.	कटक जिला अम्बेडकर मैमोरियल आर्गेनाइजेशन जिला-जगतसिंगपुर	0.97	1.73	0.94
2.	बंकी अन्चालीका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, जिला-कटक	2.38	4.54	5.64

1	2	3	4	5
3.	हरिजन सुरक्षा कमेटी जिला-बालासौर	1.81	5.06	2.80
4.	गुरू मसहीमा युवक संघ, जिला-खुर्द	0.49	0.89	0.41
5.	भगवती युवक संघ, जिला-धेनकानल			
6.	जनकल्याण समिति भुवनेश्वर	8.07	7.81	3.92
7.	श्री आर.कें. मिशन, पुरी	5.06	5.22	-
8.	रामकृष्णा मठ चक्रतीर्थ पुरी	1.08	2.35	1.22
9.	नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एंड सोशिल डवलपमेंट रिसर्च इन्सटीट्यूट, जिला-धेनकानल।	0.25	1.51	1.65
10.	कलिंगा साल्टर, भुवनेश्वर	0.56	1.13	1.30
11.	श्री आर.के. आश्रम, जिला-कालाहांडी	0.36	0.68	0.81
12.	उड़ीसा खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज एसोशिएशन, कटक	0.40	2.57	1.44
13.	नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ सोशिल वर्क एडं सोशिल साइंसेज, भुवनेश्वर	1.81	22.37	1.46
14.	सुभद्रा महताब सेवा सदन, जिला-फूलबनी	1.44	6.17	2.61
15.	आर्गेनाइजेशन फार सोसल चेंज एंड रूरल डवलपमेंट, भुवनेश्वर।	1.34	1.85	1.77
16.	नेहरू सेवा संघ, जिला-खुर्द	0.91	3.53	3.38
17.	विद्युत कल्ब, जिला-पुरी	-	1.81	2.40
18.	कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार योजना, जिला-केन्द्रापडा	-	1.81	4.91
19.	कौंसिल फार ट्राइबल रूरल डवलपमेंट, भुवनेश्वर।	-	3.27	2.03
20.	गोप बन्धु पठागार, जिला-खुर्द	-	0.83	0.73
21.	नील कंठेश्वर क्लब, जिला-पुरी	-	2.68	0.73
22.	राज्य अक्षाम सेवा संघ, जिला-पुरी	-	1.20	5.10
23.	गोप बंधु कालाश्री क्लब, जिला-पुरी	-	0.54	1.31
24.	पीपल्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, भुवनेश्वर	1.96	4.35	1.47
25.	ओम श्री श्री सिध्या पटरानी युवक संघ जिला-धेनकानल	-	0.19	0.48
26.	विश्व जीवन सेवा संघ, जिला-खुर्द	-	2.43	7.68
27.	कलिंगा इन्सटीटयूट ऑफ इन्ड्रस्ट्रीयल टेक्नोलोजी	-	2.68	1.47
28.	पीपल्स आर्गेनाइजेशन फार वेलफेयर, इम्पलायमेन्ट एंड रूरल डव्लपमेंट, भुवनेश्वर	1.08	4.95	1.47
29.	भारतीय जन कल्याण केन्द्र, जिला-बरीपाडा	-	-	3.09
30.	पल्ली विकास, जिला-मयूरभंज	-	-	1.19
31.	हरिजन सेवक संघ, जिला-कटक एंड खुर्द	10.07	11.65	11.69
32.	सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, जिला-रयागादा	13.88	12.38	12.99

1	2	3	4	5
	अनुसूचित जनजाति विकास			
	सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ ग्रान्ट-इन-एड टू स्वैच्छिक संगठन			
33.	जन कल्याण समिति, भुवनेश्वर	4.52	7.23	8.91
34.	आर.के. मिशन, भुवनेश्वर	12.34	3.85	3.55
35.	समाज कल्याण संस्था, मयूरभंज	–	–	9.45
36.	बंकी अंचालिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद् कटक	3.14	4.44	4.26
37.	नेहरू सेवा संघ, पुरी	5.46	6.52	4.74
38.	श्री रामकृष्णा आश्रम, विवेकान्द जातीय मिशन, कालाहांडी	3.01	3.87	4.45
39.	भारतीय जन कल्याण केन्द्र, मयुरभंज	1.58	2.13	0.30
40.	सेवा समाज, रयागादा	2.50	2.12	1.16
41.	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, राउरकेला	5.34	3.97	4.50
42.	उड़ीसा हरिजन सेवक संघ, सर्वोदय आश्रम मयुरभंज	2.63	8.20	7.17
43.	नेशनल इन्सटीट्यूट आफ सोसल वर्क एंड सोसल साइंसेज	–	5.16	1.71
44.	कलिंगा इन्स्टीट्यूट आफ इन्डस्ट्रीयल टेक्नोलोजी, भुवनेश्वर	–	1.18	6.71
45.	नैसासदरी, धेनकानल	–	0.44	4.42
46.	उड़ीसा खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज एसोशिएशन, कटक	–	1.94	0.58
47.	कौंसिल फार ट्राइबल एंड रूरल डवलपमेंट भुवनेश्वर	–	1.82	0.55
48.	आर.के. मिशन आश्रम, पुरी	–	0.20	8.17
49.	पीपल्स आर्गेनाइजेशन फार वेलफेयर इम्पलायमेन्ट एंड रूरल डवलपमेंट, धेनकानल	2.86	–	–
	एजूकेशनल काम्प्लैक्स इन लो लिटरेसी पॉकेटस फार सिडयूल ट्राइब गर्ल्स			
50.	जन कल्याण समिति, भुवनेश्वर	6.33	7.39	3.52
51.	दी सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, रायागादा	5.64	7.73	1.75
52.	सर्वोदया समिति, कोरापुत	4.94	2.43	2.25
53.	कस्तूबा ग्राम सेवा सेन्टर, (कस्तूरबा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट) कटक	5.99	1.96	2.31
54.	सेवा समाज, रायागादा	2.53	1.89	9.90
55.	अग्रगामे, रायागदा	6.33	–	0.69
56.	ओएसबीएआरए, भुवनेश्वर	–	4.84	0.67
57.	इन्सटीट्यूट आफ इंजिनीयरिंग एंड मैनेजमेंट, जयपुर	–	4.84	5.97
58.	कौंसिल फार कल्चरल ग्रोथ एंड कल्चर रिलेशन, कटक	–	4.84	0.84
59.	न्याय सहायक समिति, कोरापुत	–	4.84	5.83

1	2	3	4	5
60.	बाय-परीगुडा कस्तरा समिति, बाय परीगुडा	–	4:84	7.61
61.	मार मुन्नींग आश्रम, कोरापुत	–	4.84	1.83
62.	बाबा भारथी, कोरापुत	–	4.84	1.48
63.	लीड, जेयपोरे	–	4.84	5.71
64.	ब्रिघ कैरियर अकेडेमी, जयपोरे	–	4.84	6.39
65:	स्नेह, भुवनेश्वर	–	–	5.96
66.	टैगोर सोसाइटी फार रूरल डवलपमेंट, भुवनेश्वर	–	–	5.97
विकलांग कल्याण				
सहायक यंत्र तथा उपकरण की आपूर्ति				
67.	ओपन लरनिंग सिस्टम्स, भुवनेश्वर	–	0.75	0.38
विकलांगों का कल्याण				
68.	संता मैमोरियल रिहबिलीटेशन सेन्टर, भुवनेश्वर	–	3.31	3.96
69.	ओप्न लरनिंग सिस्टम्स, भुवनेश्वर	6.67	10.18	15.41
70.	नेहरू सेवा संघ, जिला-खुर्द	0.99	4.10	4.24
71.	रेड क्रास स्कूल फार दि बलिंग, जिला-गंजाम	2.73	6.33	–
72.	आर्थोपेडि कली हैंडिकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रक्ट सम्बलपुर	0.25	0.99	0.50
73.	साउथ वैस्ट उड़ीसा ब्रांच आफ आल इण्डिया ओमन्स कॉफरैन्स बेहरामपुर	–	2.31	4.35
74.	सोसायटी फार इंवायरमैन्टल डेवलप. भोलन्ट्री एक्सन, मनजघर	–	0.11	5.40
75.	एसोसि. फार सोसल रिकन्सट्रक्सन एक्टीविटीज, जिला कटक	–	1.64	2.27
76.	नीलाचल सेवाप्रतिस्ठान, जिला पुरी	–	3.14	–
77.	पतितपावन सेवा संघ जिला पुरी	–	0.59	2.24
78.	बहराघाई क्लब, जिला खुर्द	–	2.31	–
वैलफेयर आफ माइनोरिटीज				
79.	एल.सी. इस्टीट्यूट आफ सोसल एण्ड एप्लाइड साइन्सेज, भुवनेश्वर	–	–	3.45
80.	गनेश इस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंण्ड टैक्नालाजी भुवनेश्वर	–	–	1.35
81.	रीजनल कालेज आफ इन्जीनियरिंग एण्ड मनेजमैन्ट, भुवनेश्वर	–	–	0.75
सोसल डिफैन्स				
स्कीम फार प्रोहिबिटेशन एण्ड ड्रग एब्यूज प्रिवैन्सन				
82.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राउरकेला	6.81	3.69	6.00
83.	एसोसिएशन फार सोसल रिकन्सट्रकटिव एक्टीविटीज कटक	–	0.66	2.57

1	2	3	4	5
84.	भैरबी क्लब, जिलाः खुर्द	–	1.09	3.00
85.	सैन्टर फार यूथ एण्ड सोसल डेवलपमैन्ट, भुवनेश्वर	4.60	6.95	3.27
86.	सिटिजन, कटक	1.67	–	–
87.	काउंसिल फार आल राउड डेवलपमैंट सोसायटी	–	0.88	2.57
88.	हाउस आफ इकौनोमिकली लिबर्टी एण्ड प्रोसपरटी, भुवनेश्वर	–	0.66	2.62
89.	नेशनल इंस्टीटयूट आफ कौम्युनिटी हैल्थ, भुवनेश्वर	6.79	6.73	5.69
90.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, जिला–पुरी	6.96	6.63	6.60
91.	ओपन लरनिंग सिस्टम भुवनेश्वर	6.69	6.79	7.63
92.	उड़ीसा खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीयल एसोसिएशन, कटक	–	0.88	1.26
93.	ऐसोसिएशन आफ मौरल एण्ड लीगल ऐड सर्विसेज फार पुवर, पुरी	8.99	4.50	–
94.	आर्गनाइजेशन फार सोसल चेन्ज एण्ड रूरल डेवलपमैन्ट, भुवनेश्वर	0.48	2.34	3.37
95.	पिपुल्स कलचरल सैन्टर, भुवनेश्वर	–	0.66	2.14
96.	प्रोजैक्ट स्वराज्य थोरिया साही, कटक	7.48	6.83	6.57
97.	रूरल डेवलपमैन्ट एक्सन सेल, मंयूरभंज	–	1.73	2.53
98.	संजीवनी, भुवनेश्वर	–	0.67	3.74
99.	श्री रामाकृष्णा आश्रम, कालाहाण्डी	–	0.66	1.29
आर्गनाइजेशनल असिसटैन्स				
100.	उड़ीसा एसोसिएशन फार दि ब्लाइण्ड, भुवनेश्वर	0.43	0.25	0.50
101.	उड़ीसा स्टेट कांउसिल फार चाइल्ड वैलफेयर, भुवनेश्वर	0.50	0.50	0.50
102.	आर्गनाइजेशन फार सोसल चेन्ज एण्ड रूरल डेवलपमैंट, भुवनेश्वर	0.50	0.40	–
103.	ओपन लरनिंग सिस्टम्स, भुवनेश्वर	–	1.00	0.50
104.	नेहरू सेवा संघ, जिला पुरी	–	0.49	0.50
वयोवृद्धों का कल्याण				
105.	जन कल्याण समिति, भुवनेश्वर	6.72	6.78	5.19
106.	श्री श्रीबालाकापोलेस्वरी युवा संघ एंड पथागार, पुरी	0.98	2.23	3.53
107.	एसोशिएशन फार दि अनडव्लप्ड बैनीफीशिरीज आफ इंडिया, नयागढ	0.40	0.61	–
108.	ग्राम मंगल पथागार, बोलांगिर	1.51	0.25	2.15
109.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान पुरी	3.75	6.70	6.08
110.	ग्राम सेवा मंडल, धेनकानल	8.44	10.31	3.36
111.	भाईराबी क्लब, पुरी	2.11	4.30	3.25

1	2	3	4	5
112.	सोसल वेलफेयर ग्रुप, भुवनेश्वर	0.38	0.20	1.13
113.	विद्युत क्लब, पुरी	2.37	9.17	3.36
114.	इन्सटीट्यूट फार वोमैन्स वेलफेयल, जिला-गंजाम	1.13	1.08	1.08
115.	स्टूडेन्टस वेलफेयर इन्सटीट्यूट, भुवनेश्वर	0.73	0.68	1.12
116.	इन्सटीट्यूट फार सोसल वेलफेयर एंड रिफोरमेशन, भुवनेश्वर	0.31	–	–
117.	बानाबासी सेवा समिति, जिला फुलबनी	1.37	–	3.95
118.	लोक नायक क्लब, कटक	1.08	1.72	–
119.	ए एस आर ए, कटक	1.00	2.34	2.15
120.	सभद्रा महताब सेवा सदन, फुलबनी	5.07	4.43	2.84
121.	आर्गेनाइजेशन फार सोसल चेंज एंड रूरल डव्लपमेंट भुवनेश्वर	2.28	2.26	4.26
122.	विश्व जीवन सेवा संघ, पुरी	0.26	1.27	–
123.	कलिंगा ग़ाल्टर, भुवनेश्वर	1.11	2.69	4.32
124.	कौंसिल आफ कल्चरल ग्रोथ	–	0.29	–
125.	एम ओ क्लब, जिला-पुरी	–	1.14	–
126.	बाना भारती, जिला-कोरापुत	–	1.23	–
127.	बापूजी युवा संघ, जिला-खुर्द	–	0.57	–
128.	जया ज्योति क्लब, जिला-खुर्द	–	1.25	–
129.	जय जगन्नाथ क्लब, जिला-पुरी	–	1.32	–
130.	जन सेवा परिषद, जिला केन्द्रापाडा	–	1.05	–
131.	विश्व जीवन सेवा संघ, जिला-पुरी	–	1.27	0.61
132.	ट्राइबल एंड रूरल अपलीफटमेंट प्रोजेक्ट, भुवनेश्वर	–	0.91	–
133.	सोसल वर्क एण्ड सोसल रिसर्च, भुवनेश्वर	–	0.73	–
134.	अर्बन एण्ड रूरल डेवलपमैन्ट सोसायटी, जिला सम्भलपुर	–	0.92	–
135.	मार मुनिंग आश्रम, जिला कोरापुट	–	0.93	1.08
136.	आशा नायकम सेवा संघ, जिला कटक	–	–	5.94
137.	एसोसिएशन फार सोसल वर्क एण्ड सोसल रिसर्च इन उडीसा, जिला खुर्द	–	–	1.72
138.	रत्नाधिरा, जिला पुरी	–	–	1.08
139.	विश्व जीवन सेवा संघ, जिला खुर्द	–	–	0.61
140.	अर्बन कम-रूरल डेवलपमैन्ट सोसायटी, जिला कटक	–	–	1.05
141.	सिंघनाथ क्लब, जिला कटक	–	–	1.76
142.	युवा ज्योति क्लब, जिला खुर्द	–	–	2.04
143.	श्री रामाकृष्णा आश्रम, जिला कालाहाण्डी	–	–	1.50
वैलफेयर आफ स्ट्रीट चिल्ड्रन				
144.	उड़ीसा कांउसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, भुवनेश्वर	–	1.23	6.76

बयाना-धोलपुर टेलीफोन एक्सचेंज

944. **श्री गंगाराम कोली :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बयाना-धोलपुर टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने और इसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). बयाना और धोलपुर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहे हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान बयाना टेलीफोन एक्सचेंज का 400 लाइनों और धोलपुर टेलीफोन एक्सचेंज का 976 लाइनों द्वारा विस्तार करने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

945. **श्री सुधीर गिरी :**
श्री पवन दीवान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में असंगठित क्षेत्र (राज्य-वार) में श्रमिकों की राज्य-वार संख्या क्या है तथा उनकी प्रमुख समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में लागू महत्वपूर्ण कानून कौन-कौन से हैं; और

(ग) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों में कौन-कौन से कानून बनाने और अन्य कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) देश में असंगठित क्षेत्र में नियोजन के बारे में मांगी गई सूचना नहीं रखी जाती है। असंगठित श्रम की प्रमुख समस्याओं में से कुछ हैं :

1. अत्यधिक अल्प रोजगार की स्थिति।
2. निम्न सामूहिक सौदेकारिता शक्ति।
3. नियोजन-कर्मचारी में ठोस संबंध की कमी।
4. कार्य स्थलों का फैला हुआ स्वरूप।

(ख) अधिकांश श्रम कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त असंगठित कर्मकारों की कतिपय श्रेणियों के लिए, सरकार ने स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक सुविधाओं आदि जैसे क्षेत्रों में पेरशानियां दूर करने के लिए कल्याण निधियां स्थापित की हैं।

(ग) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अध्यादेश एवं भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद के चालू सत्र के दौरान लोक सभा में दो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं।

सरकार कृषि कर्मकारों के हितों के संरक्षण और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए और विधान बनाने पर भी विचार कर रही है।

[हिन्दी]

सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न विमान

946. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानन सेवाओं के लिए सरकार के पास कितने प्रकार के विमान उपलब्ध हैं और इन विमानों की क्षमता कितनी है;

(ख) हवाई अड्डा-वार कितने एवं किस प्रकार के विमान हवाई अड्डों में खड़े रखे गए हैं;

(ग) क्या ये खड़े रखे गए विमान मरम्मत के बाद उपयोग में लाए जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो इनकी मरम्मत न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन्हें बेचने की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में विमान के प्रकार तथा सीट क्षमता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

कम्पनी का नाम	विमान का प्रकार	सीट क्षमता
एयर इंडिया	बी 747-200	394
	बी 747-300 (कोम्बी)	283
	बी 747-400	417
	ए 310-300	203
	ए 300 बी 4	238
इंडियन एयरलाइन्स	ए 300 बी 2	248
	ए 300 बी 4	247
	ए 320	146
	बी 737	119

(ख) से (घ). विमानों को अनुरक्षण प्रयोजनों के लिए विभिन्न जांचों से गुजरने के लिए आवधिक रूप से ग्राउण्ड किया जाना होता है। एयर इंडिया के विमान बेड़े के सभी विमान प्रचालनरत हैं। इंडियन एयरलाइन्स विमान बेड़े के दो बी-737 विमानों को दिल्ली में स्थायी तौर पर ग्राउण्ड कर दिया है क्योंकि इन विमानों का, मरम्मत के बाद भी, वाणिज्यिक दृष्टि से किफायती ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स इन विमानों का निपटान करने हेतु कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

उपग्रह का उपयोग नहीं किया जाना

947. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा पूर्व इन्सेट 2-बी से इन्सेट 2-सी चैनलों को जोड़ने या हटाने में काफी विलम्ब किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन नई तकनीकी व्यवस्था के अंतर्गत कब तक लाया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). जी, नहीं। यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के बारे में चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव संबंधी आचार संहिता के कारण इन्सैट-2 सी सहित, उपग्रहों की इन्सैट श्रृंखला पर दूरदर्शन की सेवाओं को नई तकनीकी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं लाया जा सका। दूरदर्शन को नई तकनीकी व्यवस्था के अंतर्गत लाने का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में आप्टिकल फाइबर केबल लाइनें बिछाना

948. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रसाद से मरादा, सलम्बर, धारीपाड़, प्रतापगढ़ और टिडी से जावीर माइन्स तक आप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में उदयपुर और डूंगरपुर के बीच बिछाई गई आप्टिकल फाइबर लाइन के 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले गांवों के साथ जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार ऊपरी लाइनों के स्थान पर भूमिगत लाइनें बिछाने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां, जहां कहीं भी तकनीकी रूप से संभव है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऊपरी (ओवर हेड) लाइनों की जगह भूमिगत केबल बिछाने का कार्य केबल स्थानीय नेटवर्क के लिए है। लम्बी दूरी के नेटवर्क के लिए, खुले तारों की प्रणाली को सूक्ष्मतरंग (माइक्रोवेव) तथा आप्टिकल फाइबर केबलों जैसे विश्वसनीय मीडिया के द्वारा, उत्तरोत्तर रूप से बदला जा रहा है।

विवरण

राजस्थान में उदयपुर से डूंगरपुर के बीच 10 कि.मी. त्रिज्या की परिधि में आने वाले उन गांवों का विवरण, जिन्हें आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाना है।

स्थान का नाम	प्रस्तावित मिडिया तथा समय, जब तक योजनाओं को लागू किया जाना है
1. प्रासाद	वर्ष 1997-98 में आप्टिकल फाइबर योजना।
2. चावंड	-वही-
3. सराड़ा	क्रम सं. 2 में दी गई योजना द्वारा ही पूरा होना है।
4. सलम्बर	1997-98 में आप्टिकल फाइबर केबल स्कीम।
5. धारीवाद	-वही-
6. प्रतापगढ़	सराड़ा-चावंड-सलुम्बर-धरिमावद के बीच की सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) प्रणाली तथा आप्टिकल फाइबर केबल की योजना को प्रतापगढ़ तक भी बढ़ाया जा सकता है।
7. टिडी	वर्ष 1997-98 में आप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली।
8. जावर माइन्स	-वही-

[अनुवाद]

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995

949. **श्री ई. अहमद** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को शिया समुदाय के अल्पसंख्यक संरक्षण और कल्याण संगठन से उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 को लागू न किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की योजना केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 में उत्तर प्रदेश के लिए संशोधन करने की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी नहीं। तथापि, वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिक वैधता तथा उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी व्यवहार्यता को चुनौती देते हुए श्री रिजवानुल हक द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में एक रिट याचिका दायर की गई है। रिजवानुल हक बनाम भारत संघ एवं अन्य की उक्त रिट याचिका संख्या 1996 का 1689 पर दिनांक 13.6.96 को सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के महान्यायवादी और उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। माननीय न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के अधीन गठित सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों एवं अधिकरण को कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार, यह मामला विचाराधीन है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

भारत में कन्टरी होम पेज सर्विस

950. **श्री रूपचन्द्र पाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वर्ल्ड वेब सेट" के जरिए कन्ट्री होम पेज सर्विस शुरू करने और समाचारों के इन्टरनेट संस्करण में भारत आने के इच्छुक पर्यटकों को भारत संबंधी सूचनाएं देने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग में पहले ही, इन्टरनेट के वर्ल्डवाईड वेब में एक होम पेज है जो भारत में पर्यटक आकर्षणों के बारे में सूचना देता है। होम पेज में भौतिक विशेषताओं, लोगों और नीति, जलवायु पेड़ पौधे और जीवजन्तु, संगीत और नृत्य, भोजन, शापिंग सुविधाओं, यात्रा के लिए आवश्यकताएं/वीसा सूचना, विश्वव्यापी पर्यटक कार्यालयों की सूची, आदि सहित भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

951. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 और 1995-96 के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या देश में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो 1990-91 और 1994-95 के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कितनी थी;

(ङ) क्या देश में कम उपलब्धता के कारण खाद्यान्नों का आयात किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). फसल वर्ष 1990-91 से 1995-96 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों (दालों सहित) का उत्पादन निम्नानुसार रहा है :-

(मिलियन मीटरी टन में)

फसल वर्ष	खाद्यान्नों का उत्पादन
1990-91	176.39
1991-92	168.38
1992-93	179.48
1993-94	184.26
1994-95	191.10
1995-96	190.36 (संभावित)

(ग) और (घ). वर्ष 1990 से 1995 तक खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्नानुसार रही है :-

(किलोग्राम/प्रति वर्ष)

वर्ष	खाद्यान्नों का उत्पादन
1990	172.5
1991	186.2
1992	171.1
1993	169.4
1994	172.0
1995	184.6

(ङ) और (च). 1991-92 से मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के फलस्वरूप गेहूं पर दबाव पड़ने के कारण 1992-93 में लगभग 25.89 लाख मीटरी टन और 1993-94 में लगभग 4.76 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात किया गया था। 1992-93 और 1993-94 के दौरान चावल की क्रमशः 86,000 मीटरी टन और 56000 मीटरी टन मात्रा का आयात किया गया था। वर्ष 1993-94 के बाद दालों के अलावा खाद्यान्नों का कोई आयात नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में डाक और तार विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

952. **डा. बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जौनपुर और मऊ जिलों में बाहरी व्यक्तियों ने डाक और तार विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस भूमि का अधिग्रहण किस प्रयोजनार्थ किया था; और

(घ) सरकार द्वारा इस भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं।

(घ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को वित्तीय सहायता

953. **श्री के.सी . कोंडय्या** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कितनी बजट धनराशि का प्रावधान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक के अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को सहायता का कितना अंश दिया गया;

(ग) क्या कर्नाटक के इस निगम को दी गई सहायता बिल्कुल अपर्याप्त थी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अगले दो वर्षों में कर्नाटक के अंश को बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम को सहायता प्रदान करने के लिए बजटीय प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	बजट प्रावधान
1993-94	22.00 करोड़ रुपये
1994-95	22.00 करोड़ रुपये
1995-96	30.00 करोड़ रुपये

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को प्रदान की गई सहायता निम्नलिखित है।

वर्ष	सहायता (भारत सरकार का शेयर)
1993-94	212.35 लाख रुपये
1994-95	310.21 लाख रुपये
1995-96	585.31 लाख रुपये (485.31 लाख रु. की राशि 1994-95 की बकाया राशि की द्योतक है)

(ग) इस योजना के अन्तर्गत निगम की शेयर पूंजी की ओर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की 51:49 की भागीदारी है।

पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक के निगम द्वारा प्राप्त राज्य तथा केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(रुपये लाख में)

वर्ष	राज्य शेयर	केन्द्र शेयर
1993-94	100.00	212.00
1994-95	828.00	310.21
		485.31 (1994-95 के बकाया के रूप में 1995-96 में प्रदान की गई)
		795.52
1995-96	*539.00	100.00

* 1995-96 में योजना में पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण सम्पूर्ण केन्द्रीय शेयर प्रदान नहीं किया जा सका।

(घ) वर्तमान वर्ष के लिए कोई बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन नहीं है।

वर्तमान वर्ष के लिए आवंटन केवल 30 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय बजट से शेयर पूंजी सहायता में वृद्धि निधियों की बढ़ी हुई उपलब्धता से ही सम्भव है।

पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता

954. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को पर्यटन के विकास के लिए 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितनी सहायता दी गई;

(ख) यह सहायता किन-किन परियोजनाओं/ऐतिहासिक स्थलों के लिए दी गई है और उपयोग में लाई गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार के पास 1995-96 और 1996-97 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान गुजरात सरकार को पर्यटन के विकास के लिए 94.93 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. नालसरोवर में पर्यटक परिसर
2. पोरबंदर में कैफेटेरिया
3. सोमनाथ मंदिर में प्रकाश-पुंज व्यवस्था
4. कुदा में पर्यटक परिसर

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए, जब और जैसे राज्य सरकार पूरे तथा ब्यौरेवार प्रस्ताव प्रस्तुत करे, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने को सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है :-

1. द्वारिका के द्वारिकाधीश मंदिर में प्रकाश-पुंज व्यवस्था
2. मोधेरा में स्मारक, सूर्य मंदिर का नवीनीकरण
3. मोधेरा में स्मारक स्टेप-वैल का नवीनीकरण
4. अंबाजी में जन सुविधाएं
5. जामनगर के लखोटा महल में प्रकाश-पुंज व्यवस्था

वर्ष 1995-96 के लिए पर्यटन विभाग के पास वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

एअर इंडिया में विमानों की कमी

955. **श्री विनय कटियार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया को विमानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. बम. इब्राहीम) : (क) से (ग). एयर इंडिया के वर्तमान विमान बेड़े में उसके अपने स्वयं के 26 तथा वेट-लीज के 5 विमान हैं जो इस के प्रचालनों की चालू समयावलि के प्रचालन के लिए पर्याप्त हैं। एयर इंडिया ने अपने बेड़े के नवीकरण की प्रक्रिया के अंग के रूप में और आंशिक रूप से क्षमता में वृद्धि करने हेतु दो बी-747-400 विमान प्राप्त करने के लिए मै. बोइंग कम्पनी को आर्डर दे दिया है।

पर्यटन कार्यबल का गठन

956. **श्री मोहन रावले** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा वर्ष 1991 में एक पर्यटन कार्यबल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) उपरोक्त कार्यबल पर अभी तक कितना व्यय हुआ है;

(घ) उपर्युक्त पर्यटन कार्यबल ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). जी, हां। पर्यटन कैंपिंग, साहसिक पर्यटन और पर्यटन का नए गन्तव्य स्थल में संवर्धन करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ मई, 1991 में पर्यटन कार्यबल की स्थापना की गई थी।

(ग) दिसम्बर, 1994 में पर्यटन कार्यबल के पूरा होने तक पर्यटन कार्यबल पर 147.48 लाख रुपए की कुल राशि व्यय हुई थी।

(घ) और (ङ). पर्यटन कार्यबल ने संकल्पना प्रारम्भ करके और इसी प्रकार के कैम्प स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक सुविज्ञता मुहैया करके, मेलों और त्यौहारों का आयोजन करके और बेजोड़ गन्तव्य स्थलों का संवर्धन करके कैंपिंग और साहसिक पर्यटन का संवर्धन करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में टेलीफोन अधिभार में रियायत

957. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पी. सी.ओ. संचालकों को टेलीफोन अधिभार में भारी रियायत देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो नये "पैकेज" की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस रियायत "पैकेज" से केन्द्रीय सरकार को भारी राजस्व हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं, सरकार द्वारा ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रचालकों को टैरिफ में कोई रियायत देने की घोषणा नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि

958. **श्री शरत पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि योजना को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए भी लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू है। लाभों की परिव्याप्ति और पात्रता के मामले में अधिनियम में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच कोई भेद-भाव नहीं है, इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठान पहले से ही कर्मचारी भविष्य निधि योजना को परिधि में हैं।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों पर धारावाहिक

959. **श्री ललित उरांव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित धारावाहिक प्रसारित करने का है;

(ख) क्या सरकार को राज्य से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) दूरदर्शन ने भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष संबंधी समारोह के एक भाग के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन तथा कार्य-कलापों पर आधारित उपयुक्त कार्यक्रमों को प्रसारित करने का निर्णय लिया है। ऐसे सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए दूरदर्शन को बाहरी निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अन्यों के साथ-साथ बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित प्रस्तावों पर भी विचार किया जायेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किराए के भवन

960. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या खाद्य मंत्री किराये के भवन के बारे में 12 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1458 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित करके सभा पटल पर रख दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्रित करने में विलम्ब के क्या करण है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). इस मंत्रालय के विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से यह सूचना एकत्रित की गई है। इस मंत्रालय के केवल अन्न सुरक्षा

अभियान कार्यालय के पास पुणे में एक किराए का भवन है। पट्टा करार 8.10.1999 तक वैध है। किराए में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्रालय का अपना भवन निर्माण करने का भी कोई इरादा नहीं है।

खान मजदूरों के लिए कल्याण योजना

961. **श्री के. प्रधानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान मजदूरों के लिए कोई विशेष कल्याण योजना तैयार की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समूह बीमा योजना लागू करने तथा खान मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत लाने का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार खान मजदूरों को खान दुर्घटनाओं में घायल होने पर मुआवजा देती है; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान मुआवजे के तौर पर कितनी धनराशि दी गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). देश में, खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए आवासीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि एवं अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रचालन में हैं।

(ग) से (च). उपलब्ध सूचना के अनुसार, खानों में कार्यरत भारत अल्युमिनियम कंपनी लि0 के कामगारों को समूह बीमा योजना की परिधि के अंतर्गत लाया गया है। अन्य खान कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना लागू करने अथवा उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की परिधि में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रोजगार के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु/विकलांगता हो जाने पर, खान कर्मकारों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की परिधि के अंतर्गत लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की अदायगी नियोजक द्वारा की जाती है। चूंकि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबंधों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित किया जा रहा है अतः विगत तीन वर्षों के दौरान मुहैया करवाए गए प्रतिकर के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

गेहूं और चावल की सप्लाई

962. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को गेहूं और चावल की सप्लाई में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिन उचित दर की दुकानों के मालिकों ने दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल और गेहूं की सप्लाई के लिए क्रमशः 3 जून, 1996 और 19 जून, 1996 को पैसा जमा कर दिया है, उन्हें आज की तिथि तक इसकी सप्लाई नहीं मिली है;

(घ) यदि हां, तो कारणों का पता लगाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम को जिन्सों की देर से सप्लाई के कारण उन उचित दर के दुकानदारों को ब्याज देने का अनुदेश देने का है जिनके लिए निगम को पहले ही पैसा मिल चुका था; और

(च) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का कार्य न करना

963. **कर्नल (रिटायर्ड) सोना राम चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नब्बे प्रतिशत पी. सी.ओ. कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खराब पड़े यंत्रों को ठीक कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार दूरसंचार नेटवर्क के सुचारू कार्यकरण के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में निष्ठावान कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राजस्थान के बाड़सेर तथा जैसलमेर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14 प्रतिशत पी सी ओ के क्रियाशील नहीं होने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग). निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) खराब पी सी ओ को ठीक करने के लिए विभागीय स्टाफ को तैनात किया गया है।

(ii) दोष-निवारण हेतु, दोष युक्त उपस्करों को निर्माणकर्ताओं द्वारा ठीक किया जा रहा है।

(iii) विभाग को उपस्कर की आपूर्तिकर्ता के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेके करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). दूरदराज के क्षेत्रों में संचार नेटवर्क की देखभाल के लिए पहले से ही सक्षम स्टाफ को तैनात किया गया है। कार्य की जरूरतों के अनुसार समय-समय पर विशिष्ट प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

[हिन्दी]

राशन कोटे में वृद्धि

964. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर राशन कोटे में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शहरों की भांति समान वितरण प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रणाली कब से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). केन्द्रीय सरकार सा.वि.प्र. के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सा.वि.प्र. के माध्यम से वितरण करने के लिए छः मुख्य आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, चीनी सोफ्ट/सीआईएल कोक, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का थोक में आवंटन करती है। आवंटन विगत में की गई मांगों, उठान के रुखों, प्रासंगिक आवश्यकताओं और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर किया जा रहा है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अंतर क्षेत्रीय आवंटन वितरण का तरीका आदि पर निर्णय लेने समेत सा.वि. प्र. के कार्यान्वयन सम्बन्धी परिचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की होती है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र

965. श्री चित्त बसु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की उन कम्पनियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) इन इस्पात संयंत्रों का कार्यान्वयन इस समय किस चरण में है; और

(घ) उक्त संयंत्रों में उत्पादन कब से शुरू होने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (घ). जुलाई, 1991 में घोषित नयी औद्योगिक नीति के तहत् लोहा और इस्पात उद्योग को स्थान संबंधी कपिय प्रतिबंधों को छोड़कर अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट दे दी गयी है। इस नीति की शर्तों के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी तभी आवश्यक होती है जबकि प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की मानक नगरीय क्षेत्र की परिसीमाओं की परिरेखा से 25 कि.मी. के भीतर स्थापित करने का प्रस्ताव हो और यह स्थान 25 जुलाई, 1991 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्रों में न हो।

बाल भिखारी

966. श्री जगमोहन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बाल भिखारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या हाल ही में प्रमुख शहरों और धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर बाल भिखारियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में बनाए गए कानून को लागू किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं/ उठाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार बाल भिक्षुओं की अनुमानित संख्या 70,756 थी। 1991 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) बाल भिक्षुओं से संबंधित कार्रवाई किशोर न्याय अधिनियम 1986 (धारा 2(एल)(1) के तहत की जाती है जिसे जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया गया है। 16 राज्य सरकारों और 2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने भी अपने-अपने भिक्षावृत्ति रोधी कानून बनाकर और कार्यान्वित किए है। भारत सरकार शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भिक्षावृत्ति रोधी कानूनों के शीर्ष अधिनियमन के संबंध में कार्रवाई कर रही है।

भारत सरकार उपेक्षित बच्चों के लिए किशोर सामाजिक निवारण एवं नियंत्रण योजना को 1986-87 से कार्यान्वित कर रही है जिसमें बाल भिशु भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत पर्यवेक्षण गृहों और किशोर गृहों/विशेष गृहों के निर्माण के लिए क्रमाशः 18.06 लाख रु. और 25.00 लाख रु. अनुदान दिए जाते हैं। वर्तमान संस्थाओं के उन्नयन के लिए भी आनुदान दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत संवासियों के अनुरक्षण के लिए प्रति माह प्रति बच्चे 300 रु0., प्रतिमाह प्रति बच्चे 10 रु. की आकस्मिक राशि तथा रहने के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चे 100 रु. के अनुदान की भी परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त व्यय राज्य और केन्द्र सरकार के बीच 50:50 के आधार पर बांट लिया जाता है। और गैर सरकारी संगठनों द्वारा वहन किए जाने की स्थिति में इसे 45:45:10 के अनुपात में बांट लिया जाता है।

इसी प्रकार भिक्षावृत्ति निवारण संबंधी एक अन्य योजना 1992-93 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत भिखारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए भिक्षुक गृहों में कार्य केन्द्रों की स्थापना करने, उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाने तथा समाज के साथ पुनः एकीकृत होने की दृष्टि से समर्थ बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया जाता है। ऐसे कार्य केन्द्रों के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 2.52 लाख रु. का सहायतानुदान भी दिया जाता है। तथापि, जब इन कार्य केन्द्रों की स्थापना स्वैच्छिक क्षेत्र में की जाती है तो इसके व्यय का वहन केन्द्र और संबंधित स्वैच्छिक एजेन्सी के बीच 90 : 10 के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

967. **श्री थावर चन्द गेहलोत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के श्रम कल्याण संगठन द्वारा श्रमिक कल्याण निधि योजना के अंतर्गत श्रमिकों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए कितने मकान निर्मित किए गए और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी गई?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में बीड़ी, सिने, खान (लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर और डोलोमाईट खानों, अभ्रक खानों) कर्मकारों की उनसे संबंधित कर्मकार कल्याण निधियों के अंतर्गत स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और अमोद-प्रमोद के क्षेत्र में कल्याण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन कल्याण योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इन कर्मकारों के लिए मध्य प्रदेश में 1992-93 से 1994-95 के मध्य निर्मित मकानों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :

	श्रेणी-II	अ.क.ब.	
1992-93	40	144	
1993-94	72	40	
1994-95	178	1000	(विकास प्रभार अदा कर दिया गया है)

विवरण

बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2
1.	स्थिर-सह-सचल/स्थिर ऐलोपैथिक और स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय।
2.	टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
3.	टी.बी. से पीड़ित बीडी कर्मकारों के घर पर रहकर उपचार की योजना।
4.	कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार की योजना।
5.	मानसिक बीमारियों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार की योजना।
6.	कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) के उपचार की याजना।
7.	चश्मा खरीदने के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8.	महिला बीड़ी कर्मकारों को प्रसूति लाभ की योजना।
9.	बीड़ी कर्मकारों को नसबंदी के लिए आर्थिक मुआवजे के भुगतान की योजना।
10.	बीड़ी कर्मकारों को हृदय रोग से संबंधित व्यय की वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति।
11.	बीड़ी कर्मकारों को गुर्दा प्रत्यारोपण से संबंधित व्यय की वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति।
	सामाजिक सुरक्षा
1.	समूह बीमा योजना।
	आवास
1.	अपना घर स्वयं बनाओ योजना।
2.	बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आवास योजना।

1	2
3.	शैडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी अद्योग की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4.	सामूहिक आवास योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों (घरखाता बीड़ी कर्मकारों सहित) के बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालको को ड्रेस के एक सैट, स्लेट, कापी और पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता हेतु कम्पोजिट योजना।
3. दसवीं कक्षा से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन का भुगतान।
4. स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर बीड़ी कर्मकारों की बालिकाओं को 1/- रुपये का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

आमोद-प्रमोद

1. दृश्य-श्रव्य सैट स्थापित करना/सिनेमा गाड़ियां/चल चित्रों का प्रदर्शन।
2. बीड़ी कर्मकारों के लिए खेल-कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करना।
3. बीड़ी कर्मकारों के लिए अवकाश घर की योजना।
4. बीड़ी कर्मकारों की औद्योगिक सहकारी समितियों को टी.वी. सैट की पूर्ति।
5. बीड़ी कर्मकारों की आवासीय कालोनी में रंगीन टी.वी. सैट के साथ सामुदायिक केन्द्र की स्थापना।

सिने कर्मकारों हेतु कल्याण योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम

स्वास्थ्य

1. हृदय रोग से पीड़ित सिने कर्मकारों को व्यय की वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की योजना।
2. कैंसर से पीड़ित सिने कर्मकारों को उपचार के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।

शिक्षा

1. दसवीं कक्षा से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन का भुगतान।
2. स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर सिने कर्मकारों की बालिकाओं को 1/- रुपये का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
3. सिने कर्मकारों के बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

खान (लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान, अभ्रक खान) कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची :-

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2

स्वास्थ्य

1. टी. बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2. मानसिक रोगों से पीड़ित खान कर्मकारों के इलाज की योजना।
3. कुष्ट रोग से पीड़ित खान कर्मकारों के इलाज की योजना।
4. टी.बी. से पीड़ित खान कर्मकारों के घरेलू उपचार की योजना।
5. महिला खान कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा की योजना।
6. कैंसर से पीड़ित खान कर्मकारों के इलाज के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति।
7. चशमें की खरीद के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8. खान कर्मकारों को बन्ध्याकरण के लिए अतिरिक्त धनीय प्रतिपूर्ति की अदायगी की योजना।
9. हृदय रोगों के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
10. गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
11. खान कर्मकारों को घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिपूर्ति की अदायगी की योजना।
12. खान कर्मकारों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना।
13. एम्बुलेंस वैनों की खरीद करने के लिए लौह अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट खान प्रबंधनों को सहायता अनुदान।

आवासीय

1. अपना घर स्वयं बनाओ योजना।
2. समूह आवास योजना।
3. टाईप-I आवास योजना।
4. टाईप-II आवास योजना।

शिक्षा

1. खान कर्मकारों के स्कूल/कालेज जाने वाले बालकों को वृत्तिका दिया जाना।
2. खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों के लिए एक जोड़ी वर्दी, स्लेटें, नोट बुक और पाठ्य पुस्तिकाएं देने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी कम्पोजिट योजना।
3. केन्द्रीय पुस्तकालय संचालित करने के लिए खान मालिकों की सहायता।

1	2
4.	खान प्रबंधनों को स्कूल बसें खरीदने के लिए सहायता।
5.	पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए खान प्रबन्धनों को सहायता।
6.	फर्नीचर और उपस्कर की खरीद के लिए लौह-अयस्क खनन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सहायता अनुदान।
7.	मध्याह्न भोजन योजना।
8.	हाई स्कूल से ऊपर अंतिम विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन की अदायगी।
9.	खान कर्मकारों की बालिकाओं को स्कूलों में हाजिरी के आधार पर 1/- रुपए का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
मनोरंजन	
1.	खान कर्मकारों के लिए खेल कूद, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन।
2.	खान कर्मकारों को लाने-ले जाने के लिए बसें मुहैया करवाने संबंधी योजना।
3.	श्रव्य-दृष्य सैटों की स्थापना/सिनेमा गाड़ियों/फिल्मों का प्रदर्शन।
4.	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे।
5.	टी.वी. सैटों की आपूर्ति।
6.	बहु-उद्देश्यीय संस्थाओं/विकसित बहु उद्देश्यीय संस्थानों की स्थापना।
7.	कल्याण केन्द्रों की स्थापना।
8.	एम.पी.आई./डी.एम.पी.आई./कल्याण केन्द्रों को अनुदान।
9.	खेल-कूद मैदान।
10.	होली डे होम।
जल आपूर्ति :	
1.	कुएं खोदना।
2.	छोटे खान कर्मकारों के लिए सहायता।
3.	बड़ी खानों के लिए जल-आपूर्ति योजना।

बैलाडिला खानें

968. **श्री जी.जी. स्वैल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा संयुक्त उद्यम के नाम पर बैलाडिला खानों की खान (डिपोजिट) 11-बी को एक व्यक्ति निप्पन डेनरो को पट्टे पर देने का निर्णय वित्त मंत्रालय की लिखित आपत्तियों के बावजूद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय की क्या-क्या आपत्तियां हैं;

(ग) क्या इस्पात मंत्रालय और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट्स एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से 1685.16 लाख रुपए मूल्य वाली खान (डिपोजिट) की लागत और उसका अग्रेतर विकास करने के तरीके के बारे में कार्य हो जाने के बाद अनुमोदन प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) और (ख). बैलाडिला निक्षेप-II बी का विकास संयुक्त उद्यम में करने के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) को अनुमति देने के लिए सरकार के निर्णय से पूर्व प्रारम्भ में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) सहित जिन मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया गया था, ने कुछ टिप्पणियां की थीं जैसेकि वसूल किये जाने वाला अपर्याप्त मुआवजा, एन.एम.डी.सी. अपने बेहतर लाभ की तुलना में बैलाडिला 10/11 ए-परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं खानों का विकास कार्य कर रहा है तथा परियोजना के लिए संसाधन सृजित करने के लिए एन.एम.डी.सी. की क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए खान के संबंध में पेशकश सरकार ने इन टिप्पणियों और साथ ही साथ प्रस्ताव के पक्ष में व्यक्त किए गए अन्य विचारों के बारे में समुचित ध्यान देकर इस मामले पर उच्च स्तर पर विचार किया और एन.एम.डी.सी. को बैलाडिला 11-बी निक्षेप के विकास हेतु संयुक्त उद्यम कम्पनी में भागीदारी की अनुमति देते हुए 12.6.95/13.6.95 को अपनी मंजूरी दे दी थी।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा दी गई मंजूरी की शर्तों के अनुसार एन.एम.डी.सी. ने 11-बी निक्षेप पर किए गए वास्तविक व्यय को अद्यतन किया और इंस्टीच्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इण्डिया से लिखित में यह पुष्टि प्राप्त की कि लागत को उद्यतन करने के लिए अपनाई गई पद्धति/सिद्धान्त उपयुक्त और औचित्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

969. **श्री ओ. पी. जिंदल :** क्या कल्याण मंत्री 29 फरवरी, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 396 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तकनीकी संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

970. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तुओं यथा चीनी, चावल, दालें, घी, साबुन, चाय की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई हैं तथा आम व्यक्ति जीवन यापन में कठिनाई का अनुभव कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को स्थायी रूप से रोकने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटाकर उन्हें सभी को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वेच्छा से मूल्य वृद्धि करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के प्रावधानों को शामिल कर आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रभावी परिवर्तन करने का और निर्धारित मूल्यों पर पूरे देश में जनता को इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में उतार-चढ़ाव के रुख को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने को दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि समाज के गरीब तबकों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा सट्टेबाजों, जमाखोरों और अनुचित व्यापारिक पेशे में लिप्त व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सहकारी भण्डारों, मोबाइल स्टारों, केन्द्रीय भण्डार आदि के जरिए भी उचित मूल्यों पर की जा रही है। दाल और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का अपेक्षित मात्रा में आयात किया जा रहा है ताकि घरेलू बाजार में उनकी आपूर्ति बढाई जा सके।

(ग) और (घ). आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। 1955 के इस अधिनियम को 1981 में संशोधित किया गया था ताकि जमाखोरों आदि के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा सके। इस समय, 1981 के संशोधन से इसके तहत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती दोनों करार दिए गए हैं। इन उपबंधों को व्यापारियों/जमाखोरों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करने या आपूर्ति आदि में जोड़-तोड़ के प्रयास के प्रति पर्याप्त निवारक समझा जाता है।

विवरण

गत 3 वर्षों के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचनांकों में उतार-चढ़ाव के रुख

	प्रतिशत उतार-चढ़ाव		
	जून, 94	जून, 95	जून, 96
	जून, 93	जून, 94	जून, 95
चीनी	23.6	-9.9	5.3
चावल	14.9	9.3	7.2
चना	31.0	-23.2	9.6
अरहर	13.2	59.2	-0.3
घी	13.3	27.3	-0.5
कपड़ा धोने का साबुन	2.9	15.6	7.1
चाय	-13.0	13.5	7.1

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

971. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और तिथिवार नई दिल्ली में कितने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किए गए;

(ख) वर्षवार इस पर कितनी राशि खर्च हुई और इससे कितना लाभ अर्जित हुआ;

(ग) क्या इस समारोह के दौरान कोई कमियां पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार फिल्म समारोह आयोजित करने का कार्य फिल्म उद्योग को सौंपने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एक भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नामतः 27वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 से 20 जनवरी, 1996 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(ख) 215 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने इस समारोह के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह एक प्रोत्साहनात्मक क्रिया-कलाप है तथा इस पर हुए खर्चे का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है।

(ग) और (घ). समारोह के दौरान कोई गम्भर कमी सामने नहीं आई।

(ङ) और (च). भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने का कार्य फिल्म उद्योग को सौंपे जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनैक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

972. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय जिला-वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनैक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जिला-वार कितने आवेदकों को टेलीफोन कनैक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) 1995 के दौरान जिला-वार तिने व्यक्तियों को टेलीफोन कनैक्शन दिए गए;

(घ) टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए इस विभाग ने किन योजनाओं का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) राज्य में टेलीफोन सुविधाओं के विकास और विस्तार हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में व्यक्तियों की जिला-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित आवेदकों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त व्यक्तियों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) वर्ष 1995-96 में राज्य में टेलीफोन सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए आबंटित धनराशि 318.28 करोड़ रु. थी।

विवरण-I

क्र. सं.	जिला का नाम	(क) प्रतीक्षा सूची (30.6.96)	(ख) उन आवेदकों की सं. जिन्हें टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावनाह	(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें
1.	अजमेर	9015	2318	5980
2.	अलवर	5887	3864	5432
3.	बांसवाड़ा	1819	1236	1240
4.	बरन	750	541	333
5.	बाडमेर	1845	1545	2767
6.	भरतपुर	2793	1700	1606
7.	भीलवाड़ा	6851	2318	2726
8.	बीकानेर	5867	1932	4884
9.	बूंदी	507	309	1137
10.	चुरू	2349	1932	1134
11.	चित्तौड़गढ़	1620	1082	1740
12.	दौसा	1461	850	1078
13.	धौलपुर	769	463	875
14.	डुंगरपुर	1088	463	1080
15.	हनुमानगढ़	2991	1545	1978
16.	जयपुर	50589	50252	20155
17.	जैसलमेर	255	154	924
18.	जालौर	357	309	1298
19.	झालावाड़	628	154	1274
20.	झुंझुनु	3487	1932	3151
21.	जोधपुर	14837	15000	5605
22.	कोटा	9444	9100	5397
23.	नागौर	3524	1932	2697
24.	पाली	5354	2705	5039
25.	राजसमंद	2149	1505	1150
26.	सवाईमाधोपुर	1587	927	2547
27.	सीकर	7042	3864	3000
28.	सिरोही	1786	1082	888
29.	श्रीगंगानगर	7261	4637	4071
30.	टोंक	758	309	1316
31.	उदयपुर	6783	7000	7370
	कुल	161462	123000	100672

विवरण–II

दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए राजस्थान सर्किल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाएं निम्नलिखित हैं। इस समय राजस्थान दूरसंचार सर्किल में 13 इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजो सहित 1444 टेलीफोन एक्सचेंज हैं, उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

1. स्थानीय स्विचिंग प्रणालियों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या में वृद्धि करना।
2. दूरसंचार सेवाओं के उन्नत कार्य-निष्पादन के लिए इलेक्ट्रानिक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों की संस्थापना तथा आप्टिकल फाइबर केबल का प्रावधान।
3. चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।
4. केबल डक्ट प्रणालियों का प्रावधान, बाह्य संयंत्र का उन्नयन तथा ओ एफ सी/ यू एच एफ संचारण प्रणालियों संबंधी विस्तार कार्यक्रम।

टी.वी. ट्रांसमीटरों का आयात

973. **श्री सौम्य रंजन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने टी.वी. ट्रासमीटरों का आयात किया गया है;

(ख) किन-किन देशों में कम्पनीवार इनका आयात किया गया है; और

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). अपेक्षित ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	ट्रांसमीटरों की संख्या	देश, जिससे आयात किया गया
1993-94	शून्य	-
1994-95	13	मैसर्स एन.ई.सी., जापान
1995-96	4	मैसर्स हैरीज, यू.एस.ए.

(ग) उपर्युक्त 17 ट्रासमीटरों के आयात पर हुआ कुल व्यय 19.92 करोड़ रु. है।

अनुसूचित जातियों की सूची में दलित ईसाइयों को शामिल करना

974. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचानने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करते हुए संबंधित आदेशों में संशोधन की आवश्यकता होगी। ताकि हिन्दू, सिख तथा बौद्ध धर्म से अन्य धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों के सदस्य समझ लिए जाने पर रोक हटाई जा सके। इस तरह का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद के एक अधिनियम के माध्यम से ही प्रभावी किया जा सकता है।

[हिन्दी]

नागर विमानन क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को हानि

975. **श्री नवल किशोर राय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गत कई वर्षों से घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के क्या नाम हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम को कितना घाटा हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इन उपक्रमों में कितनी पूंजी निवेश की गई; और

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त सरकासी क्षेत्र के उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, नहीं। केवल इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड पिछले 3 वर्षों से लगातार हानि दिखाने वाला उपक्रम है। विगत 3 वर्षों में हुई हानि का विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	हानि (करोड़ रुपयों में)
1993-94	258.46
1994-95	188.73
1995-96	134.25

एयर इंडिया ने वर्ष 1995-96 में 244 करोड़ रुपए की हानि दिखाई है, जबकि गत वर्ष इसने लाभ दिखाया था।

(ग) दिनांक 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार का इंडियन एयरलाइन्स में पूंजी निवेश 105.19 करोड़ रुपए तथा एयर इंडिया में 153.83 करोड़ रुपए है।

(घ) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने तथा राजस्व संवर्धन के प्रयोजन से अपने उत्पाद, छवि और समयबद्ध कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु कदम उठा रही हैं।

[अनुवाद]

जलपाईगुड़ी स्थित अम्बारी-फालाकाटा हवाई अड्डा

976. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलपाई गुड़ी स्थित अम्बारी फालाकाटा हवाई अड्डे को पुनः चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, नहीं। अम्बारी-फालाकाटा हवाई अड्डे की हवाई पट्टी किसी प्राइवेट पार्टी से संबंधित है। सरकार की इस हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन की कोई योजनाएं नहीं हैं।

अनुसूचित जातियों में जागरूकता

977. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अपनी विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उक्त श्रेणी के व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में भी टी.वी. सेट लगाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम.इब्राहीम) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय-समय पर इलैक्ट्रोनिक, प्रिन्ट, फिल्म और अन्तर-व्यैक्तिक मीडिया के जरिए अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी सरकार की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का निरन्तर प्रचार करता रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के समुदायिक अवलोकन हेतु टी.वी. सैट प्रदान करने के लिए दूरदर्शन द्वारा विभिन्न स्कीमें तैयार की गई हैं। ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं।

विवरण

1. उत्तर पूर्व में 5000 टी.वी. सैट्स (बहुत उच्च प्रायिकी) वी.एच.एफ.) सैट 3872 तथा सीधे अधिग्रहण (डी आर) सैट - 1128

2. सिक्किम में 20 डी आर सैट
अरुणाचल प्रदेश में 23 डी आर सैट
अण्डमान और निकोबार में 20 डी आर सैट
नागालैण्ड में 5 डी आर सैट
मिजोरम में 5 डी आर सैट
जम्मू तथा कश्मीर में 65 डी आर सैट
उड़ीसा में 50 डी आर सैट
हिमाचल प्रदेश में 30 डी आर सैट
उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में 30 डी आर सैट
सिक्किम में 100 वी.एच.एफ. सैट
कश्मीर में 500 वी एच एफ सैट

गेहूं का मूल्य

978. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं को खुली बिक्री के लिए जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गेहूं उत्पादों की मूल्य की वृद्धि के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपेक्षाएं पूरी करने के पश्चात् कुछ शर्तों के साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं की खुली बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया है। यह बिक्री रोलर फ्लोर मिलों/व्यापारियों आदि सभी के लिए है। अप्रैल से जून, 1996 के दौरान खुली बिक्री में भारतीय खाद्य निगम ने 4.30 लाख मीटरी टन (अनन्तिम) मात्रा बेच दी है।

(ग) गेहूं उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक निम्नानुसार रहा है :-

आधार 1981-82 = 100

जिन्स	25.5.1996	1.6.1996	29.6.1996
ग्रेन मिल उत्पाद	299.5	297.9	298.7
मैदा	265.9	263.9	269.9
सूजी	255.7	255.7	261.3
आटा	319.2	319.2	319.8

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि गेहूं और गेहूं उत्पादों का मूल्य स्तर गेहूं की खुली बिक्री के मूल्यों के स्तर के अनुरुप रखने की कृपा करें। घरेलू खपत के लिए भी गेहूं की खुली बिक्री जारी है।

चीनी से नियंत्रण हटाना

979. **श्री राम नाईक** : क्या **खाद्य मंत्री** 5 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1369 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा दावा की गई राशि का उसे भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह भुगतान कब किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). जी, नहीं। महाराष्ट्र सरकार से अपने दावे के समर्थन में लागत मूल्य से कम पर चीनी बेचने संबंधी परामर्श की प्रतियां देने के लिए अनुरोध किया गया है। यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

980. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए 1995-96 के दौरान इस्पात के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है; और

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्या लाभ और हानि हुई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिसज्जित इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :-

(दस लाख टन)

वर्ष	मात्रा
1993-94	15.20
1994-95	17.82
1995-96 (अनंतिम)	21.69

(ख) "सेल" के संयंत्रों के लिए लक्ष्य विक्रेय इस्पात के सन्दर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। 1995-96 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए विक्रेय इस्पात का लक्ष्य 3220 हजार टन था और उत्पादन 3330 हजार टन हुआ था जो लक्ष्य का 103 प्रतिशत है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा अर्जित वर्ष-वार लाभ नीचे दिया गया है :-

	(करोड़ रुपये)
1993-94	467.82
1994-95	662.21
1995-96	805.95

[अनुवाद]

कालीकट-मुम्बई के बीच उड़ान

981. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट और मुम्बई के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को घरेलू उड़ानों में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कालीकट से मुम्बई तक की उड़ान एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान का अंतर्देशीय हिस्सा है जिससे कि कालीकट/मुम्बई से खाड़ी-देशों को तथा विलोमतः यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसे अंतर्देशीय उड़ान में परिवर्तित करने से कीकट से खाड़ी-देशों को जाने वाले यात्रियो को कठिनाई होगी।

बिना कुटा धान

982. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में 30 लाख टन से अधिक धान बिना कुटा हुआ पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से मिलों में पड़ा हुआ है;

(ग) क्या मिल मालिकों ने इस धान की कुटाई करने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उनके इंकार करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस धान की कुटाई करने के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). पंजाब में 11.57 लाख मीटरी टन धान बिना मिलिंग किए हुए पड़ी हुई है, इसमें से 4.84 लाख मी.टन की मात्रा 1994-95 धान फसल से संबंधित है और शेष 6.73 लाख मीटरी टन 1995-96 धान फसल से संबंधित है।

(ग) और (घ). मिलिंग न की गई 11.57 लाख मीटरी टन की सम्पूर्ण मात्रा, 1.35 लाख मीटरी टन को छोड़कर, का मिलिंग के लिए ठेका दे दिया गया है। मिल मालिक ठेका की गई धान की मात्रा का मिलिंग कार्य पूरा करने के लिए ठेके संबंधी दायित्वों के अधीन हैं। तथापि, मिल मालिकों ने विहित सीमा से अधिक टोटा प्रतिशतता में छूट देने की मांग करके 1994-95 धान फसल की मिलिंग करने में असहयोग का रवैया दर्शाया था। 30.9.95 तक टोटे की प्रतिशतता में 30 प्रतिशत तक छूट दी गई थी। फिर भी मिलिंग की गति में सुधार नहीं हुआ था। 1994-95 की धान का जो स्टाक निरीक्षण के पश्चात् उचित औसत किस्म के चावल के रूप में मिलिंग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसका नीलामी के माध्यम से निपटान किया जाता रहा है। 1995-96 धान फसल की मिलिंग प्रगति पर है।

(ङ) 1995-96 धान फसल की मिलिंग में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :-

(1) धान की सेला चावल के रूप में मिलिंग करने के लिए सामान्य मिलिंग प्रभारों के अलावा 5 रु. प्रति क्विंटन का अतिरिक्त प्रोत्साहन मंजूर किया गया है।

(2) धान को मिलिंग हेतु पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को भेजना। अभी तक कुल 3.23 लाख मीटरी टन मात्रा अन्य राज्यों को भेजी जा चुकी है।

(3) मिल मालिकों द्वारा 1994-95 धान की खरीदी गई धान की मिलिंग से प्राप्त हुए चावल को लेवी दायित्वों से छूट दी गई थी।

चीनी मिल

983. डा. टी सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी मिलों की समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय चीनी मिल सहकारी संघ के अध्यक्ष से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). दि नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लि0 ने सहकारी चीनी फक्ट्रियों की निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में दिनांक 12.6.1996 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है :-

(1) नई चीनी फैक्ट्रियों और कार्यरत सरकारी चीनी फैक्ट्रियो के लिए वित्त।

(2) 1995-96 मौसम के लिए लेवी चीनी मूल्य का संशोधन करना।

(3) बफर स्टाक को बनाना।

(4) चीनी निर्यात, और

(5) चीनी उद्योग के लिए लाइसेंसिंग।

(ग) यह अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आदिम जातियां

984. श्रीमती शीला गौतम :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में यह रही आदिम जातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अद्यतन जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जनजातियों की जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन जनजातियों के उत्थान के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार जनजातीय भाषा तथा संस्कृति का संरक्षण करने का है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) विवरण-I सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजाति समूहों की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी गई है विवरण-II।

(ग) बारह जनजातियों की जनसंख्या में ह्रास को दर्शानेवाला एक विवरण-III सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) यद्यपि भारत के महापंजीयक ने अन्तर्राज्यीय प्रवास, अपूर्ण गणना इत्यादि को इस ह्रास का संभावित कारण बताया है, फिर भी ऐसी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में गिरावट हेतु उन अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष, सामाजिक आर्थिक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार आदिम जनजातीय समूहों सहित अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक-आर्थिक एवं अन्य विकासात्मक जरूरतों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तिय सहायता संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत तथा कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियो के लिए शैक्षिक परिसरों सहित विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्रदान करती है।

(च) जी, हां।

(छ) जनजातीय कलात्मक वस्तुएं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों मे रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों के आदिवासी अनुसंधान संस्थानो में भी आदिवासी संग्रहालय हैं जिनमें आदिवासी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं का एक बड़ा भंडार है। आदिवासी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने के लिए सांस्कृतिक विभाग सांस्कृतिक प्रदर्शन और आदिवासी मेलों का आयोजन करता है। आदिवासी भाषा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आदिवासी भाषाओं में प्रवेशिकाएं/ पाठ्यपुस्तकें तैयार करता है।

विवरण-I

आदिम जनजाति समूहों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	पहचानी गई आदिम जनजातियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गडबा
		1. गुटुब गड़ाबा
		2. बोड़ो गडाबा
		पोरोजा
		3. बोण्डो पोरोजा
		4. खोण्ड पोरोजा
		5. पारेन्जी पोरोजा
		खोण्डस
		6. कुटडी कोण्ड
		7. डोनगिरिया कोण्ड
		8. कोण्डासवरा
		9. थोटी
		10. चिन्चुज
		11. कोण्डा रेड्डी
		12. कोलाम्स
2.	बिहार	1. असुर
		2. बिरहोर
		3. बिरीजिया
		4. कोरवा
		5. मालफहारिया
		6. पहारिया
		7. सावर
		8. सूर्यापहारिया
		9. हीलखारिया
3.	गुजरात	1. कथोडी
		2. कोलघा
		3. पधार
		4. कोटवालिया
		5. सिद्धि
4.	कर्नाटक	1. जेनू कुरुवास
		2. कोरंगा
5.	केरल	1. चालनाईसिकन
		2. कुरुम्बास
		3. कदार
		4. कुट्टूनायकन
		5. कोरंगा
6.	मध्य प्रदेश	1. अभूझमरियास
		2. बाईगस
		3. भारियास पटालेकोट
		4. पहादी कोरवास
		5. कामरस
		6. सेहारियास
		7. बिरहोर
7.	महाराष्ट्र	1. कथारिया/कोथोडी
		2. कोलम
		3. मदिया गोन्द
8.	मणीपुर	1. माराम
9.	उड़ीसा	1. दिदाई
		2. मारीकेडारिया
		3. लोधास
		4. खारिया
		5. बोण्डो
		6. गडोगरिया खोण्ड

1	2	3
		7. जुअंग
		8. कुटिया खोण्ड
		9. लानजिया सुअरा
		10. पुण्डी भूरिया
		11. सुअरा
		12. बिरहोर
		13. चुकुटिया भूजिया
10.	राजस्थान	1. सेहारिया
11.	तमिलनाडु	1. कट्टू निककेन्स
		2. कोटस
		3. कुरुमबस
		4. ईरुलस
		5. पनियास
		6. लोडस
12.	त्रिपुरा	1. रेयंगस
13.	उत्तर प्रदेश	1. बुक्सा
		2. राजी
14.	पश्चिम बंगाल	1. टोटो
		2. बिरहोर
		3. लोढ़ा
15.	अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	1. सोमपेन्स
		2. ओनगे
		3. ग्रेटअधमानीज
		4. जरावा
		5. सैन्अीनेलीस

विवरण–II

(अनुमानित)

1981 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों की जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य	पहचान की गई आदिम जनजातियां	1981 के अनुसार जनसंख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	गड़ाबा	27,732
		1. गुटोब गड़ाबा	
		2. बोडो गड़ाबा	
		पोरोजा	16,479
		3. बोण्डो पोरोजा	
		4. खोण्डो पोरोजा	
		5. पेरेन्जी पोरोजा	
		खोण्डस	39,408
		6. कुत्रा खोझउ	
		7. डुगरिया खुण्ड	
		8. कोण्डासवारिया	
		9. थोटी	1,416
		10. चेनचुस	28,434
		11. खोण्डा रेड्डी	54,685
		12. कोलमास	21,842
2.	बिहार	1. असूर	7,783
		2. बिरहार	4,377
		3. बिरिजिया	4,057
		4. कोरवा	21,940
		5. माल पहारिया	79,322
		6. परहारिजया	24,012
		7. सावर	3,014
		8. सवारियी पहारिया	39,269
		9. हिलखारिया	14,1771
3.	गुजरात	1. कथोडी	3,665
		2. कोलगा	25,030
		3. पधार	12,731
		4. कोटवालिया	16,130
		5. सिद्धी	5,600
4.	कर्नाटक	1. जेनुकुरवास	29,092
		2. कोरगा	12,041
5.	केरल	1. चोलनाईचिकन	234
		2. कुरूवास	1,283
		3. कदार	1,503
		4. कुट्टूनायकन	8,803
		5. कोरगा	1,098
6.	मध्य प्रदेश	1. अबूजमारियास	15,500
		2. बेगस	NA
		3. भरितास आफ पटालकोट	NA
		4. पहाड़ी कोरवास	27,109
		5. कामरस	NA

1	2	3	4
		6. शहरियास	261,816
		7. बिरहोर	561
7.	महाराष्ट्र	1. कट्टकारी/कठोदी	174,602
		2. कोलाम	118,073
		3. माडिया	66,750
8.	मणिपुर	1. मारम	NA
9.	उड़ीसा	1. दिदाई	3,654
		2. मारकीडिया	133
		3. लोडास	1,598
		4. खारिया	1,259
		5. बोण्डो	4,431
		6. डंगोरिया खोण्ड	6,067
		7. जुओंग	2,834
		8. कुटिया खोण्ड	4,735
		9. लांगिया सुअरा	8,421
		10. पाडी भुजांग्स	8,872
		11. सुअरा	2,917
		12. बिरहूर	142
		13. चुटिया भजिया	NA
10.	राजस्थान	1. शेहरिया	33,978
11.	तमिलनाडु	1. कुट्टूनिकेन्स	26,383
		2. कोटाज	604
		3. कुरूम्बास	105,757
		4. इरूलास	4,354
		5. पेनियास	6,393
		6. ठोडास	875
12.	त्रिपुरा	1. रियांगस	84,004
13.	उत्तर प्रदेश	1. बुक्सा	34,198
		2. राजी	371
14.	पश्चिम बंगाल	1. टोटो	675
		2. बिरहोर	154
		3. लोढा	NA
15.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1. सोमपून्स	214
		2. ओंगी	102
		3. ग्रेटआंडमानीज़	28
		4. जरावा	200
		5. सैन्टीनेलीज़	80

विवरण–III

आदिम जनजाति समूह की जनसंख्या को दर्शाने वाला विवरण (अनुमानित)

क्र. सं.	राज्यों का नाम	जनजातियों का नाम	जनसंख्या आंकड़े 1971	1981
1.	आंध्र प्रदेश	1. कोलाम	26,277	21,842
2.	बिहार	2. सावर	3,548	3,014
		3. बिरहोर	4,590	4,377
3.	गुजरात	4. कोलघा	29,464	25,830
4.	केरल	5. कोरजा	1,200	1,098
5.	मध्य प्रदेश	6. पहाडी केरवा	67,000	27,109
		7. बिरहूर	738	561
6.	उड़ीसा	8. जुअंग	3,181	2,834
		9. चुकतिया भईया	248	142
7.	तमिलनाडु	10. कोटस	1,188	604
		11. टोडस	930	875
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	12. सोमपेन्स	212	135*

* 1991 की अनुमानित जनगणना के अनुसार

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

985. श्री हरिन पाठक : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1996 से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वस्तुवार कितनी वृद्धि हुई;

(ख) इस प्रकार की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या यह सच है कि साधारण व्यक्ति विशेषकर वह लोग जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, इस मूल्य वृद्धि से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कीमतों में वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). आवश्यक वस्तुओं के मूल्य जून, 1996 से कमोबेश स्थिर बने हुए हैं। 28.6.96 और 12.7.96 की स्थिति के अनुसार 12 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तरत उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर बनाए रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। ताकि समाज के गरीब तबकों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराए जा सके। इसके अलावा, सट्टेबाजों, जमाखोरों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त व्यपारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। सहकारी भंडारों, मोबाइल स्टोरों, केंद्रीय भण्डार आदि के माध्यम से भी उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। दाल और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की घरेलू बाजार में आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए उनका वांछित मात्रा में आयात किया जा रहा है।

विवरण

चुनिंदा केन्द्रों पर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य (रु. प्रति कि.ग्रा.)

वस्तु/केन्द्र	28.6.96	12.7.96	उतार-चढ़ाव	वस्तु/केन्द्र	28.6.96	12.7.96	उतार-चढ़ाव
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल				**गेहूं**			
दिल्ली	11.00	11.00	-	दिल्ली	6.00	6.00	-
मुम्बई	9.00	9.00	-	मुम्बई	8.00	8.00	-
कलकत्ता	10.00	10.00	-	कलकत्ता	5.50	5.50	-
मद्रास	9.00	9.00	-	मद्रास	8.25	8.25	-
चना				**तुर**			
दिल्ली	15.00	15.00	-	दिल्ली	30.00	30.00	-
मुम्बई	18.00	18.00	-	मुम्बई	34.00	34.00	
कलकत्ता	18.00	18.00	- 2.00	कलकत्ता	32.00	32.50	+0.50
मद्रास	15.00	15.00	-	मद्रास	32.00	32.00	
चीनी				**मूंगफली का तेल**			
दिल्ली	15.50	15.00	- 0.50	दिल्ली	50.00	50.00	-
मुम्बई	14.00	13.80	- 0.20	मुम्बई	44.00	44.00	-
कलकत्ता	15.60	15.50	- 0.10	कलकत्ता	56.00	56.00	-
मद्रास	14.50	14.00	- 0.50	मद्रास	41.00	41.00	
सरसों का तेल				**वनस्पति**			
दिल्ली	37.00	39.00	+ 2.00	दिल्ली	42.00	42.00	-
मुम्बई	46.00	46.00	-	मुम्बई	44.00	44.00	-
कलकत्ता	37.00	38.00	+ 1.00	कलकत्ता	45.00	45.00	-
मद्रास	45.00	45.00	-	मद्रास	45.00	42.00	- 3.00
चाय (खुली)				**आलू**			
दिल्ली	76.00	76.00	-	दिल्ली	8.00	7.00	- 1.00
मुम्बई	84.00	84.00	-	मुम्बई	9.00	9.00	-
कलकत्ता	80.00	80.00	-	कलकत्ता	5.50	6.00	+ 1.50
मद्रास	112.50	112.50	-	मद्रास	8.00	8.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
नमक (पैक में)				प्याज			
दिल्ली	5.00	5.00	–	दिल्ली	5.00	5.00	–
मुम्बई	5.00	5.00	–	मुम्बई	6.50	6.50	–
कलकत्ता	5.00	5.00	–	कलकत्ता	5.50	6.50	+ 1.00
मद्रास	4.50	4.50	–	मद्रास	5.00	5.00	–

गन्ने की पेराई

986. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जहां चीनी मिलें स्थित हैं, गन्ने की कोई पिराई अवधि निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गन्ने की पिराई अवधि बढ़ाई गयी है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या अवधि बढ़ाने के बावजूद भी गन्ने के गोदामों में भारी मात्रा में गन्ना पिराई के बिना ही पड़ा है;

(च) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार किसानों और चीनी मिलों में कार्यरत मजदूरों को कुछ मुआवजा प्रदान करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). सरकार ने चीनी वर्ष 1995-96 के लिए पेराई की शुरुआत किए जाने के लिए "निर्धारित दिवस" अधिसूचित किया था जो निम्नलिखित है :-

राज्य	निर्धारित दिवस
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश	15 नवम्बर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब, हरियाणा, गोवा, तथा केरल	30 नवम्बर
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, असम तथा नागालैंड	15 दिसम्बर

(ग) और (घ). जी, नहीं। सरकार केवल पेराई की शुरुआत के लिए तिथि को अधिसूचित करती है। पेराई की अवधि तब तक जारी रहती है जब तक चीनी फैक्ट्री के पास गन्ना उपलब्ध होता है।

(ङ) और (च). उपलब्ध सूचना के अनुसार मौसम 1995-96 के दौरान 31.5.1996 तक पेराई किए गए गन्ने की मात्रा 1994-95 के पूरे मौसम के दौरान (अक्तूबर 94-सितम्बर 95) पेराई किए गए 1476 लाख टन की तुलना में लगभग 1505 लाख टन था। दिनांक 1.7.96 को देश में 101 चीनी फैक्ट्रियां कार्य कर रही थीं।

(छ) और (ज). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बाल श्रमिक

987. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों की समस्या से निपटने के लिए कुछ देशों ने सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का इस समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में सरकार जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य में लगे हुए 2 मिलियन बालकों को कार्य से क्रमिक ढंग से निकालने और

उन्हें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) योजना के माध्यम से शिक्षण की ओर मोड़ने के कार्य में लगी हुई है। वर्तमान में, 76 एन सी एल पी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें जोखिमकारी रोजगारों से निकाले गए 1.5 लाख बालकों को शामिल किया गया है। एल सी एल पी योजना के अधीन शामिल किए गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख और वृत्तिका आदि प्रदान की जाती है।

यह भी प्रस्ताव है कि बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभ के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में आई सी डी एस. आई आर डी पी आदि जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यक्रमों को अभिसरित किया जाए। इस संबंध में एक व्यापक परिपत्र राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया है जिसका नाम है "बाल श्रम की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास से संबंधित परिपत्र"। इसे सभी राज्य सरकारों को अपनाने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

राज्य सरकारों को यह भी राय दी गई है कि वे बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का कड़ाई से प्रवर्तन करें।

चीनी का निर्यात

988. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को चीनी का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात के लिए कितनी चीनी उपलब्ध है तथा कितना और किन देशों को निर्यात किया जाना है तथा निर्यात की क्या शर्तें हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). सरकार ने चीनी मौसम 1995-96 में चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। इस स्तर पर यह कहना कि चीनी मौसम 1995-96 के अन्त तक चीनी की कितनी मात्रा किन देशों को तथा किस मूल्य पर निर्यात की जाएगी, संभव नहीं होगा। अभी तक अगस्त, 1995 की शुरूआत तथा इसके बाद से 5.94 लाख मी.टन/9.11 लाख मी0 टन पहले ही निर्यात/निर्यात के लिए अनुबंधित की जा चुकी है। निर्यात किए जाने वाले देशों में मुख्यतः इन्डोनेशिया, श्रीलंका, रुस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, यमन, अमेरिका आदि हैं।

निर्यात मूल्य विश्व खुले बाजार में निर्यात के लिए 342.00 प्रति मी0टन एफ.ओ.बी. (एस) प्रति अमेरिकी डालर में 385.00 प्रति मी0 टन एफ.ओ.बी. (एस) प्रति अमेरिकी डालर के बीच तथा रूस को निर्यात के लिए 11650/- रुपये प्रति मी0टन एफ.ओ.बी. (एस) में 12800/- रुपये प्रति मी0टन एफ.ओ.बी. (एस) के बीच है।

[हिन्दी]

दूरभाष मंडल कार्यालय

989. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और जिलावार कितने दूरसंचार मंडल कार्यालय स्थापित किए गए; और

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार और जिलावार कितने दूरसंचार मंडल स्थापित करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/जिलों में स्थापित दूरसंचार मंडलों (जिन्हें अब दूरसंचार जिलें कहा जाता है) की कुल संख्या निम्नलिखित है

वर्ष	टी डी ई
1993-94	शून्य
1994-95	21
1995-96	14

राज्यवार और जिला वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यह विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों के नेटवर्क के विकास पर निर्भर करता है। 1996-97 के दौरान अब तक, निम्नलिखित 5 टी.डी.ई. कार्यालय स्थापित किए गए हैं :

राज्य का नाम	टी डी ई/जिले का नाम
पश्चिम बंगाल	बीरभूम (सूरी)
उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
	एटा
	रायबरेली
	लखीमपुर खीरी

इसके अतिरिक्त, बूंदी, राजस्थान में एक डिवीजन (टीडीई) स्थापित करने संबंधी मामला चल रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित दूरसंचार मंडल अर्थात टीडीई

(i) 1993-94

किसी भी राज्य/जिले में कोई दूरसंचार मंडल स्थापित नहीं किया गया है।

(ii) 1994-95

21 टी.डी.इं. कार्यालयों की स्थापना की गई जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

राज्य का नाम	टीडीई/जिले का नाम		राज्य का नाम	टीडीई/जिले का नाम	
हरियाणा	टी.डी.इं.	नारनौल	महाराष्ट्र	टी.डी.इं.	जालना
	"	सोनीपत	"		बोड
				"	परभनी
उत्तर प्रदेश	टी.डी.इं.	मऊ			
	"	शाहजहांपुर			
	"	बांदा	राजस्थान	टी.डी.इं.	सिरोही
				"	झुन्झनू
बिहार	टी.डी.इं.	मोतीहारी			
मध्य प्रदेश	टी.डी.इं.	गुना			
	"	विदिशा			
		राजगढ़			
		छतरपुर			
	"	नर्रासंहपुर			
	"	रीवा			
	"	शिवपुरी			
	"	होशंगाबाद			
	"	बेतूल			
	"	शहडोल			

(iii) 1995-96

14 टी.डी.इं. कार्यालयों की स्थापना की गई जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

जम्मू तथा कश्मीर	टीडीई	राजौरी	उड़ीसा	टीडीई	मयूरभंज
पंजाब	टीडीई	रोपड़	राजस्थान	टीडीई	चित्तौड़गढ़
उत्तर प्रदेश	टीडीई	बिजनौर		"	चूरु
	"	फर्रुखाबाद		"	टोंक
बिहार	टीडीई	डुमका	मध्य प्रदेश	टीडीई	बस्तर
	"	सहरसा	"	देवास	
			महाराष्ट्र	टीडीई	उस्मानाबाद
				"	सिंधुदुर्ग

[अनुवाद]

सीधी भुगतान प्रणाली

990. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के किन-किन गोदामों में सीधी भुगतान प्रणाली लागू की गई है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में अदिया एवं बिकनृ स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सीधी भुगतान प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने अब तक केवल 96 डिपुओं में सीधे भुगतान की प्रणाली लागू की है। क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन गोदामों का क्षेत्र-वार विवरण जिनमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक सीधे भुगतान की प्रणाली लागू कर दी गई है

क्र.सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र का नाम	उन गोदामों की संख्या जिनमें सीधे भुगतान की प्रणाली लागू की गई है
1.	उत्तर प्रदेश	19
2.	दिल्ली	2
3.	जम्मू और कश्मीर	9
4.	पश्चिम बंगाल	8
5.	उड़ीसा	3
6.	बिहार	2
7.	असम	13
8.	मध्य प्रदेश	8
9.	उत्तर-पूर्वी सीमान्त	1
10.	गुजरात	1
11.	महाराष्ट्र	2
12.	तमिलनाडु	6
13.	आंध्र प्रदेश	2
14.	कर्नाटक	5
15.	केरल	15
	जोड़	96

बिहार के छपरा में दूरभाषा केन्द्र

991. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छपरा दूरभाष केन्द्र में उसके विस्तार के बाद कार्य आरंभ करने में विलंब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितना विलंब हुआ;

(ग) क्या क्षमता विस्तार के बाद वातानुकूलन और विद्युत उत्पादन की अपेक्षित क्षमता अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वातानुकूलन (ए/सी) की व्यवस्था में दिक्कत के कारण साढ़े तीन महीने का विलंब हुआ।

(ग) पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है। ए/सी संयंत्र की सीमांत अतिरिक्त क्षमता अपेक्षित है।

(घ) अतिरिक्त विण्डो टाइप ए/सी यूनिटें लगाई गई हैं। एक महीने के भीतर एक्सचेंज चालू करने का कार्यक्रम है।

विमान किराए में कमी

992. श्री ई. अहमद : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोर्जीकोड (कालीकट) और पश्चिम एशिया के बीच एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमान किरायों में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कालीकट विमानपत्तन से खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स द्वारा क्या-क्या अन्य सुविधाएं दी गई हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने कालीकट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर विशेष किराए लागू किए हैं जिनमें आयटा के प्रकाशित किरायों पर प्रभावी रूप से 10-15 प्रतिशत की छूट दी गई है ताकि कालीकट से किराया ढांचा त्रिवेन्द्रम से प्रचालित किराये ढांचे के समरूप हो जाए।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कालीकट-मुम्बई सैक्टर पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अंतर्देशीय हिस्से का भी प्रचालन करती है जिससे कि मुम्बई होकर यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री कालीकट में ही सीमाशुल्क तथा आप्रवासन संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकें।

[हिन्दी]

गन्ने की पेराई

993. **श्री नीतीश कुमार :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की बहुतायत को देखते हुए सरकार ने चीनी मिलों को जून 1996 के बाद भी गन्ने की पेराई का कार्य करने के लिए कतिपय प्रोत्साहनों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन प्रोत्साहनों की घोषणा के बावजूद भी चीनी मिलों ने जून 1996 के बाद गन्ने की पेराई का कार्य नहीं किया;

(घ) उन चीनी मिलों की संख्या कितनी है जो जून के बाद भी पेराई करने को तैयार हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे प्रोत्साहनों की घोषणा करने से पहले देश में उपलब्ध गन्ने की मात्रा का पता लगाया था;

(च) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) चालू पेराई वर्ष के दौरान गन्ने की कितनी मात्रा चीनी उत्पादन के लिए उपयोग की गई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). ग्रीष्मकाल के गर्म महीनों के दौरान कम वसूली के कारण अलाभकारी स्थिति में कार्य करने पर चीनी फैक्ट्रियों की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार ने 60 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे के स्थान पर 15 अप्रैल, व 31 मई, 1996 तक की अवधि के लिए 75 प्रतिशत की दर पर तथा । जून से 30 सितम्बर, 1996 तक 100 प्रतिशत की दर पर उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन की घोषणा की है।

(ग) और (घ). जी नहीं, 412 फैक्ट्रियों, जिन्होंने चालू मौसम 1995-96 के दौरान पेराई कार्य प्रारम्भ किया, में से 101 फैक्ट्रियां 1.7.1996 तक कार्यरत थीं।

(ङ) और (च). जून के बाद भी पेरे जाने के लिए खेत में गन्ने की फसल होने की सूचना थी तथा इस कारण इस विलम्ब से पेराई को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त प्रोत्साहन की घोषणा की गई थी। यह केवल उन इकाइयों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसने उपर्युक्त अवधियों के दौरान पेराई कार्य जारी रखा।

(छ) चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू मौसम 1995-96 (31-5-1996 तक) के दौरान लगभग 1505 लाख टन गन्ने की पेराई की गई है।

चीनी पर उपकर

994. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उद्योग से, चीनी विकास उपकर के रूप में शुल्क लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उपकर की दर क्या है और यह कब से वसूल किया जा रहा है तथा मार्च, 1996 के अन्त तक कुल कितनी राशि उपकर के रूप में वसूल की गई;

(ग) क्या वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान उपकर के रूप में वसूल की गई राशि द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कोई वित्तीय सहायता अथवा अनुदान दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कोष से दिए गए ऋण की वसूली के लिए क्या शर्तें हैं और ब्याज की दर क्या है; और

(च) मार्च, 1996 के अन्त तक इस कोष में कितनी राशि थी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, हां। 1.6.1982 से 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपकर लगाया गया था। इसे 1.11.1982 से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। मार्च, 1996 के अन्त तक एकत्रित की गई कुल राशि 1798.27 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ). जी, हां। वित्तीय सहायता अथवा अनुदान के शीर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) चीनी विकास निधि के ऋण की शर्तें और ब्याज की दर निम्नानुसार हैं :-

आधुनिकीकरण/पुनर्वासन के लिए ऋण :

चीनी विकास निधि नियम, 1983 के नियम 16(1) में यह व्यवस्था है कि ऐसा कोई चीनी उपक्रम, जो किसी वित्तीय संस्था द्वारा आधुनिकीकरण और पुनर्वासन का इसकी सुसंगत स्कीम के अधीन उसके संयंत्र और मशीन के पुनर्वासन/आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ सहायता के लिए अनुमोदित है, सामान्यतया इस नियम के अधीन उधार के लिए पात्र होगा।

गैर-एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के मामले में ऋण की जिस राशि की अनुमति दी जा सकती है वह प्रवर्तक के अंशदान के 80 प्रतिशत अथवा परियोजना की कुल

उपयुक्त लागत का 40 प्रतिशत, इनमें जो भी कम है, तक सीमित होगी और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के मामले में प्रवर्तक के अंशदान का 70 प्रतिशत अथवा परियोजना की कुल उपयुक्त लागत का 35 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी। यह ऋण 9 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की रियायती दर पर दिया जाता है और यह आठ वर्ष की ऋण स्थगन की अवधि सहित अधिकतम 13 वर्ष की अवधि में वापस करना होता है।

गन्ने के विकास के लिए ऋण :

नियम 17 (1) में यह व्यवस्था है कि किसी चीनी उपक्रम को उसके क्षेत्र में गन्ने के विकास के संबंध में ऋण मंजूर किया जा सकता है। चीनी विकास निधि ऋण तभी मंजूर किया जा सकता है। यदि चीनी उपक्रम अथवा राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से मार्जिन धनराशि के रुप में मांगे गए ऋण की राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान देते हैं। यह ऋण 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की रियायती पर दर दिया जाता है और यह ऋण 3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि सहित 7 वर्ष के अन्दर वापिस करना होता है।

चीनी उद्योग में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए ऋण :

तकनीकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा प्रायोजित और वित्तीय संस्था द्वारा अनुमोदित ऐसे किसी चीनी उपक्रम को प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए भी 1995-96 से चीनी विकास निधि ऋण दिया जाता है। मंजूर किए जाने वाले ऋण की राशि पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 60 प्रतिशत होगी। यह ऋण 6 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की रियायती दर पर दिया जाएगा और इसे ऋण स्थगन की अधिकतम 5 वर्ष की अवधि सहित 10 वर्ष की अधिकतम अवधि में वापस करना होगा।

(च) मार्च, 1996 के अन्त में चीनी विकास निधि में शेष राशि 1014.69 करोड़ रुपये है।

विवरण

एकत्रित किए गए उपकर से विभिन्न शीर्षों के अधीन दी गई वित्तीय अनुदान के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	शीर्ष	1993-94	1994-95	1995-96
1.	चीनी का बफर स्टाक रखने के लिए सब्सिडी	120.82	146.49	771.92
2.	चीनी उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान स्कीम के लिए सहायता अनुदान	16.05	146.83	28.29
3.	गन्ने के विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	3777.81	1326.134	900.54
4.	चीनी मिलों का आधुनिकीकरण पुनर्स्थापन के लिए ऋण	7750.062	5026.596	4605.576
	जोड़	11664.742	6646.05	6306.326

[अनुवाद]

कूचबिहार में नए डाकघर खोलना

995. **श्री अमर रायप्रधान :**
श्री मृत्युन्जय नायक :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कूचबिहार (पश्चिम बंगाल), फूलबनी (उड़ीसा), दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और केरल से नए डाकघर/उप डाकघर खोलने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक राज्य-वार तथा जिला-वार कितने नए डाकघर खोले गए;

(घ) राज्य-वार तथा जिला-वार कितने नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है और यह कब तक खोल दिए जाएंगे;

(ङ) क्या दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डाकघरों में डाक सामग्री उपलब्ध नहीं रहती है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए नए डाकघरों की राज्यवार और जिलावार संख्या विवरण-II में दी गई है। वार्षिक योजना 1996-97 के अंतर्गत, आज की तारीख तक, मंजूर किए गए डाकघरों की संख्या विवरण-III में दी गई है।

(घ) वार्षिक योजना 1996-97 के अंतर्गत 150 विभागीय उप डाकघर और 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। लक्ष्यों का डाक सर्किल-वार आवंटन विवरण-IV में दिया गया है।

(ङ) जी नहीं। डाक लेखन-सामग्री की उत्पादन और सप्लाई व्यवस्था को कारगर बनाया गया है और विभाग को दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के दूर-दराज के इलाकों से, हाल ही में, किसी कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए कूचबिहार (पश्चिम बंगाल), फूलबनी (उड़ीसा), दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल से प्राप्त अभ्यावेदनों का विवरण।

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य का नाम	प्राप्त अभ्यावेदनों की कुल संख्या
1.	कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)	7
2.	फूलबनी (उड़ीसा)	7
3.	दिल्ली	88
4.	उत्तर प्रदेश	1263
5.	केरल	143
	कुल :	1508

विवरण-II

आंध्र प्रदेश सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जितवार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1.	पूर्व गोदावरी	2	-	-	-	-	-	2	-
2.	श्रीकाकुलम	1	-	-	-	-	-	1	
3.	विशाखापट्नम्	2	2	-	-	-	-	2	2
4.	आदिलाबाद	2	-	-	-	-	-	2	-
5.	करीमनगर	1	-	-	1	-	-	1	1
6.	हैदराबाद	-	-	-	1	-	-	-	1
7.	निजामाबाद	1	-	-	-	-	-	1	-
8.	रंगारेड्डी	-	3	-	2	-	3	-	8
9.	खाम्मम	2	-	-	-	-	-	2	-
10.	पश्चिम गोदावरी	1	-	-	-	-	-	1	-
11.	नालगोंडा	-	-	-	-	2	-	2	-
	कुल	12	5	-	4	2	3	14	12

अ.वि.शा.डा. = अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

वि.उ.डा. = विभागीय उप डाकघर

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा
(असम सर्किल में जिलावार खोले गए डाकघर)

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कामरूप	2	1	–	–	–	–	2	1
2.	नलबाड़ी	1	–	–	–		–	1	
3.	बारपेटा	1		–	–	–	–	1	–
4.	गोलपाड़ा	1		–	–	–	–	1	–
5.	बोंगाईगांव	1	–	–	–	–	–	1	
6.	कोकराझार	1	1	–	–	–	–	1	1
7.	धूबरी	2	–	–	–	–	–	2	
8.	कछार	1	–	–	–	–	–	1	
9.	हैलाकण्डी	1	–	–	–	–	–	1	–
10.	करीमगंज	1	–	–	–	–	–	1	–
11.	एन.सी. हिल्स	1	–	–	–	–	–	1	–
12.	करबी-एंगलांग	1	–	–	–	–	–	1	–
13.	नौगांव	1	–	–	–	–	–	1	–
14.	मोरीगांव	1	–	–	–	–	–	1	–
15.	डारंग	1	–	–	–	–	–	1	–
16.	सोनितपुर	1	–	–	1	–	–	1	1
17.	जोरहाट	1	–	–	–	–	–	1	–
18.	गोलाघाट	2	–	–	–	–	–	2	–
19.	सिबसागर	–	–	–	–	–	1	–	1
20.	तिनसुकिया	2	–	–	–	–	–	2	–
21.	डिब्रूगढ़	1	–	–	–	–	–	1	–
22.	लखीमपुर	1	–	–	–	–	–	1	–
23.	धेमाजी	1	1	–	–	–	–	1	1
	कुल	26	3	–	1	–	1	26	5

बिहार सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सारन	3	–	–	–	–	–	3	–
2.	वैशाली	2	–	–	–	–	–	2	–
3.	भोजपुर	2	–	–	–	–	–	2	–
4.	बक्सर	2	–	–	–	–	–	2	–
5.	नालंदा	1	–	–	–	–	–	1	–
6.	गया	4	–	–	–	–	–	4	–
7.	नवादा	2	–	–	–	–	–	2	–
8.	जहानाबाद	1	–	–	–	–	–	1	–
9.	भागलपुर	1	–	–	–	–	1	1	1
10.	बांका	1	–	–	–	–	–	1	–
11.	पटना	2	2	–	–	–	–	2	2
12.	बेगूसराय	–	–	–	1	–	–	–	1
13.	खगड़िया	2	–	–	–	–	–	2	–
14.	दरभंगा	1	–	–	–	–	–	1	–
15.	पूर्व चंपारन	1	–	–	–	–	–	1	–
16.	पश्चिम चंपारन	1	–	–	–	–	–	1	–
17.	मधुबनी	1	–	–	–	–	–	1	–
18.	मुंगेर	2	–	–	–	–	–	2	–
19.	जमुई	1	–	–	–	–	–	1	–
20.	मुजफ्फरपुर	5	–	–	1	–	–	5	1
21.	अररिया	1	–	–	–	–	–	1	–
22.	कटिहार	1	–	–	–	–	–	1	–
23.	किशनगंज	1	–	–	–	–	–	1	–
24.	पूर्णिया	1	–	–	–	–	–	1	–
25.	सहरसा	2	1	–	–	–	–	2	1
26.	माधेपुरा	2	1	–	–	–	–	2	1
27.	सुपौल	1	–	–	–	–	–	1	–
28.	सीवन	2	–	–	–	–	–	2	–
29.	सीतामढ़ी	2	–	–	–	–	–	2	–
30.	समस्तीपुर	3	–	–	–	–	–	3	–
31.	दुमका	3	–	–	–	–	–	3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	बी. देवघर	1	–	–	–	–	–	1	–
33.	गोड्डा	1	–	–	–	–	–	1	1
34.	साहेबगंज	2	–	–	–	–	1	2	–
35.	पालामऊ	2	–	–	–	–	–	2	–
36.	गढ़वा	1	–	–	–	–	–	1	–
37.	हजारीबाग	1	–	–	–	–	–	1	–
38.	छतरा	1	–	–	–	–	–	1	–
39.	गिरिडीह	1	–	–	–	–	–	1	–
40.	पूर्व सिंहभूम	3	–	–	–	–	–	3	–
41.	पश्चिम सिंहभूम	4	–	–	–	–	–	4	–
42.	रांची	4	–	–	–	–		4	–
43.	गुमला	7	–	–	–	–		7	–
44.	लोहारडागा	5	–	–	–	–	–	5	–
45.	बोकारो	1	–	–	–	–	–	1	–
46.	रोहतास	1	–	–	–	–	–	1	–
47.	भभुआ	1	–	–	–	–	–	1	–
	कुल योग :	90	4	–	2	–	2	90	8

दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1.	दिल्ली		1		3		2		6
	कुल		1		3		2		6

गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अहमदाबाद	1	–	–	1	–	1	1	2
2.	मेहसाणा	1	–	–	–	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	साबरकांता	1	–	–	–	–	–	1	–
4.	बानासकांता	1	–	–	–	–	–	1	–
5.	डांग	2	–	–	–	–	–	2	–
6.	पंचमहल	3	–	–	–	–	–	3	–
7.	सूरत	–	–	–	1	–	–	–	1
8.	बडोदरा	2	–	–		–	–	2	–
9.	वलसाड	2	–	–		–	–	2	–
10.	जामनगर	2	–	–	–			2	–
	कुल	15	–	–	2	–	1	15	3
	द्वीव एवं दमण (संघ शासित क्षेत्र)	–	–		–	–	–	शून्य	शून्य
	दादरा एवं नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	–	–		–	–	–	शून्य	शून्य

हरियाणा सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1.	अम्बाला	1	–		1	–	1	1	2
2.	यमुना नगर	1	–	–	–	–	–	1	–
3.	भिवानी	1	–		2	–	–	1	2
4.	फरीदाबाद	1	1	–	–	–	–	1	1
5.	गुडगांव	1	–		–	–	–	1	–
6.	रेवाड़ी	1	–	–	–	–	–	1	–
7.	हिसार	2	–	–	–	–	–	2	–
8.	सिरसा	–	–	–	–	1	–	1	–
9.	जींद	1	–	–	–	–	–	1	1
10.	पानीपत	–	–	–	–	–	1	–	1
11.	कुरुक्षेत्र	2	–	1	–	–	–	3	–
12.	कैथल	2	–	–	–	–	–	2	–
13.	रोहतक	2	1	–	–	–	–	2	1
14.	सोनीपत	1	–	–	1	–	–	1	1
	कुल	16	2	1	4	1	2	18	9

हिमाचल प्रदेश सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1.	बिलासपुर	6	–	–	–	–	–	6	–
2.	चंबा	3	–	–	–	–	–	3	–
3.	हमीरपुर	5	–	–	–	–	–	5	–
4.	कांगड़ा	18	1	–	–	–	1	18	2
5.	किन्नौर	2	–	–	–	–	–	2	–
6.	कुल्लू	9	–	–	–	–	–	9	–
7.	मंडी	21	1	–		–	1	21	2
8.	शिमला	1	1	–	–	–	–	1	1
9.	सिरमौर	8	–	–	–	–	–	8	–
10.	सोलन	10	–	–	–	–	–	10	–
11.	ऊना	7	–	–	–	–	–	7	–
	कुल योग	90	3	–	–	–	2	90	5

जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1.	अनंतनाग	4	–	–	–	–	–	4	–
2.	बारामुल्ला	3	–	–	–	–	–	3	–
3.	बडगाम	4	–	–	–	–	–	4	–
4.	जम्मू	2	1	–	–	–	2	2	3
5.	कुपवाड़ा	4	–	–	–	–	–	4	–
6.	लेह	1	–	–	–	–	–	1	–
7.	पुलवामा	2	–	–	–	–	–	2	–
8.	श्रीनगर	1	–	–	–	–	–	1	–
9.	ऊधमपुर	2	–	–	–	–	–	2	–
	कुल योग :	23	1	–	–	–	2	23	3

कर्नाटक सर्किल में पिछले वर्षों के दौरान खोले गये डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1.	बेंगलूर शहरी	–	3	–	1	–	2	–	6
2.	बेलगाम	1	–	–	–	–	–	1	–
3.	बेल्लरी	–	1	–	–	–	–	–	1
4.	बिदर	1	–	–	–	–	–	1	–
5.	बीजापुर	–	1	–	–	–	–	–	1
6.	चिकमंगलूर	–	1	–	–	–	–	–	1
7.	दक्षिण कन्नाक	4	–	–	–	–	–	4	–
8.	धारवाड़		1	–	–	–	1	–	2
9.	कोलार	1	–	–	1	–	–	1	1
10.	मैसूर	1	1	1	–	–	–	2	1
11.	रायचूर	1	–	–	–	–	–	1	–
12.	शिमोगा	–	–	–	1	–	–	–	1
13.	तुमकूर	1	–	1	–	–	–	2	–
14.	उत्तर कन्नाक	1	1	–	–	–	–	1	1
	कुल :	11	9	2	3	–	3	13	15

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा
(केरल सर्किल में जिलावार)

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	त्रिवेन्द्रम	3	–	–	–	–	2	3	2
2.	क्विलोन	5	–	–	–	–	2	5	2
3.	पथनमथिट्टा	7	–	–	–	–	1	7	1
4.	अल्लेपी	2	–	–	–	–	1	2	1
5.	कोट्टायम्	1	–	–	–	–	–	1	–
6.	इदुक्की	1	–	–	–	–	–	1	–
7.	एर्नाकुलम	–	1	–	–	–	1	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	त्रिचूर	1	–	–	–	–	5	1	5
9.	मालाघाट	1	–	–	–	–	1	1	1
10.	मालापुरम	–	–	–	–	–	1	–	1
11.	कालीकट	3	–	–	–	–	–	3	–
12.	वायनाड	2	–	–	–	–	–	2	–
13.	कन्नानोर	1	–	1	–	–	–	2	–
14.	कासरगोड	2	–	–	–	–	–	2	–
	कुल :	29	1	1	–	–	14	30	15

मध्य प्रदेश सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बालाघाट	1	–	–	–	–	–	1	–
2.	बस्तर	2	–	–	–	–	–	2	–
3.	बेतूल	2	–	–	–	–	–	2	–
4.	भिंड	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	भोपाल	–	1	–	–	–	–	–	1
6.	बिलासपुर	2	2	–	–	–	–	2	2
7.	छतरपुर	1	–	–	–	–	–	1	–
8.	छिंदवाड़ा	1	–	–	–	–	–	1	–
9.	दामोह	–	–	–	–	–	2	–	2
10.	दतिया	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	देवास	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	धार	1	1	–	–	–	–	1	1
13.	दुर्ग	1	–	–	–	–	–	1	–
14.	गुना	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	ग्वालियर	1	–	–	–	–	–	1	–
16.	होशंगाबाद	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	इन्दौर	–	1	–	–	–	–	–	1
18.	जबलपुर	1	1	–	–	–	–	1	1
19.	झबुआ	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	खंडवा	1	–	–	–	–	–	1	–
21.	खारगोन	2	–	–	–	–	–	2	–
22.	मांडला	1	1	–	–	–	–	1	1
23.	मंदसौर	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	मुरैना	2	–	–	–	–	–	2	–
25.	रायगढ़	2	–	–	–	–	–	2	–
26.	रायपुर	2	1	–	–	–	–	2	1
27.	राजगढ़ (बायो)	–	1	–	–	–	–	–	1
28.	राजनंदगांव	1	–		–	–	–	1	–
29.	रतलाम	–	1	–	–	–	–	–	1
30.	रीवा	1	–		–	–	–	1	–
31.	सागर	1	–	–	–	–	1	1	1
32.	शहडोल	3	–	–	–	–	–	3	–
33.	शिवपुरी	1	1	–	–	–	–	1	1
34.	सिधी	1	–	–	–	–	–	1	–
35.	सरगुजा (अम्बिका पुर)	2	–	–	–	–	–	2	–
36.	उज्जैन	1	–	–	–	–	–	1	–
37.	विदिशा	1	–	–	–	–	–	1	–
	कुल योग :	35	11	–	–	–	3	35	14

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा (महाराष्ट्र सर्किल में जिलावार)

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अहमदनगर	9	–	–	–	–	1	9	1
2.	अकोला	1	–	–	–	–	–	1	–
3.	अमरावती	10	–	–	–	–	–	10	–
4.	बुलडाना	3	–	–	–	–	–	3	–
5.	भंडारा	2	–	–	–	–	–	2	–
6.	चन्द्रपुर	4	–	–	–	–	–	4	–
7.	धुले	8	–	–	–	–	–	8	–
8.	गढ़चिरोली	10	–	1	–	–	–	11	–
9.	जालना	1	–	–	–	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जलगांव	1	–	–	–	–	–	1	–
11.	कोल्हापुर	1	1	–	–	–	1	1	2
12.	नागपुर	3	–	1	–	–	–	4	–
13.	नासिक	5	–	–	–	–	–	5	–
14.	ओसमानाबाद	1	–	–	–	–	–	1	–
15.	पुणे	12	7	–	–	–	1	12	8
16.	रायगढ़	5	–	–	1	–	–	5	1
17.	रत्नागिरि	2	–	–	–	–	–	2	–
18.	शोलापुर	2	1	–	–	–	–	2	1
19.	सतारा	8	–	–	–	–	–	8	–
20.	सांगली	1	–	–	–	–	–	1	–
21.	ठाणे	13	–	–	–	–	–	13	–
22.	यवतमाल	3	–	–	–	–	–	3	–
	कुल :	105	9	2	1	–	3	107	13

उत्तर पूर्व सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

मेघालय

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पूर्वी खासी हिल्स	2	1	–	–	–	–	2	1
2.	पश्चिमी खासी हिल्स	3	–	–	–	–	–	3	–
3.	जैनतिया हिल्स	–	1	–	–	–	–	–	1
4.	पूर्वी गारो हिल्स	1	–	–	–	–	–	1	–
5.	पश्चिमी गारो हिल्स	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	6	2	–	–	–	–	6	2
मणिपुर									
1.	इम्फाल	3	–	–	–	–	–	3	–
2.	चंदेल	3	–	–	–	–	–	3	–
3.	सेनापति	2	–	–	–	–	–	2	–
4.	जामेंगलांग	3	–	–	–	–	–	3	–
	कुल :	11	–	–	–	–	–	11	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश									
1.	जवांग	1	–	–	–	–	–	1	–
2.	पश्चिमी कामेंग	–	1	–	–	–	–	–	1
3.	लोवर सूबानसिरी	1	–	–	–	–	–	1	–
4.	अपर सूबानसिरी	1	–	–	–	–	–	1	–
5.	पश्चिमी सियांग	1	–	–	–	–	–	1	–
6.	पूर्वी सियांग	1	–	–	–	–	–	1	–
7.	चांगलांग	1	1	–	–	–	–	1	1
	कुल	6	2	–	–	–	–	6	2
नागालैंड									
1.	कोहिमा	4	–	–	–	–	–	4	–
2.	मोन	1	–	–	–	–	–	1	–
	कुल	5	–	–	–	–	–	5	–
मिजोरम									
1.	ऐजवाल	4	–	–	–	–	–	4	–
2.	लुंगलेह	2	–	–	–	–	–	2	–
	कुल	6	–	–	–	–	–	6	–
त्रिपुरा									
1.	पश्चिम त्रिपुरा	2	–	–	–	–	–	2	–
2.	दक्षिण त्रिपुरा	2	–	–	–	–	–	2	–
3.	उत्तर त्रिपुरा	2	–	–	–	–	–	2	–
	कुल	6	–	–	–	–	–	6	–

उड़ीसा सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गये डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंगुल	1	1	–	–	–	–	1	1
2.	भद्रक	1	–	–	–	–	–	1	–
3.	कटक	2	–	–	–	–	–	2	–
4.	धेनकनाल	1	–	–	–	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	गंजम	2	–	–	–	–	–	2	–
6.	जाजपुर	1	–	–	–	–	–	1	–
7.	कालाहांडी	6	1	–	–	–	–	6	1
8.	केन्द्रपाड़ा	1	1	–	–	–	–	1	1
9.	क्योंझर	4	–	–	–	–	–	4	–
10.	खुर्दा	–	1	–	–	–	–	–	1
11.	कोरापुट	3	–	–	–	–	–	3	–
12.	मयूरभंज	4	–	–	–	–	–	4	–
13.	नौरंगपुर	4	–	–	–	–	–	4	–
14.	नयागढ़	1	–	–	–	–	–	1	–
15.	फुलबनी	6	–	–	–	–	–	6	–
16.	पुरी	1	–	–	–	–	–	1	–
17.	संबलपुर	2	–	–	–	–	–	2	–
18.	सुन्दरगढ़	2	–	–	–	–	–	2	–
	कुल योग	42	4	–	–	–	–	42	4

पंजाब सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1.	लुधियाना	1	–	–	–	–	–	1	–
2.	पटियाला	–	–	–	2	–	–	–	2
3.	रोपड़	1	1	–	–	–	–	1	1
4.	संगरूर	2	–	–	–	–	–	2	–
5.	भटिंडा	–	–	–	–	–	1	–	1
6.	फरीदकोट	–	1	–	–	–	–	–	1
7.	फिरोजपुर	1	–	–	–	–	–	1	–
8.	गुरदासपुर	–	–	1	–	–	–	1	–
9.	जालंधर	–	–	–	–	1	2	1	2
10.	मंसा	1	–	–	–	–	–	1	–
11.	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	1	–	–	2	–	–	1	2
	कुल योग	7	2	1	4	1	3	9	9

राजस्थान सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1.	अजमेर	–	–	1	–	–	2	1	2
2.	अलवर	1	–	–	–	–	–	1	–
3.	बासवाड़ा	3	–	–	–	–	–	3	–
4.	भरतपुर	2	–	–	–	–	–	2	–
5.	बीकानेर	4	–	–	–	–	1	4	1
6.	चितौडगढ़	1	–	–	–	–	–	1	–
7.	दौसा	1	–	–	–	–	–	1	–
8.	डिडवाना	–	–	–	–	–	1	–	1
9.	डूंगरपुर	4	–	–	–	–	–	4	–
10.	जयपुर	2	3	–	–	–	–	2	3
11.	झालावाड़	1	–	–	–	–	–	1	–
12.	झुंझुनू	2	–	–	–	–	–	2	–
13.	जोधपुर	–	2	–	–	–	–	–	2
14.	कोटा	1	–	–	–	–	1	1	1
15.	सवाईमाधोपुर	2	–	–	–	–	–	2	–
16.	सिरोही	–	–	–	–	–	1	–	1
17.	श्रीगंगानगर	6	1	–	–	–	–	6	1
18.	उदयपुर	–	–	1	–	–	–	1	–
	कुल	30	6	2	–	–	6	32	12

तमिलनाडु सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993-94		1994-95		1995-96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चेंगई एमजीआर	–	–	–	–	–	2	–	2
2.	चेंगलपट्टू एमजीआर	–	–	–	1	–	–	–	1
3.	धरमपुरी	1	–	–	–	–	–	1	–
4.	कामाराजार	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	मद्रास	–	–	–	2	–	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	नीलगिरी	2	–	–	–	–	–	2	–
7.	एन.ए.अंबेडकर	–	–	–	–	–	1	–	1
8.	पुडुकोट्टई	2	–	–	–	–	–	2	–
9.	रामनाथपुरम्	–	1	–	–	–	–	–	1
10.	एस.ए. वल्लार	2	–	–	–	–	–	2	–
11.	टी. कोट्टाबोम्मन	1	1	–	–	–	–	1	1
	कुल :	8	2	–	3	–	3	8	8
	पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	शून्य	शून्य

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा
(उत्तर प्रदेश सर्किल में जिलावार)

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कानपुर शहर	2	–	–	–	–	–	2	–
2.	कानपुर देहात	2	–	–	–	–	–	2	–
3.	उन्नाव	1	1	–	–	–	–	1	1
4.	फतेहपुर	2	–	–	–	–	–	2	–
5.	फर्रूखाबाद	1	–	–	–	–	–	1	–
6.	इलाहाबाद	4	–	–	–	–	–	4	–
7.	गाजीपुर	2	–	–	–	–	–	2	–
8.	जौनपुर	3	–	–	–	–	–	3	–
9.	प्रतागढ़	1	–	–	–	–	–	1	–
10.	सोनभद्र	3	–	–	–	–	–	3	–
11.	वाराणसी	1	–	–	–	–	–	1	–
12.	अल्मोड़ा	2	–	–	–	–	–	2	–
13.	खेड़ी	4	–	–	–	–	–	4	–
14.	बरेली	1	–	–	–	–	–	1	–
15.	बदायूं	2	–	–	–	–	–	2	–
16.	पिथौरागढ़	4	–	–	–	–	–	4	–
17.	मुरादाबाद	2	–	–	–	–	–	2	–
18.	बाराबंकी	9	–	–	–	–	1	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	लखनऊ	4	7	–	–	–	1	4	8
20.	फैजाबाद	4	–	–	–	–	–	4	–
21.	सुल्तानपुर	3	–	–	–	–	–	3	–
22.	रायबरेली	4	–	–	–	–	–	4	–
23.	सीतापुर	2	1	–	–	–	–	2	1
24.	आजमगढ़	1	–	–	–	–	–	1	–
25.	गोरखपुर	3	–	–	–	–	–	3	–
26.	महाराजगंज	2	–	–	–	–	–	2	–
27.	बस्ती	2	–	–	–	–	–	2	–
28.	गोंडा	5	–	–	1	–	1	5	2
29.	बलिया	2	–	–	–	–	–	2	–
30.	बहराइच	1	–	–	–	–	–	1	–
31.	देवरिया	1	–	–	–	–	–	1	–
32.	आगरा	1	–	–	1	–	–	1	1
33.	अलीगढ़	1	–	–	–	–	–	1	–
34.	मैनपुरी	1	–	–	–	–	–	1	–
35.	बिजनौर	2	–	–	–	–	–	2	–
36.	चमौली	3	–	–	–	–	–	3	–
37.	गाजियाबाद	3	4	–	–	–	–	3	4
38.	मुजफ्फरनगर	1	–	–	–	–	–	1	–
39.	पौड़ी	1	–	–	–	–	–	1	–
40.	टिहरी	2	–	–	–	–	–	2	–
	कुल :	95	13	–	2	–	3	95	18

पश्चिम बंगाल सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्न अवधि के दौरान खोले गए डाकघर						कुल	
		1993–94		1994–95		1995–96			
		अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ. डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	24–परगना उत्तर	4	–	–	–	–	–	4	–
2.	24–परगना दक्षिण	3	1	–	–	–	–	3	1
3.	कलकत्ता	–	1	–	–	–	–	–	1
4.	पुरूलिया	–	1	–	–	–	–	–	1
5.	मिदनापुर	2	–	–	–	–	–	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हावड़ा	1	–	–	–	–	–	1	–
7.	नादिया	2	–	–	–	–	–	2	–
8.	बुर्दवान	3	–	–	–	–	–	3	–
9.	मुर्शिदाबाद	3	1	–	–	–	–	3	1
10.	माल्दा	2	–	–	–	–	–	2	–
11.	उत्तर दीनारपुर	5	–	–	–	–	–	5	–
12.	दक्षिण दीनारपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	कूच बिहार	5	–	–	–	–	–	5	–
14.	दार्जिलिंग	2	–	–	–	–	–	2	–
15.	जलपाईगुड़ी	1	1	–	–	–	–	1	1
	कुल :	33	5	–	–	–	–	33	5
सिक्किम									
1.	पूर्व	4	–	–	–	–	–	4	–
	कुल :	4	–	–	–	–	–	4	–
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)									
		–	–	–	–	–	–	शून्य	शून्य

विवरण–III

वार्षिक योजना 1996–97 के अंतर्गत आज की तारीख तक मंजूर किए गए डाकघर

क्र. सं.	सर्किल/राज्य का नाम	जिले का नाम	मंजूर किए गए डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
		विभागीय उप डाकघर	
1.	केरल	एर्णाकुलम	1
2.	केरल	क्विलोन	1
3.	केरल	त्रिवेन्द्रम	1
4.	पंजाब	फरीदकोट	1
5.	हरियाणा	पानीपत	2
6.	हरियाणा	करनाल	1
7.	दिल्ली	दिल्ली	2
8.	बिहार	साहबगंज	1
9.	बिहार	समस्तीपुर	1
10.	बिहार	दरभंगा	1
11.	गुजरात	नाडियाड सिटी	1
12.	गुजरात	अहमदाबाद	1
13.	गुजरात	भावनगर	1
14.	महाराष्ट्र	थाणे	2
15.	महाराष्ट्र	सतारा	1
16.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	1
17.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	1
		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	
18.	आंध्र प्रदेश	कानामालापल्ली	1
19.	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	1
			22

विवरण–IV

वार्षिक योजना, 1996–97 के अंतर्गत विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए डाक सर्किल–वार लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल का नाम	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1.	आंध्र प्रदेश	5	2
2.	असम	4	2
3.	बिहार	11	10
4.	दिल्ली	10	1
5.	गुजरात	12	5
6.	हरियाणा	10	4
7.	हिमाचल प्रदेश	10	4
8.	जम्मू और कश्मीर	2	2
9.	कर्नाटक	10	2
10.	केरल	9	1
11.	मध्य प्रदेश	9	9
12.	महाराष्ट्र	12	9
13.	उत्तर पूर्व	4	2
14.	उड़ीसा	4	4
15.	पंजाब	4	2
16.	राजस्थान	10	5
17.	तमिलनाडु	4	2
18.	उत्तर प्रदेश	16	12
19.	पश्चिम बंगाल	4	2
	कुल :	150	80

टिप्पणी : उत्तर पूर्व डाक सर्किल के अंतर्गत मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। इसी प्रकार, गोवा राज्य महाराष्ट्र के और सिक्किम राज्य पश्चिम बंगाल सर्किल के अंतर्गत आता है।

निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र उनके सामने दिए गए डाक सर्किलों के अंतर्गत आते हैं :

अंडमान एवं निकोबार	—	पश्चिम बंगाल सर्किल
चंडीगढ़	—	पंजाब सर्किल
दादर एवं नगर हवेली	—	गुजरात सर्किल
दमण और दीव	—	गुजरात सर्किल
लक्षद्वीप	—	केरल सर्किल
पांडिचेरी	—	तमिलनाडु सर्किल

खनिज संसाधन

996. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत के सीमांतर्गत जल क्षेत्रों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में खनिज संसाधनों को विनियमित और विकसित करने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कानून के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) और (ख). खान मंत्रालय ने प्रादेशिक जल सीमा, कॉन्टीनेन्टल शैल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा भारत के अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का विकास करने तथा उनका विनियमन करने के लिए एक उपयुक्त विधेयक का सुझाव देने के लिए मई, 1993 में एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने विषय की विस्तार से जांच की है तथा इस विषय पर एक व्यापक विधेयक के प्रारूप के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अनुमोदित विधेयक में अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधन के विनियमन, गवेषण तथा विदोहन के अलावा प्रचालन अधिकार प्राप्त करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

खानों में दुर्घटना

997. **श्री देवी बक्स सिंह :**

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खानों में दुर्घटना के समय कोई तत्काल सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खानों के जलमग्न होने/इनमें आग लगने पर काम में आने वाले उपकरण सभी खानों में चालू अवस्था में हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन उपकरणों की समय-समय पर जांच की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी, जब कभी आवश्यक हो, खान प्रबन्धनों को बचाव और समुत्थान कार्य में सहायता देते हैं। साधारणतया खान प्रबन्धन दुर्घटना के तुरंत पश्चात् हताहतों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करते हैं। कालान्तर में, मुआवजा आयुक्त के माध्यम से सांविधिक मुआवजे का भी भुगतान

किया जाता है और प्रबन्धनों द्वारा कानूनी वारिसों को अन्य कानूनी देय राशियों का भुगतान किया जाता है।

. (ग) से (ङ) खानों में केवल वही उपकरण प्रयोग किये जाते हैं जो कानून के प्रावधानों को पूरा करते हैं। खान प्रबन्धनों का द्वारा इन उपकरणों की नियमित रूप से जांच और परीक्षण करना व चालू स्थिति में रखा जाना आवश्यक है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षणों के सामान्य क्रम में भी इन उपकरणों की जांच की जाती है।

कम प्राथमिकता वाली उपभोक्ता वस्तुएं

998. **श्री सत्य देव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ता वस्तुओं की कोई सूची तैयार कर रही है जिसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). विदेशी निवेश से संबंधित क्षेत्र विशिष्ट नीतिगत मामलों की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास की समग्र नीति के अनुरूप विदेशी निवेश की अनुमति अथवा उपभोक्ता वस्तुओं पर रोक लगाने के बारे में निर्णय समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य विदेशी निवेश नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स

999. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबसे पुरानी और सबसे बड़ी निजी एयरलाइन्स, ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स, जो एक रुग्ण एकक है, का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स सहित ऐसी सभी गैर-सरकारी एयरलाइनों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी वित्तीय तथा प्रबन्धन समस्याओं पर काबू पाने के लिए कदम उठाएं।

रियायती दर पर राशन

1000. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री रूप चन्द्र पाल :
कुमारी उमा भारती :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य वस्तुएं प्रदान करने संबंधी सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गरीब लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रियायती दरों पर राशन देने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे किन लोगों को लाभ पहुंचेगा; और

(च) उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सरकार की वर्तमान नीति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तरह सभी व्यक्तियों को कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम कीमत पर करने की है। सरकार 1992 से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत इस समय 1775 ब्लाक विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न के हकदार हैं जो कि सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य की तुलना में 50 प्रतिशत रु. के बराबर की दर से कम है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुर्गम, दूर-दराज, आदिवासी आदि क्षेत्र आते हैं जहां समाज का गरीब तबका रहता है।

(ख) से (च). गरीबों की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के सरकार के प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

असम में तेजपुर आकाशवाणी केन्द्र

1001. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के तेजपुर में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). असम में तेजपुर में 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर, बहु-उद्देश्यीय स्टूडियों तथा स्टाफ क्वार्टरों वाले एक नए रेडियों स्टेशन के दिसम्बर, 1996 तक तकनीकी अन्य से तैयार हो जाने की आशा है।

पर्यटन स्थलों का विकास

1002. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं, जिन्हें केन्द्रीय सहायता से विकसित किया जाना है;

(ख) उन परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(घ) राजस्थान में पर्यटन स्थलों पर किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार के साथ परामर्श करके राज्य में वर्ष 1996-97 के दौरान गंगौर, अजमेर, माउण्ट आबू, चुरू, झुंझनू और ओसियन में छह परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं। परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जाती हैं। अब तक राजस्थान सरकार से कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गावों में टेलीफोन

1003. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गावों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि में कितने गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ङ) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) अशंतः प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ). लक्ष्यों का ब्यौरा और उन गावों की संख्या जहां पिछले 3 वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) लक्ष्य प्राप्त न कर सकने का मुख्य कारण स्वदेश आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्धारित समय के भीतर रेडियो प्रणालियों की आपूर्ति नहीं कर सकना था।

विवरण

लक्ष्यों का ब्यौरा और उन गांवों की संख्या जहां पिछले 3 वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	1993-94	46,820	33001
2.	1994-95	50,000	47659
3.	1995-96	1,05,000	31496

[हिन्दी]

उदयपुर में दूरसंचार कार्यालय

1004. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर स्थित दूरसंचार विभाग के निदेशक (दक्षिण) के कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नए वायुमार्गों की शुरुआत

1005. **श्री दत्ता मेघे :**

श्री वी.वी. राघवन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान नए वायु मार्ग शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सैक्टर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). इस समय, इंडियन एयरलाइन्स का अन्तर्देशीय सेक्टर में कोई नई सेवा शुरु करने का कोई पक्का प्रस्ताव

नहीं है। गैर-सरकारी प्रचालक अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक विवेक के आधार पर सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अपनी मार्ग अनुसूचियों का निर्धारण करते हैं और इसके लिए वे महानिदेशक, नागर विमानन का अनुमोदन प्राप्त करते हैं।

[अनुवाद]

"एशियन मीडिया" शिखर सम्मेलन

1006. **श्री रूपचन्द पाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मनीला में बाल श्रम संबंधी 'एशियन मीडिया' शिखर सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस चर्चा के निष्कर्ष क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, नहीं।

तथापि बाल अधिकारों एवं मीडिया पर एक एशियाई शिखर सम्मेलन 2 जुलाई से 5 जुलाई, 1996 तक मनीला में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बाल अधिकारों एवं बच्चों के अभिनय तथा चित्रण के संबंध में एशिया में मीडिया से सम्बद्ध मुद्दों पर चर्चा करना था।

(ग) शिखर सम्मेलन ने एक घोषणा पारित की जिसकी प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

बाल अधिकारों एवं मीडिया पर एशियाई घोषणा

(मनीला 2-5 जुलाई, 1996)

बाल अधिकारों एवं मीडिया पर एशियाई शिखर सम्मेलन के लिए मनीला में एकत्र हुए हम एशिया के देशों ..... से सूचना, शिक्षा, कल्याण और समाज विकास मंडी, विभिन्न सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट अधिकारी प्रशासक, मीडिया की विभिन्न प्रवृत्तियों के शोधकर्त्ता पेशेवर व्यवसायिक गैर-सरकारी संगठनों अधिवक्ता समूह एवं सम्बंधित व्यक्ति :

बाल अधिकारों पर समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि जैसाकि हमारे देशों में अभिपुष्ट किया गया है;

सूचना, मनोरंजन शिक्षा एवं प्रभाव के लिए मीडिया के सभी रूपों की विकासात्मक भूमिका, जिम्मेदारी एवं शक्ति स्वीकार करना, तथा बच्चों एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए उनकी सम्भाव्यता को मान्यता प्रदान करना।

अब, इस लिए, संकल्प करते हैं कि बच्चों के बारे में अथवा उनके लिए सभी प्रकार के मीडिया द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए :

एशियाई समाजों की विविध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं सम्मान करना;

सभी बच्चों को प्राप्त होना;

बालिकाओं हेतु उपलब्ध होना एवं बालिका के विरुद्ध विस्तृत भेदभाव के विरोध की व्यवस्था करना;

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों, विशेषतः कठिन परिस्थितियों में बच्चों, देशी समुदाय के बच्चों एवं सशस्त्र मुठभेड की परिस्थितियों में बच्चों हेतु व्यवस्था करना;

यह भी संकल्प लेते है कि बच्चों के बारे में सभी प्रकार के मीडिया द्वारा; ऐसी नीतियां अपनाई जानी चाहिए जो गैर-भेदभाव के सिद्धान्तों के संगत एवं सभी बच्चों की श्रेष्ठतम रुचि की हों। सभी बच्चों के ज्ञान विकास संरक्षण एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु समाज के सभी क्षेत्रों में जागरूकता एवं गतिशीलता बढ़ानी चाहिए;

क्षेत्र में बच्चों के आर्थिक वाणिज्यिक एवं कामुक शोषण और बच्चों की बुराई के सभी रूपों का विवेचन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे प्रयास उनके अधिकारों विशेषतः उनके गोपनीयता अधिकार का उल्लंघन न करें;

बच्चों को ऐसी सामग्री से बचाना जो हिंसा, काम, भय एवं संघर्ष की बढ़ावा देती हों; तथा

सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा एवं भेदभाव और रूढ़िबद्धता को शाश्वत नहीं करना। यह भी संकल्प लेते हैं कि बच्चों के लिए सभी प्रकार के मीडिया को विशेषतः श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला होना चाहिए तथा जो उनका शोषण न करें।

उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायता करनी चाहिए;

बच्चों को मीडिया के जरिए सुनने, देखने एवं स्वयं व्यक्त करने, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनके जीवन के अनुभवों के बारे में बताना चाहिए जो उनके स्वयं के भावों एवं समुदाय की अभिपुष्टि करे और अन्य संस्कृतियों की जागरूकता तथा कर्त्तव्य बोध की शैली और अन्तर्वस्तु से व्यापक रेंज को बढ़ाए लेकिन इसमें हिंसा और कामुकता के आनुग्रहिक दृश्य शामिल नहीं होने चाहिए; और

ऐसे समय पर उन्हें उपलब्ध हो जब उन्हें आवश्यकता हो और वे उनका उपयोग कर सकें।

अन्त में संकल्प लेते हैं; कि सरकार मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों निजी क्षेत्र में एवं अन्य स्थानीय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेसियों को: सभी मीडिया रूपों की आलोचनात्मक सूझ-बूझ विकसित करने के लिए बच्चों एवं परिवारों हेतु मीडिया शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए,

मीडिया सृजन में बच्चों के अवसरों तथा उनकी आवश्यकताओं एवं रूचियों से सम्बन्धित मुद्दों की व्यपक रेंज पर स्वयं अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था करनी चाहिए;

बच्चों के लिए और उनके बारे में श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाली साम्रगी के निर्माण एवं प्रसार तथा बच्चों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त विधियां एवं संसाधन उपलब्ध कराना और मीडिया व्यवसायिकार्यों के लिए क्षमता निर्माण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे विकासात्मक एर्जेसियों के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें।

अनुसंधान, सामग्री एवं कार्यक्रमों की विशेषज्ञता और परिवर्तन सरकारों में नेटवर्क, गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया, शैक्षिक संस्थाओं, अधिवक्ता समूहों एवं अन्य एर्जेसियों की भागीदारी के जरिए क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर पुरस्कारों के जरिए उत्कृष्ठ कार्य के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस घोषणा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर कला-विन्यासों की मॉनीटरिंग को संभावित करना चाहिए तथा स्वयं विनियमन को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करनी चाहिए; और

इस घोषणा के संगत व्यवसायिक मार्गदर्शी सिद्धातों सहित कार्ययोजना बनाने के लिए यथाशीघ्र विस्तृत राष्ट्रीय बहु-क्षेत्रीय परामर्श आरम्भ करना चाहिए।

पारित

5 जुलाई, 1996

बाल अधिकारों एवं मीडिया पर एशियाई शिखर सम्मेलन मनीला।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी.

1007. डा. बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1996-97 के दौरान एस.टी.डी. से जोड़ दिया जाएगा;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दिकामा बाजार को एस.टी.डी. से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो इसकी लक्ष्य अवधि क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान, उत्तर प्रदेश के 347 स्थानों को एस टी डी से जोड़ने का प्रस्ताव है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) दिकामा बाजार में 1997-98 के दौरान विश्वसनीय माध्यम पर एस टी डी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1996-97 के दौरान एस टी डी से जोडे जाने वाले स्थानों के नाम

क्र.सं.	स्थान का नाम	जिला
1	2	3
1.	चिल्ला	बांदा
2.	चित्रकूट	-वही-
3.	भरत कूप	-वही-
4.	बबरड	-वही-
5.	बदनसा	-वही-
6.	भउरी	-वही-
7.	खुरांद	-वही-
8.	मऊ चिबू	-वही-
9.	मर्कोद	-वही-
10.	सिरोलीगोसपुर	बाराबंकी
11.	बरोठी	-वही-
12.	दरियाबाद	-वही-
13.	सफदरगंज	-वही-
14.	सिधौर	-वही-
15.	सतरिख	-वही-
16.	टिकैतनगर	-वही-
17.	पतरंगा	-वही-
18.	रायनगर	-वही-
19.	हरख	-वही-
20.	खेतसराई	-वही-
21.	कोठी	-वही-
22.	कोटवासरक	-वही-
23.	कुरसी	-वही-
24.	बलहारा	-वही-
25.	सूरतगंज	-वही-
26.	देवीगंज	-वही-
27.	सुजागंज	-वही-
28.	सूर्यमऊ	-वही-

1	2	3
29.	मवाल	बाराबंकी
30.	अजिताल	इटावा
31.	एकदिल	"
32.	बडी	"
33.	फफूंद	"
34.	बासखाड़ी	फैजाबाद
35.	कुसारगंज	"
36.	मिल्कीपुर	"
37.	गोसाईगंज	"
38.	मदरसा	"
39.	अल्लापुर	"
40.	रामनगर	"
41.	चौराबाजार	"
42.	सौरापुर	"
43.	मायाबाजार	"
44.	दर्शन नगर	"
45.	कमालगंज	फर्रुखाबाद
46.	कम्पिल	"
47.	मोहमदाबाद	"
48.	तराइंपयाग	"
49.	सिकंदर	"
50.	जलालाबाद	"
51.	गुरसहायगंज	"
52.	थतिया	"
53.	टिटवा	"
54.	छेनी	हमीरपुर
55.	कुलपहाड़	"
56.	चरखड़ी	महोबा
57.	बेवाड़ (उभरी)	हमीरपुर
58.	कवरी	महोबा
59.	सांडी	हरडोल
60.	मैलानी	"
61.	बिलग्रास	"
62.	माधोगंज	"
63.	रामपुरा	जालौन

1	2	3
64.	माधोगढ़	जालौन
65.	कोटर्र	"
66.	सिंघाई	लखीमपुर
67.	तिकोनियां	"
68.	कबीरभान	"
69.	सम्पूर्ण नगर	"
70.	विष्णुपुरी	"
71.	ओवल	"
72.	मोंहगापुर	"
73.	पल्लिया	"
74.	बेबार	मैनपुरी
75.	घिरोर	"
76.	कुरावली	"
77.	माखनपुर	"
78.	बनथारा	शाहजहांपुर
79.	कैंठ	"
80.	खुटार	"
81.	खैराबाद	सीतापुर
82.	हरगांव	"
83.	बड़ागांव	"
84.	महोली	"
85.	बारा	इलाहाबाद
86.	करारी	"
87.	मोजा	"
88.	मनझनपुर	"
89.	सराईअकिल	"
90.	सहसौल	"
91.	मिचौली	महराजगंज
92.	सोनोली	गोरखपुर
93.	महदेवा	"
94.	मदरिया	"
95.	महाबीर छपरा	"
96.	बतुआसागर	झांसी
97.	मोहरोनी	ललितपुर
98.	हाटी	झांसी
99.	गरौथा	"

1	2	3
100.	आवंला	मऊ
101.	कोपागंज	"
102.	बरहाज	देवरिया
103.	लार	"
104.	तसकुटी	पडरौना
105.	अतौधा	कानपुर
106.	राजपुर	"
107.	रसूलाबाद	"
108.	झिनझक	कानपुर
109.	बिलहौर	–वही–
110.	उत्तारी	–वही–
111.	शिवराजपुर	–वही–
112.	चौबापुर	–वही–
113.	बंगरभऊ	उन्नाव
114.	बीघापुर	–वही–
115.	मौरावां	–वही–
116.	मियानगंज	–वही–
117.	सिंकदरपुर	–वही–
118.	चकलवांसी	–वही–
119.	थाना	–वही–
120.	देवारोड	बाराबंकी
121.	इलौंजा	लखनऊ
122.	रहीमबाद	–वही–
123.	निघोहन	–वही–
124.	बनथारा	–वही–
125.	हरदोइया	–वही–
126.	बबुरी	वाराणसी
127.	मिर्जासुराड	–वही–
128.	सेवापुरी	–वही–
129.	थाथरिया	–वही–
130.	नौगढ़	–वही–
131.	सयैदरजा	–वही–
132.	चोलापुर	–वही–
133.	सुरियावान	भदोही
134.	फूलपुर	वाराणसी
135.	चहनिया	–वही–

1	2	3
136.	जगतपुर	वाराणसी
137.	निजामाबाद	आजमगढ़
138.	चिरैयाकोट	–वही–
139.	रानीकेसराय	–वही–
140.	जे.पी. नगर	बलिया
141.	महसोन	बस्ती
142.	वरहनी	सिद्धार्थनगर
143.	भानपुर	बस्ती
144.	करैया	–वही–
145.	सोहरतगढ़	सिद्धार्थनगर
146.	कप्तानगंज	बस्ती
147.	फकरपुर	बहराइच
148.	भिंगा	–वही–
149.	इकोना	–वही–
150.	जरवाल रोड	–वही–
151.	केसरगंज	–वही–
152.	मिहिनपुरवा	–वही–
153.	रुपैयाडीह	–वही–
154.	सरस्वती	–वही–
155.	मेहसी	–वही–
156.	बाबागंज	–वही–
157.	चिलवरिया	–वही–
158.	त्यागपुर	–वही–
159.	चित्तौरा	–वही–
160.	कोरा जहानाबाद	फतेहपुर
161.	दिलदारनगर	गाजीपुर
162.	तुलसीपुर	गोंडा
163.	उतरौला	–वही–
164.	खोटासराय	जौनपुर
165.	कोराकट	–वही–
166.	बादलपुर	–वही–
167.	मुगराबादशाहपुर	–वही–
168.	मछली शहर	–वही–
169.	मरियाहुन	–वही–
170.	गोईपुरा	मिर्जापुर

1	2	3
171.	कचवा	मिर्जापुर
172.	लालगंज	-वही-
173.	मरिहन	-वही-
174.	अहरौरा	मिर्जापुर
175.	चोपन	-वही-
176.	डल्ला	-वही-
177.	डुडडी	-वही-
178.	कुंडा	प्रतापगढ़
179.	रानीगंज कैथ	-वही-
180.	बच्छरवां	रायबरेली
181.	जैस	-वही-
182.	तिलोई	-वही-
183.	चंदा	सुल्तानपुर
184.	कटराखानपुर	-वही-
185.	सीतापुर	-वही-
186.	फतेहाबाद	आगरा
187.	समसाबाद	-वही-
188.	जैतपुरकलन	-वही-
189.	बाह	-वही-
190.	मालपुरा	-वही-
191.	सिकंदरा	-वही-
192.	वरहान	-वही-
193.	सिकंदरा राव	अलीगढ़
194.	इगलास	-वही-
195.	हरदुआगंज	-वही-
196.	खैर	-वही-
197.	कासिमपुर	-वही-
198.	अतरौली	-वही-
199.	सिसौली	-वही-
200.	कौसानी	अल्मोड़ा
201.	कालीमाता	-वही-
202.	बागेशवर	-वही-
203.	बीरगंज	-वही-
204.	पुरिया	-वही-
205.	तनिया	-वही-
206.	जयनते	-वही-
207.	सोलके	-वही-
208.	गनगोली	-वही-
209.	गनाई	-वही-
210.	बराला	-वही-
211.	धरोनगढ़	-वही-
212.	मुंशीयारी	-वही-
213.	डिडीहाट	-वही-
214.	इफको	बरेली
215.	मीरगंज	-वही-
216.	रिखौरी	-वही-
218.	भोजपुरा	-वही-
219.	संथाल	-वही-
220.	देवरामा	-वही-
221.	शेरगढ़	-वही-
222.	सिरौली	-वही-
223.	सीशगढ़	-वही-
224.	भुटा	-वही-
225.	बिलासपुर	-वही-
226.	चांदपुर	बिजनौर
227.	किरातपुर	-वही-
228.	सिओहरा	-वही-
229.	नेहटौर	-वही-
230.	शेरकोट	-वही-
231.	नूरपुर	-वही-
232.	हलदौर	-वही-
233.	अफजलगढ़	-वही-
234.	मांडवा	-वही-
235.	राजा का ताजपुर	-वही-
236.	कोटी	देहरादून
237.	नोगांव	-वही-
238.	ललताप्पार	-वही-
239.	सहाय	-वही-
240.	खेदपुरा	गाजियाबाद
241.	कासना	-वही-

1	2	3
242.	पहासू	–वही–
243.	चिरौली	–वही–
244.	चोलस	–वही–
245.	बहादुरगढ़	–वही–
246.	रावली	–वही–
247.	मंडीश्याम	–वही–
248.	सीकरपुर	–वही–
249.	जहांगीरपुर	–वही–
250.	चट्टारी	–वही–
251.	बी.बी. नगर	–वही–
252.	अलीगंज	मथुरा
253.	बाजना	–वही–
254.	बलदेव	–वही–
255.	सोंख	–वही–
256.	बरसाना	–वही–
257.	गंजडुडवारा	–वही–
258.	ओएल	–वही–
259.	फराह	–वही–
260.	मुगरा	–वही–
261.	मरचरा	–वही–
262.	सहवार	–वही–
263.	सकीट	–वही–
264.	सिद्धापुर	–वही–
265.	निधौली कलन	–वही–
266.	पतियाली	–वही–
267.	राजा का रामपुर	–वही–
268.	अचलपुर	–वही–
269.	रोहटा	–वही–
270.	लवेड	–वही–
271.	सरूरपुर	–वही–
272.	डाह	–वही–
273.	छपरौली	–वही–
274.	धिकोली	–वही–
275.	रतौली	–वही–
276.	इंचोली जनी	–वही–
277.	गजरौली	मुरादाबाद

1	2	3
278.	सम्भला	–वही–
279.	ठाकुर द्वारा	–वही–
280.	बिलारी	–वही–
281.	कांठा	–वही–
282.	अगवानपुर	–वही–
283.	फकवारा	–वही–
284.	नौगांव फादत	–वही–
285.	गणपतपुर	–वही–
286.	भोजपुर	–वही–
287.	मझोला	–वही–
288.	डिगापुर	–वही–
289.	बधरा	मुजफ्फरनगर
290.	थिनजहाना	–वही–
291.	चरथावल	–वही–
292.	बबरी	–वही–
293.	सिसौली	–वही–
294.	रोहना	–वही–
295.	उन्न	–वही–
296.	लिसाड	–वही–
297.	रामराज	–वही–
298.	भोपा	–वही–
299.	बसेरा	–वही–
300.	के. कटोली	नैनीताल
301.	लालकुंआ	–वही–
302.	धारी	–वही–
303.	भीमताल	–वही–
304.	भवाली	–वही–
305.	पेरीमडारा	–वही–
306.	मुक्तेश्वर	–वही–
307.	गरहीनेगी	–वही–
308.	कुंडेश्वरी	–वही–
309.	प्रतापपुर	–वही–
310.	बनबासा	–वही–
311.	पूरनसुर	रामपुर
312.	बिसलपुर	–वही–
313.	मझोला	–वही–

1	2	3
314.	बिलसी	रामपुर
315.	टांडा	–वही–
316.	केवली	–वही–
317.	नवाबनगर	–वही–
318.	बोसेना	–वही–
319.	गवान	–वही–
320.	अखराबाद	–वही–
321.	बिलसांडा	–वही–
322.	वजीरगंज	–वही–
323.	रानीपुर	सहारनपुर
324.	चिलकाना	–वही–
325.	ननौटा	–वही–
326.	नकुर	–वही–
327.	गनगोह	–वही–
328.	महेशवरी	–वही–
329.	नागल	–वही–
330.	भगवानपुर	–वही–
331.	गगलहेरी	–वही–
332.	इकबालपुर	–वही–
333.	भगीरथीपुरम	श्रीनगर (गढ़वाल)
334.	सुरकंडादेवी	–वही–
335.	सतपुली	–वही–
336.	रुद्रप्रयाग	–वही–
337.	दुगड्डा	–वही–
338.	पोरवाल	–वही–
339.	जखनीधार	–वही–
340.	अंजनीसैन	–वही–
341.	नंदप्रयाग	–वही–
342.	नौगोंखाल	–वही–
343.	गौरीकुंड	–वही–
344.	केदारनाथ	–वही–
345.	गंगोत्री	–वही–
346.	रानी चट्टी	–वही–
347.	यमनोत्री	–वही–

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम

1008. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री के.सी. कोंडय्या :
श्री अनंत कुमार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों के निर्यात के लिए विश्व बाजार में प्रवेश हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राओं का निर्यात/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया था :-

(लाख मीटरी टन में)

	1995-96
बढ़िया और उत्तम चावल	30
गैर-डुरुम गेहूं	25

उपर्युक्त प्राधिकार के प्रति भारतीय खाद्य निगम ने 1995-96 के दौरान गेहूं अथवा चावल का सीधे निर्यात नहीं किया लेकिन उन्होंने 1995-96 के दौरान निर्यात करने के लिए लगभग 16 लाख मीटरी टन बढ़िया और उत्तम चावल तथा 0.84 लाख मीटरी टन गैर-डुरुम गेहूं की बिक्री की थी।

फरवरी, 1996 में भारतीय खाद्य निगम ने सरकार से अनुरोध किया था कि एक मिलियन मीटरी टन चावल के लिए अग्रिम जमा के साथ आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की बजाय मौजूदा स्टाक को निर्यात योग्य क्वालिटी का बनाने के लिए उसका उच्च श्रेणीकरण करने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का निर्यात करने के बारे में निर्णय लिया जाए। भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का सीधे निर्यात इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि वित्तीय वर्ष 1995-96 के समाप्त होने में बहुत थोड़ा समय बचा था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1009. **श्री के.सी. कोंडय्या :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु गत वर्ष एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस उद्देश्य के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, सरकारी एजेंसियों तथा स्वतन्त्र संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन के माध्यम से समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने मुख्य समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन को शुरू करने के लिए प्रारम्भिक कार्य के रूप में तमिलनाडु तथा केरल के चुने हुए जिलों में राज्य समाज सुरक्षा योजनाओं का त्वरित मूल्यांकन कार्य आरंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

1010. **डा. सत्य नारायण जटिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल कितनी जनसंख्या थी, और उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता और जनसंख्या कितनी है; और

(ख) क्या संविधान के प्रावधानों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ-साथ नौकरियों में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) भारत की कुल जनसंख्या (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) 83,85,83,988 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13,82,23,277 (16.48 प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 6,77,58,380, (8.08 प्रतिशत) है।

(ख) संविधान के विभिन्न प्रावधानों तथा सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन राजनैतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करने का संबंध है, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के प्रकाश में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है कि किसी विशेष वर्ष में समग्र आरक्षण रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान आरक्षण 49.5 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त वायुयान

1011. **श्री मोहन रावले** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त वायुयानों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या देश में विमानचालकों को प्रशिक्षण देने के लिए ये वायुयान पर्याप्त संख्या में हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले वायुयान और अधिक संख्या में खरीदने के लिए कोई प्रयास किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान वायुयान बेड़े में प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले कुल कितने नये वायुयान जोड़े गए?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) देश में इस समय प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त विमानों की कुल संख्या 169 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). नागर विमानन महानिदेशालय ने 20 विमानों की प्राप्ति के लिए, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को आदेश दिए हैं, जिसमें से 6 विमान पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और इन्हें देश के विभिन्न उड़ान क्लबों को आवंटित कर दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान बेड़े में कुल 33 विमान सम्मिलित किए गए हैं।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

1012. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियां उड़ीसा में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) इनमें से प्रत्येक इस्पात संयंत्र की क्षमता कितनी है; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा उक्त इस्पात संयंत्रों के लिए सृजित और सृजित की जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार द्वारा इस्पात संयंत्रों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थान	क्षमता (दस लाख टन वार्षिक)
1.	मिडईस्ट इंन्टीग्रेटिड स्टील	इन्टीग्रेटिड इण्डस्ट्रियल कम्पलैक्स, दुबरी जिला-जाजपुर	चरण-I :0.5 (कच्चा लोहा) चरण-II :1.2 (इस्पात)
2.	मेस्को कलिंगा स्टील लि.	-वही-	चरण-I :2.25 (कच्चा लोहा) चरण-II :4.50
3.	भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड	-वही-	चरण-I :1.20 चरण-II :3.00
4.	ब्राहमनी आइरन एंड स्टील कं0 लिमिटेड	-वही-	चरण-0.35 (इस्पात)
5.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	वही	I 0.50 (कच्चा लोहा) II 0.60 (इस्पात)
6.	इंडियन सीमलेस स्टील एंड अलॉय लिमिटेड	वही	चरण-I :1.223 (इस्पात) चरण-II:3.000 (इस्पात) चरण-III:6.000 (वही)
7.	गणपती एक्सपोर्टस लि0	वही	चरण-I:2.50 (इस्पात) चरण-II:5.00 (इस्पात)
8.	टाटा आईरन एंड स्टील कं0 लिमिटेड	गोपालपुर जिला- गंजम	चरण-I:2.50 (इस्पात) (100 लाख टन वार्षिक क्षमता तक विस्तार किया जाना है)
9.	लार्सन एण्ड टर्ब्रो लि0	वही	चरण-I:2.60(इस्पात) (60 से 70 लाख टन वार्षिक क्षमता तक विस्तार किया जाना है)
10.	नेशनल स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	नयागढ़ जिला क्योझार	चरण-I:0.88 (इस्पात) चरण-II:1.20 (इस्पात)
11.	मिड वेस्ट आयरन एंड स्टील लिमिटेड	वही	चरण-I:0.20 (कच्चा लोहा) चरण-II:0.50 (इस्पात)
12.	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	बुधापानका जिला अंगुल	0.50 (इस्पात)

(घ) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे सड़कों, जल स्रोतों, रेलवे साईडिंग और संबद्ध सुविधाओ तथा विद्युत प्राप्त करने के स्थानों आदि का विकास राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की सहायता और सहयोग से संबंधित इस्पात संयंत्रों द्वारा करने का प्रस्ताव तथापि दुबरी जहां परियोजनाएं समूह के रुप में उभर रहीं हैं, में आवश्यक अवसंरचनात्मक कार्य राज्य के अवसंरचनात्मक विकास निगम और अन्य प्राधिकारियों के जरिए इन परियोजनाओं के संघ द्वारा किए जाने की योजना है।

नया वेतन समझौता

1013. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जनवरी, 1996 को हुए नए वेतन समझौते में इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों के वेतन में भारी बढ़ोत्तरी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस नए वेतन समझौते से राजस्व पर अतिरिक्त भार पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). इंडियन एयरलाइन्स ने दिनांक 26-1-1996 को भारतीय वाणिज्य विमानचालक संघ के साथ एक उत्पादकता सम्बद्ध समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उड़ान घंटों पर आधारित विमानचालकों को भुगतान, उनका प्रशिक्षण तथा प्रचालन के युक्तिकरण के कारण बढ़ी परिलब्धियों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इससे प्रतिवर्ष 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

उपभोक्ता सहकारिता को सहायता

1014. **श्री शरत पटनायक** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उपभोक्ता सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली को वायुमार्ग से जोड़ना

1015. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरेली, उत्तर प्रदेश को वायु सेवाओं से जोड़े जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स की इस समय बरेली को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है चूंकि वहां उपलब्ध हवाई अड्डा जेट विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं है जबकि इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में उपलब्ध विमान केवल इसी किस्म के हैं। तथापि, गैर-सरकारी प्रचालकों को नए स्टेशन शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

विदेशी पर्यटक

1016. **श्री जी.जी. स्वैल** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की; और

(ख) पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और चीन की तुलना में यह कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जुलाई 1995 से जून 1996 की समयावधि के दौरान भारत में लगभग 22,19,021 (अनंतिम) विदेशी पर्यटक आए।

(ख) वर्ष 1995 के दौरान पर्यटन से भारत की चीन के मामले में 87.33 मिलियन अमेरिकन डालर की तुलना में, अनुमानित विदेशी मुद्रा आय 8640.02 करोड़ रुपए (2754.26 मिलियन अमेरिकन डालर) थी।

[हिन्दी]

बिहार को विशेष केन्द्रीय सहायता

1017. **श्री ललित उरांव** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता सहित विशेष केन्द्रीय सहायता शीर्ष के अंतर्गत बिहार को 1993-94 में दी गई 3497.39 लाख रुपए की तुलना में 1994-95 में केवल 1748.70 लाख रुपए और 1995-96 में मात्र 274.22 लाख रुपए की राशि ही जारी की; और

(ख) यदि हां, तो इस हेतु उक्त सहायता राशि में कटौती करने के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार को "विशेष केन्द्रीय सहायता" शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में अपेक्षाकृत कम राशि प्रदान करने का कारण उक्त शीर्ष के तहत 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान प्रदान की गई धनराशि के संबंध में बिहार सरकार द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना है। बिहार सरकार ने वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान प्रदान की गई धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इसने प्रदान की गई 1748.70 लाख रु. की धनराशि में से केवल 274.22 लाख रु. की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण

1018. श्री के. प्रधानी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायाधिकरण के पास कौन-कौन से मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) इन मामलों पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की स्थापना की है जिसका मुख्यालय मुबंई में है। इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया से संबंधित निम्नलिखित तीन औद्योगिक विवादों को न्याय निर्णयन के लिए क्रमशः 7.12.90, 2.4.93 और 19.10.93 को उक्त राष्ट्रीय अधिकरण के लिए संदर्भित किया गया था।

1. 7.12.1990 को न्याय-निर्णयन के लिए संदर्भित विवाद :

विचारार्थ विषय

(i) प्रबंधन और आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच हस्ताक्षरित दिनांक 26.2.1989 के समझौता ज्ञापन की दृष्टि से, क्या इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबंधन तथा आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच हस्ताक्षरित दिनांक 26.2.1989 के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शामिल किए गए मामलों के संबंध में अब उठाई गई कर्मचारियों की नई मांगें विधि सम्मत और न्यायोचित हैं?

(ii) यदि (i) का उत्तर हां हो तो क्या एयर इण्डिया के एयर क्राफ्ट इंजीनियरों के साथ सापेक्ष/ समानता का दावा करने के संबंध में एयरक्राफ्ट इंजीनियरों की मांगे न्यायोचित हैं और यदि हां तो राहत की सीमा कितनी और किस तारीख से लागू की जानी चाहिए?

(iii) प्रबंधन और आई एफ ई ए के बीच हस्ताक्षरित दिनांक 16 दिसम्बर, 1988 के समझौता ज्ञापन के दृष्टिगत, क्या इंडियन एयरलाइन्स के के प्रबंधन और आई एफ ई ए के बीच हस्ताक्षरित दिनांक 16.12.1988 के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शामिल किए गए मामलों के संबंध में एसोसिएशन द्वारा अब उठाई गयी मांग विधि सम्मत और न्यायोचित है?

(iv) यदि (iii) का उत्तर हां हो, तो क्या कम्प्यूटिंग डेल्टा डी जी टी, डेल्टा नं. -2, डेल्टा आयल प्रेसर और डेल्टा फ्यूल फलों के लिए दावा करने की फ्लाइट इंजीनियरों की मांग न्यायोचित है, और यदि हां तो राहत की सीमा कितनी और किस तारीख से लागू की जानी चाहिए?

(v) क्या समान कार्य करने वाले कामगारों की तुलनात्मक श्रेणियों के संबंध में इंण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंण्डिया के बीच वेतन ढांचे के मामले में सापेक्षता/समानता होनी चाहिए यदि हां, तो कितनी?

(vi) क्या इण्डियन एअरलाइन्स और एअर इण्डिया में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के मध्य मजदूरी ढांचे के मामले में कोई सापेक्षता होनी चाहिए? यदि हां, इस सापेक्षता का निर्धारण कैसे किया जाए और किस सीमा तक?

(vii) इंण्डियन एअरलाइन्स और एअर इण्डिया के कर्मचारियों के बीच और इण्डियन एअरलाइन्स और एअर इण्डिया में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भी सापेक्षता/समानता को निर्धारित करने के लिए कौन से भत्ते, लाभ और अन्य सेवा शर्तें संगत होंगी।

(viii) कार्य की प्रकृति, वेतन ढांचा और उक्त कर्मचारियों पर लागू अन्य विशेषाधिकारों, परिलब्धियों और लाभों के आधार पर एअर इण्डिया और इण्डियन एअरलाइन्स के कर्मचारियों की कौन-कौन सी श्रेणियां हैं जिन्हें कर्मकार और गैर-कर्मकार समझा जाना चाहिए?

(ix) विद्यमान परिस्थितियों, और दोनों एअरलाइनों के भीतर मजदूरी ढांचे को ध्यान में रखते हुए और न्यायाधिकरण द्वारा जैसा कि निपटाया गया है, उक्त मुद्दों के व्याख्यापन के विवाद से बचने के लिए, न्यायाधिकरण से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह 1.9.90 से 5 वर्षों की अवधि के लिए एअर इण्डिया और इण्डियन एअर लाइन्स के कर्मचारियों के निबधनों और शर्तों के निम्नलिखित पहलुओं के बारे में पंचाट दे;

(क) संशोधित वेतनमान और संशाधित वेतनमानों में वेतन का निर्धारण।

(ख) प्रतिपूरक और अन्य भत्ते, जिनमें मंहगाई भत्ता शामिल नहीं है।

(ग) कार्य के घंटे।

(घ) स्थायी आदेशों के अन्यथा शिफ्ट वर्किंग।

(ङ) ग्रेडों के अनुसार वर्गीकरण।

(च) यौक्तिकीरण।

2. 2.4.1993 को न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित विवाद :

विचारार्थ विषय

क्या इण्डियन फ्लाइट इंजीनियर्स एसोसिएशन (आई एफ ई ए) की निम्नलिखित मांगे युक्तिसंगत हैं :-

(क) एक अतिरिक्त कमान्डर के साथ संचालित किए जाने वाले 9 (नौ) घंटे से अधिक वाले लांगहाल फ्लाइटों में एक द्वितीय फलाइट इंजीनियर;

(ख) एअर इण्डिया बोइंग 747 और एअर बस 300 एअर क्राफ्टों के काकपिट क्रिव के समायोजन के लिए उनके दावे पर आधारित प्रतिपूर्ति;

(ग) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उनके यूनिफार्म पर हाफ विंग के स्थान पर फुल विंग की व्यवस्था की जाए;

यदि हां, तो वे किस राहत के हकदार हैं?

3. 19.10.1993 को न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित औद्योगिक विवाद :

विचारार्थ विषय

"क्या एअर-इण्डिया कैबिन क्रिव एसोसिएशन की भारत/यू. के. सैक्टर पर नॉन-स्टॉप फ्लाइटों के संचालन के लिए किसी भत्ते अथवा उचित धनीय प्रतिपूर्ति की अदायगी की जाने की मांग युक्तिसंगत है? यदि हां, तो वे कर्मकार किस राहत के हकदार हैं?"

2.4.1993 को न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित औद्योगिक विवाद के संबंध में, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने विचारार्थ विषयों के भाग (क) और (ग) के संबंध में 27.7.1994 को एक पंचाट दिया। पंचाट को 1.10.94 को पहले ही राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। अन्य मुद्दों से संबंधित पंचाट अभी भी लंम्बित हैं।

चूंकि मामला न्यायनिर्णयाधीन है, अतः ऐसी समय सीमा को बता पाना संभव नहीं है कि कब तक मुद्दों को अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

सत्यजीत राय फिल्म संस्थान

1019. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कलकत्ता स्थित सत्यजीत राय फिल्म संस्थान ने क्या प्रगति की है;

(ख) इस संस्थान के वास्तविक कार्यक्रम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संस्थान को आधुनिक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). कलकत्ता में सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्था (एस.आर.एफ.टी.आई.) को स्थापित करने सम्बन्धी परियोजना को सितम्बर, 1992 में मंजूर की गयी थी। परियोजना के लिए सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 1996-97 के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। प्रारंभ में यह संस्थान 2.9.1996 से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र से चार विषयों नामशः निर्देशन, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, सम्पादन तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेगा। शेष पांच और विषयों नामशः अभिनय, कला निर्देशन, कम्प्यूटर ग्राफिक व एनीमेशन, प्रणाली अभियांत्रिकी तथा अनुरक्षण और रूप-सज्जा के पाठ्यक्रम सभी सिविल निर्माण कार्यों के पूरा होते ही एवं आवश्यक आधारभूत प्रशिक्षण सुविधा के उपलब्ध होते ही शुरू कर दिए जाएंगे।

(ग) और (घ). संस्थान का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और संस्थान की आवश्यकताओं तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए आधुनिकीकरण किया जाता है।

[अनुवाद]

उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का चालू किया जाना

1020. कर्नल (सेवानिवृत) सोनाराम चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में छोटन और जेसलमेर जिले में रामगढ़ में उच्च शक्ति वाले रिले ट्रांसमीटरों के लगाये जाने का काम पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इन रिले ट्रांसमीटरों को कब तक संचालित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जैसलमेर के रामगढ़ (10 कि. वा.), तथा बाड़मेर के छोटन (अस्थायी टावर सहित 1 कि.वा. अन्तरिम स्थापना) में उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार हैं तथा परियोजनाओं हेतु स्टॉफ की मंजूरी मिलते ही चालू कर दिए जाएंगे।

राजस्व को बढ़ाने के उपाय

1021. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से एयर इंडिया को पर्याप्त कदम उठाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). एयर इंडिया के वित्तीय निष्पादन में सुधार करने के लिए इसे सलाह दी गई है कि वह अपने विपणन प्रयासों को तीव्र करने, क्षमता बढ़ाने, गैर-प्रचालनात्मक लागतों को कम करने के लिए कदम उठाए और अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध निष्पादन में सुधार करे।

विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं को स्वीकृति

1022. **श्री जगमोहन** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1995 तक पर्यटन से संबंधित विदेशी निवेश वाली कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितना विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इन परियोजनाओं में आज तक वास्तव में कितना विदेशी निवेश हुआ है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). सितम्बर, 1991 से दिसम्बर, 1995 तक 1896.39 लाख रुपयों की राशि के लिए होटल एवं पर्यटन क्षेत्र के 93 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

(ग) मई, 1996 तक विदेशी निवेश का वास्तविक अंतर्वहन 87.18 करोड़ रुपये है।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1023. **श्री जी.जी. स्वैल** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादों के सरकारी मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की लागत में तीव्र वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो जनसामान्य के उपयोग की वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). मंत्रालय 18 चुनिंदा केन्द्रों पर कुछ आवश्यक वस्तुओं की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कई केन्द्रों पर पिछले 10 दिनों के दौरान कुछ वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में मामूली सा परिवर्तन रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में दूरभाष केन्द्र

1024. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय जिलावार दूरभाष केन्द्रों की क्षमता कितनी है;

(ख) तकनीकी दृष्टि से दूरभाष केन्द्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरभाष केन्द्रों को नया रूप देने तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) राजस्थान में कार्यरत ग्रामीण तथा सार्वजनिक शहरी तथा एस.टी.डी. सुविधा वाले दूरभाषों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा चालू वर्ष में इस समय कार्यरत पी.सी.ओ. के अतिरिक्त जिलाबार कितने और पी.सी.ओ. लगाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) जिलावार उन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां नये इलैक्ट्रोनिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना का विचार है;

(च) दूरसंचार समितियां किस आधार पर गठित की जाती हैं; और

(छ) स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों/सांसदों को इसमें सम्मिलित नहीं करने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल क्षमता 6,38,435 है। एक्सचेंज क्षमता तथा प्रत्येक श्रेणी के एक्सचेंजों की संख्या के जिले-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 13 इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों में से 12 एक्सचेंजों को चरणबद्ध तरीके से बदले जाने की योजना है।

वर्ष 1996-97 के दौरान संवर्धित मांग को पूरा करने के लिए एक्सचेंज क्षमता में 151,300 लाइनों की निवल वृद्धि किए जाने की योजना है।

(घ) राजस्थान में 23,531 पी सी ओ हैं जिनमें से 6,953 में एस. टी. डी. सुविधा है। ग्रामीण और शहरी पी सी ओ के जिलेवार ब्यौरे और वर्ष के दौरान और प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित पी सी ओ की संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ङ) शहरी क्षेत्रों में लगाए जाने वाले नए मुख्य इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के जिला वार ब्यौरें विवरण-III में दिए गए है। मांग के पूर्वानुमान तथा छोटे एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त भूमि तथा भवन उपलब्ध होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में और कुल 155 छोटे एक्सचेंज भी खोले जाएंगे।

(च) और (छ). प्रत्येक महानगरीय टेलीफोन जिले/दूरसंचार सर्किल तथा महाप्रबंधक/दूरसंचार जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र (एस एस ए) के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में नामांकन, संचार मंत्रालय द्वारा संबंधित सर्किल प्रमुख, संसद सदस्य और विभिन्न स्थानीय निकायों की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया जाता है। समाज के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय लोगों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर भी विचार किया जाता है। तथापि, माननीय संसद सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है। अतः स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल न किए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

विवरण-I

30.6.96 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों का जिले-वार एवं औद्योगिकी-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	क्षमतां	एक्सचेंज की किस्म		कुल
			इलैक्ट्रानिक (अदद)	इलेक्ट्रो-मेकेनिकल (अदद)	
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	39508	62	2	64
2.	अलवर	29234	87	1	88
3.	बासवाडा	8588	29	1	30
4.	बारन	4412	12	1	13
5.	बारमेर	11888	46		46
6.	भरतपुर	10920	33		33
7.	भिलवाड़ा	17072	47	-	47
8.	बीकानेर	21796	41	1	42
9.	बूंदी	6150	29	-	29
10.	चित्तौड़गढ़	11680	37	1	38
11.	चुरू	14032	41	-	41
12.	दौसा	7608	35	-	35
13.	धौलपुर	4384	12	-	12
14.	डूंगरपुर	6008	23	-	23
15.	हनुमानगढ़	12256	32	-	32
16.	जयपुर	148328	109	1	110
17.	जैसलमेर	3824	13	-	13
18.	जालौर	7808	42	-	42
19.	झालावाड़	6992	22	-	22
20.	झुन्झुनू	17706	58	-	58
21.	जोधपुर	45092	64	1	65
22.	कोटा	26836	27	1	28
23.	नागौर	18680	77	-	77
24.	पाली	27876	105	1	106
25.	राजसमंद	10456	42	-	42

1	2	3	4	5	6
26.	स्वाई माधोपुर	14048	46	–	46
27.	सीकर	20631	68	1	69
28.	सिरोही	9652	38	–	38
29.	श्रीगंगानगर	29956	57	–	57
30.	टौंक	7398	32	–	32
31.	उदयपुर	37616	65	1	66
	जोड़	638435	1431	13	1444

विवरण–II

30.6.96 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक टेलीफोनों के जिलावार ब्यौरे तथा 1996–97 के दौरान लगाए जाने वाले प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन			शहरी सार्वजनिक टेलिफोन			
		एसटीडी रहित	एसटीडी युक्त	96–97 के दौरान लगाए जाने वाले	एसटीडी युक्त	96–97 के दौरान लगाए जाने वाले	एसटीडी रहित	96–97 के दौरान लगाए जाने वाले
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	683	–	230	508	200	218	30
2.	अलवर	553	–	400	244	200	313	50
3.	बांसवाड़ा	423	–	200	80	150	51	25
4.	बारन		कोटा सहित			कोटा सहित		
5.	बारमेर	614	–	200	73	175	45	25
6.	भरतपुर	547	5	300	89	200	14	50
7.	भिलवाडा	572	–	350	261	175	91	75
8.	बिकानेर	322	–	133	179	100	167	30
9.	बूंदी	212	–	200	35	125	15	25
10.	चित्तौड़गढ़	416	–	200	69	125	35	25
11.	चुरू	360	–	200	82	125	46	25
12.	दौसा		जयपुर सहित			जयपुर सहित		
13.	धौलपुर	152	–	200	39	125	8	25
14.	डूंगरपुर	209	–	125	60	100	47	25
15.	हनुमानगढ़		श्री गंगानगर सहित			श्री गंगानगर सहित		
16.	जयपुर	781	–	500	1816	375	1018	100
17.	जयसलमेर	191	6	50	65	75	36	10
18.	जालौर	343	–	150	57	125	17	25
19.	झालवाड़ा	306	–	200	101	125	65	25
20.	झुन्झुनू	480	–	200	272	175	135	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	जोधपुर	646	-	115	625	350	425	100
22.	कोटा	443	-	400	384	300	126	100
23.	नागौर	681	-	250	96	200	81	50
24.	पाली	553	-	125	319	100	153	55
25.	राजसमंद		उदय पुर सहित			उदय पुर सहित		
26.	सवाईमाधोपुर	516	-	300	124	200	85	250
27.	सीकर	463	-	200	267	250	145	50
28.	सिरोही	318	-	75	187	100	84	25
29.	श्रीगंगानगर	663	-	500	184	325	115	100
30.	टोंक	261	-	200	99	150	50	50
31.	उदयपुर	997	-	500	637	350	288	125
	जोड़	12705	11	6500	6942	5000	3873	1500

विवरण–III

1996–97 के दौरान राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लगाए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंज

राजस्थान

क्र.सं.	स्थान	किस्म	सकल
1	2	3	4
(क) नई प्रौद्योगिकी			
1.	जयपुर	ईडब्ल्यूएसडी	9000
2.	जयपुर	एचटी एल	5700
3.	कोटा	"	10000
4.	उदयपुर	ईडब्ल्यू एसडी	10000
5.	जयपुर	एच टी एल	25000
6.	कोटा	ईडब्ल्यू एस डी	10000
		जोड़	94700
(ख) ई–10 बी			
1.	अजमेर	आरएलई	1000
2.	अलवर	"	500
3.	श्रीगंगानगर	ईएक्सपी	500
4.	उदयपुर	"	400
		जोड़	2400
(ग) सी–डॉट			
1.	बालोत्तरा	ईएक्सपी	1000
2.	बारमर	ई.एक्स.पी.	1000
3.	बांसवाड़ा	"	1000
4.	बेवार	मेन	7000
5.	भरतपुर	ईएक्सपी	1500
6.	भिलवाडा	"	2000
7.	झुनझुनू	"	1000
8.	सिकर	"	2000
9.	बाड़मेर	"	3000
10.	बांसवाड़ा	"	3000
11.	जैसलमेर	मुख्य	3500
		जोड़	25000
		एस/कुल	122100
		प्रतिस्थापन	20000
		निवल	102100

[अनुवाद]

सिनेमाघरों में प्रातःकालीन शो

1025. श्री सौम्य रंजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में सिनेमाघरों में दिखाए जाने वाले प्रातःकालीन शो को बन्द करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह प्रस्ताव कब तक लागू हो जायेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) फिल्मों के प्रमाणन को छोड़कर सिनेमा राज्य का विषय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली के सिनेमा हालों में दिखाए जा रहे प्रातःकालीन शो को बन्द करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन केन्द्र

1026. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में दूरदर्शन के कुछ "अनुषंगी केन्द्र" स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार जिन-जिन स्थानों पर ये स्थापित किए जायेंगे, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) हालांकि दूरदर्शन नेटवर्क में इस प्रकार के कोई अनुषंगी टेलीविजन केन्द्र नहीं हैं। तथापि, वर्तमान में देश में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित टेलीविजन स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का राज्यवार एवं स्थलवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) सामान्यतया इस प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगने वाला सामान्य समय 2 से 4 वर्ष के बीच भिन्न-भिन्न है जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित स्कीम को स्वीकृत करने और निधियों के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

विवरण-I

देश में राज्यवार एवं स्थलवार स्टूडियो केन्द्रों की सूची, जो कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थल
1	2	3
1.	असम	
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा विजाग वारंगल
3.	अरुणाचल प्रदेश	
4.	बिहार	रांची (विस्तार)
5.	गोवा.	
6.	गुजरात	राजकोट (विस्तार) जूनागढ़
7.	हरियाणा	हिसार
8.	हिमाचल प्रदेश	
9.	जम्मू तथा कश्मीर	श्रीनगर (विस्तार)
10.	केरल	त्रिचूर
11.	कर्नाटक	
12.	मध्य प्रदेश	इन्दौर ग्वालियर जगदलपुर
13.	मेघालय	
14.	महाराष्ट्र	मुंबई (विस्तार) नागपुर (विस्तार) पुणे
15.	मणिपुर	-
16.	मिजोरम	-
17.	नागालैण्ड	-
18.	उड़ीसा	संबलपुर (स्थायी) भवानीपटना
19.	पंजाब	पटियाला
20.	राजस्थान	उदयपुर
21.	सिक्किम	गंगतोक
22.	तमिलनाडु	सेलम कोयंबटूर मदुरै
23.	त्रिपुरा	-
24.	उत्तर प्रदेश	मऊ इलाहाबाद मथुरा वाराणसी
25.	पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी शांतिनिकेतन
26.	दिल्ली	दिल्ली (विस्तार)
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
28.	पांडिचेरी	
29.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

विवरण–II

देश में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित टेलीविजन ट्रांसमीटरों की राज्यवार एवं स्थलवार सूची

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थल: कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	स्थापित करने हेतु परिकल्पित परियोजनाएं
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	**उ.श.ट्रा.**	**उ.श.ट्रांस.**
	करनूल	वारांगल
	राजामुंदरी	आनगोल
	हैदराबाद(डी.डी.-2)	
	अ.श.ट्रास.	**अ.श.ट्रास.**
	कादिरी	विनुकोन्डा
	वेलमयल्ली	कोन्डुकर
	मरकापुर	कानिगिरी
	तम्बलापल्ली	दत्तालुर
	पासरा	मादीपरदु
	पेडानन्दीपाडु	
	तूनी	
	राजमपेट	
	बासंवाड़ा	
	मछेरला	
	भैंसा	
	नरसारोपेट	
	अचमपेट	
	जदछेरला	
	दारसी	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
	सीतमपैट्टा	
अरुणाचल प्रदेश	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**	
	मियाओ	रोइंग
	अ.अ.श.ट्रा	
	पीपू दीयू/नयापिन	
	योमचा	
	ताली/तुर्तींग	
	मियोग/यिंगकांक	
	कालाटग	
	छायाग ताजो	
	लोगडिंग	
	खिमयोंग	
	नामचोंग	
	हवाई	
	करोनली	
	हुनली	
	गेकु	
	बोलंग	
	मरीयांग	
	मेचुका	
	केयिंग	
	डाराक	
	लिरोमोवा	
	तिरविन	
	गेन्सी	
	तलीहा	
	बरीरजो	
	पालीन	
	सागाली	
	सेइंजोसा	
	रूपा	
	मुक्तो	
	ट्रान्सपोजर	
	साखीव्यू	
असम	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**	
	तेजपुर	
	जोरहट	
	बोंगइगांव/कोकराझाड	
	अ.श.ट्रा.	
	बांकाकहाट	
	सिलचर (डी.डी.-2)	
	डिब्रूगढ़ (डी.डी.-2)	
	ट्रांसपोजर	
	गुवहाटी	
बिहार	**अ.श.ट्रा.**	**उ.श.ट्रा.**
	नौवामुण्डी	मोतीहारी
	कोडरमा	जमशेद-पुर
	फूलपारस	देवगढ़
	सराय कैला	**अ.श.ट्रा.**
	लखीसराय	ओसवा
	सिकन्दरा	रोसरा

1	2	3
	मुशाबनी	बोध गया
		झुमरी तलैया
अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	
	सिमडेगा	
	घरहवा	
गोआ	अ.श.ट्रा.	
	पणजी (डी.डी.-2)	
गुजरात उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.	
	भुज (स्थायी)	
	अ.श.ट्रा.	पालीताना
	मांरवी	सूरत
	दिसा	बडोदरा
	रजुला	राधानपुर
	खम्बालिया	जुनागढ़
	अमोद	
	मंगरोल (सूरत)	
	जंगडिया	
	धावी	
अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	
	सागवारा	
	बांटाड	
	जामजोधपुर	
	राजपीपला	
	व्यारा	
	धरमपुर	
	उमरगांव	
	मांदासा	
हरियाणा अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	चक्री दादरी	हिसार
	रोहतक	अ.श.ट्रा.
		फिरोजपुर जिरका
		महेन्द्रगढ़ पिनाकखान
		तोहना
हिमाचल प्रदेश	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	सुजानपुर	धर्मशाला
	सुन्दर नगर	
	रामपुर	

1	2	3
		अ.श.ट्रा.
		आशापुरी
		मंडी (डी.डी.-2)
		नैना देवी
	अ.अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.
	चोपाल	नेहरी
	कोटखई	कन्दाघाट
	जहल्मा	दलाश
	भरमौर	
	दरनी	
	होली	
	परवान	
	डलहौजी	
	रोहरू	
	तिस्सा	
	चौंड़ी खास	
	पिरभयानू	
	जाति नगरी	
	काजा	
	उदयपुर	
	अवाह देवी	
	करसोग	
	बंजर	
	चुंयई	
जम्मू तथा कश्मीर	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
उ.श.ट्रा.	राजौरी	नौशेरा
	पुंच्छ	कथुवा
	उधमपुर	
	ट्रांसपोजर	अ.अ.श.ट्रा.
	नगरोटा	दरहल
		टंग्स्टे
		रिंगडम गोम्पा
		मुल्बेख/शरूगोल
		बफिलयाज
		खल्सी
		चौशाल
		बटलिक
		तुर्टोक
		बेसकैम्प (सियाचिन)

1	2	3
	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
कर्नाटक उ.श.ट्रा.	गुलबार्ग	बंगलौर
	बंगलौर	मैसूर
	(डी.डी.-2)	रायचूर
		हसन
	अ.श.ट्रा.	
	गोकाक	
	जामखण्डी	
	हरपनहल्ली	
	पुलुर	
	तुम्कुर	
	अ.अ.श.ट्रा.	
	मधुगिरी	
	सुल्या	
	बादामी	
केरल उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	कालीकट (स्थाई)	कैन्नानौर
	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	थोडुपूजा	
	अदूर	पाला
	अट्टापड्डी	कैन्नानोर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.
	मुन्नार (देवीकोलम)	ईरालुपेट्टा
		मुंडाकायम
मध्यप्रदेश	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	गदरवारा	अम्बिकापुर
	बड़ा मल्हेरा	गुना
	केलारस	शहडोल
	शक्ति	सागर
	नारायणपुर	अ.श.ट्रा.
	गरोट	
	सारगढ़	खरोद
	धानपुरा	पालालगांव
	सीतामऊ	मुल्लई
	पिपरिया	
	अ.अ.श.ट्रा.	
	सिंगरौली	
	कोयलीबेड़ा	

1	2	3
	पेन्द्रा रोड	
	डयमण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट	
	मोदकपल्ल	
	बीजापुर	
महाराष्ट्र उ.श.ट्रा.		उ.श.ट्रा.
		चन्द्रपुर
		जलगांव
		महिपतगढ़
		ब्रह्मपुरी
	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	अम्बेत	रावर
	शिरपुर	पांढरवाड़ा
	नवापुर	मंगलवेधा
	अहेरी	पाटन (सतारा)
	उमरखेड	खानपुर
	खोपोली	चिमुर
	मानगांव	आकलकोट
	सताना	दरियापुर
	सिरोंचा	धाडगांव
	चांदुर	अर्जुनी
	चिकोली	कुरखेडा
	महाद	सिंधवाही
		फालतेन
		करंजा(वर्धा)
		पुलगांव
		तिवसा
		सकोली
		तुमसर
		भंडारा
		पिंपलनेर-सकरी
	अ.अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.
	मालवन	वाई
	मलकापुर	कोरेगांव
	भोकर	अस्ठी
	ट्रांसपोजर	
	बदलापुर	
मणिपुर	उ.श.ट्रा.	
	चुराचांदपुर	

1	2	3
		अ.अ.श.टू.
		जिरिबाम
	अ.अ.श.टू.	
	मोरेह	
	कांगपोकपी	
मेघालय		**ट्रांसपोजर**
		शिलांग
मिजोरम		**अ.श.टूं.**
		सैहा
		लुंगलेई (डीडी-II)
		ट्रांसपोजर
		आइजोल
	अ.अ.श.टू.	
	चम्फई	
नागालैण्ड	**उ.श.टू.**	**अ.श.टू.**
	मोककेकचुंग	मोकोकचुंग (डीडी-2)
	अ.अ.श.टू.	**ट्रांसपोजर**
	फेक	बारा बस्ती
	सताखा	
उड़ीसा	**उ.श.टू.**	**उ.श.टू.**
	बालेश्वर	**बरहामपुर**
	संबलपुर	
	अ.श.टू.	**अ.श.टू.**
	नयागढ़	बहालदा
	सोनेपुर	
	मोहाना	
	तुशारा/सैनथाला	
	कबिसूर्यनगर	
	सोहेला	
	उमरकोट	
	कोटपद	
	गोंदिया (कपिलास)	
	खरजर	
	पडुआ	
	करंजिया	
	कुलाद	
	रतनगढ़	

1	2	3
उड़ीसा	**अ.अ.श.टू.**	**अ.अ.श.टू.**
	औल	पैकमल
	थुआमल रामपुर	
	चित्रकोंडा	
	बडाबारबिल	
	बरपल्ली	
	नागची	
	मछकुंड	
	काशीपुर	
	लांजीगढ़	
	जयापटना	
	सिमलीपालगढ़ु	
	उदयगिरि	
	सुकिंडा	
	कोकसरा	
	कलमपुर	
	ट्रांसपोजर	
	धेनकनाल	
	चांदीपारा	
पंजाब	**उ.श.टू.**	
	फाजिल्का	
	अ.श.टू.	
	पटियाला	
राजस्थान	**उ.श.टू.**	**उ.श.टू.**
	बाड़मेर	अजमेर
	जैसलमेर	अनूपगढ़
	जोधपुर	बीकानेर
		नाथद्वारा
	अ.श.टू.	**अ.श.टू.**
	बड़ी सादरी	नवलगढ़
	हिंडौन	सांगवारा
	मकराना	कुशलगढ़
	करौली	पिरावा
	फलोदी	सिकराई
	राजगढ़ (चूरू)	नागर
	माउंट आबू	किशनगढ़ (अलवर)
	प्रतापगढ़	नसीराबाद
	नोहर	भिनमाल

1	2	3
	शाहपुरा	सोज़ात
	निमज	बाली
	केसरियाजी	सांचोज
	तिबि	दरियावाड
		भरतपुर
		सूरजगढ़
		किशनगढ़ (अजमेर)
		विजयनगर
		आंधी
		विराटनगर
		तारा नगर
	अ.अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.
	गंगापुर (भीलवाड़ा)	कोटरा
	लालसोट	नीमका थाना
	लक्ष्मणगढ़	
सिक्किम		अ.अ.श.ट्रा.
		सिंगतम
		रांगपो
		जोरेथंग
तमिलनाडु		उ.श.ट्रा.
		धर्मपुरी
		कुम्बकोनम
		तिरुनेलवेल्ली
	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	पटटूकोट्टई	नटट्म
	अंतूर	गिंजी
	शकरण कोविल	पलनी
	कृष्णागिरि	अम्बासमुदरम
	थीरुवाईयारन	दैनकनीकोटा
	इरोड़	वदावासी
		चैय्यार
		कलाबुरूची
	अ.अ.श.ट्रा	चिदंबरम
	मेटटूप्लायम	
	वालपराई	
त्रिपुरा	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	कैलाशहर	जोलाईबारी
	तैलियामुरु	अमरपुर
		अम्बासा

1	2	3
	कैलाशहर डीडी-II	
	अ.अ.श.ट्रा.	
	धर्मनगर	
उत्तर प्रदेश	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	बांदा	लखीमपुर
		जलौन
	अ.श.ट्रा.	
	अल्मोड़ा	
	औरय्या	
	गंज दुंदवारा	
	हल्द्वानी	
	महोबा	
	मऊ रानीपुर	
	नौगढ़	
	न्यू टिहरी	
	रुदौली	
	कासगंज	
	करणप्रयाग	
	नानपारा	
	अयदामा	
	नैनी डांडा	
	बाराकोट	
	अहमरोहा	
उत्तर प्रदेश	अ.अ.शा.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.
	चमोली	नंदप्रयाग
	चौखटिया	पोखरी
	जोशीमठ	
	देवप्रयाग	
	लैंसडाउन	
	प्रतापनगर	
	बिंसर	
	बसोठ/भिखयासेन	
	गन्जा	
	फतेह पर्वत	
	खेतपर्वत	
	राजगढ़ी	
	सिराकोटा बैकुंठम	
	ढैहा	

1	2	3
	थराली	
	रुद्रप्रयाग	
	नौगांवखल	
	केदारनाथ	
	बद्रीनाथ	
	गौरीकुंड	
	मानेश्वर	
	माणिकपुर	
	दोसी	
	मणिला	
पश्चिम बंगाल		अ.श.ट्रा.
		बलूरघाट
		खडगपुर
		कृष्णनगर
		शान्ति निकेतन
	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	फरक्का	घरबेला
	रायना	बलरामपुर
		कूच बिहार
	मुर्शिदाबाद (डीडी-2)	
	बसंती	
	विष्णुपुर	
		अ.अ.श.ट्रा.
		बागमंडी
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	अ.श.ट्रा. पोर्ट ब्लेयर (डीडी-2)	
	अ.अ.श.ट्रा.	
	ग्रेट निकोबार	
दादर एवं नगर हवेली	अ.श.ट्रा. सिल्वासा	
दमन एवं दियू	अ.श.ट्रा.	
	दियू	
	अ.श.ट्रा.	
लक्षद्वीप	अंडरोट	
	मिनीकाय/अमीनी	
पांडिचेरी	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	पांडिचेरी	पांडिचेरी
	(डीडी-2)	

उपभोक्ता कल्याण निधि

1027. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता कल्याण निधि को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) देश में उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत बनाने/प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों को उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता और जून 1996 तक (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1994-95 से 1996-97 के दौरान (जून 1996) उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वित्तीय सहायता

(स्वीकृत राशि रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97 (जून 95)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5,00,000	8,61,950	3,05,575
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	72,000	-	-
4.	बिहार	-	1,40,000	1,20,600
5.	गोवा	-	-	-
6.	गुजरात	11,04,250	4,76,000	-
7.	हरियाणा	-	1,71,000	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	1,54,080	-
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
10.	कर्नाटक	4,00,000	3,47,420	31,500
11.	केरल	-	3,87,955	-
12.	मध्य प्रदेश	-	64,800	-
13.	महाराष्ट्र	-	16,87,290	-

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	-	-	-
15.	नागालैंड	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-
17.	मेघालय	-	-	22,500
18.	उड़ीसा	-	13,55,170	56,700
19.	पंजाब	-	-	-
20.	राजस्थान	5,71,950	2,00,250	-
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तमिलनाडु	12,78,300	15,19,620	4,65,150
23.	त्रिपुरा	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	77,400	5,62,500	2,76,300
25.	पश्चिम बंगाल	1,25,000	93,600	-
26.	अंडमान व निकोबार			-
27.	चंडीगढ़	-	67,500	-
28.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-
29.	दमन और दीव	-		-
30.	दिल्ली	5,00,000	10,09,650	4,00,500
31.	लक्षद्वीप	-	-	-
32.	पांडिचेरी	-	-	-
	जोड़	46,28,900	90,98,785	16,78,825

सेल्यूलर टेलीफोनों के दुष्प्रभाव

1028. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में व्यापार करने के लिए कितनी विदेशी फोन कम्पनियों को अनुमति दी गई है और उनके नामों एवं स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान सेल्यूलर फोनों के अधिकाधिक उपयोग के संबंध में विदेशों में हो रहे अनुसंधान और मानव मस्तिष्क पर उनके क्षतिकारी प्रभाव की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य विभाग को सेल्यूलर फोन के उपयोग और मानव मस्तिष्क पर उसके क्षतिकारी प्रभाव पर अपनी जांच करने का निदेश देने का है; और

(घ) इस संबंध में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) चार महानगरों के लिए भारतीय कम्पनियों के नाम उनके विदेशी भागीदारों सहित तथा आवंटित किए गए दूरसंचार क्षेत्रीय सर्किलों के नाम क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

महानगरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन हेतु लाइसेंस धारकों की सूची

कंपनी का नाम	विदेशी भागीदार का नाम	सेवा क्षेत्र
1	2	3
1. भारतीय सेल्यूलर लि.	i) मैसर्स जनरल मोबाइल, यू.के. ii) मैसर्स एनटेल लि., मारिशस iii) मैसर्स मोबाइल सिस्टम्स इन्टरनेशनल, यू.के.	दिल्ली
2. स्टलिंग सेल्यूलर लि.	मैसर्स सेल्यूलर कम्यूनिकेशन इन्टरनेशनल, यू.एस.ए.	दिल्ली
3. बी पी एल सिस्टम्स एण्ड प्रोजेक्टस लि.	i) मैसर्स फ्रांस टेलीकॉम ii) मैसर्स एल सी सी इन्का, यू.एस.ए	बम्बई
4. हचीसन मैक्स टेलीकॉम	हचीसन टेलीकाम लि. हांगकांग	बम्बई
5. मोदी टेलस्ट्रा प्रा. लि.	मैसर्स टेलस्ट्रा आस्ट्रेलिया	कलकत्ता

1	2	3
6. उषा मार्टिन टेलीकाम	टेलीकाम मलेशिया बी एच डी मलेशिया	कलकत्ता
7. आर पी जी सेल्यूलर सर्विसेस लि.	वोडाफोन ग्रुप पी एल सी, यू.के.	मद्रास
8. स्काई सेल कम्यूनिकेशनस प्रा. लि.	i) बैल साउथ इंटरनेशनल एशिया/प्रशान्त इनकार्पो, यू एस ए	मद्रास
	ii) मिलीकॉन इंटरनेशनल सेल्यूलर, दक्षिणी अफ्रीका	

विवरण–II

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस धारकों और सर्किलों के नाम

क्र.सं.	लाइसेंस धारक का नाम/विदेशी सहयोगी	सर्किल
1.	जे.टी. मोबाइल/तेलिया, स्वीडन	आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक*
2.	बिरला कम्यूनिकेशन/एटीएण्डटी, यूएसए	गुजरात, महाराष्ट्र
3.	यू.एस.-बीपीएल टेलीकॉम/ यू.एस. पश्चिम, यू एस ए	तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र
4.	एयरसेल दिनोनिक/स्विस पी टी टी स्विटजरलैंड	हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) राजस्थान*
5.	एस्कोटेल/फर्स्ट पैसिफिक हांगकांग	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), हरियाणा, केरल
6.	कोशिका/फिलीपाइनों टेलीकॉम, फिलीपाइन्स	उत्तर प्रदेश (पूर्वी) उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) उड़ीसा, बिहार*
7.	सेल्यूलर कॉम/स्यरटच, यू एस ए	मध्य प्रदेश
8.	रिलायन्स टेलीकॉम/नाइनेक्स यू एस ए	मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार उत्तर पूर्वी, असम, हिमाचल प्रदेश
9.	हेक्साकाम/कुवैत मोबाइल, कुवैत	उत्तर पूर्वी, राजस्थान*
10.	भारती टेलीनेट/स्टैट, इटली	हिमाचल प्रदेश
11.	टाटा काम/बैल, कनाडा	आंध्र प्रदेश
12.	फासकेल/बेजीक, इजराइल	गुजरात
13.	मोटीकॉम नेटवर्क प्रा. लि./ मोटरोला इंका यू एस ए/	कर्नाटक* पंजाब*
14.	मैसर्स एच एच एस कम्यूनिकेशन्स लि. सिंगापुर टेलीकाम लि.	तमिलनाडु

* नोट : केवल आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

कालीकट में खाड़ी की उड़ानों से राजस्व अर्जन

1029. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994, 1995 और 1996 के आरंभिक छः महीनों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर होने वाली खाड़ी के उड़ानों से अर्जित कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर खाड़ी के यात्रियों पर अंधाधुंध प्रयोगकर्ता प्रभार के लगाए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे यात्रियों पर नियमित प्रभार का लगाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) वर्ष 1994, 1995, और जून, 1996 तक के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा कालीकट हवाई अड्डे पर अर्जित राजस्व के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड
1993-94	16.93	26.22
1994-95	19.00	19.52
1995-96	11.98	8.48
(जून, 1996 तक)		

(ख) और (ग). कालीकट हवाई अड्डें पर "प्रयोक्ता प्रभार" लगाने के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। "प्रयोक्ता प्रभार" कालीकट हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर लगाया जा रहा हैं। इस राशि का उपयोग, मालावार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास सोसायटी द्वारा, कालीकट हवाई अड्डे के विकास के लिए जनता तथा अनिवासी भारतीयों से जुटाई गई राशि पर देय ब्याज के भुगतान के लिए किया जाएगा।

चीनी कारखाने

1030. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 और 1996 के दौरान जून तक महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में चीनी कारखानों के लिए आशय पत्र-जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा इन चीनी कारखानों को पहले कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी ताकि वे उन्हें चालू कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि इस समय राज्य सरकार द्वारा चीनी कारखानों को वित्तीय सहायता रोक दी गई है जिसके कारण वे चालू नहीं हो सके हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त चीनी कारखानों को शीघ्र चालू करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). 1995 तथा 1996 के दौरान (जून, 1996 तक) महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई भी आशय-पत्र नहीं जारी किया गया है।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठता।

नये विमानों की खरीद संबंधी प्रस्ताव

1031. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ नये विमान खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने नये विमान खरीदे जायेंगे और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नये विमानों को किन देशों अथवा कंपनियों से खरीदने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन विमानों की लागत कितनी होगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). एअर इंडिया ने जनवरी, 1995 में बोइंग एयरप्लेन कंपनी से दो बी. 747-400 विमान प्राप्त करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिनकी सुपुर्दगी कुल 1137.70 करोड़ रुपये की लागत पर अक्तूबर/नवम्बर, 1996 में की जायेगी। 545.40 करोड़ रुपए की संभावित लागत का एक और बी.747-400 विमान प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

इंडियन एयरलाइन्स का इस समय अपने विमान-बेड़े में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

होटलों को लाइसेंस

1032. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
कुमारी उमा भारती :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों के लाईसेंस देने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) पर्यटन विभाग होटलों को लाइसेंस जारी नहीं करता है जो कि राज्य/स्थानीय प्रशासन का विषय है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई दूरसंचार नीति

1033. **श्री हरिन पाठक :**
डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी दूरसंचार नीति में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दूरसंचार नीति उचित लागत पर टेलीफोन और मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराएगी;

(ग) उक्त नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को दूरसंचार सेवाओं की सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में विशेषकर अहमदाबाद और महानगरों में लम्बी अवधि तक बिना प्रतीक्षा किए प्रत्येक व्यक्ति को मांग करते ही तत्काल टेलीफोन उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इस नीति को कब कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में परिवर्तन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

(ख) नीति के अनुसार, बुनियादी टेलीफोन सेवाएं और साथ ही मूल्यवर्धित सेवाएं वाजिब और सामर्थ्य अनुसार लागत पर प्रदान की जानी है।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में वर्ष 1997 तक सभी गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना है।

(घ) और (ङ). दूरसंचार नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो रहा है और प्रतीक्षा अवधि धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इस वर्ष 24.5 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य है तथा आशा की जाती है कि प्रतीक्षा अवधि और कम हो जाएगी।

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 पर अमल करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) सरकार ने भारत में मूल्यवर्धित सेवाएं चलाने के लिए निजी कम्पनियों को अनुमति दी है। दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग देने के लिए सरकार ने बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी प्रचालकों को फ्रेंचाइज करने का निर्णय लिया है।

(2) नई प्रौद्योगिकियों और सेवाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(3) एक अनुसंधान और विकास संस्थान के तौर पर सी-डॉट पर्याप्त वित्त व्यवस्था के साथ विद्यमान है ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय मांग को पूरा कर सके और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी कर सके।

(छ) विशेषज्ञ प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 पर अमल एक सतत् प्रक्रिया है।

केरल में टी.वी. ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता

1034. **श्री ई. अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टी.वी. ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्रों की क्षमता कितनी कितनी है और ये प्रसारण कितने क्षेत्रों में सुने और देखे जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में नए उच्च शक्ति और निम्न शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) ये ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग). जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) मार्च, 96 तक दूरदर्शन परियोजनाओं पर किया गया व्यय लगभग 248.17 लाख रु. है।

(ङ) 1 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा 1 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार है और अन्य परियोजनाओं के 1997-98 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते धनराशि तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो।

विवरण-I

दिनांक 18.7.96 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1034 के भाग (क) के उत्तर में यथा उल्लिखित कवरेज क्षेत्र सहित केरल राज्य में कार्यरत आकाशवाणी/टी.वी. ट्रांसमीटरों की क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

स्थान	ट्रांसमीटर की क्षमता	संभावित कवरेज क्षेत्र लगभग वर्ग कि.मी.
1	2	3
1. आकाशवाणी		
त्रिवेन्द्रम	50 कि.वा. शा. वे.	सम्पूर्ण राज्य
	10 कि.वा. मी. वे.	1200
	1. कि.वा. मी. वे.	200
अलिप्पो	100 कि.वा. मी.वे.	17200
कालीकट	100 कि.वा.मी.वे.	13100
	1 कि.वा.मी.वे.	200
त्रिचूर	100 कि.वा.मी.वे.	13200
कोचीन	6 कि.वा. एफ.एम.	5600
	10 कि.वा. एफ.एम.	7000
कैन्नानोर	6 कि.वा.एफ.एम.	6800
इदुक्की (देवीकोलम)	6 कि.वा.एफ.एम.	11300
2. दूरदर्शन		हालांकि सम्पूर्ण केरल राज्य को उपग्रह के जरिए कवर किया जाता है तथापि, इसकी स्थलीय कवरेज लगभग 85.14 (दूरवर्ती क्षेत्रों सहित)
कोचीन	उ.श.ट्रा.	
तिरुवनन्तपुरम	" "	
कालीकट (अन्तरिम)	" "	
चेन्गापुर	अ.श.ट्रा.	
कैन्नानोर	" "	
चंगनाचेरी	" "	
इदुक्की	" "	
कलपेट्टा	" "	
कसरगोद	" "	
कायमकुलम	" "	
कल्लापुरम	" "	
पालघाट	" "	
पाथनमथिट्टा	" "	
पोन्नालुर	" "	
शोरानुर	अ.शा.ट्रा.	
तेल्लीचेरी	अ.श.ट्रा.	
त्रिचूर	अ.श.ट्रा.	
तिरुवनन्तपुरम (डीडी-II)	" "	
कोचीन (डीडी-II)	अ.श.ट्रा.	
कालीकट (डीडी-II)	" "	
कंजीरापल्ली	अ.अ.श.ट्रा.	

उ.श.ट्रा.-उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ.श.ट्रा.-अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ.अ.श.ट्रा.-अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

विवरण-II

दिनांक 18.7.96 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1034 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में यथाउल्लिखित केरल राज्य में दूरदर्शन के नए उच्च शक्ति तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के लिए अभिनिर्धारित स्थानों को दर्शाने वाला विवरण।

स्थान	क्षमता
कालीकट (स्थाई)	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
थोडुपूजा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
अड्डूर	-तथैव-
अट्टापड्डी	-तथैव-
मुन्नार (देवीकोलम)	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम को हानि

1035. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के परिवहन के परिणामस्वरूप, भारतीय खाद्य निगम को भारी नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में लागत मूल्य को मिलाकर प्रतिवर्ष औसतन कितने प्रतिशत हानि हुई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, नहीं। हानियां अत्यधिक नही हैं। गेहूं, चावल और धान

(चावल के रूप में) के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई मार्गस्थ हानियां निम्नानुसार हैं :-

(मात्रा लाख मीटरी टन में)
(कीमत करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मार्गस्थ हानियां		
	मात्रा	कीमत	संचलन की गई मात्रा के संबंध में प्रतिशतता
1992-93	3.48	149.73	1.65
1993-94	2.61	126.26	1.21
1994-95	2.24	115.53	1.18

(वर्ष, 1995-96 के संबंध में सूचना केवल तभी उपलब्ध हो सकेगी जब 1995-96 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और इनकी लेखापरीक्षा हो जाएगी)

गेहूं और चावल का मूल्य

1036. **जस्टिस गुमान मल लोढा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मदों के वर्तमान निर्गम मूल्य क्या हैं;

(ग) इन मदों का अलग-अलग खरीद मूल्य क्या है; और

(घ) क्या वर्ष 1994 से गेहूं और चावल के निर्गम मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). गेहूं और चावल के वर्तमान निर्गम मूल्य में वृद्धि करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गेहूं और चावल के 1.2.94 से प्रभावी वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं :-

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
गेहूं	402
चावल साधारण	537
बढ़िया	617
उत्तम	648

(ग) वर्तमान विपणन मौसम के लिए गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं :

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	न्यूनतम समर्थन मूल्य
गेहूं (रबी विपणन मौसम, 1996-97)	380
धान (खरीफ विपणन मौसम, 1995-96)	
साधारण	360
बढ़िया	375
उत्तम	395

(घ) जी, हां। चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में पिछला संशोधन 1.2.1994 से किया गया था।

विदेशी/निजी विमान कंपनियां

1037. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
कुमारी उमा भारती :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू वायु भागों पर और अधिक निजी और विदेशी विमान सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय कार्यरत निजी और विदेशी विमान कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त विमान कम्पनियों में से कुछ ने 1995-96 के दौरान अपनी सेवाएं बन्द कर दी थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी निजी और विदेशी विमान कम्पनियां हवाई अड्डों पर अपने विमान उतारने तथा अन्य शुल्कों का नियमित भुगतान करें?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). गैर-सरकारी विमान कम्पनियों और हवाई टैक्सी प्रचालकों को तो अंतर्देशीय विमान सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी जाती है किन्तु विदेशी विमान कम्पनियों को अंतर्देशीय मार्गों पर प्रचालन करने का अधिकार नहीं होता। फिलहाल देश में

प्रचालनरत गैर-सरकारी विमान कम्पनियां/हवाई टैक्सी प्रचालकों की सूची संलग्न है (विवरण-I) भारत को/से प्रचालन कर रही विदेशी विमान कम्पनियों की सूची संलग्न है (विवरण-II)

(घ) और (ङ). गैर-सरकारी विमानकम्पनियों में से मैसर्स के सी वी एयरवेज ने विमान उपलब्ध न होने के कारण अपनी सेवाएं वापस ले ली हैं तथा विदेशी विमानकम्पनियों में से ताजिकिस्तान इण्टरनेशनल एयरलाइंस और टावर एयर ने वर्ष 1995-96 के दौरान भारत में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं।

(च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गैर-सरकारी विमानकम्पनियों से प्रतिभूति जमा के रूप में 15 दिन के अनुमानित प्रचालन का प्रभार ले रहा है। विदेशी विमानकम्पनियों को क्रेडिट सुविधा दी गई है तथा पाक्षिक रूप से बिल बनाए जाते हैं और इनके समाहरण की निगरानी की जाती है।

विवरण-I

दिनांक 12.7.96 की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी अनुसूचित प्रचालकों की सूची

1. मैसर्स एनईपीसी एयरलाइंस
2. मैसर्स अर्चना एयरवेज प्रा. लि.
3. मैसर्स मोदीलुफ्थ
4. मैसर्स स्काईलाईन एनइपीसी लि.
5. मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) प्रा. लि.
6. मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स
7. मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइंस

दिनांक 12.7.96 की स्थिति के अनुसार हवाई टैक्सी प्रचालकों की सूची

1. मै. इंडिया इन्टरनेशनल एयरवेज प्रा. लि.
2. मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विसीज प्रा. लि.
3. मैसर्स यू.बी. एयर प्रा. लि.
4. मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्रा. लि.
5. मैसर्स साराया एविएशन प्रा. लि.
6. मैसर्स एरियल सर्विसीज प्रा. लि.
7. मैसर्स जगसन एयरलाइंस लि.
8. मैसर्स यू.पी. एयरवेज प्रा. लि.
9. मैसर्स वीआईएफ एयरवेज
10. मैसर्स स्पान एविएशन (आई) लि.
11. मैसर्स गुजरात एयरवेज
12. मैसर्स उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग इन्स्टीच्यूट
13. मैसर्स मैस्को एयरलाइंस
14. मैसर्स एलबी एयरलाइंस
15. मैसर्स ब्लू डार्ट एविएशन (प्रा0) लि0
16. मैसर्स मेगापोड एयरलाइंस
17. मैसर्स ईस्टर्न एयरवेज
18. मैसर्स स्पान एयर टैक्सी
19. मैसर्स रेमण्ड लि.

विवरण-II

दिनांक 12.7.96 की स्थिति के अनुसार भारत को/होकर/से/के ऊपर से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली विदेशी विमान कम्पनियों की सूची

क्र.सं.	विमान कम्पनी	राष्ट्रीयता
1	2	3
1.	एरोफ्लोट	रूस
2.	एयर कनाडा	कनाडा
3.	एयर फ्रांस	फ्रांस
4.	एयर लंका	श्रीलंका
5.	एयर मारीशियस	मारीशस
6.	एयर मालद्वीव्ज	मालद्वीव्ज
7.	एयर यूक्रेन	यूक्रेन
8.	अलीटालिया	इटली
9.	एरीआना अफगान	अफगानिस्तान
10.	बीमान बंगलादेश	बंगलादेश
11.	ब्रिटिश एयरवेज	यूनाइटेड किंगडम
12.	कैथे पेसीफीक	यूनाइटेड किंगडम/हांगकांग
13.	डेल्टा	अमेरिका
14.	ड्रुक एयर	भुटान
15.	इजिप्ट एयर	इजिप्ट
16.	इएल-एएल इजराइल	इजराइल
17.	एमीराट्स	यूनाइटेड अरब अमीरात
18.	इथोपियन एयरलाइंस	इथोपिया
19.	गल्फ एयर	बहरीन, ओमान, कतर और यूएई
20.	ईरान एयर	ईरान
21.	केएलएम रायल डच	नीदरलैण्ड
22.	कजाकिस्तान एयरवेज	कजाकिस्तान

1	2	3
23.	केन्या एयरवेज	केन्या
24.	कोरियन एयर	कोरिया
25.	कुवैत एयरवेज	कुवैत
26.	लुफ्थान्सा	जर्मनी
27.	मलेशियन एयरलाइंस	मलेशिया
28.	ओमान एयर	ओमान
29.	पाकिस्तान इन्टरनेशनल	पाकिस्तान
30.	कन्तास	आस्ट्रेलिया
31.	कतर एयरवेज	कतर
32.	रोयल ब्रुनई	ब्रुनई दारूसलम
33.	रोयल जोरडेनियन	जोर्डन
34.	रॉयल नेपाल एयरलाइन्स	नेपाल
35.	सऊदिया	सऊदी अरब
36.	सिंगापुर एयरलाइंस	सिंगापुर
37.	साऊथ अफ्रीकन एयरलाइंस	साऊथ अफ्रीका
38.	स्विस एयर	स्विटजरलैण्ड
39.	सीरियन एयरलाइंस	सीरिया
40.	टारोम	रोमानिया
41.	ट्रांस मेडीट्रेनियन	लेबनान
42.	थाई एयरवेज	थाईलैण्ड
43.	तुर्कमेनिस्तान एयरलांइंस	तुर्कमेनिस्तान
44.	यनाईटेड एयरलाइंस	यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
45.	उजबेकिस्तान एयरवेज	उजबेकिस्तान
46.	यमन एयरवेज-येमेनिया	रिपब्लिक ऑफ यमन
47.	स्कैन्डीनेक्यिन एयरलाइंस सिस्टम	स्वीडन/डेनमार्क/ नॉरवे
48.	एयर सीसलीज	सीसलीज

[अनुवाद]

तेजपुर के लिए इंडियन एअरलाइंस की उड़ानें

1038. **डा. अरुण कुमार शर्मा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेजपुर के लिए इंडियन एअरलाइंस की दैनिक उड़ानें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आम लोगों की सुविधा के लिए कलकत्ता-डिब्रूगढ़ के बीच आई.सी.-211 और आई.सी.-212 उड़ानों को तेजपुर होकर चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). जी, नहीं। कर्मीदल और क्षमता संबंधी कठिनाइयों के कारण, इंडियन एयर लाइन्स, इस समय, अपनी सेवाएं तेजपुर तक बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

एअर इंडिया के विमानों की उड़ान रद्द करना

1039. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एयर इंडिया" को इस वर्ष जून माह के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो इसका उड़ान-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ान रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप कंपनी को आर्थिक घाटे के साथ-साथ विपणन घाटा भी हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार से कुल कितना घाटा हुआ;

(ङ) क्या हाल ही में अन्य विमान सेवाओं ने भी भारत में अधिक यात्रियों को अपनी सेवा का लाभ देने हेतु अपनी उड़ानों में वृद्धि की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). औद्योगिक अंशाति के कारण, एयर इंडिया को जून, 1996 के दौरान 162 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा था, जिसके कारण लगभग 20.41 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई थी। रद्द की गई उड़ानों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) और (च). कई विदेशी विमान-कम्पनियों ने अपनी आवृत्तियों/सीटों की अनुमत्य सीट-क्षमता हकदारी के अंतर्गत अपनी आवृत्तियों में वृद्धि कर दी है।

विवरण

सैक्टर	रद्द की गई उड़ानों की संख्या
भारत-खाड़ी	50
भारत-यूके	20
भारत-यूरोप	46
भारत-यू.एस/कनाडा	02
अन्य	44
कुल	162

[हिन्दी]

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

1040. **श्री दत्ता मेघे :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :
श्री सुरेश कोडीकुनील :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री सुशील चन्द्र :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ हवाई अड्डों का उन्नयन-विस्तार या आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर खर्च की जाने वाली राशि सहित इन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनका उन्नयन/विस्तार/आधुनिकीकरण किया जा रहा है; और

(घ) उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनका वर्ष 1997 के दौरान उन्नयन/विस्तार /आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). विमानपत्तनों का स्तरोन्नयन, विस्तार तथा आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा इसे परियोजित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए एक चरणबद्ध तरीके से लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 1996-97 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित विमानपत्तनों के स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए 587.41 करोड़ रुपए की विनिधान किया है :-

अहमदाबाद, अमृतसर, औरांगाबाद, आगरा, अगरतला, भुवनेश्वर, भुज, बंगलौर, बागडोगरा, भोपाल, कलकत्ता, कालीकट, दिल्ली, डबोलिम, डिब्रूगढ़, डीमापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इन्दौर, जबलपुर, जम्मू, जयपुर, जोधपुर, कारगिल, लीलाबाड़ी, लेह, लुधियाना, मद्रास, मुम्बई, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पोरबन्दर, रायपुर, शिमला, सिल्चर, तेजपुर, तिरुपति, तिरुवनन्तपुरम, उदयपुर, वाराणसी, और विजयवाड़ा।

दिल्ली में अतिथि गृह

1041. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को ठहरने की सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली में और अधिक अतिथिगृहों को लाइसेंस प्रदान करके नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली/नई दिल्ली में विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). दिल्ली में अतिथि गृहों को लाइसेंस जारी करने का, केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव या स्कीम नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

(घ) होटलों, अतिथि गृहों जैसी रिहायशी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने वाली आधारिक संरचना का निर्माण करना मुख्यतः निजी क्षेत्र का काम है। इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने एवं संवर्धन करने के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहन एवं छूट प्रदान करती है। दिल्ली में कार्यरत 50 वर्गीकृत होटल हैं जिनमें लगभग 7400 कमरे हैं तथा 6 अनुमोदित परियोजनाएं हैं जिसके पूरा होने पर 886 कमरे और जुड जांएंगे। वर्तमान आवासों को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, पेइंग गेस्ट आवासों को स्वीकृत करने व उनका पंजीकरण करने के लिए स्कीमें बनाने व कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

(ङ) और (च). 1 जनवरी, 1996 से 30 जून, 1996 की अवधि के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन 10,66,317 था। वर्ष 1996-97 के लिए विदेशी पर्यटक आगमन का लक्ष्य 2.3 मिलियन रखा गया है।

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

1042. **श्री अमरपाल सिंह :**

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों को लाइसेंसमुक्त करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकारों और सहकारी चीनी उद्योग को इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व विश्वास में लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) चीनी उद्योग की लाइसेंसिंग नीति सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में निर्णय लेने हेतु कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में परियोजनाएं

1043. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं में से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं को पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास उड़ीसा के कितने प्रस्ताव लंबित है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार के पास राज्य में प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र के लिए भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(छ) इन भवनों का निर्माण कब तक हो जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). धनराशि की उपलब्धता, उपस्करों और अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं को समय पर आपूर्ति पर निर्भर करते हुए आठवीं योजना के अंत तक उड़ीसा में दूरदर्शन की 24 परियोजनाओं के पूरा होने की आशा है। 24 परियोजनाओं में से 5 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर फिलहाल तकनीकी रुप से तैयार है, शेष दूरदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं। इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु वार्षिक योजना 1996-97 में 10.00 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

(घ) ऊपर भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित 24 परियोजनाओं के अलावा, धनराशि की उपलब्धता और सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजनाओं को मंजूर किए जाने के अधीन उड़ीसा में 18 और परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित है।

(ङ) से (छ). मानकों के अनुसार सामान्यतया उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और स्टूडियों परियोजनाओं के लिए भवनों का निर्माण किया जाता है जबकि अल्पशक्ति ट्रांसमीटर और अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर निर्मित किराए के भवनों में स्थापित की जाती हैं। उड़ीसा में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और स्टूडियों परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना 1996-97 में 518 लाख रुपये की राशि रखी गई है जिसमें इन परियोजनाओं के सिविल निर्माण कार्य हेतु धनराशि शामिल है। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और कार्यक्रम, निर्माण केन्द्र सम्बलपुर उच्चशक्ति ट्रांसमीटर बालेश्वर और स्टूडियों भवानी पटना के लिए बनाए जा रहे भवनों के लगभग एक वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में इस समय कार्यान्वयनाधीन टी.वी. परियोजनाओं की सूची

ट्रांसपोजर	स्थान
1	2
उ.श.ट्रा	बालेश्वर
	सम्बलपुर
अ.श.ट्रा.	नयागढ़
	सोनेपुर
	मोहाना
	तुषारा/सैंथाला
	पडुआ
	कबिसुर्यानगर
	सौहेला
	कार्रजिया
	राजगंगपुर
	उमरकोट
	बीरमित्रापुरा
	खरिआर

1	2
	शिमलीगुड़ा
	जलपारा
	गोंडिया/कपिलास
	कोटपाड
	खुलड़
	पटनागढ़
अ.अ.श.ट्रा.	औल
	मच्छकुड़
	धुआमल, रामपुर
	चित्राकोडा
	कासीपुर
	लंजीगढ़
	जयापटना
	बडा बारबिल
	सिमी वपाईगढ़
	उदयगिरि
	सुकंदा
	कोकसारा
	कलमपुर
	बारपल्ली
	नागची
ट्रांसपोजर	धेनकनाल
	चांदीपारा
स्टूडियों	भवानी पटना
	सम्बलपुर (स्थायी)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी सहायता

1044. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दी जा रही सरकारी सहायता अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केरल को पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति देने के लिए वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितनी राशि खर्च की गई?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास की योजनाओं के लिए आबंटन अर्थात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना, अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों तथा लड़कों के लिए होस्टल, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की योग्यता का उन्नयन, अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालय तथा कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए क्षैक्षिक परिसर की केन्द्रीय योजना, के लिए आबंटन में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान वृद्धि होती रही है ,जैसा कि निम्नलिखित विवरण से देखा जा सकता है।

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कुल आबंटन
1992-93	81.05
1993-94	114.00
1994-95	136.95
1995-96	186.10
1996-97	190.10

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है :-

वर्ष	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता
	(रुपए लाख में)
1993-94	106.764
1994-95	510.646 (इसमें पिछले वर्षों के 314.526 लाख रुपए के बकाया शामिल हैं।)
1995-96	41.294 (1995-96 के दौरान उपयोग के लिए 125.204 लाख रुपए के पुनर्वैधीकरण के अतिरिक्त)

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षण पर केन्द्र सरकार द्वारा खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रदान की गई कुल केन्द्रीय सहायता
	(रुपए करोड़ में)
1994-95	96.35
1995-96	144.86

चीनी पर कर

1045. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**
श्री सुशील चन्द्र :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी पर लगाये गये कर को समाप्त करने और चीनी मिल मालिकों की खुले बाजार में अपने पूरे भंडार की बिक्री की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी की बिक्री उचित दर दुकानों द्वारा भी की जाएगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, माहवार प्रत्येक राज्य को लेवी चीनी की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) लेवी चीनी उचित दर की दुकानों के जरिये पहले से ही बेची जा रही है।

(ग) लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (च). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि करने की मांग लगातार की जाती रही है। चीनी की बेहतर उपलब्धता को देखते हुए, सरकार ने 1986 की परियोजित जनसंख्या के पहले के आधार की बजाय 1991 की जनगणना के अनुसार लेवी चीनी आवंटित करने का निर्णय किया है जो 1.1.96 से प्रभावी है। तथापि, 1.1.96 के पश्चात् गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर उनके लेवी कोटे में वृद्धि की जाए। अभी तक लेवी कोटे में कोई और वृद्धि नहीं की गई है।

विवरण

लेवी चीनी का मासिक कोटे और वार्षिक त्यौहार कोटे की राज्यवार स्थिति बताने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.2.1987 से प्रभावी सामान्य मासिक कोटा	अगस्त 1991 से मार्च 1994 तक अनुमत 5% की मासिक तदर्थ वृद्धि जिसे अप्रैल 94 में हटाया गया और पुनः सितम्बर-दिसम्बर, 95 में शुरू किया गया	जनवरी 96 से प्रभावी संशोधित मासिक कोटा	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25281	1264	28267	7614
2.	अंडमान निकोबार	247	12	282	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	314	16	366	94
4.	असम	9617	481	9524	2896

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	33459	1673	36707	10078
6.	चंडीगढ़	372	19	391	112
7.	दादर और नगर हवेली	51	3	60	14
8.	दिल्ली	9921*	436	11973	2316
9.	गोवा	500	25	508	150
10.	दमन	24	1	26	12
11.	दीव	15	1	17	–
12.	गुजरात	16194	810	17557	4878
13.	हरियाणा	6386	319	6996	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	101	2197	608
15.	जम्मू और कश्मीर	3136**	144	3567	868
16.	कर्नाटक	17769	888	19117	5350
17.	केरल	11953	598	12368	3600
18.	लक्षद्वीप	71	4	81	22
19.	मध्य प्रदेश	25031	1252	28127	7536
20.	महाराष्ट्र	29938	1497	33550	9014
21.	मणिपुर	694	35	782	208
22.	मेघालय	662	33	752	200
23.	मिजोरम	261	13	293	78
24.	नागालैंड	426	21	542	128
25.	उड़ीसा	12393	620	13456	3730
26.	पांडिचेरी	305	15.2	360	64
27.	कारीकल	73	3.7	86	18
28.	माहे	15	0.7	18	4
29.	यनम	7	0.4	8	2
30.	पंजाब	7945	397	8619	2392
31.	राजस्थान	16914	846	18704	5092
32.	सिक्किम	165	8	174	50
33.	तमिलनाडु	22547	1127	23741	6790
34.	त्रिपुरा	1001	50.0	1173	302
35.	उत्तर प्रदेश	52926	2646	59122	15936
36.	पश्चिम बंगाल	25888	1294	28934	7796
37.	भूटान	300	15	315	50
	कुल जोड़	334820	16669	368760	100000

* जुलाई, 1993 से प्रभावी

** फरवरी, 1994 से प्रभावी

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में यात्री निवासों का निर्माण

1046. श्री दत्ता मेघे :
श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से मध्यम वर्गीय पर्यटकों के लिए यात्री निवासों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ङ) जी, हां। शेगांव तथा लातूर में यात्री निवासों के निर्माण के लिए दो पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और क्रमशः 1986-87 में 25,97,505/-रु0 तथा 1991-92 में 19.71 लाख रु0 स्वीकृत किए गए थे।

रांची-मुम्बई-मद्रास हेतु उड़ानें

1047. श्री ललित उरांव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची को विमान सेवा के जरिए सीधे मुम्बई और मद्रास से जोड़ने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). कर्मीदल की कठिनाइयों के कारण, इस समय, इंडियन एयरलाइन्स की रांची को मुम्बई तथा मद्रास के साथ जोड़ने की कोई योजना नहीं है। तथापि, गैर-सरकारी प्रचालकों को नए सेक्टरों को शामिल करने के प्रति प्रोत्साहित किया गया है।

[अनुवाद]

29 सीटों वाले छोटे/अन्य विमानों का उत्पादन

1048. श्री के. प्रधानी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 29 सीटों वाले अथवा अन्य छोटे विमानों का उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये विमान अन्य विमानों को "फीड" करेंगे और वायुदूत के पुराने विमानों का स्थान लेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त विमानों के उत्पादन के लिए सरकार कौन-कौन सी फर्मों से बातचीत कर रही है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). 29 सीटों वाले विमानों के विनिर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, छोटे विमानों के विनिर्माण हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

1. मैसर्स नेशनल ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर :

(i) 2 सीटों वाले हंस-3 ट्रेनर विमान, और

(ii) 14 सीटों वाले सारस युग्मी टर्बोप्रोप मल्टीरोल हल्के परिवहन विमान।

2. मैसर्स हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर

14 सीटों वाले युग्मी इंजन उन्नत हल्के हैलीकॉप्टर।

इसके अलावा नागर विमानन महानिदेशालय ने मैसर्स बाशी ऐरोस्पेस, बंगलौर को 2 सीटों वाले ट्रेनर विमान अभिकल्पित करने की मंजूरी दे दी है।

उक्त विमानों में से किसी से भी वायुदूत के विमान-बेड़े को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सुन्दर वन क्षेत्र का विकास

1049. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पर्यटन विभाग, पश्चिम बंगाल को शामिल करते हुए प्रतिवर्ष राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं के लिए उनके गुण-दोषों और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1988-89 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को सुन्दर बन के लिए कूज बेसल की खरीद हेतु 49.50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे।

[अनुवाद]

पर्यटन प्रारूप कार्ययोजना

1050. श्री जम्मोहन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1992 में संसद में प्रस्तुत पर्यटन प्रारूप कार्ययोजना में 1996-97 तक 50 लाख विदेशी पर्यटकों के आने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में 40 प्रतिशत लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) संसद में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय कार्य-योजना में पांच वर्षों की अवधि के भीतर विश्व पर्यटक आगमनों में भारत के भाग (शेयर) को एक प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग). इस प्रकार की सुविधाओं का विकास करने के लिए आधारभूत सुविधाओं और अपेक्षित वित्तीय संसाधनों की बाधाओं को देखते हुए 5 मिलियन पर्यटकों के लक्ष्य को, यह कल्पना करते हुए कि इस प्रकार की सुविधाएं केन्द्रीय और राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के प्रयासों से उस समय तक सृजित करा दी जाएंगी, अब 2000 ए डी तक निर्धारित कर दिया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन 21,90,334 था। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और प्लेग जैसे अप्रत्याशित घटनाओं का भी पर्यटक आगमनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

स्वदेशी पर्यटन का विकास

1051. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वदेशी पर्यटन को विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) स्वदेशी पर्यटन का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पर्यटक आधारभूत सुविधाओं जैसे पर्यटक बंगलों, पर्यटक स्वागत केन्द्रों, यात्री निवासों, यात्रिकाओं, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, फोरेस्ट लाजों, शौचालयों और तीर्थ शेडों के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है।

शिल्प मेलों, महत्वपूर्ण त्यौहारों और मेलों को वित्तीय सहायता के माध्यम से हस्तशिल्प और लोक संस्कृति के उन्नयन को प्रोत्साहित किया जाता है।

साहसिक पर्यटन गतिविधियों के उन्नयन के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को साहसिक क्रीड़ा उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अधीन कुछ परिवहन सुविधाओं, जैसे मिनी बसों, लांचों और कैटामारेनों की व्यवस्था की गई है।

पर्यटक सूचना के लिए, विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर प्रचार ब्रोशर प्रकाशित किए गए हैं।

चीनी मूल्य समकरण निधि

1052. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम और केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के बीच चीनी मूल्य समकरण निधि लेखाओं के निपटान संबंधी मामला केन्द्र सरकार के पास स्पष्टीकरण हेतु लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो स्पष्टीकरण देने में विलम्ब के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक लेखा संबंधी निपटान पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). यह अभ्यावेदन विचाराधीन है और इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय की सूचना शीघ्र भेजे जाने की संभावना है।

चीनी संबंधी नीति

1053. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी संबंधी नीति का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो नई चीनी नीति में क्या परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस नई नीति की कब तक घोषणा कर दी जाएगी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). जब कभी आवश्यक समझा जाता है चीनी से संबंधित नीतिगत मुद्दों की समीक्षा की जाती है। इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन ट्रांसमीटर

1054. **प्रो. रासा सिंह रावत :**
श्री महेश कुमार कनोडिया :
श्री सत्यदेव सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री बच्ची सिंह "बच्चदा" रावत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार, स्थान-वार और श्रेणी-वार कितने आकाशवाणी/दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के उन्नयन, विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों की स्थापना और आधुनिकीकरण पर वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) 1996-97 के दौरान इन केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) इन केन्द्रों से प्रत्येक राज्य की कितने प्रतिशित जनसंख्या के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(च) इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जैसाकि संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग). उन्नयन, विस्तार और आधुनिकीकरण के एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन समय-समय पर अपनी अपेक्षाओं की समीक्षा करते हैं और नई प्राद्योगिकियों, धनराशियों और अन्य संबंधित कारकों की उपलब्धता के आधार पर स्कीमों को कार्यान्वित करते हैं। राज्यवार-ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान आकाशवाणी को 20 आकाशवाणी केन्द्रों के पूरा होने की आशा है जबकि दूरदर्शन की 7 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना और 6 स्टूडियो परियोजना स्थापित करने की योजना है।

(ङ) जैसा कि विवरण-III में दिया गया है।

(च) वर्ष 1996-97 के दौरान आकाशवाणी को लगभग 6160.34 लाख रुपये खर्च होने की आशा है जबकि दूरदर्शन को इस बारे में 340.38 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है।

विवरण-I

दिनांक 18.7.1996 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1054 के भाग (क) के उत्तर में यथाउल्लिखित कार्य कर रहे आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों/कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों/ट्रांसमीटरों की राज्यवार संख्या

राज्य	केन्द्रों/कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की संख्या		आकाशवाणी ट्रांसमीटरों तथा दूरदर्शन उ.श.ट्रा./अ.श.ट्रा./अ.अ.श.ट्रा तथा ट्रांसपोजरों की संख्या	
	आकाश-वाणी	दूरद-र्शन	आकाश-वाणी	दूरद-र्शन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	12	1	17	62
अरुणाचल प्रदेश	4	1	4	20
असम	7	3	10	24
बिहार	10	4	14	42
गोवा	1	1	3	1
गुजरात	7	2	9	46
हरियाणा	2	–	2	8
हिमाचल प्रदेश	4	1	5	27
जम्मू और कश्मीर	5	2	12	39
कर्नाटक	12	2	15	39
केरल	7	1	11	22
मध्य प्रदेश	19	2	24	73
महाराष्ट्र	19	2	27	71
मणिपुर	1	1	2	6
मेघालय	3	2	4	8
मिजोरम	2	1	3	4
नागालैंड	2	1	3	8
उड़ीसा	11	2	13	62
पंजाब	3	1	6	10
राजस्थान	16	1	19	63
सिक्किम	1	–	1	5
तमिलनाडु	8	1	13	39

	1	2	3	4
त्रिपुरा	3	1	3	3
उत्तर प्रदेश	15	3	19	77
पश्चिम बंगाल	4	1	9	23
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी)	1	1	6	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	1	1	2	11
चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	1	–	1	2
पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	2	1	2	4
कावारती (संघ शासित क्षेत्र)	1	–	1	10
दमन	1	–	1	2
दादरा नागर हवेली	–	–	–	1

उ.श.ट्रा - उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अ.श.ट्रा - अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
अ.अ.श.ट्रा - अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

विवरण–II

दिनांक 18.7.96 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1054 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में वर्ष–वार निम्नलिखित आकाशवाणी तथा दूरदर्शन स्कीमों पर राज्यवार तथा वर्षवार खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	आकाशवाणी पूंजीगत लागत (रु. लाख में)			दूरदर्शन (रु. करोड़ में) व्यय		
	1993–94	1994–95	1995–96	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	235.00	620.95	620.60	168.22	255.46	310.50
अरुणाचल प्रदेश	596.77	314.52	617.77			
असम	255.60	शून्य	120.00			
बिहार	258.50	शून्य	463.72			
गोवा	3478.31	101.42	शून्य			
गुजरात	220.00	शून्य	296.68			
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य			
हिमाचल प्रदेश	781.70	633.80	शून्य			
जम्मू और कश्मीर	465.65	334.55	406.16			
कर्नाटक	786.04	6953.83	257.90			
केरल	296.60	838.87	876.13			
मध्य प्रदेश	623.87	582.99	497.23			
महाराष्ट्र	250.85	1249.11	597.50			
मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य			
मेघालय	295.54	शून्य	290.40			
मिजोरम	शून्य	433.25	250.65			
नागालैंड	शून्य	शून्य	672.23			
उड़ीसा	1352.20	104.20	715.00			

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	शून्य	365.05	शून्य			
राजस्थान	539.35	469.30	495.08			
सिक्किम	214.00	453.56	453.56			
तमिलनाडु	शून्य	2105.00	1102.33			
त्रिपुरा	शून्य	शून्य	147.18			
उत्तर प्रदेश	1011.45	519.78	733.52			
पश्चिम बंगाल	702.22	310.00	57.00			
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी)	411.14	शून्य	465.25			
लक्षद्वीप तथा मिनिकाय द्वीप समूह	110.75	शून्य	शून्य			
पांडिचेरी	शून्य	300.05	शून्य			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य			
चंडीगढ़	शून्य	शून्य	111.15			
दमन और दीव	शून्य	शून्य	240.86			

* अंतरिम आंकड़े।

** दूरदर्शन में राज्य वार समय संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(पूंजीगत लागत में ट्रांसमीटर की लागत शामिल है।

विवरण–III

दिनांक 18.7.96 लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1054 के भाग (ङ) के उत्तर में यथाउल्लिखित राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में आकाशवाणी तथा टी.वी. कवरेज के ब्यौरों को दर्शानेवाला विवरण

8वीं योजना परियोजना के पूरा होने के बाद जनसंख्या %

राज्य	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	99	92.3
2. अरुणाचल प्रदेश	98	49.3
3. असम	99	85.6
4. बिहार	99*	95.4
5. गोवा	99*	100.0
6. गुजरात	99*	94.0
7. हरियाणा	99*	100.00
8. हिमाचल प्रदेश	96	71.7
9. जम्मू और कश्मीर	95	92.3
10. कर्नाटक	96	80.7
11. केरल	99*	99.7
12. मध्य प्रदेश	97	78.7
13. महाराष्ट्र	99*	90.1
14. मणिपुर	99	81.2
15. मेघालय	96	97.2
16. मिजोरम	95	72.6
17. नागालैंड	97	69.6
18. उड़ीसा	98	87.1
19. पंजाब	99*	100.0
20. राजस्थान	99	81.9
21. सिक्किम	80	95.0
22. तमिलनाडु	99*	96.1
23. त्रिपुरा	99*	93.5
24. उत्तर प्रदेश	98	94.5
25. पश्चिम बंगाल	99*	99.9
संघ शासित क्षेत्र		
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80	99.5
2. चंडीगढ़	99*	100.00

1	2	3
3. दादरा और नगर हवेली	99*	65.0
4. दिल्ली	99*	100.00
5. दमन और दीव	99*	100.00
6. लक्षद्वीप तथा मिनिकाय द्वीपसमूह	99*	99.0
7. पांडिचेरी	99*	100.00
राष्ट्रीय कवरेज	97.5	91.8

* इन राज्यों में कवरेज सामान्यतया 100 प्रतिशत कहा जा सकता है, अर्थात् कतिपय स्थितियों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार किए बिना।

टिप्पणी :

1. कवरेज आंकड़े दूरवर्ती क्षेत्रों को शामिल करके दिए गए हैं (दूरवर्ती क्षेत्रों में संतोषजन अभिग्रहण के लिए उन्नत एंटिना तथा बूस्टर आवश्यक हैं)
2. भौगोलिक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
3. 1981 की जनगणना पर आधारित।

[अनुवाद]

राजस्थान में पर्यटन स्थल

1055. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के पर्यटक महत्व के अनेक स्थलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान राजस्थान में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने और इन्हें विकसित करने हेतु तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). जी, हां। पर्यटन केन्द्रों का अभिनिर्धारण और विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, पिछले तीन वर्षों यथा 1993-94, 1994-95, 1995-96, के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटक बंगलों, पर्यटक स्वागत केन्द्रों, पर्यटक परिसरों, मार्गस्थ सुविधाओं, कैंपिंग स्थलों, पर्यटक गृहों, यात्रिकाओं के निर्माण और पैलेस आन व्हील्स रेलगाड़ी के लिए राजस्थान सरकार को 1060.04 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त तकनीकी रूप से पूर्ण प्रस्तावों को उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता, धन की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तद्नुसार राजस्थान के लिए लगभग । करोड़ रु. की वर्ष 1996-97 के लिए प्राथमिकता दी गई परियोजना निम्न हैं :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	पर्यटक बंगला, गंग्वार का विस्तार
2.	पर्यटक बंगला, अजमेर
3.	पर्यटक बंगला, माउंट आबु
4.	चुरू में पर्यटक बंगला
5.	झुझुनू में पर्यटक बंगला
6.	ओसियान में कैफेटेरिया

विमान दुर्घटना

1056. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुल्लु में जुलाई 1994 में हुई सुपरकिंग विमान दुर्घटना के संबंध में जिसमें पंजाब के तत्कालीन राजयपाल सहित सभी तेरह व्यक्ति मारे गए थे, जांच न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इस प्रकार की विमान दुर्घटना के संबंध में पूर्ववर्ती जांच रिपोर्टों में दिए गए सुझावों को लागू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) जांच अदालत की रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना भुंतर हवाई क्षेत्र के लिए उड़ान में उड़ान कर्मीदल द्वारा दृष्टिक उड़ान नियम (वी.एफ.आर.) के कड़ाई से अनुपालन न करने की गम्भीर गलती के कारण हुई। परिणामस्वरूप, विमान मार्गस्थ मेघपुंज से टकराने के बाद, पूर्व-निश्चित मार्ग से विचलित हो गया तथा मेघों से ढके पहाड़ की चोटी से टकरा गया।

(ग) और (घ). पिछली जांच अदालतों द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष कुछ कार्यान्वयनाधीन हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर व्यय की धनराशि

1057. श्री नीतीश कुमार : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1996 के दैनिक "पायोनीयर" में "सेंटरल फण्ड फार दलिट्स इनएडिक्वेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत चार दशकों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर किए गए खर्च की तुलना में इस मद पर अब खर्च में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत चार दशकों में प्रत्येक दशक के दौरान इस मद पर कितना खर्च हुआ;

(घ) नब्बे के दशक के चार प्रारंभिक वर्षों के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ङ) क्या यह सच है कि थोक मूल्य सूचकांक के अनुरूप इस राशि में वृद्धि नहीं की गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत व्यय पिछले चार दशकों की अवधि के दौरान बढ़ता रहा है।

(ग) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले चार दशकों से प्रत्येक दशक के दौरान व्यय इस प्रकार है :-

दशक	कुल व्यय (रुपए लाख में)
1950-51 से 1959-60 तक	746.79
1960-61 से 1969-70 तक	4725.85
1970-71 से 1979-80 तक	25406.09
1980-81 से 1989-90 तक	94862.026

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1990-91 से 1994-95 तक किया गया वर्ष-वार व्यय इस प्रकार है :-

वर्ष	कुल व्यय (रुपए लाख में)
1990-91	15921.876
1991-92	18235.856
1992-93	18937.886
1993-94	18080.414
1994-95	20096.773

(ङ) और (च). अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला अनुरक्षण भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरों का निर्धारण निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

बंधुआ मजदूर

1058. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री एन. डेनिस :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कितने बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया है;

(ख) किन-किन राज्यों में उनकी संख्या अधिक है;

(ग) क्या अनेक बंधुआ मजदूरों को शोषण मुक्त कराने हेतु प्रयास किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया और उनका पुनर्वास किया गया?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के आरंभ से कुल 2,51,424 बंधित श्रमिकों की पहचान की गई है।

इन राज्यों में बड़ी संख्या में बंधित श्रमिकों के होने की सूचना है—कर्नाटक (62708), उड़ीसा (49971), तमिलनाडु (38886), आन्ध्र प्रदेश (36289), और उत्तर प्रदेश (27489)।

सभी पहचान किये गये बंधित श्रमिकों को मुक्त करवा दिया गया है और उनमे से केवल 4,600 बंधित श्रमिक इस समय पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कार्यक्रमों के लिए पारिश्रमिक

1059. श्री आनंद रत्य मौर्य : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रमों को बनाने के लिए पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान आज तक नदी घाटी विकास परियोजनाओं पर बने कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का ब्यौरा क्या है तथा इनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किस प्रकार किया गया है;

(ग) दूरदर्शन द्वारा कलाकारों तथा निर्माताओं को पारिश्रमिक नहीं दिए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) कमीशंड कार्यक्रमों के निर्माताओं को उनके द्वारा उनके प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत और लागत समिति द्वारा यथा-अनुमोदित बजट ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त राशि दी जाती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दूरदर्शन को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इस संबंध में निर्माताओं को कोई शिकायत हुई हो तो दूरदर्शन को उसकी जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में पर्यटन विकास

1060. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पर्यटन के विकास हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार के पास कितनी वित्तीय सहायता मंजूरी हेतु लम्बित है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन ऐतिहासिक महत्व के स्थानों या अन्य स्थानों के परियोजना-वार नाम क्या हैं जिनके लिए उपरोक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग, तथापि, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन विभाग के पास, असम से, वित्तीय सहायता पाने हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

वर्ष 1996-97 के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धान्त रूप में मान गया है, बशर्ते कि राज्य सरकारें पूरे तथा ब्यौरे वार प्रस्ताव प्रस्तुत करें :-

1. काजीरंगा, मानस, ओरांग तथा पोलीतोरा के लिए हाथियों की खरीद।
2. शिवसागर के तालेतलघर में ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन में सुधार।
3. काजीरंगा में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं प्रसार।

(ख) और (ग). गत 3 वर्षों के दौरान असम राज्य को जिन परियोजनाओं/स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दी गई, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

1993-94

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
		(रु. लाखों में)
1.	हाजो में पर्यटक कुटीरें	24.35
2.	विश्वनाथ घाट पर पर्यटकों के एकत्रित होने का स्थान (रिजार्ट)	15.45
3.	तिनसुखिया पर पर्यटक लॉज	23.54
4.	काजीरंगा, मानस तथा भालुकपोंग उपमरोंस में तम्बुओं में आवास	14.77
1994-95		
1.	हॉफलौंग में पर्यटक परिसर	27.79
2.	राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य, ओरांग में पर्यटक परिसर	25.20
1995-96		
1.	काजीरंगा में पर्यटक स्वागत केन्द्र	25.86
2.	मानस में पिकनिक हट्स तथा अन्य पर्यटक सुविधाएं	21.42
3.	भालुकपोंग में कैफेटेरिया	12.96
4.	चाय उत्सव के लिए सहायता	5.00
5.	रंगोली बीहू उत्सव, 1996 के लिए सहायता	5.00

विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं का चित्रण

1061. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की महिलाओं का विज्ञापनों के माध्यम से अश्लील चित्रण जारी है;

(ख) क्या स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 इसे रोकने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, एक ऐसा कानून/संहिता है जिसका उद्देश्य विज्ञापनों के माध्यम से स्त्री अशिष्ट रूपण को समाप्त करना है। अधिनियम के दंडात्मक उपबंधों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन अथवा प्रचार प्रसार के बारे में राज्य सरकारों से बहुत कम सूचना प्राप्त होती है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया, बंगलौर की सहायता से मौजूदा अधिनियम की व्यापक समीक्षा करने की कार्रवाई शुरू की है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग को उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन

1062. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **श्रम मंत्री** कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उल्लंघन के बारे में 22 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4185 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह जानकारी सभा पटल पर कब तक रख दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सूचना अब एकत्र कर ली गई और कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में संसदीय कार्य मंत्रालय को 4-7-96 को भेज दी गई है। ब्यौरे को दर्शाने वाली कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

श्रम मंत्रालय	दसवीं लोक सभा का XV वां सत्र, 1995		आश्वासन पूरा करने की तारीख	
प्रश्न संख्या, तारीख तथा संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल द्वारा दिनांक 22.12.1995 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 4185	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन पूछा गया कि:- (क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों ने दोनों अंशदानों की भारी राशि अभी तक अधिकारियों के पास जमा नहीं की है; (ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के अन्तर्गत वसूली की जाने वाली बकाया धनराशि का कार्यालयवार ब्यौरा क्या है;	(क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।	(क) और (ख). क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से एकत्र किए जाने वाले बकाया क.भ.नि. देयों का कार्यालयवार ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है।	सूचना एकत्र करने में समय लगा अतः विलम्ब हुआ।

कार्यालय का नाम	30-9-95 तक क.भ.नि. देयों की धनराशि (रु. लाखों में)
क्षेत्रीय कार्यालय नेहरू प्लेस, दिल्ली	2083.73

1	2	3	4	5
	(ग). क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के अधिकारियों के विरुद्ध भविष्य निधि अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और		उप-लेखा कार्यलय, जनकपुरी, दिल्ली 14.30 उप लेखा कार्यालय इन्द्रलोक, दिल्ली 43.53 उप-लेखा कार्यालय लक्ष्मी नगर, दिल्ली 23.35	
	(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?		(ग). जी, हां। (घ). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन शिकायतों की जांच-पड़ताल कर रहा है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी है।	

[अनुवाद]

एयर इंडिया इंजन ओवारहॉलिंग डिवीजन

1063. श्री अमर पाल सिंह :
श्री अनंत कुमार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के इंजन ओवरहालिंग डिवीजन को हाल ही में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). वर्ग "ग" में एअर इंडिया इंजन मरम्मत (जेट शॉप) संबंधी अनुमोदन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा 21 मई, 1996 तथा 6 जून, 1996 के मध्य वापस ले लिया गया था। इस अवधि के दौरान, कर्मचारियों की सेवाएं उन क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त की गई थी जिनमें सीधा उत्पादन अन्तर्ग्रस्त नहीं था।

लौह अयस्क खानों में कार्यरत श्रमिक

1064. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक और अन्य लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में लौह अयस्क खानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों के पारिश्रमिक में संशोधन करने और उन्हें समुचित आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में 1996-97 के दौरान क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इन श्रमिकों को नियोक्ताओं के सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक और लौह अयस्क उत्पादक अन्य राज्यों में लौह अयस्क खानों में कार्यरत कर्मकारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 निर्धारित करता है कि अनुसूचित रोजगार की न्यूनतम मजदूरी का पुनरावलोकन/संशोधन पांच वर्षों से अधिक नहीं, के अंतराल में दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने इस रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी में पिछली बार 12.7.1994 को संशोधन किया था। न्यूनतम मजदूरी में परिवर्ती महंगाई भत्ते का भी प्रावधान है। यह परिवर्ती घटक सूचकांक से संबद्ध है और इसमें प्रत्येक छह माह के अन्तराल में संशोधन किया जाता है। ऐसा पिछला संशोधन 1.4.1996 को किया गया था।

खान कर्मकारों से संबंधित विभिन्न श्रम कानूनों का जोरदार ढंग से प्रवर्तन किया जा रहा है।

लौह अयस्क खानों में नियोजित कर्मकारों के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं की एक सूची विवरण-II के रुप में संलग्न है।

विवरण-I

लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में लगे हुए कर्मकारों की संख्या दर्शाने वाली विवरण

राज्य	औसत दैनिक रोजगार
लौह अयस्क	
भारत	43198
आंध्र प्रदेश	155
बिहार	6929
गोवा	3609
हरियाणा	74
कर्नाटक	7186
मध्य प्रदेश	11434
महाराष्ट्र	553
उड़ीसा	13129
राजस्थान	129

विवरण-II

लौह-अयस्क, मैंगनीज व अयस्क, क्रोम अयस्क खान कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2
स्वास्थ्य	
1.	टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2.	मानसिक रोगों से पीड़ित खान कर्मकारों के इलाज की योजना।
3.	कुष्ट रोग से पीड़ित खान कर्मकारों के इलाज की योजना।
4.	टी.बी. से पीड़ित खान कर्मकारों के घरेलू उपचार की योजना।
5.	महिला खान कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा की योजना।
6.	कैंसर से पीड़ित खान कर्मकारों के इलाज के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति।
7.	चश्में की खरीद के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8.	खान कर्मकारों को बन्ध्याकरण के लिए अतिरिक्त धनीय प्रतिपूर्ति की अदायगी की योजना।
9.	हृदय रोगों के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
10.	गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
1	2
11.	खान कर्मकारों को घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिपूर्ति की अदायगी की योजना।
12.	खान कर्मकारों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना।
13.	एम्बुलेंश वैनों की खरीद करने के लिए लौह-अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट खान प्रबंधनों को सहायता अनुदान।
आवासीय	
1.	अपना घर स्वयं बनाओ योजना।
2.	समूह आवास योजना।
3.	टाइप-I आवास योजना।
4.	टाइप-II आवास योजना।
शिक्षा	
1.	खान कर्मकारों के स्कूल/कालेज जाने वाले बालकों को वृत्तिका दिया जाना।
2.	खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालको के लिए एक जोड़ी वर्दी, स्लेटें, नोट बुक और पाठ्य पुस्तिकाएं देने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी कम्पोजिट योजना।
3.	केन्द्रीय पुस्तकालय संचालित करने के लिए खान मालिकों को सहायता।
4.	खान प्रबंधनों को स्कूल बसें खरीदने के लिए सहायता।
5.	पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए खान प्रबंधनों को सहायता।
6.	फर्नीचर और उपस्कर की खरीद के लिए लौह-अयस्क खनन क्षेत्रों में मान्यताप्राप्त स्कूलों के लिए सहायता अनुदान।
7.	मध्याह्न भोजन योजना।
8.	हाईस्कूल से ऊपर अंतिम विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन की अदायगी।
9.	खान कर्मकारों की बालिकाओं को स्कूलों में हाजिरी के आधार पर 1/- रु. का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
मनोरंजन	
1.	खान कर्मकारों के लिए खेलकूद, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन।
2.	खान कर्मकारों को लाने-ले जाने के लिए बसें मुहैया करवाने संबंधी योजना।
3.	श्रव्य-दृष्य सैटों की स्थापना/सिनेमा गाड़ियों/फिल्मों का प्रदर्शन।
4.	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे।
5.	टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

1	2
6.	बहु-उद्देशीय संस्थानों/विकसित बहु-उद्देशीय संस्थानों की स्थापना।
7.	कल्याण केन्द्रों की स्थापना।
8.	एम.पी.आई./डी.एम.पी.आई./कल्याण केन्द्रों को अनुदान।
9.	खेल-कूद मैदान।
10.	होलीडे होम।
जल आपूर्ति :	
1.	कुएं खोदना।
2.	छोटे खान कर्मकारों के लिए सहायता।
3.	बड़ी खानों के लिए जल-आपूर्ति योजना।

एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों का आवंटन

1065. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों के आवंटन हेतु केरल से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आवंटन हेतु जिलावार और श्रेणीवार ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों के आवंटन हेतु जिलावार कितने आवेदन पत्र लंबित हैं; और

(घ) इन आवेदन पत्रों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम का उप-डिपो

1066. श्री रमेश चेन्निथला : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई, 1996 से केरल के कुछ तालुका मुख्यालयों में उप-डिपो के काम को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त निर्णय की समीक्षा करने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया है क्योंकि इससे राशि वितरण में गड़बड़ी हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). केरल सरकार ने 24 अगस्त, 1982 को निर्णय लिया था कि खाद्यान्नों का थोक वितरण अपने अधिकार में ले लिया जाए जिसमें राज्य में परिचालित 17 उप डिपो भी शामिल हैं। तथापि, केरल सरकार ने अभी तक इन 17 उप-डिपुओं का प्रचालन अपने अधिकार में नहीं लिया है।

उपयुक्त नोटिस देने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम ने यह निर्णय किया था कि पहली जुलाई, 1996 से केरल में उप-डिपुओं का प्रचालन रोक दिया जाये। तथापि, राज्य सरकार से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को परामर्श दिया है कि ये प्रचालन पहली जुलाई, 1996 के बाद छः माह की अविधि के लिए और जारी रखे जाएं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1067. श्री ई. अहमद : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्यों की पर्याप्त संख्या के बिना काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पदों को भरने क लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए और सरकार द्वारा उनमें से कितने स्वीकृत किए गए; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कुल कितनी धनराशि दी गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). मई-जुलाई 1996 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण आयोग के पुनर्गठन से संबंधित मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

(ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए दो वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। आयोग द्वारा इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को प्रदान की गई कुल राशि इस प्रकार है :-

1994-95	110.00 लाख रु.
1995-96	138.00 लाख रु.
1996-97	160.00 लाख रु.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1068. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य के मुख्य मंत्रियों का कोई सम्मलेन बुलाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक जैसी वस्तुओं की वसूली, भंडारण, ढुलाई उनके थोक आवंटन की जिम्मेदारी ली है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की अपने-अपने यहां उपभोक्ताओं में इन वस्तुओं के वितरण की जिम्मेदारी है। जिले/क्षेत्र के भीतर आवंटन करना, उचित दर दुकानें खोलना, हकदारी के मानदण्ड निर्धारित करना, उपलभ्यता की अवधि निर्धारित करना, अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण करना तथा प्रवर्तन उपाय लागू करने समेत संचालनात्मक पहलू राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1992 में संपुष्ट किया गया और एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा निर्धारित पहाडी क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत शामिल 1775 ब्लाक आते हैं, जो स्कीम के तहत विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न पाने के पात्र हैं।

(ख) से (च). बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संबंध में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 4 व 5 जुलाई, 1996 को हुआ था, जहां गरीब लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली आबादी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने की तफ्सील तैयार की जा रही है और उसे अंतिम रूप दिए जाने पर कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

नए गोदाम खोलना

1069. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अन्तर्गत नये गोदाम खोलने हेतु केरल में किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(ख) क्या राज्य में भारतीय खाद्य निगम के नये गोदामों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इन गोदामों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन गोदामों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल में नए गोदाम बनाने के लिए निम्नलिखित जिलों की पहचान की गई है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए और निधियां भी उपलब्ध हों।

1. इदुक्की जिला - मूलामट्टम (5000 मीटरी टन)
2. वाइनाड जिला - मीनानगडी (5000 मीटरी टन)
3. कन्नूर जिला - पायानूर (25,000 मीटरी टन)
4. मालापुरम जिला - तिरुनवय्या (25,000 मीटरी टन)
5. अलपुझा जिला - मरारीकुलम (10,000 मीटरी टन)

(ख) से (घ). भारतीय खाद्य निगम के नए गोदामों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। तथापि, मूलामट्टम (इदुक्की जिला), मीनानगडी (वाइनाड जिला) और पायानूर (कन्नूर जिला) में 1996-97 के दौरान निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है और मालापुरम तथा अलापुझा जिलों के शेष दो केन्द्रों में 1997-98 में निर्माण शुरू करने की सम्भावना है।

विधान सभा कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

1070. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से विधान सभाओं की कार्यवाही दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण शुरू करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन को राज्यपाल के भाषण, बजट भाषण, प्रश्न काल आदि जैसी विधान सभा की कार्यवाहियों की कवरेज हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, गोआ, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और सिक्किम से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) दूरदर्शन, जन शक्ति, आधारभूत सुविधाओं तथा संसाधनों की बाध्यताओं के कारण राज्य विधान सभाओं की कार्यवाहियों की सीधी कवरेज उपलब्ध करवाने में असमर्थ है।

खाद्यान्नों की खरीद

1071. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं, चावल की खरीद वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार की है;

(ख) देश में अभी अनुमानतः कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों के पर्याप्त उत्पादन को देखते हुए उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण के लिए राज्यों को अधिक गेहूं और चावल जारी करने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान निर्यात के लिए कितना गेहूं और चावल जारी किया गया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय पूल के लिए यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन स्वैच्छिक आधार पर गेहूं और धान की वसूली की जाती है। चावल की वसूली चावल मिल मालिकों और व्यापारियों पर सांविधिक लेवी लगाने की प्रणाली के अधीन की जाती है। एकत्र किए गए लेवी चावल की मात्रा मिल मालिकों द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार गेहूं और चावल के लिए कोई वसूली लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1996-97 के दौरान 1.7.1996 तक 81.35 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान 122.05 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1995-96 में 1.7.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए 97.33 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 130.80 लाख मीटरी टन की वसूली की गई थी।

(ख) 1.6.1996 को स्थिति के अनुसार केन्द्र और राज्यों के खाते पर रखे गये खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का अनुमानित स्टाक 292 लाख मीटरी टन है।

(ग) और (घ). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल का आवंटन 1993-94 में 21.5 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1995-96 में 25.5. मिलियन मीटरी टन हो गया है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है :-

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल
1995-96	0.81	14.82
1996-97 (30.6.1996 तक)	3.29	0.06

[हिन्दी]

गेहूं और चावल की खरीद और बिक्री मूल्य

1072. श्री नीतीश कुमार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अप्रैल, 1996 के बिजनेस स्टैंडर्ड में "फार्म प्राईसेस ग्रोइंग आउट ऑफ कन्ट्रोल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तथ्य है कि भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत में वृद्धि होने के कारण देश के गेहूं और चावल के खरीद और बिक्री मूल्य में बहुत अन्तर है;

(ग) यदि नहीं, तो इससे सम्बन्धित तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत को कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). निम्नलिखित सारणी में (1) आर्थिक लागत और (2) केन्द्रीय निर्गम मूल्य अर्थात् 1994-95 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जा रहे गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम

मूल्यों की जानकारी दी गई है।

(रुपये प्रति क्विंटल)

		1994-95		1995-96(सं.अ.)		1996-97(ब.अ.)	
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
I.	आर्थिक लागत जिसमें निम्न शामिल है :	551.17	694.71	563.57	746.72	582.17	773.49
	क. अधिग्रहण लागत (अर्थात् एकीकृत लागत + वूसली प्रासंगिक खर्चे)	445.66	595.90	460.38	637.58	468.34	664.54
	ख. वितरण लागत (अर्थात् भाड़ा, हैंडलिंग, भंडारण, ब्याज आदि)	105.51	98.81	103.19	109.14	113.83	108.54
II.	केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) (1.2.1994 से प्रभावी)						
	गेहूं	402/-		402/-		402/-	
	चावल						
	साधारण	537/-		537/-		537/-	
	बढ़िया	617/-		617/-		617/-	
	उत्तम	648/-		648/-		648/-	

सारणी ये यह विदित होता है कि यद्यपि मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य/केवल अनाज के मूल्य (खर्च रहित) में वृद्धियां होने के परिणामस्वरूप अनाज की एकीकृत लागत में हुई वृद्धि के कारण आर्थिक लागत बढ़ गई है परन्तु बिक्री मूल्य अर्थात् केन्द्रीय निर्गम मूल्य में 1.2.1994 से वृद्धि नहीं की गई है।

(घ) और (ङ). आर्थिक लागत कम करने/नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :-

(1) यद्यपि अनाज की वूसली मौसमी होती है परन्तु निगम ने 75 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोगिता का लक्ष्य रखा है।

(2) सरकार द्वारा भाडे में कमी करने के उद्देश्य से वसूली और संचलन के संबंध में निर्धारित किए गए 1 : 1.35 के मानदण्ड का अनुसरण किया जा रहा है।

(3) प्रशासनिक खर्च में कमी लाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रवेश स्तर पर खाली पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा है।

(4) खाद्यान्नों की हैंडलिंग हानियों को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) केन्द्रीय निर्गम मूलय से ऊंचे मूल्यों पर खुले बाजार में स्टाक रिलीज करना।

जनजातियों का विकास

1073. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों के हेतु इस समय विभिन्न नीतियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजनायें तैयार की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विभेद करने हेतु निर्धारित मानदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विभेद की क्या आवश्यकता है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। आदिवासी बहुल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, आदिवासी विकास परियोजनाएं, अर्थात समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं, समेकित आदिवासी विकास एजेन्सियां एवं संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत पाकेट और क्लस्टर आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास संबंधी आदिवासी उप-योजना कार्यनीति के अंतर्गत आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंकित किए गए हैं।

(ख) मोटे तौर पर समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं/ समेकित आदिवासी विकास एजेन्सियों को अनुसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या वाले तालुकों/तहसीलों और ब्लाकों में अंकित किया गया है। संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण को 10,000 की जनसंख्या वाले आदिवासी बहुल क्षेत्रों तथा जिनकी

50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है, को शामिल करने के लिए अपनाया गया है। क्लस्टरों की पहचान कम से कम 5000 कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों तथा जिनकी 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक जनसंख्या आदिवासियों को शामिल करने के लिए की गई है।

[अनुवाद]

महिला श्रमिक प्रकोष्ठ

1074. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस समय कार्यरत महिला श्रमिक प्रकोष्ठों (सैलों) की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) इन महिला श्रमिक प्रकोष्ठों की इनके स्थापना के समय से अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, असम राज्य में कोई महिला प्रकोष्ठ कार्यरत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई चीनी मिलें

1075. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1996-97 के दौरान देश में नई चीनी मिलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलों की स्थापना नहीं करती है। तथापि, यह दिनांक 8.11.1991 के प्रेस नोट संख्या-16 द्वारा घोषित चीनी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग नीति सम्बंधी दिशा-निर्देश के अनुसार आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 1996-97 में दिनांक 30.06.1996 तक नई चीनी फैक्टियों की स्थापना किए जाने के लिए 12 आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1996-97 (30.6.96 तक) के दौरान नई चीनी फैक्टियों की स्थापना किए जाने के लिए जारी आशय-पत्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पार्टी का नाम	जगह का नाम	आशय पत्र सं. तथा तिथि
1	2	3	4
1.	एम.ए. मजीद एंड ब्रदर्स	कदराबाद, तहसील-अफजलगढ़ जिला-बिजनौर (उ0प्र0)	आ.पत्र:118(1996) दिनांक 2.4.96
2.	मैसर्स द वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि0	दाण्डेली, तालुक-हलियाल जिला-उत्तरा कन्नडा, कर्नाटक	आ.पत्र:141(1996) दिनांक 27.5.96
3.	श्री जी.पी. गोयनका	लखनौती, तहसील-नकुड जिला-सहानपुर (उ0प्र0)	आ.पत्र:142(1996) दिनांक 27.5.96
4.	श्री दीपक परती	गुन्नौर, तहसील-गुन्नौर जिला-बदायूं (उ0प्र0)	आ.पत्र:143(1996) दिनांक 28.5.96
5.	मैसर्स जेम शुगर्स लि0	कुन्दारगी, तहसील-बिलगी जिला-बीजापुर (कर्नाटक)	आ.पत्र:145(1996) दिनांक 28.5.96
6.	मैसर्स थी प्रभूलिंगेश्वर शूगर वर्क्स लिमिटेड	सिद्धापुर, तहसील-जामखण्डी, जिला-बीजापुर (कर्नाटक)	आ.पत्र:146(1996) दिनांक 28,5.96
7.	मैसर्स रेसेल इंडस्ट्रीज लि.	गंगा-पूर्वी गोतिया, तह0 राजापुर ब्लाक, जिला-फर्रुखाबाद (उ0प्र0)	आ.पत्र:146(1996) दिनांक 31.5.96

1	2	3	4
8.	मैसर्स जी इ ए एनर्जी सिस्टम इंडिया लि0	अट्टूर, जिला-सालेम (तमिलनाडु)	आ.पत्र:147 (1996) दिनांक 31.5.96
9.	श्री चन्द्र प्रकाश	हरुर, तहसील-गुब्बी जिला-तुमकुर (कर्नाटक)	आ.पत्र प्रतिशत 182(1996) दिनांक 28.6.96
10.	मैसर्स शामानूर शूगर लि.	दुग्गावती गांव, तहसील हारापनहाल्ली, जिला बेल्लारी (कर्नाटक)	आ.पत्र:179(1996) दिनांक 28.6.96
11.	मैसर्स वीनस शूगर लि0	हुसैनपुर, तहसील बिसौली, जिला-बदायूं (उ0प्र0)	आ.पत्र:85(1996) दिनांक 28.6.96
12.	मैसर्स साउथ इंडिया शूगर्स लिमिटेड	कुलाडी-चामंगलम तहसील-तिरुकोईलूर जिला-विलुपुरम रामासामी पडावियार (तमिलनाडु)	आ.पत्र:190(1996) दिनांक 28.6.96

दिल्ली में दूर-संचार सेवाओं का निजीकरण

1076. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूर-संचार सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने के सम्बंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है और किन-किन क्षेत्रों के निजीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूर-संचार सेवाओं का निजीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं के संचालन हेतु स्वीकृत/प्रस्तावित एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के कार्यकरण पर कोई नियंत्रण रखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निजी क्षेत्र के उद्यमियों के हितों और सार्वजनिक हितों के बीच टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) **सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा :** गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद तथा गुड़गांव सहित दिल्ली के लिए सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु दो लाइसेंस जारी किये गये हैं, दोनों प्रचालकों ने यह सेवा पहले से ही शुरू कर दी है। पड़ौस के उत्तर प्रदेश (प.) तथा हरियाणा दूर संचार सर्किलों के लिए भी प्रत्येक के लिए पृथक लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं।

रेडियो पेजिंग सेवा :

गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद तथा गुडगांव सहित दिल्ली के लिए रेडियो पेजिंग सेवा प्रदान करने हेतु चार लाइसेंस जारी कर दिए गये हैं। यह सेवा तीन प्रचालकों द्वारा पहले से ही आरंभ कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सर्किल तथा हरियाणा सर्किल के लिए भी क्रमशः दो और एक लाइसेंस जारी किये गये हैं।

बुनियादी टेलीफोन सेवा :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए एक कंपनी को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ख) जी, हां। इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है।

(ग) दिल्ली के लिए सेल्यूलर लाइसेंस धारियों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. मै. स्टर्लिंग सेल्यूलर लिमिटेड।
2. मै. भारती सेल्यूलर लिमिटेड।

दिल्ली के लिए रेडियो पेजिंग लाइसेंसधारियों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. मै. आर पी जी पेजिंग सर्विसेज।
2. मै. डी एस एस मोबाइल।
3. मै. ए बी सी कम्यूनिकेशंस।
4. मै. माइक्रोवेव कम्यूनिकेशस।

दिल्ली सेवा क्षेत्र के लिए आधारभूत सेवा प्रदान करने हेतु मै. एच एफ सी एल बेजेक टेलीकॉम लिमिटेड को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

(घ) जी, हां। प्रचालकों को लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार यह सेवा प्रदान करनी होगी।

(ङ) एवं (च) लाइसेंस करार की विस्तृत शर्तें विवरण में दी गई हैं जो निजी क्षेत्र के उद्यमियों तथा जनता के हितों के बीच टकराव को रोकने में सहायता प्रदान करती है।

विवरण

लाइसेंस करार की विस्तृत शर्तें

1. निर्धारित शुल्क सीमा के अंदर सेवा प्रदान की जाएगी।
2. लाइसेंसधारी, लाइसेंस के तहत सेवा प्रदान करने के अधिकार को किसी तीसरे पक्ष को हस्तान्तारित नहीं कर सकता है।
3. प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सेवा मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
4. सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा जी एस एम विनिर्देशनों के अनुरूप और रेडियो पेजिंग सेवा पी ओ सी, एस ए जी विनिर्देशनों के अनुरूप प्रदान की जानी है।
5. लाइसेंसधारी को लाइसेंस शुल्क संपर्क प्रभार डब्लू पी सी रायल्टी तथा आवृत्ति के प्रयोग करने के लिए लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।
6. लाइसेंस धारक को अनिवार्य रूप में सेवा के प्रचालन संबंधी कोई भी जानकारी सरकार द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत करनी होगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों का निर्माण

1077. श्री अमर पाल सिंह : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार देश में 1996-97 और 1997-98 के दौरान कुछ तीन और पांच सितारा होटलों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). वर्ष 1996-97 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के अनन्तिम योजना प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) चंडीगढ़ में 100 कमरों के एक 5 सितारा होटल का निर्माण

(ii) वर्तमान लोधी होटल का पुनर्निमाण करना तथा 310 कमरों के एक 5 सितारा होटल में परिवर्तित करना।

चीनी मिलों की स्थापना

1078. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :•

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी आधार पर कुछ चीनी मिलों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को 1996-97 के दौरान सहकारी आधार पर और सहकारी चीनी मिलें लगाने के प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार के पास इस संबंध में लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें नहीं स्थापित करती है। तथापि, यह दिनांक 8.11.1991 के प्रेस नोट संख्या-16 के तहत चीनी उद्योग के लिए घोषित लाइसेंसिग नीति के अनुरूप नई चीनी फैक्टि्रयां स्थापित करने हेतु आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है। 30.6.96 तक, देश में सहकारी क्षेत्र में 245 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं। इन चीनी फैक्ट्रियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान 30-6-1996 तक सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिल स्थापित करने हेतु आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सहकारी क्षेत्र में संस्थापित चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या तथा उनकी संस्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता को दर्शाने वाला विवरण (30.5.1996 तक)

क्र.सं.	राज्य	सहकारी क्षेत्र में संस्थापित चीनी फैक्ट्रियों की संख्या	संस्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता
1	2	3	4
1.	पंजाब	16	4.155
2.	हरियाणा	10	2.436
3.	राजस्थान	1	0.077

1	2	3	4
4.	उत्तर प्रदेश	31	7.769
5.	मध्य प्रदेश	3	0.334
6.	गुजरात	19	8.537
7.	महाराष्ट्र	104	37.2984
8.	असम	2	0.115
9.	उड़ीसा	4	0.392
10.	आंध्र प्रदेश	18	2.291
11.	कर्नाटक	18	4.0365
12.	तमिलनाडु	15	4.865
13.	पांडिचेरी	1	0.174
14.	केरल	2	0.136
15.	गोवा	1	0.093
	जोड़	245	72.7089

कुछ जातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना

1079. श्री रमेश चेन्नित्तला क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल करने के लिए विभिन्न समुदायों के दावे तथा ऐसे दावों के समाधान के लिए समुचित रूप-रेखाएं विचाराधीन हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केवल एक समुदाय, अर्थात असम राज्य में (स्वायत्त जिलों को छोड़कर) के संबंध में कोच राजबंगेशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल किया गया है। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति की सूचियों में शामिल किए जाने का कोई मामला नहीं रहा है।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय :- अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड सिकन्दराबाद का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 120/96]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आर्टिफिसियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिसियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 121/96]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार विज्युअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार विज्युअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 122/96]

केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (संशोधन) नियम, 1996

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षुता परिषद (संशोधन) नियम, 1996, जो 27 अप्रैल, 1996 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 187 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल.टी. 123/96]

अपराह्न 12.3 $^{1}/_{4}$ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

अपराह्न 12.03 $^{1}/_{2}$ बजे

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं पीठ की अनुमति से कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारत पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास बहुत समय है। मैं एक-एक करके सबको चांस दूंगा।

[अनुवाद]

अब हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेना चाहिए **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : कालिंग अटेंशन के लिए आपने बोला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पूछ लिया है। अब जीरो आवर पहले होगा। बाद में कालिंग अटेंशन होगा।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। क्या सरकार राज्य विधान मण्डलों और संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने सम्बन्धी विधेयक को इसी सभा में पास करने के लिए कदम उठायेगी क्योंकि लम्बे समय से हमें इस बारे में वचन दिये गये हैं। अब हम राज्य विधान मण्डलों और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण सम्बधी वचनों को क्रियान्वित होते देखना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह।...**(व्यवधान)** एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, मैंने सूचना दी है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : उपाध्यक्ष जी, इस देश में बीच के कुछ साल छोड़ दें, तो प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी रही हैं। इस समय स्त्री उत्थान की, स्त्री सम्मान की चर्चा हमेशा होती रही है। जब तक स्त्री निर्णयात्मक भूमिका में नहीं आएगी, उसको राजनैतिक सहभागिता नहीं मिलेगी, तब तक उसके उत्थान की चाहे पचासों योजनाएं आप बना लें, वे व्यापक रूप से कार्यरुप में परिणत नहीं होगी। इस दृष्टि से प्रत्येक पार्टी ने इस चुनाव से पहले यह ऐलान किया था कि हम महिलाओं को विधान सभाओं में, संसद में, विधान परिषद् में 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसी बात का एक प्रस्ताव पास किया था। माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी इस बात को उन्होंने कहा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा थी। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी वचन दिया हुआ है। अगर आप वास्तविक रूप से महिलाओं की सहभागिता चाहते हैं, महिलाओं का उत्थान चाहते हैं, तो इसी सत्र में 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का बिल आना चाहिए और इसी सत्र में पास भी होना चाहिए ताकि आने वाले विधान सभा चुनावों में भी इस प्रकार की सहभागिता हो सके। मैं आपके द्वारा सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि इसी सत्र में इस प्रकार का बिल आ जाए और पास भी जा जाए। ...**(व्यवधान)** उपाध्यक्ष जी, कुछ आश्वासन भी तो मिले कि इसी सत्र में बिल आएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आपने श्री हन्नान मोल्लाह को बुलाया है। **(व्यवधान)** उन्हें अपना अवसर लेने दें। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय कृपा कर उन्हें सुनें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : विधेयक लगभग तैयार है। विधेयक को इस सभा में पेश किया जायेगा और सरकार का इरादा यह है कि सदन के सहयोग से इसी सभा में पारित किया जाये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की एक सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हम्नान मोल्लाह के पश्चात् मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि संसद में महिलाओ के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी विधेयक इस सदन में लाया जायेगा। महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण के लिए क्या है?

श्री श्रीकान्त जेना : महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण के बारे में अभी फैसला किया जाना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आशा है फैसला शीघ्र कर लिया जायेगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, आप जानते है कि पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में अनेक पटसन मिलें काफी लम्बे समय से बन्द पड़ी हैं। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में कनोरिया और प्रेमचन्द जूट मिल और कुछ अन्य मिलें बहुत लम्बे समय से बन्द पड़ी हैं। पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में भी 12 पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं। अधिकांश पटसन मिलें आंशिकरूप से बन्द हैं। इस समय 50 प्रतिशत पटसन मिल मजदूर बेकार हैं। यह एक गम्भीर समस्या है। एक और बड़ी समस्या यह है कि इस सदन द्वारा पारित कम्पलसरी पैकेज एक्ट के अन्तर्गत सरकार तथा सरकारी क्षेत्र को सीमेंट ढोने तथा अन्य चीजों के लिए पटसन के बोरों का प्रयोग करना होता है। परन्तु सरकारी क्षेत्र द्वारा इस अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है।

दूसरे भारतीय पटसन निगम पर्याप्त मात्रा में पटसन नहीं खरीद रहा है। इसके अतिरिक्त कच्चे पटसन की कमी के कारण अनेक पटसन मिलें बन्द हैं और हजारों मजदूरों के पास रोजगार नहीं है। भारतीय पटसन निगम को भी धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्रालय निगम को कच्चा पटसन खरीदने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा रहा है। पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों, जहां पटसन मिलें बन्द पड़ी है, की अर्थव्यवस्था खराब है।

महोदय, मैं कपडा मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे उचित कार्यवाही करे ताकि बन्द पटसन मिलें खुल सकें और कम्पलसरी पैकेज एक्ट को क्रियान्वित किया जा सके। भारतीय पटसन निगम को भी कच्चा पटसन खरीदना चाहिए ताकि कच्चे पटसन की कमी की समस्या को हल किया जा सके और बन्द कारखानों को खोला जा सके तथा हजारों बेरोजगार मजदूरों को पुनः रोजगार मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके सभी को बोलने का मौका मिलेगा।

काजेन्ट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट के बारे में

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधान मंत्री पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है। कल इस सदन में प्रश्न काल में मैंने कार्जेट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट के मामले में कुछ बात पूछी थी जिसके जवाब में प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा, वह आज सुबह मुझे प्रोसीडिंग्स भेजी गयी है जिसमें प्रधान मंत्रीजी ने कल यह कहा:

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार द्वारा कोजेनट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। पी.पी.ए. अभी राज्य सरकार

के स्तर पर अर्थात कर्नाटक बिजली बोर्ड के स्तर पर है जहां तक बिजली खरीद समझौता तथा अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है राज्य सरकार को इन पर अन्तिमरूप से निर्णय लेना है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण तब इस समूचे मामले की जांच करेगा और तब यह केन्द्रीय सरकार के पास आयेगा। इस अवस्था पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि किन मुद्दों पर सहमति हुई है और अन्ततः केन्द्रीय सरकार किन पर सहमत होगी।"

[हिन्दी]

यह कल प्रधान मंत्री का वक्तव्य है इस सदन में।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका जो प्रिविलेज मोशन है, मुझे थोड़ी देर पहले मिला है, मैंने पढ़ा नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने दस बजे से पहले दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : दिया होगा। आपने कुछ कहा था कि डाक्यूमेंट्स लगाने थे, वह भी नहीं लगाए हैं। वह डाक्यूमेंट्स भी दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैंने डाक्यूमेंट से जुड़े जो मुद्दे हैं, जिनको मुझे सदन में छेड़ना है वह इस पत्र में लिखे हैं। चूंकि प्रधान मंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो मेरे पास यहां वह दस्तावेज हैं जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट एंड फोरेस्ट का दस्तावेज है। इसका पहला वाक्य है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : इसके लिए कोई सूचना नहीं दी गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने सूचना दी है।

श्री श्रीकान्त जेना : यह पूरी नहीं है। कोई दस्तावेज साथ नहीं लगाये गये हैं। यह क्या है। ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, प्रधान मंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की है क्योंकि परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण से भी मंजूरी लेनी होती है और वह भी तत्काल मंजूरी नहीं है। उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है ...**(व्यवधान)** नहीं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जब तक इसे एग्जामिन नहीं कर लेता, इस पर कुछ कहने से मजबूर हूं। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अखबारों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार के मिनिस्ट्री के दस्तावेज को पेश कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि ...

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके साथ डाक्यूमेंट्स लगाकर भेज दीजिए। मैं इसको एग्जामिन करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप इसको कब लेंगे। कल लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : एग्जामिन करने के बाद ही बता पाऊंगा

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैं दस्तावेज यहां पर लाया हूं उन सबका उद्धरण मैंने पत्र में रखा है। प्रधान मंत्री कहते हैं कि क्लियरेंज नहीं किया। इधर है उनके मंत्रालय का क्लियरेंस। इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"मंगलौर पावर कम्पनी उपरलिखित विषय पर प्रस्ताव को देखें। परियोजना की जांच कर ली गई है और परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की प्रभावी क्रियान्विति पर निर्भर है"

[हिन्दी]

अब प्रधान मंत्री यहां बोलते हैं कि नहीं दिया हैं। ऐनवायर्नमैंट मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं। यह उनकी तरफ से दिया हुआ दस्तावेज है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप डाक्यूमेंट्स दे दीजिए। मैं एग्जामिन करूंगा।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : हम किसी का फोटोग्राफ देखना नही चाहते। ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : आप इस प्रकार नहीं बोल सकते। ...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : सभी सदस्य यहां पर महत्वपूर्ण मामले उठाने के लिए हैं...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : मुझे सुनिये।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यहां प्रधान मंत्री द्वारा असत्य कहा गया है...**(व्यवधान)** मैं बोल रहा हूं तो आप सभी मुझे टोक रहे हैं। मुझे मत रोकिये। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं बोलें। सब बोलें, लेकिन मुझे क्यों टोक रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार (जैजाबाद) : प्रधान मंत्री ने पूरे देश को, सदन को गुमराह किया है और इसलिए जार्ज साहब जो विषय रख रहे हैं, उनको बोलने की अनुमति दी जाए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री विनय कटियार : प्रधान मंत्री ने सदन में गलत बयान दिया और गलत बयान देकर देश को गुमराह किया है। ...**(व्यवधान)** आप इन्हें बोलने दीजिए, इन्हें अपनी बात कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : पहले श्री फर्नान्डीज को अपनी बात पूरी करने दीजिए ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हमने कुछ तथ्यों को सदन के सामने और आपके सामने रखा है। मैंने जो नोटिस दिया उसमें मैंने एक सरकारी दस्तावेज का उद्धरण दिया है जो मेरे हाथों में यहां पर है। उपाध्यक्ष जी, जो मेरे हाथों में यहां पर है। दूसरा जब कल प्रधान मंत्री ने यहां पर कहा कि किसी भी प्रकार का क्लिअरेंस उसको नहीं मिला हैं। महोदय, आज का यह इकॉनोमिक टाइम्स है। इसमें इस कम्पनी का जो सबसे बड़ा अधिकारी है जिसका नाम रॉन सोमर्स है, वह यह कह रहे थे कि केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने एक महीना पूर्व मंजूरी दे दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात मानी जाए उसके बाद जो जवाब देना है वह दें। मेरा यह कहना है कि कल सुबह सवा ।। बजे प्रधान मंत्री ने यहां पर कहा कि सैट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी का क्लिअरेन्स अभी नहीं किया गया है, उसके बाद बंगलौर में इस कम्पनी का चेयरमैन या एम.डी. जो भी है वह अमरीकी है, उसका नाम रॉन सोमर्स है, उसके कहा कि सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी का क्लिअरेंस मिला है। यहां से खबर जाने के बाद कही हुई यह बात है। आप लोगों को कम से कम मेरी बात को सुनना तो चाहिए। तो महोदय सवाल अखबार में आया कि नहीं आया, यह बात नहीं है। हम लोगों का अखबारों से कब से ऐसा झगड़ा हुआ। अखबार ने यह बात अब छापी, कोट तो अखबार, ...**(व्यवधान)** तो महोदय मैंने ठोस सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पी.पी.ए. नहीं हुआ है। पी.पी.ए. हुआ है 18 जनवरी को ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले समाप्त करने दीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हां बोलिए, ये आफ आर्डर कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : श्री हरिन पाठक पहले ही विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख कर चुके हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : शून्य काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। इसको उठाने की अब कोई जरूरत नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं बोलूं। ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि सारी कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक अधिकार है। उन्होंने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ठीक है।

यदि प्रधान मंत्री ने सदन को गुमराह किया है तो उन्होंने प्रधान मंत्री अथवा किसी के भी विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का अधिकार है . **(व्यवधान)** कृपा मुझे सुने। मैं नियम 222 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब उन्होंने यह मामला उठाया था तो आपने कहा था कि सूचना पूर्ण नहीं है क्योंकि इसके साथ जो दस्तावेज लगाये जाने चाहिए थे वे नहीं लगाये गये हैं। इसका अर्थ यह है कि सूचना अपने आप में पूर्ण नहीं है। वह यह मामला क्यों उठा रहे हैं। वह इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब उन्होंने सूचना दी थी उन्हें तभी वे सभी दस्तावेज साथ लगा देने चाहिए थे जो वह लगाना चाहते हैं। वह उसे यहां क्यों दिखा रहे हैं। वे उन्होंने अध्यक्ष महोदय को क्यों नहीं दिये। यह गलत है। इस प्रकार अन्य सदस्य भी उनका अनुसरण करेंगे। इन्हें नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने वे अध्यक्ष महोदय को क्यों नहीं दिये। नियम में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है। उन्हें नियम पढ़ना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या आप मेरी सूचना पढ़ेंगे?

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने आपकी सूचना पढी है ...**(व्यवधान)** कृपा मुझे सुनें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस मामले में संरक्षण चाहता हूं। आपने स्वयं कहा था 'कि जार्ज फर्नान्डीज इस सूचना के साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें दस्तावेज नहीं दिये गये हैं।' महोदय, आप उन्हें उचित रूप से सूचना देने को रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दो बाते साफ कहीं है पहली यह कि के साथ डाकयूमैंट अटैच नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : ठीक यही स्थिति है। फिर वह यह मामला क्यों उठा रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा यह कि डाक्यूमेंट अटैच हो जायेगा तो मैं जांच कर लूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदा यह प्रथा रही है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय पीठासीन द्वारा लिया जाता है। विचार सुने जाते हैं। सदन में आज निर्णय नहीं लिया जा सका। माननीय अध्यक्ष महोदय के यह विचाराधीन है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा है। आप सभी दस्तावेज संलग्न करें। मैं दस्तावेजों की जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं केवल एक और वाक्य कहूंगा और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैं दस्तावेज दे रहा हूं और केवल एक सैन्टैंस बोलकर बैठ जाऊंगा। इस सदन में कहा गया कि पी.पी.ए. साइन नहीं हुआ है लेकिन फैक्ट यह है कि पी.पी.ए. 18 जनवरी को साईन हो गया है। चूंकि यहां पर कहा गया कि साइन नहीं हुआ है इसलिये प्रिविलेज बनता है। ...**(व्यवधान)** मैं सभी दस्तावेज अभी कार्यालय में पहुंचा दूंगा। ...**(व्यवधान)**

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, दस्तावेज देना कोई जरूरी नहीं है अगर कोई पदाधिकारी किसी सांसद को अपमानित करता है तो उसके संबंध में कौन सा दस्तावेज अटैच करके दिया जाए। जब सब कुछ साफ है कि सदन में प्रधानमंत्री जी ने गलतबयानी की है, सदन को गुमराह किया है, इसमें साफ प्रिविलेज का मामला बनता है। इसमें दस्तावेजों की क्या जरूरत है। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न रूल्स प्रोसीजर के नियम 227 के अधीन है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : इसे रिकार्ड से बाहर किया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)** इसे रिकार्ड से बाहर किया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा स्वराज को बोलने दीजिये। उन्हें सुनें।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैंने श्रीमती स्वराज से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा स्वराज को बोलने दीजिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने मुझे पहचान लिया है। वह उनका विवेक है कि वह अध्यक्ष महोदय की पहचान करें। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं यहां पर आपकी कृपा से नहीं हूं मैं अपने अधिकार से यहां हूं। मैं नियमों के अनुसार अपने अधिकार से यहां खड़ा हुआ हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 227 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूं। अभी संसदीय कार्यमंत्री प्रिविलेन उठाने के बारे में बता रहे थे। उन्होंने रूल कोट करके बताया कि प्रिविलेज कैसे उठाया जा रहा है लेकिन प्रिविलेज से संबंधित चैप्टर में ही एक नियम 227 है जिसके स्टार्टिंग में ही यह कहा गया है

[अनुवाद]

> " इन नियमों में किसी भी बात के रहते हुए भी अध्यक्ष महोदय विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को परीक्षण, जांच अथवा रिपोर्ट देने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं।"

[हिन्दी]

यह आपके अधिकार क्षेत्र में है कि इन तमाम नियमों को खत्म करके, नियम 227 के तहत, आप किसी भी प्रिविलेज नोटिस को डायरेक्टली कमेटी को एग्जामिन करके और रिपोर्ट देने के लिये रैफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। स्वयं एक्जामिन करने के संबंध में जितने रूल्स हैं कि कैसे प्रिविलेज होगा, कैसे नहीं होगा, वे सब विषय की गम्भीरता पर आश्रित हैं। नियम 227 की केवल एक ही शर्त है कि विषय कितना गम्भीर है। अगर विषय की गम्भीरता है तो नियम 227 के तहत बाकी तमाम नियमों की अवहेलना करके आप मैटर को डाइरैक्टली कमेटी को रैफर कर सकते हैं।

मेरा यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री पर सीधे सदन को गुमराह करने का आरोप हो, जहां तीन चीजें प्रधानमंत्री जी ने कही हों और तीनों चीजों की काट करने वाले दस्तावेज सदन में एक मैम्बर के द्वारा रखे जा रहे हों तो इससे ज्यादा गम्भीर विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए नियम 227 के तहत, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर आप इस मामले को सीधे प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर दें। इसमें किसी एक्जामिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि नियम 227 आपको यह अधिकार देता है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नियम की आपकी अपनी व्याख्या है। आप नियम की व्याख्या अपने तौरके से नहीं कर सकतीं। पीठासीन को गुमराह मत करिये। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह नियम की मेरी व्याख्या नहीं है। क्या आप इसकी अन्य तरीके से व्याख्या कर सकते हैं?

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय नियम 223 में सदन में कार्य करने और माननीय सदस्यों के अधिकारों के प्रयोग, विशेषकर विशेषाधिकार के बारे में गति की स्पष्टरूप से व्याख्या की गई है। और इस सदन में कोई भी सदस्य नियमों को लांघ कर विशेष लाभ नहीं ले सकता। आज सुबह मुझे नोटिस आफिस से फोन आया कि आधे

घंटे संबंधी मेरी सूचना के साथ दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं तथा उसे वापस किया जा रहा है। मुझे उसे स्वीकार करना पडा। यह रिकार्ड पर है। नियम 223 में स्पष्ट रूप से कहा गया है—

> "विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के इच्छुक सदस्य को उस दिन सुबह दस बजे तक जिस दिन वह प्रश्न उठाना चाहता है, महासचिव को लिखित में सूचना दे देनी चाहिए। यदि उठाया गया प्रश्न दस्तावेज पर आधारित है तो सूचना के साथ दस्तावेज को लगाया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नियम 227 है यह सारे नियमों को शिथिल करता है। प्रधान मंत्री देवेगौड़ा जी ने सदन को गुमराह किया है। उनका बयान मौजूद है और उसके अलावा और किसी बयान की आवश्यकता नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : यदि दस्तावेज बिना सूचना के दी जाती है और दस्तावेज को सदन में रखा जाता है तो सूचना को ही रद्द किया जाता है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नियम 223 में आगे कहा गया है कि यदि दस बजे के बाद कोई चीज दी जाती है तो इसे अगले दिन 10 बजे दिया गया माना जाता है। नियम यह कहता है। माननीय सदस्य इस नियम का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? किसी भी सदस्य को अतिरिक्त लाभ नहीं मिल सकता चाहे वह तीसरी बार अथवा पांचवीं बार सदस्य बना हो। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को पूरे सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि वह ऐसा नहीं कर सकते।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : समाचार-पत्र की कीटिंग कोई दस्तावेज नहीं है, महोदय ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले कह चुका हूं, मैंने नियम 222, 223, 227, तीनों देख लिए है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा कर मुझे सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम बीच में इन्वाल्व हो गया है, यह सीरीयस मैटर है। डाकूमैंट साथ अटैच हो जायेंगे, तब इसकी जांच होगी।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : उपाध्यक्ष जी, मैं आज सदन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मेरे जनपद उन्नाव में अभी हाल ही में लेखपालों के लगभग 50 रिक्त पद भरे गए। इनके लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया गया और उसी दिन से इन रिक्त पदों के लिए सौदेबाजी आरम्भ हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा से पूर्व ही समिति गठित हो गई। यह समिति नाममात्र के लिए बनाई गई। एक-एक पद के लिए 60 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की रिश्वत ली गई है। यह परीक्षा जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की देखरेख में हुई और इनकी देखरेख में भारी धांधली की गई तथा उपयुक्त उम्मीदवार को वंचित रखा गया है। इस चयन समिति में रखे गए सभी लोगों के रिश्तेदारों, चेयरमैन का भतीजा, एस.डी.एम. का पुत्र, तहसीलदार का भाई आदि इसी प्रकार भर्ती किए गए।

मान्यवर, मैं इस पूरे प्रकरण की सी.बी.आई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि अभी जनपद में क्लर्क तथा चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाने हैं जिन पर अभी से सौदेबाजी चल रही है। लेखपालों के लिए हुई परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरन्त इसकी जांच की जाए।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर भदोही क्षेत्र से चुनकर आई हूं। मैं जहां से आई हूं वह बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई कारखाने और उद्योग नहीं हैं जिससे वहां के लोग अपना भरण-पोषण कर सकें। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे उस क्षेत्र को उद्योग-शून्य क्षेत्र घोषित करें जिससे वहां उद्योग स्थापित हो सकें और हमारे लाखों-करोड़ों बहन-भाइयों को मजदूरी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह बात भी कहना चाहती हूं कि जो वहां पर मिट्टी डालते हैं, उनको मजदूरी के रूप में दो किलो अनाज दिया जाता है। मैं मांग करती हूं कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए और मेरे क्षेत्र को उद्योग-विहीन क्षेत्र घोषित किया जाए।

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं। आज सुबह के समाचारपत्रों में गृह मंत्री जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार के कार्यकलाप के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सबने उनके उस बयान को समाचारपत्रों में पढ़ा है। उससे एक विचित्र एवं अजीब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री, अब संयुक्त मोर्चा सरकार के गृह मंत्री है जिसके मुखिया माननीय श्री देवगौडा जी हैं जिनकी पार्टी बिहार में शासन कर रही है। अब शासन कर रही है या नहीं कर रही है, यह अलग मुद्दा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूं।

[अनुवाद]

बिहार में बथानी जैसे कत्लेआम अखबारों में नहीं आते। बिहार के गांवों में ऐसी घटनायें आम हैं।

उन्होंने ये विचार प्रकट किए हैं और यह भी कहा है कि बिहार में पुलिस कठिन स्थिति से निपटने में पूर्णतया असमर्थ है। यह कमजोर, अनुशासनहीन पूरीत तथा प्रशिक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

तो यह तो उसी पार्टी को सरकार बिहार में है और उसी के बारे में गृह मंत्री जी के ये विचार हैं, तो मैं यह पूछना चाहती हूं—माननीय गृह मंत्री जी से कि वे यहां सदन में प्रकट हों और हम लोगों को बताएं इस विषय में उन्होंने क्या करने का सोचा है?

वैसे तो बिहार में घोर वित्तीय अराजकता है। बिहार में ला एंड आर्डर की सिचुएशन एकदम खराब है। वास्तव में बिहार में कोई कानून-व्यवस्था है ही नहीं। जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर बिहार विधान सभा में प्राणघातक हमला किया गया। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन जब हम लोगों ने यहां मांग की और हमारी मांग पर गृह मंत्री जी ने वहां विजिट किया, वे मौके पर गए और उन्होंने देखा कि बिहार की निकम्मी सरकार है, वह शासन नहीं चला सकती है, तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे सदन में आएं और वे अपना वक्तव्य दें कि वे क्या करना चाहते हैं? **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।...**(व्यवधान)** मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

महोदय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह पहले ही कहा गया है तथा घोषणा की गई है कि माननीय गृह मंत्री बिहार की अपनी यात्रा के बारे में एक वक्तव्य देंगे। सदन को वक्तव्य की प्रतीक्षा करने दीजिए। मुझे विश्वास है यथासम्भव वक्तव्य दिया जायेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार का प्रत्येक मामला इस आधार पर इस सदन में उठाया जा सकता है कि गृह मंत्री ने उस राज्य की यात्रा की है। तब फिर यह अनेकों की विधान सभा बन जायेगी **...(व्यवधान)** क्या वह यह समाचार पत्र को खबर के आधार पर कह सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि गृह मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं तो कोई सदस्य क्यों नहीं बोल सकता।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : गृह मंत्री को अभी वक्तव्य देना है और पहले ही ये बातें सदन के समक्ष आ गई है और राज्य सरकारों को गाली दी गई है। यह तरीका नहीं है **...(व्यवधान)** यह भारत की संसद है **...(व्यवधान)** महोदय आपको कार्यवाही करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत महाजन को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही श्री महाजन को बुला लिया है। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनके बाद आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री सत महाजन (कांगडा) : जब वक्त पड़ा चमन पर तो खून दिया हमने, जब बहार आई है तो कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं " **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महाजन को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सत महाजन (कांगडा) : उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में बहुत जुल्म हो रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और श्री शर्मा जी से कहूंगा कि वे मदद करें। पौंग डैम में राजस्थान का जो एक्सपलायटेशन हो रहा है, उनको नुकसान पहुंचा है। यहां पर जो सांसद बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वे पार्टी से ऊपर उठकर उनकी मदद करें। हमने खून दिया है, हमारे लोग उजड़े हैं। 22500 फैमिलीस अपरुट हुई थी। 16101 को आईडेन्टीफाइड किया गया कि उनको मुख्बे दिये जायेंगे। 9195 को लैंड एलॉट हुई लेकिन 7000 को पोजेशन दिया गया। जिनमें से 6658 के मुख्बे कैंसिल हो गये। आज पोजीशन यह है कि सर्फ 3000 मुख्बे रह गये हैं। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री और हि.प्र. के ठाकुर राम लाल जी थे। उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बुलाकर फैसला किया। जैसे 5000 मुख्बे रेस्टोर होने जा रहे थे, उनमें से 1300 मुख्बे ऐसे हैं जिनको पोजेशन देने को कहा गया है लेकिन दिया नहीं गया। लास्ट में 2108 मुरब्बे कैंसिल कर दिये गये तथा 1901 को नोटिस दे दिये गये हैं।

मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि प्रधान मंत्री जी राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलायें, हिमाचल के मुख्यमंत्री को बुलायें तथा श्री कृष्ण लाल शर्मा जी से रिक्वैस्ट करूंगा क्योंकि वे हमारे सांसद रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह ह्यूमन प्राब्लम है, पौलिटिकल प्राब्लम नहीं है। आप इसको हल करिये, नहीं तो आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें परेशानी हो जायेगी क्योंकि हमें जैसेलमेर, 1100 किलोमीटर आगे भेज रहे हैं जहां पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। यह हमारे साथ बहुत बेइंसाफी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे यह कहते हुए खेद है कि जिस विषय को मैं उठाना चाहता था उसे श्री मोल्लाह ने पहले ही उठा दिया। आपको मुझे उस समय बुलाना चाहिए था। मैंने उस समय अपना हाथ भी उठाया था परन्तु आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया।

प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह संकट कच्चे माल के कम कीमत पर न मिलने के कारण है। इसी कारण पश्चिम बंगाल में अनेक

पटसन मिलें बन्द हो गई हैं। यह केवल कर्मचारियों की छटनी अथवा मिलों के बन्द होने का प्रश्न नहीं है बल्कि इसका हमारे देश के लाखों पटसन उत्पादकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। 50 लाख से अधिक पटसन उत्पादक पटसन की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं और सच तो यह है कि आज भी पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पटसन की अर्थव्यवस्था है।

भारतीय पटसन निगम जिसे कई वर्ष पूर्व पटसन मिलों के लिए पटसन खरीदने तथा पटसन उत्पादकों के लिए उचित लाभदायिक मूल्य सुनिश्चित कराने के लिये बनाया गया था, ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे केन्द्रीय सरकार से धन नहीं मिल रहा है। वास्तव में भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों को कई महीनों से कोई भुगतान नहीं दिया गया है। और उन्होंने समूचे राज्य में अपने क्रियाकलाप बन्द कर दिये हैं।

महोदय, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार तुरन्त भारतीय पटसन निगम के लिए तथा कच्चे पटसन की खरीद के वाणिज्यिक कार्यों के लिए धन जारी करे। कच्चे पटसन का मौसम शुरू हो गया है। यदि भारतीय पटसन निगम द्वारा बाजार से पटसन की खरीद नहीं की जाती तो राज्य के पटसन उत्पादकों को बहुत हानि होगी। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की इस बड़ी समस्या का ध्यान करे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं भी अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईशू की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे डोडा जिले के किश्तवार में दूलहस्ती प्रोजैक्ट चल रहा था। उस पर सरकार एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। पिछले तीन सालों से जब से कुछ उग्रवादियों ने उस क्षेत्र में अपना आतंक बढ़ाया और कुछ फ्रांसीसी इंजीनियर्स को किडनैप कर लिया, उसके बाद से लेकर आज तक सरकार ने वहां पर सारा कामकाज ठप्प कर दिया है। यह प्रोजैक्ट उस क्षेत्र की पांच हजार मैगावाट बिजली पैदा करने वाला है। इसके बंद होने के कारण जो एक हजार करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, वह भी बेकार जा रहा है। उसके साथ ही वहां पर बहुत लोग बेकार हो गए हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि चिनाब में कम से कम दस हजार मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। वहां के तीन प्रोजैक्टस सालवाकोट, बगलियार और दूलहस्ती, को यदि वहां की सरकार चालू करेगी तो सरकार को उग्रवाद को समाप्त करने में बहुत हद तक सहायता मिलेगी और लोगों को काम मिलेगा। सरकार ने नपुंसकता जैसी पालिसी अपनाई है। फ्रैंच कम्पनी के साथ उनका कान्ट्रैक्ट था लेकिन वे छोड़कर चले गए। कितना रुपया लेकर चले गए यह तो ये ही जानें। लेकिन हमको पता चला है कि इन्होंने किसी दूसरी कम्पनी के साथ उसके लिए बाकायदा सौदेबाजी की, उनको वहां पर लाने की कोशिश की। वह प्रोजैक्ट लगातार तीन साल से बंद पड़ा है और कोई कामकाज नहीं हो रहा है। वहां पर अरबों रुपये की जमीन जाया हो रही है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वे तीनों प्रोजैक्ट साईमलटेनियसली चल सकते हैं। उनको तुरन्त चालू किया जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पंजाब के उन जिलों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए हैं। पाकिस्तान की सीमा पर फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों में कांटेदार तार लगाई गई। सरकार की पालिसी थी कि जहां टेढा-मेढा बार्डर है वहां बार्डर से पचास से डेढ सौ गज की दूरी पर तार लगाई जाएगी। लेकिन सरकार ने जो पालिसी बनाई थी उसको ऐडाप्ट नहीं किया गया।

वहां 50 गज की दूरी छोड़ने की बजाए दो-दो किलोमीटर पीछे हटाकर तार लगाई गई, जिस वजह से हजारों किसानों की हजरों नहीं, लाखों एकड़ जमीन कांटेदार तार के आगे हो गई है। किसानों को सुबह और शाम कांटेदार तार में से जो दो-दो किलोमीटर की दूरी पर गेट लगे हुए हैं, उनमें से गुजरना पड़ता है। जब गेट में से गुजरते हैं, सुबह जब गेट के पास से किसान अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां बी.एस.एफ. के जवान उन किसानों को कांटेदार तार में बेगार का काम, उनमें से घास निकालने का काम जबरदस्ती करवाते है। जो किसान तार में से घास नहीं निकालते, उनको गेट में से गुजरने नहीं देते और जो किसान वहां दो घंटे मजदूरी करेगा, बेगार करेगा, बिना पैसे के काम करेगा, उस किसान को गेट में से गुजरने दिया जाता है। किसान का काम करने का समय वह वहां बर्बाद कर दे हैं। जब वे अपने खेत में काम करने के लिए जाता है तब तक वहां व्हिसल, सीटियां बज जाती हैं कि आपके वापस लौटने का समय हो गया है। जो किसान देश के बोर्डर की बंजर जमीनों को आबाद करने में लगे हुए हैं, उनके लिए यह रात-दिन की समस्या है। उनको इतना परेशान किया जाता है कि वे लागे कांटेदार तार के आगे की खेती को छोड़ने के लिए तैयार हैं।

हमारा सरकार से यह अनुरोध है कि जो कांटेदार तार लगाई गई है, यह तार बोर्डर पर लगानी चाहिए थी, लेकिन यह बोर्डर पर नहीं, बल्कि दो-दो किलोमीटर जगह छोड़कर पीछे लगाई गई है, जिस वजह से किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार से मांग है कि उन किसानों की समस्या पर फौरी तौर पर गौर किया जाये और यह जो तार गलत तरीके से लगाए गए हैं, इनको उखाड़कर बोर्डर पर लगाया जाए ताकि किसानों की जमीन उस तार के आगे न हो और न ही किसानों को गेटों में से क्रास करने में दिक्कत आए।

हमारी यह एक और प्राब्लम है कि बोर्डर पर गवर्नमेंट के जो एम्पलाइज काम करते हैं, इन एम्पलाइज के लिए जंग के बाद 1972 में कंपेसेटरी एलाउंस देने का फैसला किया था कि जो मुलाजिम बोर्डर पर सर्विस करेंगे, उनको हम कंपसेटरी एलाउंस देंगे। सबसे शर्मनाक बात यह है कि गवर्नमेंट 1972 से लेकर यह कंपेसेटरी एलाउंस

मुलाजिमों को देती रही है, लेकिन 1988 के बाद जो पहले से दिया हुआ कंपेंसेटरी एलाउंस है, वह भी मुलाजिमों से लेकर उनको तंग कर रही है। हमने गवर्नमेंट से यह कहा है कि जो बोर्डर के मुलाजिम हैं, उनको हम कंपसेटरी एलाउंस दें।

आज बोर्डर पर कोई भी मुलाजिम सर्विस करने को तैयार नहीं है। बोर्डर के स्कूल बन्द पड़े हैं और सब मुलाजिम परेशान हैं, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि कंपेंसेटरी एलाउंस को दोबारा शुरू किया जाये ताकि मुलाजिम अपना काम ठीक से कर सकें। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनके बाद मैं उनको बुलावा लूंगा, उनको बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अभी चांस मिल जाएगा।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मामला उठाने जा रहा हूं जिसे मैंने बार-बार उठाया है, मामला यह है कि बम्बई का सहार अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अवांछनीय तत्वों तथा समाज विरोधी तत्वों का अड्डा बना गया है। वहां से आने वाले यात्री ...**(व्यवधान)** आप इस प्रकार बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्या हम इस सदन के सदस्य नहीं हैं?

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : महोदय, जब केन्द्रीय सरकार ने मुम्बई नाम को मंजूरी दे दी है तो यह बम्बई कैसे कह सकते हैं?

श्री ई. अहमद : महोदय, सहार स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवांछनीय तत्वों का अड्डा बन गया है।

अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को गुमराह कर एक होटल में ले जाया जाता है वहां उन्हें लूट लिया जाता है और यहां तक कि उन्हें मार भी दिया जाता है। इस महीने की 15 तारीख को श्री अबू बेकर शारजाह से आये थे और सहार हवाई अड्डे में उन्हें कुछ लोगों द्वारा कहीं ले जाया गया कल विक्टोरिया टर्मिनल के पास रेल पटरी पर उनका शव मिला। प्रति दिन ऐसा हो रहा है। कुछ समय पहले मैंने जब यह प्रश्न उठाया था तो भूतपूर्व तथा वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं।

दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र सरकार इस मामले में बहुत ढीला-ढाला रवैया अपना रही है। मैं समूची सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता। यह केवल सुरक्षा एंजसियां हैं जिन्हें इस हवाई अड्डे की सुरक्षा का भार साधक बनाया गया है, वे इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही हैं। निर्दोष यात्री जो खाड़ी देशों में जाते हैं, वहां तो अथवा तीन वर्ष रहते हैं और जो कुछ भी वे कमाते हैं और फिर जब वे वापस सहार हवाई अड्डे पर आते हैं तो उन्हें गुमराह कर लिया जाता है लूट लिया जाता है और मार दिया जाता है।

महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है और भारत सरकार को इन लोगों की हिफाजत करनी चाहिए जो केरल आने से पूर्व प्रत्येक वर्ष बम्बई अथवा मुम्बई के गेट वे आफ इण्डिया पर उतरते हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। और मुम्बई अथवा महाराष्ट्र के अधिकारियों को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के वस्त्र निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश में सात सूती मिल्स चल रही हैं। वर्तमान में ये मिल्स बंद पड़ी हुई हैं। लगभग 17000 मजदूर जो इन मिल्स में काम करते हैं, आज वे बेकार हैं और रोटी के लिए मोहताज हैं। सरकार निश्चित नहीं कर पा रही है कि उन मिल्स को चलाएगी या नहीं। इस कारण 17000 मजदूर सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं, वे हड़तालें और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सूती मिल्स के बंद होने का सबसे बड़ा कारण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश की पिछली विधान सभा में यह सवाल उठा था और जांच की मांग की गई थी। उन मिल्स से तैयार माल, जोकि करोड़ों रुपये का है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको बेचने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यह मजदूरों के हितों का सवाल है। झांसी में एक मिल में लगभग दो हजार मजदूर काम करते हैं, उनमें सिर्फ 300 मजदूरों को ही काम मिल रहा है, बाकी 1700 मजदूर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी मांग है कि सरकार के द्वारा संचालित इन मिल मजदूरों के भविष्य के सम्बन्ध में तुरंत निर्णय लिया जाए और सभी मजदूरों को काम पर लिया जाए। जो प्रबंधन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे ये मिल्स घाटे में चल रही थीं और जो बकाया है, उसकी भी जांच की जाए और इन मिल्स को पुनः चालू कराने के लिए कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के समक्ष बहुत ही गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। भारत सरकार भारत-बंगलादेश सीमा विशेषकर पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना में लोहे की कांटेदार तार लगा रही है। सरकार यह कांटेदार तार भारत बंगलादेश सीमा के जीरो प्वाइंट से बहुत दूर लगा रही है। लगाई जा रही इस कांटेदार लोहे की तार के घेरे में अनेक गांव आ गये हैं।

अपराह्न 1 बजे

पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना जिले के अनेक गांव के ईंट-गिर्द कांटेदार तार लगाई गई है। वहां पर फाटकों की व्यवस्था है। परन्तु एक से दूसरे फाटक के बीज एक मिलोमीटर का फासला है। फाटक सुबह 6 बजे खुलते हैं और शाम को 6 बजे बन्द हो जाते हैं। 6 बजे के बाद घिरे हुए गांव के अनेक लोग अपनी मुख्य भूमि में आने में असमर्थ होते हैं और उससे अलग-थलग हो जाते हैं। यदि वे हैजा अथवा अन्य महामारियों का शिकार भी हो जायें तो उनको दवाई उपलब्ध नहीं होती। वह दवाई प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि

वे मुख्य भूमि पर नहीं आ सकते। लोहे की कांटेदार तारों के भीतर बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है।

डाकू आते हैं और गांव वालों की सम्पत्ति लूट कर चले जाते हैं परन्तु वहां उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं आता। सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह स्वतंत्र भारत में रह रहे ग्रामीणों से सम्बन्धित है। वे महसूस कर रहे हैं कि वे स्वतंत्र भारत में नहीं रह रहे हैं और वे गुलाम हैं।

अतः मैं सदन से अनुरोध करूगा कि सरकार उचित उपाय करे और गांव वालों की खराब दशा को दूर करने के लिए मामले की जांच करे। सरकार ऐसे उपाय भी करे जिससे गांव वाले मुख्य भूमि से वापस अपने घर आ सकें ताकि वे महसूस करें कि वे स्वतंत्र भारत में रहते हैं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों की अलग राज्य उत्तरांचल बनाने को लेकर चल रहे आन्दोलन की ओर दिलाना चाहता हूं, इस आन्दोलन में खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे विभत्स और निन्दनीय हो चुके हैं, जिसको उत्तरांचल की जनता ने झेलते हुए भी अपना आंदोलन अहिंसक रखा है और संविधान के दायरे में अलग उत्तरांचल राज्य की मांग की है। मौजूदा सरकार में गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त जब विपक्ष में थे तो इस राज्य के लिए एक निजी विधेयक लाये थे तो इस राज्य के लिए एक निजी विधेयक लाये थे। मैं आज की सरकार से मांग करता हूं कि वह शीघ्र उत्तरांचल को अलग राज्य का दर्जा प्रदान करने की कार्यवाही करे। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने भी उत्तरांचल राज्य की मांग का समर्थन किया था। रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने भी उत्तरांचल को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव पारित किया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। आज भी यह सरकार यदि उत्तरांचल का गठन संविधान के अनुच्छेद-3 के अंतर्गत करने के लिए कार्यवाही करती है तो भारतीय जनता पार्टी सब बातों से ऊपर उठ कर इसका समर्थन करेगी।

महोदय, उत्तरांचल क्षेत्र में इस समय भी लगातार इस मांग को लेकर धरना, प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हो रही हैं। दिल्ली में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्र में पिछले कुछ समय से आई. एस.आई. की विदेशी घुसपैठ हो रही है और इस बार चुनाव बहिष्कार का भी निर्णय किया गया था, चूंकि यह सीमांत क्षेत्र है और यदि नौजवानों के हाथों में हथियार चले गए तो जम्मू, कश्मीर और बोड़ो लैंड जैसे आतंकवादी क्षेत्र होने में इसको देर नहीं लगेगी। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह उत्तरांचल अलग राज्य का गठन करे और इस संबंध में अपना वक्तव्य सदन में दे।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस के बावजूद कि वहां पर कोयले के भारी भण्डार मौजूद हैं भारत सरकार के उपक्रम कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में 52 कोयला खानें बन्द कर दी हैं। सुरक्षा नियमों तथा विनियमों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए वह अवैज्ञानिक तरीके से कोयला निकाल रहे हैं। जिसके फलस्वरूप कोयला क्षेत्र में तथा उसके आसपास गैस, आग, धंसने जैसी घटनाएं लगभग प्रतिदिन हो रही हैं। जिससे कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति को खतरा है।

इसके अतिरिक्त बन्द कोयला खानों में आग न बुझा पाने के फलस्वरूप देश को न केवल कोयले का नुकसान हो रहा है बल्कि राजस्व की भी भारी हानि हो रही है। इससे पर्यावरण को भी खतरा हो गया है। यह भी खेद की बात है कि भारत सरकार द्वारा संसद में आश्वासन दिये जाने के बावजूद स्थिरीकरण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कोयला खानों को बन्द न करे और सुरक्षा नियमों तथा विनियमों को लागू करे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह धंसी हुई भूमि से प्रभावित लोगों के सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाये और भूमि के स्थिरिकरण और सुधार के कार्य को तुरन्त अपने हाथ में ले और इसका सारा खर्च भारत सरकार को करना चाहिए ताकि लोगों को बर्बादी से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अखबार में 17.7.96 को आए एक समाचार की ओर दिलाना चाहती हूं। जम्मू-कश्मीर में उग्रवादियों ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यटकों को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। उपाध्यक्ष जी, जो बंधक लोग मरे थे उनमें से चार लोग राजस्थान के आदिवासी जाति मीणा से संबंधित थे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

बैठ जाइये, बैठ जाइये। यह सैकिंड चांस है मिस्टर यादव।

श्रीमती उषा मीणा : मैं भी एक आदिवासी सांसद हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन मृतक लोगों की ओर दिलाना चाहती हूं। उन मृतक लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा व आर्थिक सहायता दी जाए तथा केन्द्र सरकार द्वारा मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये क्योंकि ये मृतक कुछ सफाई कर्मचारी थे तथा कुछ अध्ययनरत थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

एक टाइम में एक ही आदमी बोल पाएगा। आपमें से एक बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष जी, जो बात माननीय सदस्या ने कही है। मेरे जयपुर शहर के भी परिवार श्रीनगर गये थे। जब वे बोटिंग कर रहे थे तब उनको उड़ा लिया गया। महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया। बच्चों को छोड़ दिया गया। एक व्यक्ति का धड़ उतार दिया गया। पांच व्यक्तियों को मार कर डल लेक में बहा दिया गया। उनकी जिस तरह से हत्या कर दी गयी है, पुलिस द्वारा समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मृत लोगों के लिये यहां पर श्रद्धांजलि दी जानी चाहिये। उनके परिवार के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिये या उनके परिवार में से किसी को नौकरी मिलनी चाहिये। आज इस बात को चार दिन हो गये हैं, होम मिनिस्टर की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। ऐसे ही मेरे जयपुर शहर से कुछ जौहरी लागे ब्राजील गये जहां पर वे जवाहरात का धंधा करने गये जिनकों बंधक बना दिया गया। भारत सरकार द्वारा अभी तक ब्राजील सरकार से उन व्यापारियों को छुडाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही कोई प्रबंध किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि श्रीनगर में जो राजस्थान के पर्यटक मारे गये हैं, उनके परिवार के लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिये या उनके परिवार में से किसी एक को नौकरी दी जाये और उनकी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाये।...(व्यवधान)

श्री महबूब जहेदी (कटवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से एक बहुत ही जरूरी और खतरनाक घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछली 10 जुलाई को पानीपत में एक साम्प्रदायिक हंगामा हो गया जिस पर शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। पानीपत में उत्तर प्रदेश से जीप में भैंस का मांस आता है जो गैर-कानूनी नहीं है लेकिन वहां पर बी.जे.पी. और शिवसेना के लोगों ने जीप को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गये। वहां पर कहा गया कि यह गाय का गोश्त है। तब उस जीप को वैटरिनरी डाक्टर के पास जांच के लिये ले जाया गया। डाक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि यह गाय का गोश्त न होकर भैंस का गोश्त है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

श्री महबूब जहेदी : उपाध्यक्ष महोदय, तब लोगों ने सब्जी मंडी मोहल्ले के बीच में जाकर हल्ला मचाया, लोगों को उत्तेजित किया और उस कारण सब जगह मारपीट शुरू हो गयी। दुकानें लूट ली गयी और जीप में आग लगा दी गयी। वहां पर मुसलमानों को बहुत मारा, घर-घर में जाकर मारा। जो लोग दुकान पर बैठे थे, उनको मारा। चार आदमी घायल हो गये जिनमें हिन्दू भी थे। वहां पर डी.एस.पी. श्री महेश्वर प्रसाद ने बहुत जुल्म किया। वहां की डी.सी. के साथ एक मीटिंग की गयी लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं लिया गया। आप जानते हैं कि पानीपत एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ऐरिया है जहां पर काफी बड़ी तादाद में मुसलमान काम करते हैं और हिन्दुओं की तादाद भी कम नहीं है। साथ ही वहां पर इस बात का प्रचार करते हैं कि कोई भी बकरी, मुर्गी का गोश्त नहीं खा सकता। ये गैर-कानूनी नहीं है। भैंस के गोश्त के बारे में प्रचार कर रहे हैं...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी बात को दोहराइये मत।

[हिन्दी]

श्री महबूब जहेदी : मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस घटना के बारे में हरियाणा सरकार से बात करें क्योंकि हिन्दू और मुसलमान गरीब मजदूर हैं, उनके लिये रोजी-रोटी का सवाल पैदा हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र करीम गंज, असम, में बरक और कुसलारा नदी द्वारा हो रहा भूमि कटाव बहुत भयंकर है। जहां तक बरका नदी के कटाव से हालाकण्डी जिले में पचंग्राम क्षेत्र के संरक्षण का सम्बन्ध है असम सरकार 1990 से 58.25 लाख रुपये की लागत से एक योजना क्रियान्वित कर रही है।

योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाना है परन्तु कुछ पर्याप्त नहीं किया गया है। यही हालत बदरपुर रेल नगर तथा इससे आगे अनेक गांवों की है। करीमगंज जिले के करीमगंज नगर में कुसलारा नदी का कटाव खतरनाक है क्योंकि मानसून के दौरान किसी भी समय कुसलारा द्वारा चार बाजार तथा छाई फिरा मार्किट जैसे क्षेत्र बहाये जा सकते हैं। मैंने स्वयं इस जगह का दौरा किया है और नदी के किनारे रह रहे लगभग पन्द्रह हजार लोगों की दयनीय दशा को देखा है।

अतः मैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इन नदियों के कटाव को रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे जिससे सैंकड़ों लोगों और उनकी रोजमर्रा की आय को बचाया जा सके।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जो दिल्ली में रह रहे अनेक लोगों के लिये चिन्ता का कारण बना हुआ है। समाचारपत्रों में ऐसे समाचार छपे हैं कि कुछ बेईमान डेयरी मालिक सिंथेटिक दूध बनाकर दिल्ली दुग्ध योजना के माध्यम से बेच रहे हैं। इन खबरों के अनुसार ये डेयरी मालिक साबुन के झाग तथा कुछ अन्य रसायनों को मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाते हैं जो

वास्तविक दूध की तरह लगता है। सिंथैटिक दूध खतरनाक चीज है जिससे कैंसर तथा अन्य जानलेवा रोग हो सकते हैं। सब से गम्भीर बात यह है कि दूध के बनाने पर अथवा दुग्ध योजना द्वारा इसकी सप्लाई पर कोई उचित जांच पड़ताल नहीं है।

समाचारपत्रों में ये खबरें छपने के बाद अधिकारियों की ओर से दो विश्वसनीय समाचार आये हैं। सिंथैटिक दूध संबंधी समाचार से दिल्ली में लोगों में घबराहट उत्पन्न हो गई है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह समाचार पत्रों के इन खबरों की तुरन्त जांच कराये और दोषी लोगों को दण्ड दे। सरकार को जनता के मामले के बारे में विश्वास दिलाना चाहिए ताकि लोगों के मन से घबराहट को दूर किया जा सके।

खाद्य मंत्री यहां बैठे हुए है। मेरा विचार है कि वह इसका उत्तर देंगे। यह बहुत ही गम्भीर मामला है जोकि दिल्ली के विभिन्न समाचारपत्रों में छपा है। सभी बच्चे तथा दूध पीने वाले लोग इससे बहुत चिन्तित हैं। लोग डरे हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त कार्यवाही करे और इस बारे में दिल्ली के लोगों को सूचित करे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर शहर सी.पी. एंड बरार की राजधानी था। गवर्नर वहां रहा करते थे। बाद में मध्य प्रदेश बना। पुराने मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर शहर थी। उसके बाद 1956 में नागपुर विदर्भ के 9 जिलों के साथ महाराष्ट्र में मिलाया गया। उस समय आठ जिले थे, अब नौ जिले हैं। जो भाग मध्य प्रदेश में रह गया, वहां पर उस समय जो छोटे गांव थे, गांव के चारों तरफ चरागाह होते थे, उनको रेकोर्ड में झुडपी-जंगल का नाम दिया गया और उसको फोरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। यहां देखने की बात यह है कि जो भाग मध्य प्रदेश में रह गया वह झुडपी-जंगल नहीं है। वह रैवेन्यू में ट्रांसफर हुआ। परिस्थिति यह हो रही है कि 1956 से आज तक पूरा इलाका झुड़पी-जंगल में गया है। मजे की बात यह है कि वहां मुख्य मंत्री का बंगला झुड़पी-जंगल में है, कई बस्तियां झुडपी-जंगल में हैं, हाई कोर्ट भी झुड़पी-जंगल में दिखाया गया है और अब किसी प्रोजेक्ट को वहां परमीशन नहीं दी जा रही है। पूरा विकास रुका हुआ है। 25 वर्षों से इरीगेशन नहीं दी जा रही है। पूरा विकास रुका हुआ है। 25 वर्षों से इरीगेशन की योजनाएं, सडक बनाने की या और कंस्ट्रक्शन की योजनाएं रुकने से विदर्भ के आठ जिले पूरे महाराष्ट्र में सबसे पिछड़े जिले हैं। केन्द्रीय सरकार से फोरेस्ट डिपार्टमेंट से वहां के मुख्य मंत्रियों ने कई बार मीटिंग की हैं। लोक सभा के सभी सांसद वहां मीटिंग करते हैं, यहां आवाज उठाते हैं पर विदर्भ की जनता को न्याय नहीं मिलता। मैं सरकार से माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और विदर्भ के सारे सांसदों के साथ आप एक मीटिंग करें और यह जो अन्याय है, जो गलत है, उसे दूर करें। जुडपी जंगल के नाम पर जहां एक झाड़ नहीं है, एक पेड नहीं है, जिसको बोगस झडपी जंगल नाम दे दिया है उस अन्याय को समाप्त करें और इसको रेवेन्यू में ट्रांसफर करने का आदेश दें। इतना ही मेरा आपसे नम्र निवेदन है। ...(**व्यवधान**)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्णिया के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज से दो-तीन दिन पहले एक सप्ताह के अंदर मेरे क्षेत्र में कोसकीपुर गांव, नंदगांव और बायसी डमरवा इलाके के 25 रूपोली के करीब 3 गांव जहां लगातार सारी रात बाढ़ से बड़े-बड़े मकान, बिल्डिंग, तीन मंजिले, दुर्मंजिले मकान बह गये। पूरा कोसकीपुर गांव कट गया, समाप्त हो गया। मैंने सरकार से बार-बार आग्रह किया और वहां से कलक्टर से बार-बार इन बातों को कहा कि जो गांव कटे हैं, जिनके मकान टूटे हैं, कम से कम सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। कलक्टर साहब घूमते रहते हैं। वहां के जो पदाधिकारी हैं उनको भी कोई चिंता नहीं है। बायसी और डगरवा के 25 गांव जलमग्न हो गये हैं, लेकिन आज तक कोई राहत कार्य नहीं किया गया। हम जिस शहर के लोग है वहां के बस स्टैण्ड से दस लाख लोग बाहर आते जाते हैं। पूरा बस स्टैण्ड पानी में डूबा हुआ है। पूरे शहर की गंदगी उसमें जमा है। रोड पर पानी है। लेकिन उसकी चिंता किसी को नहीं है और पूरा प्रशासन वहां पर ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप फ्लड सिचुएशन पर डिसकस कर रहे हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, इतना दुख होता है पब्लिक रोड पर है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई ब्लॉक से बी. डी.ओ. , सी.ओ. कोई पदाधिकारी नहीं आता। मैं उपाध्यक्ष महोदय से मांग करना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से, सदन की ओर से इसकी जांच करायें और जो गांव कट गये हैं उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक आदमी को चांस दूंगा

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको तो बोलने दीजिए, हां, सबको मौका मिलेगा।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं, जिसका संबंध भारत-नेपाल सीमा पर स्थित चम्पारण के किसानों से है। चम्पारण देश का ऐसा क्षेत्र है जहां गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है। जहां किसानों की सर्वाधिक आबादी है और चम्पारण के अंदर जो गन्ना उत्पन्न होता है उसमें चीनी की रिकवरी देश में सबसे अधिक है। तो माननीय वहां के किसानों का जो खेती का काम है वह गन्ने की खेती का ही है और दो चीनी मिलें चकिया और चनपटिया वर्षों से बंद पड़ी हैं। जो भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन हैं। हमारों मजदूरों और लाखों किसानों का करोड़ों रुपया उन पर बकाया है। कई मजदूर परिवारों में भुखमरी के कारण लोग मर चुके हैं। कई किसानों के घर उजड़ रहे हैं और

सरकार और कपड़ा मंत्रालय आंख बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं। उन चीनी मिलों के पास स्थाई सम्पत्ति है। उन चीनी मिलों के अंदर चीनी बंद पड़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से कपड़ा मंत्रालय से आग्रह है कि जो चीनी स्टॉक में है और चार वर्षों से जो करोड़ों रुपया बकाया है, उस चीनी को बेचकर किसानों और मजदूरों के बकाया रुपये का भुगतान किया जाए। जो स्थाई सम्पत्ति है, सैकडों एकड़ जमीन है, लाखों रुपये के शीशम के पेड़ हैं। उनको बेचकर वहां के गन्ना किसानों और मजदूरों के करोड़ों रुपये का भुगतान किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से किसानों की समस्या को दूर करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : महोदय, असम में कानून और व्यवस्था की बिगडती हुई स्थिति के कारण तथा उग्रवादियों की धमकियों के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। डेढ़ महीना पूर्व परामर्शदाताओं की एक जापानी फर्म गैस पर आधारित कर्थलगुरी थर्मलपावर प्रोजेक्ट से जोकि असम में स्थित है, पीछे हट गई है। इससे पूरा राज्य गम्भीर विद्युत संकट में पड़ गया है। इस संकट को तभी हल किया जा सकता है यदि जापानी तकनीशियनों को राजी कर प्रोजेक्ट पर भेजा जाये ताकि पावर प्लांट को चालू किया जा सके।

वे स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं बल्कि सेना द्वारा सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्थानीय सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं हुई। जापानी तकनीशियनों को राजी करने के तरीके ढूंढने की आवश्यकता है जिससे वे अप्पर असम में पावर प्लांट को चालू कर सके। अतः विद्युत मंत्रालय के लिए इस मामले को विदेश मंत्रालय के साथ उठाने की आवश्यकता है ताकि जापान सरकार के माध्यम से जापानी संगठनों को अपने तकनीशिय वहां भेजने के लिए राजी किया जा सके और संयंत्र चालू हो सकें। साथ ही हमारे लिए भी यह आवश्यक है कि हम उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। यदि वे सेना द्वारा सुरक्षा प्रदान किये जाने से संतुष्ट होते हैं तो यह बात मान लेनी चाहिए।

अतः मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रालय से अनुरोध करुंगा कि वह गम्भीरता से तथा तुरन्त इस मामले को विदेश मंत्रालय और जापान सरकार के साथ उठाये ताकि असम पर्याप्त बिजली सप्लाई से वंचित न हों, सयंत्र शीघ्र पुनः चालू हो सके और विद्युत स्थिति सामान्य हो सके।

श्री रूपचन्द्र पटेल (हुगली) : महोदय, भारतीय वैज्ञानिक और उनके संगठन देश के हित में एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर लड़ाई लड रहे हैं। सरकार को इस बारे में बहुत कुछ करना है। जैसा कि आप जाते हैं नीम के बाद, अब अमरीकी पेटेन्ट कार्यालय ने हल्दी को पेटैन्ट करने थी अनुमति दे दी है। यह हमारी बायो-डाइवरसटी का सीध उल्लंघन है और यह हमारे बौद्धिक अधिकारों पर निरन्त प्रबल आक्रमण है और हमारे लिए गहरी चिन्ता का एक गम्भीर मामला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह 'सुई जिनीरस' जैसे तरीके अपनाये ताकि हम 'ट्रिप्स' के बिना ही अपने हितों की रक्षा कर सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में उचित कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

डा. राम कृष्ण कुसमरिया (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पंचमनगर वह सिंचाई योजना 1980 में स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक लम्बित पड़ी है। वर्ष 1979 में इसकी स्वीकृति की जा चुकी है और लगभग 5 करोड़ रूपए अनुविभाग स्थापित करने तथा अन्य स्थापना खर्चों में व्यय हो चुके हैं।

दमोह जिले की जीवनरेखा पंचमनगर सिंचाई योजना के द्वारा लगभग 6 लाख एकड़ भूमि सिंचित होने का प्रावधान है किन्तु शासन की लापरवाही के कारण उस क्षेत्र की लाखों जनता सिंचाई से वंचित है। अतः मेरी मांग है कि तत्काल इस योजना को प्रारम्भ कराकर दमोह जिले को हरा-भरा बनाने में सहयोग करें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ी संस्था है। 1947 में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। आज 275 करोड़ रुपये रोज का टर्न ओवर है और तकरीबन तीन चार हजार शेयर्स लिस्टेड हैं। ऐसी संस्था ने बार बार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि उनको जमीन चाहिए ताकि एक अच्छी इमारत बन सके और उसमें कंप्यूटर्स के द्वारा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के तथा देश के अन्य स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ सके। लेकिन बार-बार मांग करने के बावजूद भी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज को जगह नहीं मिली है। सिर्फ सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उसकी क्लीयरेंस होना बाकी है। मैं निवेदन करता हूं कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज को सरकार जल्दी से जल्दी जगह दें ताकि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन दुबारा से खड़ा हो सके।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की आपूर्ति उपभोक्ताओं की मांग के विपरीत है। देश की राजधानी में विभिन्न इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित है। सबसे बदतर हालत बिहार राज्य के ग्रामीण इलाकों में है। आज ग्रामीण इलाकों में दो-तीन महीने से बिहार में बिजली नहीं मिलती है। किसान बिजली से ही सिंचाई करता है लेकिन बिजली की हालत खराब हो गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार बिहार में बिजली की हालत सुधारने के लिए बिहार सरकार को अधिक धन दे। वहां ग्रामीण क्षेत्रों में छह महीने में एकाध बार बिजली आती है। इसलिए भारत सरकार से मांग करुंगा कि बिहार को अधिक धन देकर बिजली की हालत सुधारी जाए ताकि किसानों को खेती में लाभ मिले।

डा. रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में सिभावली शुगरे मिल को पर्यावरण मंत्री ने हिटलरशाही आदेश देकर पर्यावरण-प्रदूषण में बंद करा दिया है। मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बंद कराने से पहले

पर्यावरण मंत्री ने पर्यावरण-प्रदूषण की कोई जांच नहीं कराई, मिल मालिकों को कोई नोटिस नहीं दिया। इससे उस क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है और लाखों किसान व मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, लगातार धरने व प्रदर्शन चल रहे हैं। मिल बंद हो जाने के कारण हजारों एकड़ जो गन्ना खेत में खड़ा था उसको किसानों को जलाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसलिए मेरा प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि मिल तुरंत खोली जाए। वहां गन्ने की पेराई होनी है। अगर अभी खोल दी जाए तो भी उसमें दो-तीन महीने का विलंब होता है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करुंगा, वैसे तो वे किसानों के हिमायती बनते हैं, लेकिन जबसे प्रधान मंत्री बने हैं तबसे किसानों को परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है, इसलिए किसान गन्ने की पेराई ठीक समय पर शुरु कर सकें, उसके लिए सिंभावली शुगर मिल को तुरंत खोलने का आदेश देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवदीप) : महोदय, भारत-बंगलादेश के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का काम कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल पूरा हो चुका है। श्री अजय चक्रवर्ती, श्री चित्त बसु तथा मेरे अन्य साथी ने कल इस मामले को उठाया था।

यह बहुत ही गम्भीर मामला है और सरकार को तुरन्त इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए। उन्हें 'जीरो प्वायंट' से 150 गज की दूरी तक बाड़ लगानी होती है। परन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि वह बाड़ जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 'जीरो प्वायंट' से 300 से 400 गज की दूरी पर लगाते हैं। किसान और खेतीहर सीमा रेखा पर रह रहे हैं। आर्थिक रुप से वे बहुत गरीब हैं। पूरे सीमा क्षेत्र में जोकि हमारे चुनाव क्षेत्र का भाग है, अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। समूचे सीमा क्षेत्र में डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर फाटक है और वे सुबह 6 बजे फाटक खोल देते हैं और 6 बजे शाम बन्द कर देते हैं जब किसान भूमि जोतने तथा खेती के लिए बाहर गये होते हैं और यदि उनको अपना काम पूरा करने में देर हो जाये तो उन्हें अगले दिन सुबह तक इन्तजार करनी पड़ती है। इन क्षेत्रों में इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न होती है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारपाल गांव के लोगों से इस हद तक बुरा बर्ताव करते हैं कि गांव वासियों तथा सीमा सुरक्षा बल के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है मेरे गांवों अर्थात सिल्वेनिया, बेरनबेरिया, कुमरी, हजरा खल, घुतीपुर, मुबारकपुर आदि में डाकुओं के हमले अक्सर होते रहते हैं डकैतियां आम हैं और बंगलादेश से आने वाले डाकू पास के गांवों पर हमला करते हैं।

मैं यह मामला सरकार के ध्यान में लाया हूं ताकि सरकार इस मामले में गम्भीर कार्यवाही कर सके।

श्री विजय संकेश्वर (धारवाड-उत्तर) : महोदय, हुबली कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। भौगोलिक रुप से यह राज्य के मध्य में स्थित है। बंगलौर कर्नाटक के एक कोने में है और लोगों के लिए अपने काम के लिए बंगलौर आना लगभग असम्भव है।

लगभग दस वर्ष पूर्व कर्नाटक में एक दूसरे उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव था जिसकी कर्नाटक के दोनों सदनों ने पुरजोर सिफारिश की थी। छः से अधिक भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों ने भी इसकी जोरदार सिफारिश की थी। यहां तक की न्यायमूर्ति जसवन्त सिंह ने भी इस मामले की सिफारिश की थी। पिछले छः वर्षों से इसके लिए आन्दोलन चल रहा है परन्तु राज्य सरकार ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की है। कल मैं मुख्यमंत्री श्री जे.एस. पटेल से मिला था और उनसे चर्चा की थी और उन्होंने विचार व्यक्त किये थे कि मुख्य न्यायाधीश को हुबली में एक दूसरा उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए।

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया और मुख्य न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त किये बिना औरंगाबाद में दुसरा उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया है। कर्नाटक के विभिन्न भागों के गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोग बंगलौर जाने में असमर्थ हैं और इसलिए उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं प्रधान मंत्री जी से हुबली में उच्च न्यायालय स्वीकृत करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जितने पिछड़े-गरीब और अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव थे, उनको अम्बेडकर गांव के नाम से गणना की गई थी और सरकार से कहा गया था कि उनमें जो गरीब लोग हैं, उनको आवास, बिजली, पेयजल, स्कूल और स्वास्थ्य ये सारी सुविधायें मुहैय्या कराई जाये, लेकिन मान्यवर इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में जो अम्बेडकर गांव है उनमें विकास कार्य शिथिल हो गये हैं और अधिकारी मनमाने ढंग से लूट कर रहे हैं।

महोदय, वहां पर गरीब लोगों को आवास देने की बात थी लेकिन उसमें एक हजार रुपए की कटौती की जा रही है। नौ हजार रुपए में उन गरीबों के प्रति मकान के हिसाब से धनराशि खर्च होनी है जो कि पहले ही बहुत कम है और उसके बाद एक हजार रुपए की और कटौती करने से विकास कार्य लगभग ठप्प हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अम्बेडकर गावों की ओर दिलाकर सरकार से मांग करता हूं कि उन गावों में विकास के कार्य तेज किए जाएं और अधिकारियों द्वारा जो लूट की जा रही है, उस पर भारत सरकार तुरन्त रोक लगाए। यहां से वहां निर्देश भेजे जाएं कि जो विकास कार्य में शिथिलता आ गई है, उसको दूर करें और विकास कार्यों को तेज किया जाए।

मान्यवर यह पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। वहां पर अम्बेडकर गांवों में अधिकारियों द्वारा बहुत लूट और मनमानी की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस पर रोक लगे।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है। जब से उत्तर प्रदेश में

राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तब से वहां पर आफीसर पूरी तरह से लूट मचा रहे हैं। वहां पर राष्ट्रपति शासन होने के कारण केन्द्र का सीधा हस्तक्षेप हे।

केवल एक आवास पर एक हजार रुपये तक ही नहीं है बल्कि कई स्थानों पर तो जो लागत है, उसका चौथाई रुपया एडवांस में मांग रहे हैं। जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि पहले आप पैसे दे दीजिये। मेरे संसदीय क्षेत्र फैजाबाद में कई स्थानों पर जिन लोगों को कालोनी देनी है, उनसे एडवांस में पैसा ले लिया गया है लेकिन आज तक उस पर छत नहीं पड़ी है, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अम्बेडकर गांवों को विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प पड़ा है। कई स्थानों पर तो कागज में काम दिखा दिये गये हैं कि वहां काम पूरा हो गया है लेकिन मौके पर न तो बिजली का खम्भा है, अगर खम्भा खड़ा हो गया तो तार नहीं है। वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप करे तथा मंत्री महोदय, इस विषय में बयान दें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मामला उठाया है, वह सचमुच में ही महत्वपूर्ण मामला है। जब प्रधान मंत्री जी लखनऊ गये थे तो मैं भी उनके साथ था। लखनऊ जाने के बाद हम लोगों ने समरा गांव का विजिट किया। हमको खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने वहां के एक-एक आदमी से हिन्दी में ही बातचीत की जबकि वे हिन्दी बहुत कम जानते हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि आपको राशन कितना मिलता है, कितना तेल मिलता है, यह छप्पर क्यों है, यह पक्का मकान क्यों है या यह क्यों है? जब हमने सचमुच उस अम्बेडकर गांव में त्रुटि पाई तो स्वाभाविक है कि और गांवों में भी निश्चित रुप से खामी होगी। उन्होंने उसी दिन आफिसर्स को वहां बुलाकर मीटिंग की और उन्हें निर्देश दिया कि अम्बेडकर गांव की जो राशि है, वह दूसरी राशि से काटकर न दी जाये क्योंकि हर गांव में अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग हैं। अम्बेडकर गांवों की जो राशि है, वह उसको मिलनी चाहिए। अम्बेडकर गांव के नाम पर तरक्की होनी चाहिए लेकिन दूसरी राशि काटकर नहीं होना चाहिए। जो भी योजनायें अम्बेडकर गांवों के लिए बनाई गयी है, उनका कड़ाई से कार्यान्वयन होना चाहिए। ये सभी हिदायतें उन्होंने दी हैं। माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई थी, उसके संबंध में हम फिर कहते हैं कि आपके माध्यम से हम इसको सरकार की नजर में लायेंगे और जहां कही भी इस तरह की शिकायतें हैं, हमारा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे सीधे हम लोगों को लिखकर दें। वहां राष्ट्रपति शासन लागू है इसलिए हम लोग भी यहां से मोनीटरिंग करने का काम करेंगे।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से संबंधित मामला है। बुंदेलखंड विकास का जो पैसा था, वह पैसा काटकर अम्बेडकर गांवों में लगा दिया गया है। मैं माननीय राम विलास पासवान जी से कहना चाहता हूं बुंदेलखंड विकास निधि का सारा पैसा अम्बेडकर गांवों के ऊपर खर्च कर दिया गया और जो बुंदेलखंड के विकास पर पैसा खर्च होना था, वह नहीं हो पाया है क्योंकि बुंदलेखंड विकास निधि का सारा पैसा खत्म हो गया था। अम्बेडकर गांवों के लिए जो पैसा आना चाहिए था, वह नहीं आया है इसलिए बुंदेलखंड के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले को गंभीरता से देखें और दोषी अधिकारियों को तत्काल दंडित किया जाये कि किन लोगों ने बुंदेलखंड विकास निधि का करोड़ों रुपया अम्बेडकर गांवों में लगा दिया और बुंदेलखंड में अम्बेडकर गांवों का जो पैसा आना था, वह कहां गया? इसकी आप जांच कराइये।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पिछले साल काफी बारिश हुई जिससे नदियों में बाढ़ आ गयी। वहां हमारे कितने सेब के बगीचे हैं उसमें जो गरीब हरिजन हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उत्तरप्रदेश क्षेत्र में जिनके पास पांच बीघा जमीन है और वह भी पट्टे पर दी है, उसमें बहुत पौधे लगाये हुए हैं। जो प्रोटक्शन होता है, उसको मार्किट तक लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब वे लोग मार्किट तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं तो आजादपुर सब्जी मार्किट में उनके साथ बहुत लूट-खसोट होती है। उसको रोका जाना चाहिए।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि जो फल पैदा करने वाले उत्पादक हैं, उनको बहुत लूटा जा रहा है।

मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जहां-जहां सड़कों में अवरोधक हो गए हैं, उसके लिए ऐडीशनल ग्रांट मिलनी चाहिए।

पिछले वर्षों में वहां किसानों पर गोली जलाई गई जिससे मेरे क्षेत्र के तीन नौजवानों की मौत हो गई। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार वहां के लोगों के लिए कुछ योगदान दे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और किसी चीज का उत्पादन नहीं होता। हिमाधल के लोग हमेशा यह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बागवानी की जाए जिससे जमीन के इरोजन को भी रोका जाए। आप फौरेस्ट डिपार्टमैंट से भी कहे कि फल डिपार्टमैंट को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। इससे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल के विकास के लिए जो काम शुरु हो चुका है, उसे कम्प्लीट किया जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : मैं बड़े दुख के साथ एक सवाल उठाना चाहता हूं। रेल मंत्री जी ने छः क्षेत्रीय कार्यालय बनाने की घोषणा की है। विलासपुर रेलमंडल का सर्वाधिक अधिकार बनता है। सबसे अधिक आय देने में विलासपुर क्षेत्र पहले नम्बर पर है। हमने बड़ी उम्मीद की थी कि विलासपुर को जोनल कार्यालय बनाया जाएगा। लोगों में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अभी रेल बजट पर बहस होनी है।

श्री नन्द कुमार साय : मैं कनक्लूड कर रहा हूं। सारी शिक्षण संस्थाएं बन्द है। आज पूरा विलासपुर बन्द है। वहां पर गिरफ्तारियां शुरु हो गई हैं, कभी भी कर्फ्यू लग सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय बनना आवश्यक है। यह हमारा

जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसको लेकर रहेंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं आदिवासियों पर वैसे ही अत्याचार होते रहते हैं, कम से कम आप तो कम करिए। ...(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : यह सही बात है। यह पुरानी मांग है, आप इस पर विचार करके कुछ कीजिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विचार व्यक्त करने का जो अवसर किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिछले तीन दिनों से आज चौथा दिन है मैं अपने विचार व्यक्त करने हेतु सूचना दे रहा था। अब आपने मुझे अवसर दिया है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में नमक मजदूरों को न्यूनतम मजूरी से वंचित किया जा रहा है। नमक केन्द्रीय विषय है। मुझे देश के अन्य भागों से भी सूचना मिली है। कि नमक मजदूरों को न्यूनतम मजूरी से वंचित रखा जा रहा है। उन्हें छुटटी उपदान तथा अन्य सुविधायें नहीं दी जाती हैं। मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार उनके लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करेगी। सरकार ठेका मजदूरों तथा कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी नियम करने वाली है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समूचे देश में नमक मजदूरों के लिए भी न्यूनतम मजूरी नियम करे।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे खुर्जा संसदीय क्षेत्र में नोएडा उद्योग नगरी है। उस क्षेत्र के अन्दर किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और अधिग्रहण 29 रुपये गज के हिसाब से हो रहा है। जबकि नोएडा एथारिटी उसके 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे चार्ज कर रही है। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है,किसान बिना जमीन के रह रहे हैं। किसानों के बच्चों को वहां नौकरी भी नहीं दी जाती है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने यह नम्र निवेदन है कि वहां के किसानों के साथ न्याय हो, क्योंकि एथारिटी के नियमों के अनुसार जो जमीन वह अधिग्रहण करते हैं, वह बिना नफा नुकसान के होनी चाहिए, उसमें नो प्रोफिट नो लॉस के हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन किसानों से 29 रुपये के हिसाब से लेकर 1200 रुपये मीटर के हिसाब से वह जमीन उद्योगपतियों को बेची जा रही हे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मंत्री जी से कहा जाय कि उस जमीन का ठीक रेट किसानों को दिया जाय। वहां के किसानों के जो परिवार हैं, प्रति परिवार उनके एक आदमी को, एक लड़के को नौकरी में रखा जाय और उनको जायज मुआवजा दिया जाय।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं। इसके साथ-साथ मैं अपने भाजपा के सब बंधुओं को भी यह बात बताना चाहता हूं, आप लोग जरा गौर से सुनिए।

मेरा कांस्टीट्वेंसी में मरोमपुर करके असेम्बली सैगमेंट हैं, वहां पर कुछ हिस्सा बिल्कुल बंगलादेश से लगा हुआ है। वहां एक नदी है, उस नदी के इस पार कुछ एरिया है, कुछ एरिया उस पार है। कुछ लोग जो हिन्दू हैं, उस समय वह पाकिस्तान था, वह पाकिस्तान से उस नदी को क्रास करके इधर आ गए। ...(व्यवधान) यह उस टाइम में पकिस्तान था, वह चरमेघना से यह समझकर इधर आ गए कि यह इंडिया है और इधर से कुछलोग उधर जमालपुर करके एक जगह है, समझा कि यह पाकिस्तान है, तो उधर चले गए। लेकिन हकीकत यह है कि चरमेघना बंगलादेश का एरिया है और जमालपुर इंडिया का एरिया है। जो इंडिया से गये, वह इंडिया में चले गए और जो पाकिस्तान से आये, वह पाकिस्तान में ही रह गये। अभी तो बंगलादेश हो गया है।

अब यहां जो फेंसिंग हो रही है और बोर्डर एरिया में जो बोर्डर रोड बनी है, वह इस कायदे से बनी कि जमालपुर और चरमेघना दोनों बंगलादेश में चले जा रहे हैं। बंगलादेश के लोग अपने लोग हैं, भारत के लोग है, वह हमें वोट देते हैं, लेकिन दूसरे गांव में अपना नाम दर्ज कराते हैं, उनको पंचायत से कोई भी सहायता हम नहीं दे पाते हैं। उनकी जमीन वह बेच नहीं पाते हैं, वह उसकी कहां रजिस्ट्री करेंगे, बंगलादेश में उनको रजिस्ट्री कराने के लिए जाना पड़ेगा। इधर हैं तो इंडियन रहेंगे, वह एरिया बंगलादेश का है। बार-बार इस सवाल को मैंने इस हाउस में उठाया है, इसके पहले भी कई मर्तबा उठाया है। मैं भाजपा के बंधुओं को भी कह रहा हूं, इसको जरा गौर से सोचें। इसका एक समाधान हो सकता है कि जमालपुर को बंगलादेश को देकर चरमेघना को (व्यवधान) यह बंगाल की सरकार के बस से बाहर की बात है। आप कृपया बैठिए।

यह बात आपकी समझ से बाहर है, आप कृपया बैठिए। इसका एक ही समाधान हो सकता है कि जो जमालपुर गांव है, जमालपुर को बंगलादेश को दे देना चाहिए और चरमेघना बंगलादेश से जो लोग आये हैं, उसको अपने एरिया में ले लेना चाहिए। बंगलादेश के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में बातचीत करनी चाहिए।

वहां जो फेंसिंग है, जो बोर्डर रोड बनी हुई है, इसकी वजह से दोनों के दोनों एरिया आज बंगलादेश में जा चुके हैं। अपनी इंडियन टैरीटरी अगर इंडिया से बाहर चली जाय तो इससे बड़ी दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन कोई भी सरकार हो, इसके पहले जो सरकार थी, इस सवाल को बार-बार में उठाता रहा, इस पर गम्भीरता के साथ इन्होंने कभी विचार नहीं किया। ये लोग हर तरह की कठिनाई में साथ रहे।

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहां रामविलास जी हैं, और भी मिनिस्टर्स हैं, ये लोग बहुत गम्भीरता से इसकों लें। मैं उनसे एक ही आग्रह करुंगा कि अगर फुरसत मिले, अगर मौका हो तो आप उस एरिया में आये, देखें कि उनकी क्या कठिनाई है। आप उसको भी जरा देखें।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सदन का ध्यान लाटरी जैसी बुराई की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिसके कारण पूरे देश

के अंदर लाखों लोग बेघर हुए हैं और न जाने कितने ही लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। इससे लोग तबाह हो रहे हैं। हमारी केन्द्र सरकार अपने आपको निर्धनों और गरीबों की हमदर्द बताती है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इन लाटरियों पर जो हजारों करोड़ रुपये खेले जाते हैं, वह पैसा निर्धनों की जेब से ही जाता है। पर सरकार दावा करती है कि जनहित में इनको चलाया जा रहा है। इसे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे अस्पताल और स्कूल बनाएंगे। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को देश के अंदर इस लाटरी जैसी बुराई की रोकथाम के लिए एक नीति बनानी चाहिए। लाटरी एक ऐसी बुराई है जिससे सब लोग सहमत होंगे। उत्तरप्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी तो उसने अपने प्रदेश में लाटरियों पर पाबंदी लगाई थी। पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी अपने प्रदेश में लाटरियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बी.जे.पी. की दिल्ली की सरकार ने इन पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन केन्द्र सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे हम कह सकें कि लाटरी पर पूर्ण पाबंदी लगाई जा सकती है। मैं मांग करता हूं कि इसके सम्बन्ध में एक बिल लाया जाए।

एक अंक की लाटरियों ने कितने घरों को उजाड़ा है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने-अपने राज्यों में इस पर पाबंदी लगाएं दिल्ली की सरकार ने लाटरियों पर पाबंदी लगाकर 100 करोड़ रुपये की हानि उठाई है, लेकिन दूसरे प्रदेशों की लाटरियों पर यहां प्रतिबंध नहीं होने से वे प्रदेश तो अपने यहा दिल्ली से करोड़ों रुपया ले जाते हैं और दिल्ली की सरकार को इससे 100 करोड रुपये की हानि उठानी पड़ रही है। केन्द्र सरकार इस बारे में बिल लाए या कोई अध्यादेश लाये, जिससे लाखों लोगों को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्र में अध्यादेश नहीं आता।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया है। खासकर सहरसा, सपौल, दरभंगा, मधुबनी, खगडिया, मधेपुरा, शिवहर और कटिहार जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी की पहले 200 किलोमीटर तक निकासी थी। लेकिन सरकार की नीतियों के तहत वह सिमट कर सिर्फ आठ से बारह किलोमीटर रेडियस की निकासी रह गई है। उस नदी पर पूर्वी और पश्चिमी तटों पर तटबंध बनाकर उस इलाके से निकालने का दुष्परिणाम यह हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस कारण प्रत्येक साल सैकड़ों गांवों के लोग बेघरबार हो जाते हैं, लेकिन सरकार समस्या का निदान नहीं करती। इस बार भी सहरसा जिले में सिमरी, बख्तियारपुर के हंसुलिया प्रखंड के सिदावा तथा नौहरा, खगड़िया के कंदली, गोगरी और चौथम प्रखंडों के रामपुर, छलवन, उरहार और मुरली गांवों के घर कट गए। राज्य सरकार के स्तर से इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। जो अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, जो दूसरे देश से यहां आती है और हमारे यहां तबाही मचाती हुई गंगा से मिलकर समुद्र में मिलती हैं, उसका आज तक समाधान नहीं हुआ।

1993 में भारत के प्रधान मंत्री और नेपाल के प्रधान मंत्री के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत उस समय निर्णय हुआ था कि पंचेश्रवरी नदी, करनाली नदी एवम् कोसी नदी के ऊपर नेपाल में थोथा पानी पर डैम बनायेंगे। उसके सहारे बिजली का उत्पादन भी करेंगे और जो कोसी नदी में बाढ़ आती है, उसका निदान भी सोंचेंगे। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को समर्पित की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में जो पंचेश्वरी नदी है, उसकी योजना की स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन बिहार में जो तबाही मचाती हुई कोसी नदी निकलती है, उसके बारे में भारत सरकार ने कोई ध्यान नही दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोसी नदी के ऊपर नेपाल में जो थोथा पानी का डैम बनाना है, उसका निर्माण शीघ्र हो। इसके लिए सरकार अथक प्रयास करे, जिससे आए दिन जो हमारे यहां लोगों को परेशानी होती है उससे निपटा जा सके।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार एक टीम वहां भेजे जो उस इलाके में बाढ़ से तबाही हो रही है, उसका सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे, जिससे प्रभावित लोगों को समुचित मुआवना उपलब्ध कराया जा सके।

अपराहन 2.00 बजे

श्री मनहरण लाल पांडेय (जांजगीर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के सभी सदस्य बाढ़ की समस्या का रोना रो रहे हैं, परन्तु मध्य प्रदेश को इस वर्ष शताब्दी के महान सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रदेश इस देश के कुल तिलहन का 30 प्रतिशत उत्पादन करता है। वहां सोयाबीन की लगभग 70 प्रतिशत फसल बोई हुई है, इसमें से 50 प्रतिशता अंकुरित होकर सूख गई हैं। धान की खेती की 50 प्रतिशत बुवाई हो गई है। जो अकुंरित होकर सूख रही है और बाकी खेतों में अभी पानी की कमी के कारण और बुवाई नहीं हो पाई है। प्रदेश शासन सोयाबीन और धान के बीज उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं, पिछले साल भी उपलब्ध नहीं करा पाई थी। इसलिए वहां पर अभी किसान की स्थिति बहुत खराब है। वहां मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। शासन समुचित व्यवस्था करने के लिए अक्षम है। आपसी राजनीतिक स्थिति के कारण शासन भी इसको सुधारने की स्थिति में नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश को शीघ्रातिशीघ सोयाबीन और धान के बीज उपलब्ध कराए और सूखे की स्थिति का समाना करने के लिए पर्याप्त धनराशी मुहैया कराने का कष्ट करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याहन भोजन के लिए अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराहन 2.01 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए अपराहन 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराहन 3.05 बजे

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात अपराहन 3 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ना जलाये जाने तथा उनकी बकाया राशि का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गन्ना उत्पादकों द्वारा अपना गन्ना जलाये जाने तथा चीनी कारखानों द्वारा उनके बकाया का भुगतान न किये जाने से उत्पन स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली अक्तूबर, 1994 से 30 सितम्बर, 1995 तक, यानि चीनी उत्पादक वर्ष 1994-95 के दौरान 1476 लाख टन गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा गया था और उससे लगभग 146.43 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। उस समय तक यह वार्षिक उत्पादन का एक साल के लिये रिकार्ड था। लेकिन इससे भी कही ज्यादा मात्रा में चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई चीनी उत्पादक वर्ष 1995-96 में की है। 30 मई, 1996 तक ही 1505 लाख टन गन्ने की पेराई चीनी मिलों द्वारा की गई और इसी तारीख तक 153.8 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। इसके बाद भी चीनी मिलें काम करती रही हैं। 01.07.96 तक 101 चीनी मिलें काम कर रही थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 39 मिलें काम कर रही थी। इस वर्ष गन्ने के पेराई और चीनी का उत्पादन दोनों ही पिछले सभी वर्षों से कही अधिक मात्रा में हुए जबकि इसके विपरीत कृषि विभाग द्वारा अनुमानित गन्ने का उत्पादन 1995-96 में केवल 267 मिलयन टन के आस पास हैं जोकि पिछले साल के 271 मिलयन टन के उत्पादन से कहीं कम हैं। इस बारे में राज्य सरकारों से बात की गई हैं। आपकी इजाजत होगी तो मैं उसको भी सदन के पटल पर रखूंगा।

जहां तक किसानों द्वारा गन्ना जलाए जाने की बात है, इस संबंध में राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार केवल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और जनसिंहपुर जिलों के 134 हैक्टेयर में पहली फसल की कटाई के बाद अलाभकारी गन्ने को जलाने की जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि इन दोनों जिलों में गन्ने की खपत केवल गुड़ और खांडसारी इकाइयों द्वारा ही होती है, चूंकि वहां कोई चीनी मिल नहीं है। इसके अलावा कुछ छुट-पुट आकस्मिक कारणों से गन्ना जलाने की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से मिली है।

लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि यह गन्ना किसानों द्वारा नहीं जलाया गया।

जहां तक किसानों को गन्ने की कीमत चुकाने की बात हैं, 15 मई तक हासिल आल इंडिया आंकड़ों के अनुसार 5831.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। इसके बाद भी 1382.33 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी थी। इस देनदारी में वैधानिक रुप से तय की हुई गन्ने की कीमत (एस.एम.पी.) के अलावा राज्य सरकारों द्वारा या स्वयं निर्धारित कीमत का भी अुनपात शामिल है।

श्री अमर पाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे पास आज तक के आंकड़े हैं। दुनिया के हर देश में जब किसान अपनी उपज बढ़ाता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है लेकिन हमारे देश में जब किसान अपनी फसल अधिक पैदा करता है तो उसे प्रोत्साहन को स्थान पर हतोत्साहित किया जाता है। मैं कुछ तथ्य भारत के गन्ना किसानों के संदर्भ में आपके और सदन के सम्मुख सरकार को बताना चाहता हूं 1977-78, 1991-92 तथा 1995-96 में किसानों ने बहुत अधिक गन्ना पैदा किया। इन तीन वर्षों में किसानों का सर्वाधिक आर्थिक शोषण और आर्थिक उत्पीड़न हुआ। वर्ष 1991-92 में मिलें बिना पूरा गन्ना पिराई किये बंद हो गई थी और बहुत अधिक समय तक 700 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का मिल की तरफ बकाया चलता रहा था जिसके कारण किसानों को अपने गन्ने की फसल कम करनी पड़ी और 1993-94 में चीनी का उत्पादन मात्र 98 लाख टन रह गया। 1991-92 में चीनी का उत्पादन 1 करोड़ 34 लाख टन हुआ था। घरेलू खपत के लिए भी 1994-95 में चीनी का आयात करना पड़ा जिससे विदेशी मुद्रा व्यय हुई और चीनी आयात में घोटाला भी हुआ। 1995-96 में तो चीनी का उत्पादन बढ़कर 1 करोड़ 63 लाख टन आज की तारीख तक हो गया, लेकिन इस वर्ष किसान का बहुत अधिक आर्थिक शोषण हुआ। किसान को गन्ने के खेतों में आग लगानी पड़ी और गन्ना विभाग ने किसानों का यहां तक उत्पीड़न किया कि उन किसानों को पर्ची नहीं दी गई, जिनके पास गन्ना था। बल्कि बिचौलियों को पर्ची देकर अनियमितताओं द्वारा किसानों का गन्ना बिचौलियों ने तीन रुपए प्रति क्विंटल खरीदकर मिलों को 68 से 71 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर बेचा। गन्ना विभाग ने अपार धन बिचौलियों से सांठ-गांठ करके किसानों का उत्पीड़न करके कमाया। मैं एक उदाहरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के गन्ना अधिकारियों ने शामली चीनी मिल में कृत्रिम ब्रेक डाउन मिल-मालिकों से षडयंत्र करके कराया जिसमें मिल से घूस ली और मिल बंद हो गई। इस षडयंत्र में प्रदेश का गन्ना आयुक्त भी शरीक है और किसान का गन्ना खेतों में आज भी खड़ा है। सरकार चाहे तो निरीक्षण करा सकती है। इस वर्ष किसानों के गन्ने का भुगतान आज की तारीख तक 1250 करोड़ रुपए मिल-मालिकों की तरफ है

उपाध्यक्ष महोदय : कोल अटेंशन में रुल्स के मुताबिक छोटी क्लेरिफिकेशन पूछ सकते हैं, छोटे सवाल पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री अमर पाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, पहला व्यक्ति तो भाषण दे सकता है। उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पढ़कर आया हूं। पहला आदमी अपना वक्तव्य रख सकता है और बाकी सदस्य सवाल पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है छोटा सवाल पूछ लीजिए।

श्री अमर पाल सिंह : इस वर्ष तो किसानों के गन्ने का भुगतान 1250 करोड़ रुपये मिल मालिकों की तरफ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 950 करोड़ रुपया किसानों का मिल मालिकों की तरफ बकाया है। ...**(व्यवधान)** आधा घंटे का टाइम इसमें है, मैं इसे बहुत कम समय में पूरा कर दूंगा। पिछले वर्ष । करोड़ 47 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और इस वर्ष । करोड 63 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2 जुलाई को यह धोषणा की थी कि मैं 50 प्रतिशत भुगतान गन्ना किसानों का अविलम्ब करा दूंगा। लेकिन अभी तक 5 प्रतिशत गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। और किसान की दुर्दशा हो रही है। प्रतिवर्ष देश में । करोड़ 23 लाख टन चीनी की खपत है।

पिछले दो वर्षों के उत्पादन के अनुसार देश में तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सवाल क्या है, मैं दोबारा इंटरवीन कर रहा हूं।

श्री अमर पाल सिंह : महोदय, खपत अधिक से अधिक 2 करोड़ 50 लाख टन की होगी। तो देश में तकरीबन 60 लाख टन चीनी खपत से अधिक है। अतः अविलम्ब कम से कम 30 लाख टन चीनी का निर्यात करने के प्रयास करें और उन चीनी मिलों को राहत दी जाए जो निर्यात करें। मेरा सुझाव है निर्यातित चीनी की मात्रा पर उत्पांदन कर में कमी की जाए एवं निर्यातित मात्रा को लेवी चीनी में समायोजित किया जाए तथा किसान को पेमेंट करने के लिए देश में जो 5 लाख टन का बफर स्टाक है उसे अवलिम्ब 10 लाख करने पर क्या सरकार का विचार कर रही है। महोदय, चीनी के थोक खरीदारों की स्टाक सीमा बढ़ाने पर सरकार क्या विचार कर रही है? रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक को मिलों की ऋण सीमा बढ़ाने के निर्देश जारी करने पर क्या सरकार विचार कर रही है? ताकि किसानों का भुगतान अविलम्ब हो सके।

हमारे देश में अभी तक चीनी मिलों की क्षमता कुल 40 प्रतिशत गन्ना पिराई करने की ही है। अतः मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह चीनी उद्योग पर से लाइसेंस प्रणाली समाप्त करे। लेकिन दोहरी चीनी नीति लेवी और फ्री सेल चीनी नीति की प्रणाली लागू रहे। व्यवस्था ऐसी हो कि नये चीनी उद्योग को अपनी क्षमता वृद्धि के लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता न पड़े। इस संबंध में एक और तथ्य जानकारी में लाऊंगा कि छोटी-छोटी लघु खण्डसारी इकाइयां पूरे देश में चल रही हैं जिनकी आज की तारीख में रिकवरी 6 प्रतिशत है। अगर सरकार इनको वैक्यूम पैन की अनुमति दे और इन पर से लाईसेंस प्रणाली समाप्त कर दी जाए तो इनकी रिकवरी 6 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत हो जाएगी। 3 प्रतिशत राष्ट्रीय हानि बचेगी। चीनी की गुणवत्ता में सुधार आयेगा। ग्रामीण अंचल में रोजगार के साधन बढेंगे और ऊर्जा की भी बचत होगी। यह स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार बायलर द्वारा उत्पादन करेंगे। किसानों को एक कम्पीटीटिव मार्किट मिलेगा और किसानो को अपनी उपज मिल पर ले जाने के लिए बाध्य नहीं होना पडेगा। ...**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : माननीय सदस्य क्या कहना चाह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अमर पाल सिंह : महोदय, बड़े-बड़े किसान भी इन इकाइयों को लगा सकेंगे। लेकिन इन लघु उद्योग ...**(व्यवधान)** कालिंग अटेंशन में जिसका नंबर होगा वही बोलेगा। इन इकाइयों को संरक्षण देने हेतु मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि 5 हजार क्विंटल तक जो यूनिटें प्रतिदिन गन्ना पिराई करेंगी क्या सरकार उनको दोहरी चीनी नीति लेवी नीति से मुक्त रखेगी? लेवी चीनी उन्हीं उद्योगों से वसूल की जानी चाहिए जिनकी क्षमता 5 हजार क्विंटल प्रतिदिन गन्ना पिराई करने से अधिक हो तथा नये चीनी उद्योगों को नया मिल स्थापित करने के लिए वर्तमान में जो सुविधा दी जा रही है क्या सरकार उस सुविधा को जारी रखेगी?

गन्ना इस देश की तथा इस देश के किसान की तकदीर बदल सकता है। गन्ने से क्रेशिंग के बाद जो खोई बचती है उससे पेपर बनता है तथा चीनी बनाने के साथ-साथ जो सीरे का उत्पादन होता है।

गन्ना इस देश की तथा इस देश के किसान को तकदीर बदल सकता है। गन्ने से क्रेशिंग के बाद जो खोई बचती है उससे पेपर बनता है तथा चीनी बनाने के साथ साथ जो शीरे का उत्पादन होता है उससे बड़ी तादाद में पावर एल्कोहल का उत्पादन हो सकता है। ब्राजील में वाहन पैट्रोल के बजाए पावल एल्कोहल से चल रहे हैं। आज की तारीख तक 80 लाख वाहन पूरे संसार में पावर एल्कोहल से चल रहे हैं। हमारे देश में गन्ना किसानों से जो शीरा पैदा होता है, उससे प्रतिवर्ष एक हजार लाख लीटर पावर एल्कोहल का उत्पादन हो सकता है। अभी सदन में पिछले सप्ताह पैट्रोल के दामों पर चर्चा चल रही थी। इससे बहुत बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा बच सकती है और ऊर्जा के मामले में देश आत्म-निर्भर हो सकता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैट्रोलियम, देहरादून में 1980 से ही एल्कोहल के इस्तेमाल पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अब तक भारत की इस अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा एल्कोहल से मिश्रित ईंधन से चालित इंजनों द्वारा 42 लाख किलोमीटर यात्रा पूरी की जा चुकी है। एल्कोहल के प्रयोग से इंजन की कार्यक्षमता बढ़ना भी पाया गया है तथा धुंआ भी कम निकलता है। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर पेपर का निर्यात करने हेतु तथा पावर एल्कोहल के उत्पादन हेतु कम से कम सभी चीनी मिलों को यह सुविधा मिले कि उन्हें पेपर और पावल एल्कोहल का उत्पादन करने पर कोई प्रतिबंध न रहे। मैं यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि चीनी मिलों को भारत सरकार यह सुझाव दे कि देश में ऊर्जा का संकट समाप्त करने के लिय हाई पावर प्रेशर बायलर लगाए जाएं ताकि अधिक विद्युत का उत्पादन किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए।

श्री अमर पाल सिंह : मैं भारत सरकार के संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हाई प्रेशर बायलर के बाद प्रत्येक चीनी मिल जितनी विद्युत की उसे आवश्यकता है, उससे 10 गुना अधिक विद्युत पैदा कर सकती है। देश में औद्योगिकीकरण का विकास करने के लिये मेरा सुझाव है कि चीनी मिल जितने भी उद्योग अपने कैम्पस में या अपनी साझेदारी में लगाना चाहें जिनको वह अपनी बनी हुई विद्युत से ही ऊर्जा देने में सक्षम हों, उन उद्योगों को उत्पादन करने में राहत दी जाए ताकि चीनी मिल स्वयं में ही अपने आप हाई प्रेशर बायलर लगाने के लिये अग्रसर हो सकें।

अब मैं भारत सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के गन्ना किसानों के भुगतान अविलम्ब कराये तथा जिन किसानों का खेत मे गन्ना खड़ा है और जिन किसानों को अपना गन्ना खेत में जलाना पड़ा है उनको मुआवजा दिया जाए तथा पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग के भ्रष्टाचार की जांच कराकर उन्हें दंडित किया जाए। गन्ने के भष्टाचार में निचले अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश का गन्ना आयुक्त भी लिप्त है। उन चीनी मिलों पर पैनल्टी लगाई जाए जिन्होंने जानबूझकर कृत्रिम ब्रेक डाउन का सहारा लेकर बिना पूर्ण गन्ना पेराई के और गन्ना विभाग से षडयंत्र करके अपनी चीनी मिलें बंद कर दी थी।

चीनी उद्योग पर से लाईसेंस प्रणाली समाप्त की जाए। अगर ऐसा करने में सरकार संकोच करती है तो कम से कम पांच हजार क्विंटल गन्ना पेराई करने वाले लघु उद्योग को वैक्यूम पैन बायलिंग की अनुमति अवश्य प्रदान करे ताकि 3 प्रतिशत राष्ट्रीय हानि तथा किसान का भविष्य में आर्थिक शोषण रुक सके।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वांचल में गन्ने की स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मंत्री जी ने अभी सदन में जो बयान दिया, उस पर एक मिनट में टिप्पणी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई, 1996 तक 101 चीनी मिलें काम कर रही थी जबकि इसी समय पिछले वर्ष केवल 39 चीनी मिलें काम कर रही थी लेकिन यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर जुलाई माह तक केवल 101 चीनी मिलें काम कर रही थी तो इससे स्पष्ट लगता है कि आपकी सारी व्यवस्था खराब हो गई थी और यह अच्छा चिन्ह नहीं है। जितने देर तक चीनी मिलें चलती हैं उतना ही यह संकेत मिलता है कि व्यवधा ठीक नहीं है। आपके कहने के मुताबिक, आप चीनी मिलों की स्वयं व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि यहां भुगतान की स्थिति के बारे में बताया गया कि 5831 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसके बाद 1383 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है लेकिन पूर्वांचल में, जिसकी बात मैं यहां करना चाहता हूं, बहुत कप भुगतान हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इतना कम भुगतान होने के क्या कारण हैं? मैं विशेष रुप से आपका ध्यान देवरिया संसदीय क्षेत्र से लगी हुई चीनी मिलों-छितौनी, लक्ष्मीगंज, बैतालपुर, देवरिया, भटनी, गौरीबाजार, पडरौना, कठुकोईया, कप्तानंगज, से वरही, रामकोला और परतापुर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वहां भुगतान परसेंटेज इतना कम रहने के क्या कारण हैं।

मैं विशेष ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक चीनी मिल जो गौरी बाजार है, इसमें 24 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है।

इस समय उसका बकाया बिना ब्याज के दो करोड़ 56 लाख रुपया है। हमको आशा थी कि कपड़ा मंत्रालय के मंत्री महोदय यहां होंगे, क्योंकि यह जो व्यवस्था बिगड़ी है वह ज्यादातर कपड़ा मंत्रालय से ही संबंधित है। यह गौरीबाजार मिल ब्रिटिश इंडिया कापारेशन की मिल है। मैंने पहले ही सैक्रेटेरियट को बता दिया था कि कपड़ा मंत्री यहां हों, लेकिन वे यहां नहीं हैं। यह मिल कपड़ा मंत्रालय से संचालित होती है और इसमें 24 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ। पिछले सीजन में यह मिल बंद हो गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी इसका भुगतान हो जाएगा। आप यह समझ लें कि इस गौरीबाजार क्षेत्र की पूरी आर्थिक व्यवस्था केवल गन्ने की पेराई और उसकी बिक्री से होती है। अगर 24 महीने से किसान को पैसा नहीं मिले तो वह अपनी पर्ची बंधक रखकर अपने घर का काम चलाता है जिसके ऊपर वह 25 परसेंट ब्याज देता है। इसलिए इस मिल के भुगतान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मेरा तीसरा सवाल यह है कि जब यह मिल इतने दिन से बंद है तो उसके क्या इंतजाम किए गए? यह कपड़ा मंत्रालय से संचालित सब मिलों पर लागू है जो घाटे में चल रही हैं, जहां पर किसी तरह की रिपेयर नहीं हुई है, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि उसके बारे में क्या नीति है?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कंक्लूड कीजिए।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मैं पूछना चाहता हूं कि इस मिल से संबंधित और बाकी की जो 14 मिलें हमने बताई हैं उनका भुगतान कब तक होगा? चूंकि अगले साल से यह मिल बंद है इसलिए उसके गन्ने के वितरण का क्या होगा? व्यवस्था बिलकुल खत्म हो चुकी है। **(व्यवधान)** हमने आधा घंटे से ज्यादा समय नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : यह व्यवस्था बिलकुल खत्म हो चुकी है। गन्ने की पैदावार 100 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन 50 साल से कोई मिल नहीं खुली है। वह मिल जर्जर हो गई है और उसके पेरने की क्षमता दसवां हिस्सा रह गई है।आप कह रहे हैं कि जुलाई तक 101 मिलें चल रही थीं, यह सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगले दो साल में क्या आप इस क्षेत्र में और नई मिलें स्थापित करने की कोशिश करेंगे? इसकी व्यवस्था बिगड़ गई है, इसलिए गन्ना विभाग के साथ मिलकर उसकी कार्रवाई की जाए। यह केवल पूर्वांचल का मामला नहीं है, बल्कि यहां जो सब

बैठे हुए हैं वे उत्तर प्रदेश में गन्ना व्यवस्था से त्रस्त हैं। यही एक कृषि उद्योग है इसमें कोई नई चीनी मिल शुरु नहीं की गई है। किसान पैदावार बढ़ा रहे हैं। इससे उस जगह की आर्थिक स्थिति बढ़ती जाएगी। शासन की व्यवस्था, खासकर उत्तर प्रदेश शासन की व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए कृपा करके जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दें और उत्तर देने से ज्यादा जरुरी है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत गम्भीर मामला हैं। मंत्री जी ने स्वयं माना है कि गन्ना किसानों के 21 प्रतिशत ड्यूज नहीं मिल पाए। मगर ये यह नहीं बता सके कि वे क्यों नहीं मिल पाए। 21 प्रतिशत ड्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। मैं समझता हूं कि धान और गेहूं का सही मूल्य न मिलने के कारण किसानों ने शुगरकेन की तरफ डायवर्सीफिकेशन किया, यह बात तो अपने सही बताई, लेकिन उनके 21 प्रतिशत ड्यूज क्यों नहीं मिल सके, इस बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने इसको गम्भीर मांसला समझकर अनाउंस किया कि यू.पी., के गन्ना किसानों के 500 करोड़ रुपए के ड्यूज दिए जाएंगे। मगर मंत्री जी ने दूसरे राज्यों के बारे में कुछ नहीं बताया। खासतौर से मैं पंजाब के बारे में पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जो दसूहा और पातरा शुगरमिल हैं उनके कितने ड्यूज हैं और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो शुगर डिवेलपमेंट फंड क्रिएट किया है और जिसमें 14 रुपए प्रति क्विंटल लिया जाता है, उसमें से पिछले साल शुगरमिलों को कितना पैसा दिया। शुगरकैन ग्रो करने के लिए सरकार ने जो इंसेंटिव दिया वह 1993-94 में 77.50 करोड़ और 1994-95 में 50.026 करोड़ दिए और आज इस फंड में 1012.6 करोड़ रुपया जमा है। अगर सरकार इस मसले को सुलझाना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि इस फंड में जमा इस धन को किसानों को दिया जा सकता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा करने के लिए तैयार है?

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसानों के शुगरकेन में कटौती की गई है, मंत्री जी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। पंजाब में पातरा शुगरमिल में 20 प्रतिशत कटौती की गई है। 100 क्विंटल गन्ने का 20 प्रतिशत कम दिया है। क्या उसे वापस करवाएंगे? उसका कोई कानून नहीं है कि मनमाने ढंग से कटौती कर दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौथी बात यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने चीनी मिलों को जो इंसेंटिव दिया जिसके अंदर मिलों को अनेक सुविधाएं दी गई और लेवी शुगर को फ्री शुगर में परिवर्तित कर दिया, लेकिन उसको 24 प्रतिशत मिलों ने फौलो किया। क्या सरकार उसके लिए सख्ती नहीं कर सकती जिससे सारी मिलें उसे फौलो करें। हमारे गुरुदासपुर में डिप्टी कमिश्नर ने मिल को हिदायतें दी, तो उस मिल ने उस क्षेत्र के सारे के सारे गन्ने की पिराई की, मगर दूसरी मिलों ने उसको फौलो नहीं किया। अगर सरकार सीरियस होती और अगर सरकार सख्ती से हिदायत देती और उन्हें लागू करती, तो किसानों का सारा गन्ना मिलों द्वारा पेर दिया जाता। सरकार द्वारा ढिलाई बरतने के कारण गन्ना नहीं पेरा जा रहा है।

महोदय, मैं पांचवीं बात जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि शुगरमिलों के नजदीक ही बाइप्रोडक्ट तैयार करने के कारखाने लगाए जाएं? यदि ऐसा किया जाएगा,तो शुगर मिलें मुनाफे में जा सकती हैं। मैं आपके द्वारा सरकार को सुझाव देना चाहता हूं खासकर पंजाब, हरियाणा और यू.पी. में शुगर मिल खोलने के लिए अधिक लाइसेंस दिए जाएं। जहां ज्यादा गन्ना पैदा होता है वहां यदि मिलें ज्यादा होंगी, तो उस क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बहुत सारी शुगरमिलें जो पहले कोआपरेटिव सैक्टर में थी, वे इन्होंने प्राइवेट सैक्टर को बेच दी और यह अफसोस की बात है कि ये मिलें ऐसे लोगों को बेची, जिनमें से एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट भी है जिसको एक मिल बेची गई है। इसी प्रकार से सरकार ने ऐसी छूट दे दी जिससे की गन्ने का बीज किसानों को बेच दिया। इन्होंने गन्ने का सीड किसानों को उठा दिया और जिन्होंने उसको बोया उनको पैसा नहीं दिया गया और जिनको पैसा दिया गया उनसे ये पैसा नहीं ले सके और जब किसानों ने एजीटेशन किया, तो इन्होंने पुलिस वालों से मिलकर उनकी पिटाई की। इस प्रकार से यह धांधली इसमें हो रही है।

महोदय, पातरा मिल 50 करोड़ रुपए की थी, उसे 11 करोड़ 6 लाख रुपए में बेचा गया और अभी तक 3 करोड़ 5 लाख रुपए ही दिए हैं। अभी तक 11 करोड़ रुपए पूरे नहीं दिए गए हैं। ये धांधली चल रही है। ऐसा ही दसूहा में हुआ। इस प्रकार से पंजाब में चार मिलें बेची गई हैं। अन्य मिलों को भी इसी प्रकार से बेचा जा रहा है। पहले इनको सिक मिल डिक्लेयर किया गया।

महोदय, जब मैं सरदार सुरजीत सिंह बरनाला की वजारत में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का मंत्री था, तब हम लोग इन मिलों को प्राफिट में लाए और तीन-तीन करोड़ रुपए एक-एक मिल में प्राफिट हुआ। उस समय हमने एक-एक करोड़ रुपए लोगों को डिवीडेंड के रुप में बांटा और दो-दो करोड़ रुपए से इनकी एक्सपेंशन की। आज क्या बात है कि ये मिले घाटे में चली गई? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मंत्री जी वाकई किसानों की भलाई करना चाहते हैं, तो शुगरकेन डिवेलपमेंट फंड में जो धन जमा है, उसको किसानों में बांट दें और जिस व्यक्ति के ऊपर पातरा मिल का तीन करोड़ रुपया बकाया है, वह वसूला जाए और जिन्होंने 20 प्रतिशत काटकर पैसे दिए हैं, वे पैसे उनसे वापस दिलाए जाएं?

थावरचन्द्र गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। **(व्यवधान)***

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी अन्य व्यक्तियां को बोलने की अनुमति नहीं है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री थावरचन्द्र गेहलौत : मुझे मंत्री जी के वक्तव्य के बारे में जानकारी देनी है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जिनके नाम लिस्ट में नहीं हैं, उनको में एलाऊ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द्र गेहलौत : अगर आप अनुमति देंगे तो मैं बोलूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जिनके नाम लिस्ट में नहीं हैं, उनको मैं एलाऊ नहीं कर सकता।

श्री थावरचन्द्र गेहलौत : उपाध्यक्ष जी, हौशांगाबाद में जो गन्ना जलाया गया है, वह शुगर फैक्ट्री के जोन में है जबकि मंत्री जी ने कहा है कि वह जोन में नहीं है। मैं केवल यही जानकारी देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री थावरचन्द्र गेहलौत : ठीक है, मंत्री जी ज़वाब दे देंगे।

श्री थावरचन्द्र गेहलोत : अगर आप अनुमति देंगे तो मैं 10 सैकिड भी नहीं लूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जिनके नाम लिस्ट में नहीं हैं, मैं उनको एलाऊ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, वह सही नहीं है। वह असत्य है इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो हौशांगाबाद में गन्ना जलाया जा रहा है उसको शुगर फैक्ट्री के जोन में रखा है और बाकी आधा जिला वरली में है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह जोन में नहीं है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। आपने रुल्स पढ़े हैं। जिनके नाम लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें मैं इजाजत नहीं दे सकता।

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के प्रति मैं आधार व्यक्त करता हूं। यहां किसानों के व्यापक हित का सवाल पूरक प्रश्न के जरिये आया है जबकि असल मूल ध्यानाकर्षण है। उसमें मूल बिन्दु उठाये गये हैं उसमें गन्ना उत्पादकों द्वारा अपना गन्ना जलाये जाना तथा चीनी कारखानों द्वारा उनके बकाया भुगतान किये जाने के संबंध में उत्पन स्थिति पर हमने अपना बयान दिया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहली बात तो माननीय सदस्य श्री अमर पाल सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में गन्ना जलाये जाने के संबंध में उठाई है। इस संबंध में हम जवाब स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सदन में स्थिति स्पष्ट हो जाये। किसी भी माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं, उसकी स्थिति मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस दिन गन्ना जलाया गया, उसी दिन हमने फैक्स से जानकारी प्राप्त की है और 4 जुलाई को हमें जानकारी प्राप्त हुई है। यह जानकारी राज्य सरकार से आयी है। वह जानकारी यह है :

[अनुवाद]

"अब तक सरकार को ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है। फिर भी गन्ना आयुक्त को ब्यौरा देने को कहा गया है।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : केन कमीशन तो खुद इस मामले में लिप्त हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप बाद में सवाल कीजिये। मैं अभी खड़ा हूं और मैंने समाप्त नहीं किया है। मैं जो भी जवाब दूंगा, वह तथ्यों के तहत दूंगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा जवाब नहीं होगा। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वही मैं बताऊंगा। **(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमारे पास जो सूचना भेजी है, उसका जिक्र मैंने अभी किया है। अभी एक माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश में गन्ना जलाये जाने के संबंध में कहा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इनको डिसएलाऊ कर रहा हूं और आप उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपकी जो इजाजत होगी, वहीं मैं करुंगा। आप सर्वोपरि हैं लेकिन यदि सदन जानकारी चाहता है तो हम जानकारी देना चाहेंगे। सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश में गन्न जलाये जाने के संबंध में जो जानकारी मांगी है, वह मैं बताना चाहूंगा :

[अनुवाद]

"पहली कटाई के पश्चात दूसरी फसल के गन्ने को जलाया गया था क्योंकि यह गुड़ बनाने के लिए भी अलामकारी था। आगामी खरीद मौसम के लिए खेत तैयार करने हेतु इसे जलाया गया था। "

[हिन्दी]

दूसरी बार जब गन्ने की फसल हुई तो उसको जला दिया गया क्योंकि खरीफ की फसल आने वाली थी इसलिये वहां कोई चीनी मिल नहीं है। ...**(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री थावरचन्द्र गेहलोत : यही तो मैं कह रहा था कि वहां पर दो शुगर मिल्स हैं। ...**(व्यवधान)** उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप मुझे एक मिनट का समय दे दें। ...**(व्यवधान)** गन्ना विकास प्राधिकरण ने पैसा दिया और गन्ना बोया। ...**(व्यवधान)** वे लोग गन्ना खरीदना चाहते थे, नहीं खरीदा। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय श्री त्रिपाठी और श्री अमरपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो ऐरियर्स है, उनकी पेमैंट करने के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के किसानों की गन्ने की बकाया भुगतान की स्थिति इस प्रकार है। 1994-95 में 2507 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। इस वर्ष यानी 1995-96 में 15 जुलाई तक जो रिपोर्ट आई है, उसमें 2706 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। ...**(व्यवधान)** 742.42 करोड़ रुपये की राशि बाकी है।

प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ दौरे के दौरान सार्वजनिक तौर पर जो आश्वासन दिया था, सरकार तीव्र गति से उसका अनुपालन कर रही है। जहां तक किसानों के हित की रक्षा का सवाल है, हम ऐसा मानते हैं कि गांव और किसान को खुशहाल बनाए बिना देश खुशहाल नहीं हो सकता। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि गांव, किसान और गरीब तीनों पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। ...**(व्यवधान)** आप ध्यान से सुनिए। ...**(व्यवधान)** प्रधानमंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का बकाया, जो पूर्व में 900 करोड़ रुपये आंका गया था, उसमें से 15 जुलाई तक 252.24 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। यह परसों तक की रिपोर्ट है। आज फिर भुगतान हुआ होगा। जो भुगतान कल हो चुका है, उसकी रिपोर्ट हमको कल सुबह तक मिल जाएगी। **(व्यवधान)** प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली यह घोषणा की थी कि 450 करोड़ रुपये तक, आधी रकम का भुगतान इस महीने के अंत तक होगा लेकिन हम आधे से ऊपर चल रहे हैं। सरकार किसानों के हित के लिए कृतसंकल्प है। **(व्यवधान)** पहले सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**

यह सरकार केवल जुबान से नहीं बोलती काम से बोलती है। ...**(व्यवधान)** यह प्रमाणित कर दिया गया है। गन्ना किसानों का जो बकाया उत्तर प्रदेश में था, उसका 252 करोड़ रुपया भुगतान कर दिया गया है। ...**(व्यवधान)** बिहार का भी बताते हैं। यह आदेश पूरे देश के लिए हुआ है। उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से हुआ है क्योंकि वहां सार्वजनिक रुप से घोषणा की गई थी। आर.बी.आई. को जो आदेश दिया गया है,वह पूरे देश में दिया गया है। ...**(व्यवधान)** यदि उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत हो तो मैं पूरे देश के हर राज्य की जानकारी देने के लिए तैयार हूं।...**(व्यवधान)**

श्री चन्दूमाजरा ने पंजाब के संबंध में सवाल उठाया था। **(व्यवधान)**

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : जो 24 महीने से नहीं दिया गया है, उसकी बात बताएं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनको जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बकाया का जो आधा हिस्सा है, इस महीने के अंत तक भुगतान **(व्यवधान)** यह सरकार कितने दिन है, **(व्यवधान)** आप सरकार को काम तो करने दीजिए, सरकार जो अच्छा काम कर रही है, उसका समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, हमारी यही अपेक्षा आप लोगों से है। **(व्यवधान)** आप सुनना ही नहीं चाहते। आप सुन लीजिए।

पंजाब में 15.5.1996 तक 439 करोड़ रुपया बकाया था, मैं सीधा हिसाब आपको बताता हूं, जिसमें से 15.5.1996 तक 343 करोड़ रुपये सभी मिलों को भुगतान मिलाकर किया गया है। इसके बाद आप बिहार का जानना चाहते हैं?

श्री राजीव प्रताप रुडी (छपरा) : बिहार का बताइये और कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत जो मिलें हैं, उन मिलों की चर्चा करना मत भूलिएगा। **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उत्तरी बिहार में, नोर्थ बिहार में 231 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें से 128 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

श्री राजीव प्रताप रुडी : माननीय मंत्री जी, त्रिपाठी जी का स्पष्ट सवाल था कि बी.आई.सी. की कपड़ा मंत्रालय की जो मिल है, उसके बकाया का भुगतान कब होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप पूरा जवाब सुन लीजिए, जो कुछ रह जाएगा, बाद में पूछिएगा।

लेफ्टीनेन्ट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : इनके पास वही होगा, मैं वह मानने के लिए तैयार हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह गलत हैं, लेकिन इस साल के भुगतान की एक समस्या है, लेकिन एक मिल है, जिसका दो साल से भुगतान नहीं हुआ है। उसका पता लगाकर मंत्री जी बता दीजिएगा। **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य जरा धैर्य रखिए। जो आपकी चिन्ता है, वह पूरे देश की चिन्ता हैऔर सरकार की चिन्ता है। आप पहले बारी-बारी से सुनिए तो सही!

मैं आपको बता रहा था कि उत्तरी बिहार में 231 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें से किसानों का 128 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ है। साउथ बिहार में कोई बकाया नहीं था, क्योंकि वहां मिल है ही नहीं। **(व्यवधान)** आपको हरियाणा की जानकारी चाहिए थी। **(व्यवधान)**

महाराष्ट्र में अलग-अलग पोजीशन है। साउथ महाराष्ट्र, नोर्थ महाराष्ट्र, सैण्ट्रल महाराष्ट्र और टोटल महाराष्ट्र की अलग-अलग पोजीशन है। सब मिलाकर तीनों को जोड़कर एक साथ फीगर है। साउथ महाराष्ट्र में 635 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें से 574 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ है। इसके बाद नोर्थ महाराष्ट्र में 342 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें से 277 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ है। सैण्ट्रल महाराष्ट्र का 766 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें से 711 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ है। यह जानकारी में सदन के पटल पर रख देता हूं।

श्री राजीव प्रताप रुडी : उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय जो बार-बार त्रिपाठी जी ने उठाया, उसके बारे में मंत्री जी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत जो मिले हैं, उसका पैसा कहां से जाएगा, यह बात जो सीध-सीधे कपड़ा मंत्रालय की चीनी मिलों की है, त्रिपाठी जी ने जो सवाल उठाया है, उसका पैसा कहां से जाएगा? देवेन्द्र जी से लगता है लालू यादव और उनका क्षेत्र छपरा रहा है। छपरा में चीनी मिल है और वह बन्द होने के कारण आज कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत है, उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं जवाब दे रहा हूं, आप बोल रहे हैं। आप जब सवाल कर रहे थे, जो पूरक प्रश्न आये हैं, उनका जवाब सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहते है तो कोई बात नहीं है। अभी माननीय सदस्य ने पूर्वांचल के विषय में और त्रिपाठी जी ने अभी गौरी बाजार क्षेत्र के बारे में जिक्र किया था, उस सम्बन्ध में मैं इनको बताना चाहता हूं।

मैंने पहले ही कहा था कि सारा जवाब मेरे पास है। गोरी बाजार और रामकोला, इन सबको मिलाकर 22.50 करोड़ रुपया जो बैंक लिमिट है, वह मंजूर कर दिया गया है। अभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया और अन्य बैंक्स को भी जल्दी से भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं कि वे सकारात्मक पहल करें। उसमें से 19 करोड़ रुपये का पेमेंट हो चुका है। उत्तर प्रदेश का पेमेंट फैक्टरीजवाइज है। जबकि आपने कहा कि पेमेंट नहीं हुआ।

लेफ्टीनेट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : फिगर्स में गड़बड़ है,आप चैक कर लें, हमारे यहां 2.50 करोड़ रुपये देने हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं चैक कर लेता हूं। यह अप-टू-दि 29.6.1996 तक का पेमेंट होने की बात कर रहा हूं।

अपराहन 3.53 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

आपने बुनियादी सवाल उठाया था। आपके यहां 101 मिल्स हैं। इस बार ज्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ और क्रशिंग भी ज्यादा हुई। आपने सवाल उठाया था कि गन्ना खेत में खड़ा है उसको जल्दी से जल्दी मिल्स में क्रशिंग के लिए भेजा जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभांपति महोदय : बैठ जाइयें। मैं खड़ा हूं। मंत्री महोदय बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। आप क्या कर रहे हैं। मुझे सुनें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आप को अनुमति नहीं दी हैं।

श्री राजीव प्रताप रुडी : यह ठीक है। परन्तु मामला गन्ने का उपयोग करने वालों से सम्बन्धित है। कपड़ा मिलें—जिसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : वरिष्ठ सदस्यों को उन्हें राजी करना चाहिए। यह ध्यानकर्षण प्रस्ताव है। इसकी नियत प्रक्रिया है। मैं अब प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करना चाहता। प्रक्रिया यह है कि केवल वही सदस्य जिनके नाम सूची में है वे चर्चा द्वारा दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न होने प्रश्नों का स्पष्टीकरण मांगने हेतु प्रश्न करने के हकदार हैं। इसलिए आप प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि आप का नाम सूची में नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय आप उठाये गये प्रश्नों के बारे में अपना उत्तर जारी रख सकते हैं। जो प्रश्न आप के वक्तव्य से सम्बन्धित नहीं उनका उत्तर नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जो आपके वक्तव्य में हैं।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, त्रिपाठी जी 101 चीनी मिल्स का सवाल उठा रहे थे। वे मिल्स चल रही थी और चूंकि इस बार गन्ने का उत्पादन ज्यादा हुआ इसलिए क्रशिंग भी ज्यादा हुई।

उत्पादन भी ज्यादा हुआ। इस बार पूरे देश में अभी तक 158 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल 146.43 लाख टन उत्पादन हुआ था। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मुझे सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसलिए अभी 101 चीनी मिलें चल रही हैं। अभी जो माननीय अमर पाल जी प्रश्न उठा रहे थे, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनका उत्तर मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं बता रहा था कि अभी जो चीनी मिलें चल रही हैं, गन्ना किसी स्टैंडिग पोजिशन में खेत में खड़ा था, यह समस्या थी। इसलिए गन्ने को लेट समय तक पैरवी की इजाजत और मिल से गाइडलाइन दी गई कि आप जल्दी से जल्दी खेतों में जो

गन्ना खड़ा है उसको पैराई में लगाइए। इसीलिए 101 चीनी मिलें 1 जुलाई तक चली थी और आज भी 4-6 मिलें चल रही हैं। कल तक किसानों के बीच में यह समस्या थी कि गन्ना खेतों में खड़ा है, इस समस्या को हल करना था। ....**(व्यवधान)** कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है कि गन्ना एरियर्स का भुगतान केवल उत्तर प्रदेश में ही हुआ है तो यहां मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक रुप से माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी काफी रुची ली है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बकाया हो गया था। पिछले दिनों जो पूरे देश में आंका गया था उसमें 1300 करोड़ रुपया किसानों का एरियर्स बकाया था। इसलिए आर.बी. आई. के जरिए देश के सभी राज्यों में, जहां गन्ना पैदा होता है उन सभी जगह एक साथ सरकुलर भेजा गया कि जल्द से जल्द एरियर का भुगतान किया जाए। यह सरकुलर भज दिया गया है। पी.एम. का जो आर्डर हुआ था उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। सभी जगह सरकुलर भेज दिया गया था, जहां-जहां एरियर्स था। देश के किसी भी राज्य में जो एरियर है उसका भुगतान करने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने में यू.पी. का आधा भुगतान होगा, और राज्यों में भी जो एरियर्स हैं उनका भुगतान भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। स्टेट का एडवायजरी प्राइस और जो हमारा प्राइस है वह स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस है, अगर इसमें कुछ फर्क हो जाता है तो इस कारण भी विलम्ब होता, यही मूल कारण है। इसलिए यह सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्पित है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है वह पूर्णतः असंतोषजनक है। इन्होंने गन्ना किसानों का दुख-दर्द नहीं समझा है। इनको उचित मुआवजा देने की कोई बात नहीं है इसलिए सरकार की इस भूमिका के विरोध में हम सारे विपक्ष के लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं।

[अनुवाद]

अपराहन 3.58 बजे

इस समय श्री राम नाईक और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

सभापति महोदय : सभा अब कार्य सूची की अन्य मद पर विचार करेगी। नियम 377 के अधीन मामले।

श्री हरिन पाठक : उपस्थित नहीं।

डा. राम विलास वेदान्ती : उपस्थित नहीं।

डा. कृपासिन्धु भोई।

डा. कृपा सिन्धु भोई खड़े हुए। ...**(व्यवधान)**

अपराह्न 4.00 बजे

प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों का स्वागत करता हूं। जब यह मामला उठाया गया था मैं एक बैठक में था और मुझे थोडी देर हो गई।

महोदय यदि आप मुझे अनुमति दें तो गन्ना उत्पादकों की जो भी बकाया राशि हैं उसके बारे में मैं स्पष्ट बात कहता हूं। जहां तक गन्ना उत्पादकों का सम्बन्ध है, जिस बात में आप रुचिकर हैं उसी में हम भी रुचिकर हैं। अतः यहां पर लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि कार्यभार संभालने के पश्चात सब से पहले मैंने अपनी बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, गन्ना आयुक्त और उद्योग सचिव से की थी। मैंने उन्हें बुलाया था और दो दिन तक उनसे बैठक की थी। गन्ना उत्पादकों की 900 करोड़ रुपये की राशि बकाया है और उन्हें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन चीजों के बारे में कहने वाला कोई नहीं है, न ही उन्हें कोई इनके बारे में बताता है। मैं स्पष्टरुप से आपको बताता हूं। पिछले डेढ़ वर्ष से राज्य में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। पिछले लगभग दो वर्षों से राज्य में राष्ट्रपति का शासन है।

मैंने एक निर्णय लिया है। इतना ही नहीं मैं लखनऊ गया था और वहां बैठक की थी। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 900 करोड़ रुपये में से पहली किस्त के रुप में एक महीने के भीतर 450 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जायेगा। मैंने निर्णय लिया है **(व्यवधान)** कृपया मुझे सुनें। यदि मुझे पता होता कि यह मामला यहां उठने वाला है। तो मैं सारा ब्यौरे ले आता।

मुझे यहां लगा है कि कुछ फैक्टरियों बैंकों से धन लेने के बारे में सहयोग नहीं कर रही हैं। मैंने बैंक के लोगों को भी बुलाया था और उन्हें कहा था कि वे विभिन्न चीनी मिलों में जमा भण्डार पर अग्रिम धन दें। परन्तु दुर्भाग्यवशः उत्तर प्रदेश में जो तरीका अपनाया जाता है वह अन्य राज्यों में अपनाये जाने वाले तरीके से अलग है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कर्नाटक में मुझे गलत मत समझे—850 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी फैक्टरियों में पड़ी है वहां पर भण्डार जमा हो गये हैं। वहां पर 28 अथवा 29 चीनी फैक्टरियां हैं। परन्तु वहां पर बकाया राशि का कोई प्रश्न नहीं है। हमने गन्ना उत्पादकों को देय लगभग सभी राशि का भुगतान करने का प्रयास किया है। जहां जहां, 15 लाख, 20 लाख, अथवा एक करोड़ रुपये की राशि बकाया हो सकती है। मुख्य मंत्री के नाते मैंने सभी बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास किया था।

इस बार उन्होंने अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन किया है। अतः मैं चाहता हूं कि पेराई की समस्या है। महाराष्ट्र, कनार्टक, तमिलाडु तथा उत्तर प्रदेश सभी जगह यह समस्या है। यही कारण है कि हमने उन सभी लोगों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है जो निजी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में चीनी की फैक्टरियां लगाना चाहते हैं। हम एक पैसा भी बकाया नहीं रखना चाहते। मैंने अपने साथी खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री को इस बारे में अनुदेश दिये हैं। हम किसी भी फैक्टरी की स्थापना को रोकना अथवा उसमें वलम्ब करना नहीं चाहते। हम सभी परियोजनाओं को मंजूरी देना चाहते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : लाइसेंसिग खत्म कीजिए।

श्री एच.डी.देवेगौडा : कृपया मुझे सुनें आपने जो सलाह दी उसके लिए मैं आभारी हूं। **(व्यवधान)** कुछ समस्याएं हैं निर्णय लेने से पूर्व मुझे सहकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी फैक्टरियों के हितों को भी ध्यान में रखना है। चाहे यह महाराष्ट्र हो अथवा उत्तर प्रदेश, गन्ने की स्थिति जाने बिना चीनी फैक्टरियों की अन्धाधुन्ध स्थापना से सहकारी क्षेत्र को नुकसान होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। इससे पूर्व कि हम लाइसेंस खत्म करे हमें लाइसैंसिंग खत्म करने की जटिलताओं के बारे में पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए। यही कारण है कि मैंने इस बारे में निर्णय नहीं लिया है। मामला सरकार के विचाराधीन है। परन्तु एक बात है जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। राज्य सरकारों की भी कुछ जिम्मेदारियां है। इस धारणा में न रहिये कि सारा बोझ केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

कर्नाटक में मैंने गन्ना उत्पादकों को 42 करोड़ रुपये की राहत देने का निर्णय लिया है। वित्तीय बाधाओं के बावजूद मैं किसानों की सहायता करने से कभी नहीं हिचकचाया हूं। यद्यपि मैं यह नहीं बताना चाहता तथपि अन्य राज्यों को भी यही तरीका अपनाना चाहिए जो हमने अपनाया है। हमने ऐसा किया है और उत्तर प्रदेश में मैंने वित्त सचिव तथा बैंकिग सचिव को स्टाक गिरवी रखकर चीनी फैक्टरियों को कुछ धन देकर उनके साथ सहयोग करने के लिए राजी कर लिया था परन्तु राशि सहकारी समितियों को चली गई। वे वहां पर विचौलिए हैं। राशि गन्ना उत्पादकों को नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तरीका अलग है। यह क्या तरीका है जो कि मुझे केवल अभी पता चला है। यह बिल्कुल भिन्न है। राशि सीधे चीनी मिलों से गन्ना उत्पादकों को नहीं मिल रही है। वहां सहकारी समितियां बिचौलियों का कार्य कर रही हैं। वे धन वितरित करते हैं। यह प्रबन्ध किये जाने के बाद फैक्टरियों से क्या दिया जाना है? **(व्यवधान)** मैं यही कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)** उन्हें उसका भुगतान करना होता है। गन्ना उत्पादकों और फैक्टरी के बीच बिचौलिये होते है। एक अन्य संगठन और वह है सहकारी समिति **(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : महोदय, ये समितियां भी गन्ना उत्पादकों की हैं। **(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौडा : यह ठीक है। मैं यह जानता हूं। यह पद्धति वहां क्यों है और उसका क्या लाभ है? मैं जानना चाहता हूं। मैं पद्धति पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं उस पद्धति की जांच करुंगा कि क्या यह गन्ना उत्पादकों के लिए लाभदयिक है अथवा इस से किसानों को सहायता नहीं मिलेगी। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से जांच करेगी और यदि यह किसानों के लिए लाभदयिक नहीं है तो हम बिचौलियों से बचना चाहेंगे। प्रत्यक्षरुप से गन्ना उत्पादक जो माल फैक्टरी को दे रहा है उसका मूल्य उसे भी निश्चित करना चाहिए। मैंने मुख्य सचिव को इसकी जांच करने के लिए कहा है क्योंकि मैं सीधे कोई निर्णय नहीं ले सकता। जब तक चुनाव नहीं हो जाते मुझे मुख्य सचिव और राज्यपाल के माध्यम से ही इस मामले से निपटना है। चुनाव के पश्चात यदि आप सत्ता में आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं और यदि हम सत्ता में आते हैं तो आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं।

इसी बीच यह सरकार अन्धी नहीं है। यह सरकार सो नहीं रही है। मैं आपको स्पष्ट रुप से बताना चाहता हूं कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है मैं वही करने जा रहा हूं जो मैं सबसे उत्तम कर सकता हूं। मैं एक महीने में 450 करोड़ रुपये का भुगतान कर दूंगा। मैंने यह अनुदेश दे दिये हैं। उन्होंने 240 अथवा 250 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है और बकाया लगभग 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाने वाला है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ समय बाद। वह अपना भाषण समाप्त कर ले। उसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय आपने प्रधान मंत्री जी को ध्यानाकर्षण पर बोलने की अनुमति दी है। परन्तु अब प्रश्न नियम 377 के अधीन मामले उठाने का है। मेरा नाम सूची में सबसे उपर है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्हें सदन में किसी भी समय हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

श्री हरिन पाठक : परन्तु उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्तक्षेप किया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने श्री भोई को बुलाया है।

श्री हरिन पाठक : मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर है।

सभापति महोदय : उनका नाम ऊपर है। वह सदन में बैठे हुए हैं। आप नहीं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : उसके बाद क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे।

सभापति महोदय : आपको नियमों के अनुसार अवसर मिलेगा। अब बैठ जाइये।

अपराहन 4.10 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रुप से लागू किये जाने की आवश्यकता

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : राज्य के विभिन्न भागों में मलेरिया को पुनरावृत्ति में वहां प्रत्येक व्यक्ति को बहुत चिन्ता हो रही है। यह रोग जनजाति जिलों में तेजी से फैल गया है।

जब राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम राज्य में लागू किया गया तो कुछ वर्षों तक राज्य में मलेरिया नियंत्रण में था। बाद में यह पता लगा कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सब प्रकार की लापरवाही की जा रही है। अब प्रत्येक जिले के लोग मलेरिया से पीड़ित हैं और कोरापुट, रायगढ़ मलकांगिरी, नवरंगपुर, गजपथी, फूलबनी और क्योंझार जिलों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। जनजाति जिलों में सेरीबराल मलेरिया से बहुत लोग मर रहे हैं।

जब तक केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती, राज्य के लोग इस रोग से पीड़ित रहेगे। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा में मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज समस्याओं को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एक दूरग्रस्थ तथा अलग थलग संघ क्षेत्र है जिस पर सीधे केन्द्रीय सरकार का प्रशासन है। इस समय एक प्रशासक की नियुक्ति कर संविधान के अनुच्छेद 240 के अन्तर्गत वहां का प्रशासन चलाया जाता है और प्रशासक का पदनाम लेफ्टनीनेंट गर्वनर दिया गया है। पहले वहां पर प्रदेश परिषद थी। हालांकि यह सलाहकार निकाय के रुप में कार्य करती थी फिर भी कयोदेश यह एक विधान सभा की भाति कार्य करती थी और पांच पार्षद मंत्री के रुप में कार्य करने थे से और उपराज्यपाल को द्वीपसमूह के प्रशासन के मामलों में सहायता तथा परामर्श देते थे।

दुर्भाग्यवश संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के अनुरुप पंचायती राज म्यूनिसिपल रेगूलेशन, 1994 के अन्तर्गत जब नई पंचायती राज संस्थाएं बनाई गई तो प्रदेश के विनियमों को समाप्त कर दिया गया। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगर परिषदों के चुनाव कराये गये और चुने गये व्यक्तियों ने विनियमों के अन्तर्गत जिम्मेदारी सम्भाल ली। वर्ष 1996-97 में इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक रुपये की भी व्यवस्था नहीं की गई है। वित्त सम्बन्धी सिफारिशों के लिए बहुत पहले नियुक्त किये गये वित्तीय निगम ने अब तक कोई सिफारिश नहीं की है। यह आशा थी वह कोई अन्तरिम रिपोर्ट देगा। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। यह भी आश्चर्य की बात है कि यह वित्तीय निगम दिल्ली में कार्य कर रहा है न कि द्वीप समूह में। ऐसा लगता है कि सरकार पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाने में रुचिकर नहीं है जिससे कि वह विनियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को निभा सके।

अतः मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को वहां पंजायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के तुरन्त निर्देश जारी करे।

(तीन) गुजरात में पिपावाव में विद्युत उत्पादन के लिए ताप्ती क्षेत्र से गैस की आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : गुजरात औद्योगिकरण के मामलों में तेजी से प्रगति कर रहा है। सामाजिक क्षेत्र में भी विकास की गति पर्याप्त हैं प्रगति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दुभार्ग्यवश गुजरात में ईधन के संसाधन सीमित हैं। केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में पिपावाव में विद्युत उत्पादन के लिये ताप्ती क्षेत्र में गैस देने का वायदा किया है। गुजरात में बिजली घरों के लिए गैस के आवंटन में देरी से, जोकि गैस के उपयोग में सदा अग्रणी रहा है, गम्भीर विद्युत संकट उत्पन्न हो जायेगा।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पहले से किये हुए वायदे को पूरा कर गुजरात की न्यायसंगत मांग के साथ न्याय करे।

(चार) उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने हेतु बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति जी, बिहार के उत्तर कोयल परियोजन से तीन जिले-औरंगाबाद, पलामू एवं गया लाभान्वित होते हैं। सिंचाई के अभाव में तीनों जिले उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र बन गये हैं। इस परियोजना के सभी मुख्य कार्य हो चुके हैं। मुख्य नहर तथा डैम का कार्य हो चुका है। डैम में फाटक लगाने का कार्य विस्थापितों के पुनर्वास व्यवथा नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तर कोयल परियोजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करें तथा विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद)* :

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों के अनुसार केवल स्वीकृत किया हुआ वक्तव्य की रिकार्ड किया जाता है। परन्तु माननीय सदस्य कुछ अधिक बोल रहे

* कार्यकारी वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

हैं जो पाठ में नही है। अतः उन बातों को रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री ओवेसी, आपने लिखित में वक्तव्य दिया है। आपको केवल यही पाठ पढ़ना है।

कार्यकारी वृत्तात में केवल स्वीकृत पाठ ही शामिल किया जायेगा

(पांच) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : महोदय, भूतपर्व प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 1995 को घोषणा की थी कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 500 करोड़ रुपये की निधि स्थापित की जायेगी। यह केवल कागज पर है और अब तक यह क्रियान्वित नहीं हुई है। इस पर भी सन्देह है कि क्या इस निधि में कोई धन जमा भी कारण गया है अथवा नहीं। वर्तमान सरकार ने इस निधि तथा इसके चालू होने के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि निधि को क्रियाशील किया जाये और अल्पसंख्यकों के लाभ हेतु इसका उपयोग किया जाये।

(छः) उत्तर प्रदेश के मछलीशहर में तेंदुए के आतंक के बारे में जांच किये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. राम विलास वेदान्ती (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न विषय उठाना चाहता हूं।

मरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर में तेंदुए का आतंक फैला हुआ है तथा अप्रैल, 1996 से लेकर अब तक तेंदुआ लगभग 26 बच्चों को काल कलवित कर चुका ह। जौनपुर-प्रतापगढ़ में तेंदुए के आतंक के कारण क्षेत्र के निवासी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सायंकाल 7 बजे से क्षेत्रीय जनता घरों से बाहर डर के मारे नहीं निकलती। गांव के लोग रात्रि में पहरा देते हैं। कोई भी अपरिचित व्यक्ति यदि गांव का संबंधी भी आता है, उसे भी आतंकवादी समझकर शोर मचाकर उत्पीड़न किया जाता है। जनता से पूछकर सी.बी.आई. से जब तक जांच नहीं होती, सही तथ्य सामने नहीं आएगा। प्रशासन के अधिकारी द्वारा सियार मारकर जनता को भेड़िये के रुप में दिखाया जाता है। जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। जनता का कहना है कि ये आतंकवादी ही हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस मामले की जांच सी.बी.आई. से कराने के आदेश देने का कष्ट करें।

अपराहन 4.00 बजे

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें)

संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : अब सदन पद संख्या 8 और 9 पर एक साथ चर्चा करेगा। श्री गिरधारी लाल भार्गव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, कल मैंने जहां बात छोड़ी थी, वहीं से आज शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने कल निवेदन किया था कि भगवान तो ऊपर है परन्तु वर्तमान में न्यायाधीश ही यहां न्याय करने का काम करते हैं। यदि भगवान से न्याय की उम्मीद करें तो भगवान कृपा करेंगे लेकिन न्याय देने का काम न्यायाधीश ही करेगा।

आज मुझे यह देखकर अफसोस है कि जजों के प्रति यहां बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया लेकिन राजनेताओं के मन में आज काफी डर पैदा हुआ है जो प्रजातंत्र में स्वागतयोग्य है। यहां कहा गया कि न्यायाधीश रोजमर्रा के कामों में दखल करते हैं, जैसे सड़कों की सफाई होनी चाहिये, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए आदि लेकिन इसका मतलब यदि कदापि नहीं है कि न्याय आज सड़कों पर हो रहा है। जब लोगों को व्यवस्था के मामले में कुछ कमी नजर आती है, कोई बात बुरी लगती है तो वे न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हैं और न्यायाधीश उन मामलों में अपना निर्णय देते हैं। इसलिये न्याय सड़कों पर नहीं हो रहा है बल्कि जनता को जब कोई व्यवस्था ठीक नहीं लगती, कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वे न्यायालयों में जाते हैं।

यहां हमारे गुमान मल लोढा जी बैठे हैं, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वे न्यायाधीश थे तो उन्होंने एक पोस्टकार्ड पर अपना निर्णय दिया था। जब वे आसाम में न्यायाधीश थे तो उस समय किसी सर्किट हाउस में पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ महिलाओं से बलात्कार की घटना हुई थी जो अखबारों में छपी। माननीय लोढा साहब ने अखबार की कटिंग के आधार पर अपना निर्णय दिया था। इसलिये न्यायाधीश हमारे एक सजग प्रहरी के रुप में हैं। पोस्टकार्ड के आधार पर या अखबारों में छपी खबरों के आधार पर न्याय दिलवाना उनका काम है।

मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां आल इंडिया ज्यूडिशियरी सर्विसेज तो कायम हुई और वर्तमान बिल जो हमारे सामने लाया गया है उसमें सिर्फ दो ही बातें शामिल हैं। एक तो न्यायाधीशों के पैट्रोल का खर्च बढ़ाया जाए और दूसरे जब कोई उनके पास जाए तो उसके आतिथ्य सत्कार के खर्च को बढ़ा दिया जाए। यह बात भी सही है कि उनके पास अच्छा मकान हो, ट्रांसपोर्ट हो, लाईब्रेरी की सुविधा हो, जैसा मैंने कल निवेदन किया था, डा. राम मनोहर लोहिया के शब्दों में कार्यपालिका, विधायिका, न्याय-पालिका और प्रेस-ये चारों हमारे लोकतंत्र के स्तम्भ हैं। यदि चारों सुचारु रुप से चलेंगे तो हमारे देश में लोकतंत्र ठीक प्रकार से चलेगा ओर यदि इनमें से एक हिस्से में भी गडबड़ हो गई तो बाकी तीन तंत्र भी ठीक नहीं चल सकते। प्रेस भी हमारी प्रहरी है। न्यायपालिका भी ठीक प्रकार से काम कर रही है।

यहां पर जजों को दोष दिया जाता है कि केसेज का निपटारा जल्दी नहीं किया जाता। यह भी कहा जाता है कि यदि दादा ने कोई दावा किया है तो उसके पड़पोते तक भी न्याय नहीं हो पाता लेकिन हम इसके दूसरे पहलू की तरफ नहीं देखते। देश में जजों की कितनी कमी है, उनकी अधिक भरती होनी चाहिए, उन्हें उचित तनख्वाह और सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जजों के देश में आज जितने स्थान रिक्त हैं, मरे पास रिक्तियों के संबंध में लम्बी-चौडी सूची मौजूद है, उन तमाम स्थानों को अविलम्ब भरा जाना चाहिए। यहां मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि यदि हर न्यायाधीश के कक्ष में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था भी कर दी जाए तो जजों को मालूम पड़ सकता है कि कौन सा केस कितने समय से पैंडिंग है और उसे जल्दी लेना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। आज क्या होता है कि कोर्ट के रीडर कुछ मामलों मे लम्बी लम्बी तारीखें दे देते हैं जिससे केस लम्बे समय तक पैंडिग रहता है। इसलिये जहां जजों के कक्ष में लाईब्रेरी की व्यवस्था होना जरुरी है, उसके साथ साथ कम्प्यूटर की व्यवस्था भी हो जाए तो उन्हें मालूम रहेगा कि कौन सा केस कितना पुराना है और उसमें जल्दी निर्णय हो सकता है।

आप जानते हैं कि चुनावों के बाद कुछ चुनाव याचिकाएं दायर होती हैं। हम जो माननीय सदस्य यहां चुनकर आए हैं, उनमें से कुछ के खिलाफ चुनाव याचिकाएं फाइल हुई होंगी। मेरा सुझाव है कि सभी चुनाव याचिकाओं पर अधिक से अधिक 6 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। यदि पांच वर्षों में भी उन पर कोई निर्णय न हो तो उनका औचित्य समाप्त हो जाता है। इसलिये चुनाव याचिकाओं पर 6 महीने में फैसला होना आवश्यक है। आज रुटीन तरीके से कोर्ट्स के सामने, जजों के सामने ऐसी पिटीशन्स को लगाया जाता है, जिनके पास पहले से ही काफी मैटर्स पैंडिग होते हैं। यदि एक बार तारीख निकल जाए, वकील तारीख मांग लें तो 6 महीने में फैसला नहीं हो पाता।

इसलिए मेरा निवेदन है कि कंप्यूटर सिस्टम हो और जजों की संख्या पूरी की जाए। साथ ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पृथक से निकाय बने और एक सर्वमान्य मापदंड हो। इसके कारण जो नियुक्ति होगी उनमें राजनैतिक पक्षपात नहीं होगा और न्यायपालिका स्वतंत्र रुप से काम कर सकेंगी। उनके ट्रांसफर होना भी जरुरी हैं। इससे न्यायपालिका से विश्वास उठ जाता है। इसलिए ट्रांसफर होना जरुरी है, लेकिन वे लंबे समय से हों और ट्रांसफर करते समय उनकी भाषा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

आज न्यायपालिका जो पहल कर रही है उससे देश की राजनीति में अवश्य परिवर्तन आएगा। राजनीति एक सेवा करने का माध्यम है। मुझे आप क्षमा करेंगे, आज "नेता" शब्द से लोगों को बहुत चिड़ हो गई है। आज नेताजी का मतलब मां-बहन की गाली जैसा हो गया है। पहले जब नेता सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे तो आदर से लोग कहते थे कि नेताजी आ रहे हैं। नेताजी का मतलब मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति आ रहे हें, बड़े आदरणीय व्यक्ति आ रहे हैं। मुझे कोई "नेताजी" शब्द से पुकार दे तो मुझे लगेगा कि यह मुझे मां-बहन की गाली दे रहा है या फिर मैंने उसका काम नहीं किया। आज नेता शब्द में गिरावट आई है और लोगों को नेता शब्द कहने में बुरा लगता है। इसलिए मैं समझता हूं कि नेता शब्द की परिभाषा अच्छी हो।

न्यायपालिका आज जो बहस कर रही है उससे देश की राजनीति में अवश्य परिवर्तन आएगा। चूंकि आज जज भी अच्छे हैं, वकील भी अच्छे हैं और हिन्दुस्तान की जो पत्रकारिता है वह भी सक्रिय है। इसलिए यह जो चौखम्बा राज है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस शामिल है, ये चारों मिलकर चलेंगे तो निश्चित रुप से देश में ईमानदारी स्थापित हो सकेगी।

शायद कुछ मित्रों को बुरा लगेगा, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। न्यायपालिका हमारे सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है। यह वह संस्था है जो पुराने न्यायशस्त्र की परंपराओं को आगे ले जाती है। पहले राजा-महाराजा फैसला किया करते थे और अब न्यायपालिका फैसला कर रही है। पहले राजा-महाराजाओं के पास इकट्ठा होना पड़ता था, उनके सामने याचना करनी पड़ती थी, वैसे ही आज न्यायपालिका के सामने करना पड़ रहा है। अगर न्यायपालिका नहीं होती तो श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला नहीं होता। उनका फैसला हो गया ओर जो इसी सदन में बैठा करती थी, हमारी नेता हुआ करती थी, उनको यह स्थान छोड़ना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के राज में इमरजेंसी लगी। यह अच्छी लगी या बुरी लगी इसका भी फैसला कोर्ट ने दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी देशभक्त संस्था पर कांग्रेस पार्टी ने रोक लगा दी। अगर यह अदालत नहीं होती तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर पाबंदी लगाना गलत था, यह बात साबित नहीं होती। न्यायालय ने ही 'दूध का दूध और पानी का पानी" कर दिया। इसी प्रकार से विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उसको हटाने का काम भी न्यायपालिका ने किया, नहीं तो ये व्यक्ति देश को खा जाते। आज हिन्दुत्व की परिभाषा भी न्यायालय ने ही दी है।

आज जो चर्चा का विषय है, लोकपाल बिल, जिसमें प्रधान मंत्री को भी उसकी परिधि में लाना है वह भी न्यायपालिका की वजह से

ही संभव हुआ है। आज नरसिंह राव जी की चर्चा है, चन्द्रास्वामी जी की चर्चा है। अगर न्यायालय नहीं होता तो हवाला कांड उभरकर सामने नहीं आता। इसलिए देश की राजनीति को शुद्ध करने हेतु, नेता शब्द की परिभाषा को चरितार्थ करने हेतु न्यायालय ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। इसलिए न्यायाधीशों की आवास, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, गाड़ियां व सत्कार करने के लिए पैसा बढ़ाने की सुविधा की बात है वह करनी चाहिए।

अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल यहां पर आया है उसमें जजों पर गुस्सा न उतारकर राजनेताओं को न्यायालय से सबक लेना चाहिए। अगर यह संसद ठीक प्रकार से काम कर लें, विधान सभाएं ठीक प्रकार से काम कर लें तो न्यायालय तक लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आज नेता शब्द की परिभाषा गड़वड हो गई हैं। मेरा कहना यही है कि न्यायालय जब ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं तो न्यायाधीशों को सब प्रकार की सुख-सुविधाएं मिलें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. कोदंडारमैय्या (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय, मैं न्यायपालिका में पदाधिकारियों के पारितोषिक में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

पिछले दो दिनों से चल रही चर्चा में मुझे एक बात ने बहुत प्रभावित किया है और वह है भारतीय जनता पार्टी का न्यायपालिका में अतिशय विश्वास। मुझे याद है कि मैंने प्रेस में कुछ वक्तव्य पढ़े है जो भारतीय जनता पार्टी को ओर से है कि अयोध्या का मामला न्यायपालिका का विषय नहीं है और न्यायपालिका ऐसे मामलों पर जो पूर्णतया आत्मिक है, अपना निर्णय नहीं दे संकती। यदि राष्ट्र तथा सरकार की इसमें रुचि हैं, हम संयुक्त मार्चा सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम से देख सकते हैं, हम इस मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजना चाहते हैं। परन्तु दूसरी ओर से कुछ विरोधी आवाज आ रही है और वे लगातार यह कह रहे हैं कि आत्मिक मामलों में न्यायपालिका निर्णय नहीं दे सकती। कल और आज मैंने जो कुछ देखा उसमें मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी न्यायपालिका में विश्वास है। मुझे आशा है कि वह इस विश्वास को बनाये रखेंगे और अयोध्या के मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने में बाधा नहीं बनेंगे।

इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जबकि कार्यपालिका और विधायिका को पूर्ण रुप से न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा था। यदि हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को देखें तो वह समय था जब अमरीका में सुधारों और कल्याणकारी उपायों में न्यायपालिका बाधा डाल रही थी। राष्ट्रपति समझदार थे जिन्होंने सोचा कि न्यायपालिका कल्याणकारी उपायों में बाधा डाल रही है और उन्होंने इस स्थिति पर काबू करना चाहा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे न्यायाधीशों अथवा सदस्यों को भर्ती किया जो कल्याणकारी उपायों के पक्ष में थे और इस प्रकार लोगों के लिये कल्याणकारी उपाय लागू करने का कार्य करने में आने वाली प्रशासन की बाधाओं पर काबू पाया। इसी प्रकार राष्ट्रपति केनेडी ने वारेन नाम के एक मुख्य न्यायाधीश को चुना था कि क्योंकि उन्होंने पाया कि वह सरकार को कल्याणकारी उपायों के पक्ष में है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि न्यायपालिका सदा ठीक है अथवा विधायिका सदा गलत है अथवा कार्यपालिका सदा अपना अधिकार जमाती है। वास्तव में हम अपने देश में देख रहे हैं कि न्यायपालिका न्याय के नाम पर विधायिका तथा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है। मैं इस बारे में कुछ उदाहरण पेश करुंगा।

इससे पहले कि वह विधायिका अथवा कार्यपालिका में दोष ढूंढे उन्हें स्वयं अपनी ओर देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि मामलों के निवारण में आई रुकावट के फलस्वरुप देश में गड़बड़ी तो नहीं फैली है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास मामले हैं दोनों सिविल तथा आपराधिक जोकि देश के विभिन्न न्यायालयों में एक दशक से अधिक वर्ष से लम्बित है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिफारिश अथवा कार्यपालिका को दोषी ठहराने के बजाये न्यायपालिका स्वयं अपनी ओर क्यों नहीं देखती और विलम्ब का परिहार करने के उपाय क्यों नहीं ढूढती। मैंने पाया है कि न्यायपालिका ने एक नई प्रणाली विकसित कर ली है और उसे जनता न्यायालय कहते हैं। मैं व्यक्तिगत रुप से महसूस करता हूं कि मामलों के निपटान में विलम्ब और अदक्षता को दूर करने का जनता न्यायालय एक तरीका है। पांच वर्षों से अधिक समय से मामले लम्बित हैं और क्योंकि न्यायपालिका इनको निपटाने में असमर्थ रही है इसने यह नया तरीका न्याय पंचायत अथवा जनता न्यायालय निकाल लिया है। प्रत्यक्ष रुप से न्यायपालिका ने यह मान लिया है कि वह अपने कर्तव्यों का निवर्हन करने में असमर्थ रही है। हम यह कह कर इसकी प्रशसा करते रहे हैं कि बड़ा महान काम किया है। वास्तव में हमें न्यायपालिका की आलोचना करनी चाहिए क्योंकि वह मामलों के निटान में असमर्थ रही है और न्यायलय के बाहर इनके निपटान में तरीके ढूंढे हैं। इस बारे में न्यायपालिका निश्चित रुप से असफल रही है।

जहां तक न्यायपालिका के कार्यकाल का सम्बन्ध है यह समाज का एक आरामपसंद अंग है। जिस तरीके से मामले लगाये जाते हैं, न्यायालय में जिस प्रकार गवाह पेश किये जाते हैं और जिसे प्रकार मामलों को स्थगित किया जाता है वह सब एक पौराणिक तरीका लगता है। मैं नहीं समझता कि विश्व के किसी देश में न्यायपालिका का इस प्रकार का तरीका विद्यमान है। मैं ऐसे मामले जानता हूं जहां गवाहों को कई बार न्यायालय में आना पड़ता है उनकी उपस्थिति रजिस्टर्ड नहीं की जाती और उन्हें बुलावा नहीं दिया जाता और उन्हें वापस जाने को कहा जाता है। क्या हमें इस सभी बातों का पता नहीं है।

हम कार्यपालिका तथा विधापिका में भ्रष्टाचार की बात करते हैं जैसे कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार न हो। मैं यह नहीं कहता कि समूची न्यायपालिका ही भ्रष्ट है न हीं हम यह कह सकते हैं कि

विधायिका अथवा कार्यपालिका भ्रष्ट है। हम समाज में रहते हैं और सरकार का प्रत्येक अंग समाज की घटनाओं अथवा समाज में घट रही बातों का प्रतिबिम्ब है। कार्यशीलता के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। मैं यहां तक कहूंगा कि कार्यपालिका में भी भ्रष्टाचार है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यदि कोई व्यक्ति देश के किसी न्यायालय से किसी दस्तावेज की प्रति लेना चाहे तो क्या वह के भुगतान के बिना वह प्रति ले सकता है। यदि न्यायपालिका कहती है कि हम विधायिका को समाप्त कर सकते हैं तो क्यों? मैं निश्चित रुप से जानता हूं क्योंकि मैं सेना में रहा हूं। मैं जानता हूं कि गरीब किसान, गरीब व्यापारी अथवा छोटे व्यापारी को की प्रति लेने के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है और फिर उसे पंचनामा की प्रति लेने के लिए क्लर्क को धन देना पड़ता है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि क्या न्यायिक अधिकारियों को यह पता नहीं है कि उनको नाक के नीचे क्या हो रहा है। मुझे विश्वास है कि उनको इस बातों की जानकारी है। क्यों वे इसको ठीक कहते हैं? वे इसको ठीक नहीं कर सके हैं।

क्या हुआ यदि न्यायपालिका यह कहती है जैसाकि दिल्ली में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सब राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। अनेक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। अनेक ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं। इसी प्रकार अनेक ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं। इसी प्रकार अनेक ईमानदार जज हैं परन्तु साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में इतनी ही संख्या में बुरे व्यक्ति भी हैं। इस लिए मैं नहीं समझता कि इन तीन अंगों में से किसी एक अंग के लिए दूसरे अंग पर आरोप लगाना उचित है। हम सभी शीशे के घरों में रहते है हमें एक दूसरे पर पत्थर नहीं फैंकने चाहिए।

अब मैं न्यायपालिका द्वारा विधापिका की शक्तियों पर अतिक्रमण की कुछ बातें कहूंगा। क्या किसी न्यायपालिका द्वारा अपने क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए हम खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। न्यायपालिका ने कहा है कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा किस को कहना चाहिए? ऐसा विधायिका को कहना चाहिए। आरक्षण कोटा निश्चित न करने में यह विधायिका की असफलता है। हम अपनी बात पर जोर देने में विफल रहे हैं।

जिस सामाजिक प्रणाली में हम रहते हैं ऐसा शायद इस कारण है कि हम अपनी बात जोर देकर नहीं कहना चाहते। हम न्यायपालिका के प्रति आत्म समर्पण करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं 'कि मैं क्या कर सकता हूं न्यायपालिका कहती है कि यह 50 प्रतिशत है। विधायिका जोर देकर यह क्यों नहीं कहती कि नहीं यह 50 प्रतिशत नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं कहूंगा कि प्रतिशत कितना होना चाहिए।"

तमिलनाडु का मामला लीजिए उन्होंने कहा है कि आरक्षण 69 प्रतिशत होना चाहिए और वह पिछली बार इस सदन द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसे संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया गया है। जब एक बार इस प्रकार के कानूनों को नौवीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है तो यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से परे हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है अब हमने इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया है। परन्तु उच्चतम न्यायालय कहता है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा कहने वाले वे कौन है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हम कहें कि यह 20 प्रतिशत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमें कहना है कि प्रतिशतता क्या हो न कि न्यायापालिका को।

कर्नाटक में बहुत से प्राइवेट मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालेज हैं। कर्नाटक द्वारा एक विधान पास किया गया है कि कितने स्थान स्थनीय लोगों के लिए तथा कितने स्थान बाहरी लोगों के लिए एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और कहा है कि इतने प्रतिशत स्थान बाहरी लोगों के लिए होने चाहिए। एक बार फिर मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूं किस अधिकार अथवा संविधान के किस उपबंध के तहत वे यह कहते हैं कि स्थानों की प्रतिशत इतनी होनी चाहिए और इतने प्रतिशत स्थान बाहरी लोगों को मिलने चाहिए। यह केवल कुछ मार्गदर्शन कर सकता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस मार्गदर्शन पर अनुसरण करें अथवा नहीं। तीनों अंगों के कर्तव्यों का स्वरुप चाहे जो भी हो, मैं केवल यह समझ सकता हूं कि न्यायपालिका केवल एक बात कह सकती है और वह यह कि हमारे द्वारा पास किया गया कानून संविधान के अनुसार है अथवा नहीं। यदि वह संविधान के परे है तो वह उसे रद्द कर सकती है। तब क्या वैकल्पिक विधान पास किया जाये इसका निर्णय भी हमें लेना है न कि उच्चतम न्यायालय द्वारा। विधायिका के प्रति इसकी एक सीमित भूमिका है और हमने उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों को समय समय पर अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी है और हम न उन पर चुप साधे हुए हैं। मैं न्यायपालिका के अधिकार को कम नहीं कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि न्यायपालिका लोकतंत्र की निगरानी का कार्य करे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह हमारे अथवा कार्यपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है।

कार्यपालिका पर अतिक्रमण के मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। क्या उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा जांच करने वाली किसी एजेन्सी को कह सकती है अथवा आदेश दे सकती है कि वह दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी करे। मैं महसूस करता हूं कि दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी करने के लिए कहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। वह सदा यह कह सकती है कि परीक्षण के समय अथवा अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत अन्तिम रिपोर्ट पेश करते समय नये नाम शामिल किये जायें। वह स्वयं सम्मन जारी कर सकती है। जांच करने वाली एजेन्सी कह सकती है कि कोई मामला नहीं है परन्तु न्यायालय इससे असहमत हो सकता है।

यह सम्मन जारी कर सकती है और कह सकती है कि कानूनी कार्यवाही की जाये। परन्तु कचहरी यह नहीं कह सकती कि दूसरी एफ.आई.आर. जारी की जाये। यह गलत बात है कि उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में ऐसा किया है।

एक अन्य रुचिकर बात हुई है। सेवाकाल कार्यपालिका द्वारा बढ़ाया जाता है। श्री विजय रामराव का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय ने बढ़ाया है। वास्तव में एक बहुत ही हास्यास्पद बात हुई है। यदि

यह बात है तो मैं यदि मैं कल सरकारी अधिकारी हूं तो मैं सेवा काल बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय से सम्पर्क करुंगा। क्या किसी सरकारी सिविल अधिकारी की सेवा काल को बढ़ाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका अथवा उच्चतम न्यायालय की है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं परन्तु फिर भी हम चुप रहे। हम चुप क्यों रहे? कार्यपालिका अथवा सरकार अथवा विधायिका भी चुप रहने के दोषी है क्योंकि समाज के एक अन्य भाग द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया।

एक अन्य रुचिकर बात हुई है कि एक विशेष मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देगा। वह सरकार को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं देगा।

श्री नरसिम्हा राव के विरुद्ध मामले में एक अन्य मजेदार बात हुई हैं। चाहे श्री नरसिम्हा राव हो अथवा श्री देवेगौडा हो वह कार्यपालिका का एक हिस्सा है और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। न्यायालय की हस्तक्षेप करने की न्यायिक प्रक्रिया है परन्तु वह कार्यकारी निर्देश का आश्रय नहीं ले सकता कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उसको ही रिपोंट देगा अथवा मामला सीधे उसी को पेश करेगा। और कि उसे सरकार को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि यदि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा होता कि उसे जानकारी मिलती रहनी चाहिए। परन्तु वह नहीं कह सकती 'सरकार को रिपोर्ट मत दो। यह ठीक नहीं है। एक बार फिर हम चुप रहे और प्रेस ने कहा कि एक महान बात हुई है। मैं यह नहीं कहता कि उसने महान कार्य नहीं किया है परन्तु वह ऐसा विधायिका तथा कार्यपालिका की कीमत पर कर रही है।

यही वे उदाहरण हैं जिसको मैं निर्बाध रुप से उद्धत कर सकता हूं कि हमने अपने प्राधिकारों का समर्पण कर दिया है और उसके कारण हम खुद ही जानते हैं।

आरक्षण के मामले में हमने न्यायलय के प्रति समर्पण किया क्योंकि हम यह नहीं कहना चाहते थे कि यह 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। सदन के कुछ वर्ग और समाज के कुछ वर्ग यह नहीं चाहेंगे कि यह 50 प्रतिशत से अधिक हो। यह समाज के अन्य वर्गों के हित में है और यह सदन भी चाहता है कि यह केवल 50 प्रतिशत ही हो। न्यायपालिका के साथ अपने सहयोग से हमने अपने प्राधिकार को उसके आगे समर्पण कर दिया है और हम अपनी निष्क्रियता के कारण दोषी महसूस करते हैं। यदि जजों के वेतन और पारितोषिक बढ़ाये जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वे भी इंसान है परन्तु वे कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, समय समय पर हुई मूल्य वृद्धि और पेट्रोल के उत्पाद मूल्यों में वृद्धि और अतिथि तथा यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयोजन से विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों ने भी मांग की है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए पुरःथापित विधेयक ठीक और उचित है।

कल मेरे विदान मित्र श्री राय ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये थे मुझे उन्हें दोहराने तथा सदन का मूल्यवान समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुकदमा लड़ने वाली जनता की एक महत्वपूर्ण समस्या सदन के समक्ष उठाना चाहता हूं। ये लोग देश के दूरस्थ स्थानों से आते हैं और राहत प्राप्त करने तथा कानूनी अधिकार बनाये रखने हेतु रिट याचिकाएं तथा अन्य याचिकाएं देने के लिए न्यायालयों में जाते हैं। इन याचिकाओं के लम्बे समय तक लम्बित पड़े रहने के दौरान याचिका करने वाला ही इस दुनिया से चला जाता है। यह उघक्रय न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों की वास्तविकता है। अतः कानून बनाने वालों के नाते हमें इन याचिकादाताओं को राहत दिलाने के तरीके ढूंढने चाहिए।

हजारों द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार ही न्यायपालिका कार्य करती है। कल श्री लोढा जो एक विद्धान अधिवक्ता हैं ने कुछ मुद्दों पर उल्लेख किया था। मैं उनसे सहमत हूं। निचले न्यायालों के जजों, मजिस्ट्रेट और मुंसिफों की दशा दयनीय है। अतः हमें इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। वे बहुत ही गम्भीर स्वरुप के मामलों पर न्याय निर्णय करते हैं। वे हत्या, बलात्कार और अनेक अन्य अपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं जोकि किसी रिट याचिका से कम महत्वपूर्ण नहीं है। हत्या तथा बलात्कार के मुकदमों की सुनवाई करने वाला अतिरिक्त जिला जज भी उसी बस में यात्रा करता है जिसमें अपराधी यात्रा करता है। निचले न्यायालय के जजों के पास रहने के लिए उचित आवास भी नहीं हैं। उनके पास अलग वाहन भी नहीं है। उनके पास अपने न्यायिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उचित सुविधायें नहीं है। आप उन कमरों की हालत देखिए जहां मुंसिफों और मजिस्ट्रेट अपना कार्य करते हैं। उनका स्तर गाय के शेड से भी नीचे है। इन घटिया कमरों में बैठ कर न्यायनिर्णय करना बहुत कठिन है। बिजली बन्द रहने के दौरान मामलों की सुनवाई उनके लिए व्यवहार्य नहीं है। चूंकि हम कानून बनाने वाले हैं इस लिए हम इस मामले को देखना चाहिए और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों, मुंसिफों को राहत देनी चाहिए।

मेरे विद्धान मित्र ने दूसरी एफ.आई.आर. का एक अन्य मुद्दा उठाया हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दूसरी एफ.आई.आर. देने की कोई गुंजायश नहीं है। एफ.आई.आर. का अर्थ है प्रथम सूचना रिपोर्ट। अतः इसे दूसरी बार दर्ज करने की कोई गुंजायश नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच के दौरान जांच करने वाली एजेन्सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अन्तिम रुप से रिपोर्ट दर्ज करती है। यदि नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल न किया गया हो तो वे आरोप पत्र में नाम शामिल कर सकते हैं। परन्तु आरोप पत्र करते समय नाम को शामिल किया जा सकता है चाहे यह विषय परीक्षाधीन ही क्यों न हो।

मेरा कहना है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जज दंड प्रक्रिया संहित से बाहर का कार्य कर सकते हैं परन्तु निचले न्यायालय के जजों को दंड प्रक्रिया संहिता की सीमा में ही कार्य करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जज दंड प्रक्रिया संहिता की सीमा के भीतर कार्य नहीं कर सकते परन्तु वे कानून बना और तोड़ सकते हैं अतः उन्हें यह सुविधा दी गई हैं।

अनेक मुद्दे हैं। मुकदमेबाज, जहां, गरीब ग्रामवासी, कृषि मजदूर और अन्य कामगार जो कानूनी सहायता पाने के लिए न्यायालयों में जाते हैं उन्हें यहा लगता है कि इसको प्राप्त करना कितना कठिन है क्योंकि हमारे देश में यह बहुत महंगी है। उनके लिए किसी प्रसिद्ध अथवा वरिष्ठ वकील को नियुक्त करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी फीस बहुत अधिक है। किसी प्रसिद्ध वकील से कानूनी सुविधायें प्राप्त करना समाज के कमजोर वर्गो के लिए सम्भव नहीं है।

न्यायालयों में अनेक समस्याऐ हैं। मेरे साथियों द्वारा पहले ही यह मामला उठाया जा चुका है। यदि आप न्यायालय से प्रमाणित प्रति अथवा अन्य प्रति प्राप्त कने हेतु कोई याचिका देते हैं तो आपको कुछ भुगतान करना पड़ता है। कुछ दिये बिना आप न्यायालय प्रति प्राप्त नहीं कर सकते। अनेक कठिनाईयां हैं। हमारे देश की यह स्थिति है। हमारे देश के लोगों की यह आदत है। इसके कारण सभी पीड़ित हैं। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार तथा सभी कानून बनाने वालों अर्थात संसद में अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को हल करने का कोई तरीका निकाले।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : सभापति महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। यह जो विधेयक सदन के समक्ष आया है मैं इसके नीति सम्बन्धी मामले पर ही चर्चा करना चाहता हूं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति इसका समर्थन करता हैं जैसाकि सदन के विभिन्न वर्ग इसका समर्थन करते हैं परन्तु प्रश्न यह है कि 'क्या वह पर्याप्त है जो हमने इस विधेयक में प्रस्ताव किया है।'

मेरा आपसे तथा सदन से निवेदन है कि सभी स्तरों पर जजों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाना चाहिए। यदि न्यायपालिका आक्रामक रूख अपना ले और प्रतिकूल निर्णय देने तथा लोगों को परेशान करने लगे तो साधारण लोग तथा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तब संसद की स्थिति की की ओर ध्यान देना चाहिए न कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से कुछ अतिरिक्त भत्ता देने वाले इस विधेयक पर।

राज्यों तथा केन्द्र में कार्यपालिका को लें। यह दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। अपने कर्मचारियों को वेतन, मजूरी तथा अन्य भत्ते देने में हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। प्रत्येक समय वेतन आयोग बैठता है और 2500 करोड़ अथवा 3000 करोड़ अथवा 5000 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त खर्च के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं। परन्तु न्यायपालिका के बारे में क्या है? महोदय, यदि आप याद करें, 1961 में जब मैं अपने राज्य का मुख्य मंत्री था तो यह मामला कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाये अथवा नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष आया था। जी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के पक्ष में थे परन्तु 510 वेदान्ते जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इसके उतना ही विरुद्ध था। उन्होंने यह कहा था और उनको यह शंका थी कि यदि आप न्यायपालिका को कार्यपालिका में अलग करेंगे तो न्यायपालिका ही आगे चलकर यह निर्णय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने एक बहुत ही गम्भीर मामले का उल्लेख करने का प्रयास किया। अन्ततः हम जीत गये और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। तब से लेकर अब तक धीरे धीरे न्यायपालिका कार्यपालिका जिसका अर्थ है संसद, के अधिकार का अतिक्रमण कर रही है। यह बहुत रुचिकर है। उदाहरण के तौर पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप, जिसका उल्लेख डी.एम.के. के मेरे मिलने किया था। ऐसा क्यों था? उन्हें सन्देह क्षा गलत अथवा ठीक कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों के मत को कार्यपालिका के उच्च अधिकारियों द्वारा ही बनाया जायेगा। यदि न्यायपालिका के मन में यह सन्देह था तो हमारे देश के उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार है। उन्होंने इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया। उनहोंने हस्तक्षेप किया और अपने निर्णय में कहा ' इसे एक बार फिर देखिए और अधिक ब्यौरे देखे और फिर हमारे पास आये' ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधे ही कार्यपालिका के विरुद्ध कोई निर्णय दे दिया हो। परन्तु उन्होंने कहा कि इसे दोबारा हमारे पास लाये। इसे एक बार फिर देखें। स्थिति का पुनर्विलोकन मेरे और फिर हमारे पास आये।

यह मैं डी.एम.के. अपने साथी से सहमत हूं कि न्यायपालिका को देश की कार्यपालिका के किसी विभाग को यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वह सीधे उसे रिपोर्ट करे। वह सरकार की ताड़ना कर सकते हैं। वह सरकार की ताड़ना कर सकते है और प्रनः सरकार के माध्यम से रिपोर्ट ले सकते हैं।

यदि वह फिर भी संतुष्ट नहीं होते तो सरकार की पुनः ताड़ना की जा सकती है। परन्तु सरकार के किसी विभाग को सीधे उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहना एक ऐसा मामला है जिसकी उच्चतम न्यायालय को पुनरीक्षा करनी चाहिए।

महोदय हमारे यहां उच्चतम न्यायालय है। इंग्लैण्ड में उच्चतम न्यायालय से भी छोटा ऊंचा एक और निकाय है जिसे प्रिवी काउंसिल कहा जाता है। हमारे यहां प्रिवी काउंसिल नहीं है। हमारे देश में उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च हैं। यह अन्त है। उच्चतम न्यायालय की सभी न्यायिक घोषणाएं अन्तिम होती हैं। हमने न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा संसद में इसलिए अलग किया था कि उसे एक अथवा दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके? यह एक ऐसा मामला जिसपर मेरे विचार में संसद को एक निकाय बनाना चाहिए और संसद तथा न्यायपालिका द्वारा गठित निकायों को बैठकर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कोई भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करे। राष्ट्र के तीन अंग है प्रशासन संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका।

अपराह्न 5.00 बजे

सभी को स्वतंत्र रुप से कार्य करना चाहिए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र से टकराता है। इस मामले में एक ऐसे व्यक्ति के अन्तग्रस्त होने का प्रश्न है जो हमारे प्रधान मंत्री थे। साथ ही मैंने श्री नरसिम्हा राव से कहा था कि वह हमसे डर क्यों वर्मा रहे हैं। आप प्रधान मंत्री हैं। एक विभाग को एक अन्य निकाय को सीधे रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह न्यायपालिका हो सकती है। आप चुप क्यों हैं। उनकी सदस्या यह है, यदि मैं कहूं, दुर्भाग्य से वह यहां पर नहीं हैं, कि वह निर्णय लेने में बहुत समय लेते हैं। यह आज की बात नहीं है। यह उनकी आदत हैं जहां तक मैं जानता हूं पिछले 40 वर्ष से उनकी यही आदत है। मैं इस को अलग से कह सकता था कि मैं मुख्य न्यायाधिपति से बात करुंगा कि यह ठीक तरीका नहीं है। मैं कहूंगा कि यदि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ताड़ना करना चाहते हैं तो उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। मैं वही करुंगा जिसका वह सुझाव देंगे परन्तु इसके लिए ठीक चैनल अपनाना चाहिए। जो कुछ भी है, यह एक अलग मामला है।

परन्तु यही एक मात्र मामला नहीं है। सदन के अन्दर तथा बाहर सभी राजनीतिज्ञों को सामूहिक रुप से बेईमान लोग कहा गया है। हमें अपने बारे में स्पष्ट होना चाहिए। चाहे हम कुछ भी कहें औसत आदमी के लिए हम सभी बेईमान हैं।

अतः जब हमने देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तो मुझे याद है 1940-42 सें हम 22,23 अथवा 25 वर्ष के नौजवान थे। अनेक लोगों को गोली मार दी गई दी। मेरे अपने भाई को गोली मार दी गई थी। हमने वह सब देखा है। परन्तु उस समय जब हम तीन वर्ष के पश्चात अंग्रेजों की जेल से बाहर आये लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यदि मैं अपने नगर की गली में पैदल चलता था तो सब एक तरफ हट जाते थे और इज्जत से मेरे आगे झुक्ते थे। परन्तु आज स्थिति भिन्न है।

यह कहानी का अन्त है। हम इस वातावरण में कैसे रहते हैं? जो कुछ घटता है उसके लिये हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि हम राजनीतिज्ञ एक दूसरे की निन्दा कर रहे हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक दूसरे की निन्दा कर रहे हैं चाहे वह श्री कमल नाथ हो अथवा नरसिम्हा राव। वास्तव में मैं बिना बारी के नहीं बोल रहा हूं। पिछले दिन मैंने नरसिम्हाराव से कहा, कि आपने यह पंडीराबाद अब कैसे खोल दिया अर्थात हवाला का मामला? आपको पांच वर्ष पहले इसकी जानकारी थी। आपने अब इसे क्यों खोला? अपने विरोधियों की निन्दा करने के लिए चाहे वह श्री लाल कृष्ण आडवाणी हो अथवा कोई और किस लिए?

मैं आपको बताता हूं कि यदि आप गलत औजार का प्रयोग करेंगे तो वह उल्टा आपको ही चोट पहुंचायेगा और यही हो रहा है। उन्हें स्वयं को ही दोषी ठहरना है किसी अन्य को नहीं। परन्तु ये बातें हो सकती हैं। लोग अच्छी बातों को भूल जाते हैं। लोग गलत औजार प्रयोग करते हैं ओर खुद भी मुसीबत में फंस जाते हैं।

परन्तु इस प्रक्रिया में चाहे वह जापान के भूतपर्वू प्रधान मंत्री हो जो आपके कुकर्मो के कारण पांच वर्ष के लिए जेल चले गये है चाहे कोरिया के भूतपर्व राष्ट्रपति हो जो अपने कुकर्मों के कारण सात वर्ष के लिए जेल में चले गये है। ये सभी उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दण्डित किये गये हैं। दोनो देशों में यह हुआ है। बंगलादेश में तानाशाह इर्शाद उच्चतम न्यायालय के कारण ही जेल में गया है। प्रश्न यह है कि क्या इससे राजीतिज्ञों का स्थायित्व, मान अथवा प्रतिष्ठा बढती है? क्या हम उस प्रतिष्ठा को किस प्रकार वापस कर सकते हैं यह एक मामला है जिस पर हमें बिना शोर मचाये चुपचाप आपस में चर्चा करनी चाहिए। हमें आपसे में उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की गरिमा पर भी चर्चा करनी चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के प्रलोभन से किस प्रकार मुक्त रखा जाये यह कर्तव्य संसद का होना चाहिए। चाहे राष्ट्र को इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। परन्तु मुंसिफा से लेकर सफ स्तरों तक इसे सभी प्रकार के प्रलोभनों से मुक्त किया जाना चाहिए। तरीका निकालना होगा और इस मामले को तय करना होगा।

इस संसद को उपर से नीचे तक इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने कहा है कि उन्हें सब लोगों को मुंसिफ में लेकर उपर तक, सभी को मकान देने चाहिए। यह सम्भव नहीं है। यदि संसद यह निश्चित होकर तो ऐसा हो सकता है।

अतः इस विधेयक में हम जो दे रहे हैं वह बहुत ही कम है। मैं कहता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। हमें इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है मुंसिफ ने लेकर सभी को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनको पर्याप्त वेतन तथा अन्य भत्ते दिये जाने चाहिए जो उन्हें प्रलोभन से दूर रखेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री बसन्त सिंह खालसा (रोपड़) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया है। इस सदन में जजों की सैलरी और अलाऊंसेज का अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है, उस पर कुछेक बातें कहना चाहता हूं जिसकी सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हूं।

अपराह्न 5.07 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मुझे खुशी है कि इस सदन ने एक महान् सर्विस करने वाले जजों की सैलरी और अलाऊंसेज पर विचार करने का फैसला लिया है। यह होना भी चाहिये। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज जजों की कमी है। आज बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट इस पदवी को कबूल नहीं करते हैं तो इसकी वजह यह है कि उनकी जो सैलेरी और एलाऊंसेज हैं, उनकी घरों की जो मजबूरी है, उसको कभी तरजीह नहीं दी गई। जिसके कारण वे जज की पदवी लेने में हिचकचाते हैं इसलिए मैं यह

निवेदन करुंगा कि उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिये, ट्रांसफर का सिस्टम ठीक हो। इसके लिये यह जरुरी है कि 30 परसेंट से ज्यादा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिये और नजदीक की स्टेट में ट्रांसफर हो तथा दूर न हो।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कई माननीय सदस्यों ने लैंग्वेज की बात कही है। हाई कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज में काम होना चाहिए क्योंकि गरीब किसान और गरीब लोग रीजनल लैंग्वेज की जानकारी रखते हैं, उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान न के बराबर होता है। वे दूर के गांव से आते हैं। यदि सारा केस उनकी जबान में तैयार किया जाये, उसी में पेश किया जाये और फैसला भी उसी में दिया जाये तो सबसे अच्छी बात होगी।

तीसरी बात यह है कि हमारे देश की आजादी के समय एस.सी. एस.टी. की हालत को देखते हुये उनके लिये रिजर्वेशन दी गई थी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एस.सी.एस.टी. का कोई जज नियुक्त नहीं किया गया है। ये हमारे देश का इम्पार्टेंट हिस्सा हैं। यहां यह कहा गया कि देश में अच्छे लोग अवेलेबल नहीं हैं। यह बड़े दुख की बात है।

अगर डा. अंबेडकर जैसा अच्छा आदमी ऐवलेबल है और वह संविधान बना सकता है, बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े-बड़े लोग इस सदन में रह सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐवलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। आप और हम भी उसी श्रेणी से आते हैं। हमारे यहां अजायब सिंह संघू थे। उनकी 30 साल की सर्विस थी और वे सीनियर ऐडवोकेट थे। पंजाब के लोगों को बड़ी आस थी कि इनको जरुर जज लगाया जाएगा लेकिन पता नहीं उस समय उस सरकार की क्या मजबूरी थी कि उनका नाम रेकमंड नहीं किया और वे जज नहीं बन सके।

उपाध्यक्ष जी, हमारे देश की ज्यूडीशियरी महान् है और इसके फैसले भी महान् हैं। एक जज का नाम भी मैं ले दूं भले ही वह हमारे इन लोगों में से नहीं हैं। वे महान् जज श्री अनिल देव सिंह हैं। 1984 में जो दंगे हुए थे, जो कत्ले-आम हुआ था उसकी पीड़ित एक औरत भजन कौर ने केस किया और आठ-नौ साल बाद फैसला हुआ। देश के सभी लोगों के लिए यह अच्छी बात हुई। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो फैसला हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि इसका पति मारा गया है, बेइंसाफी हुई है, अबला है, अपने बच्चे कैसे पालेगी। इसलिए उसको 3.5 लाख रुपया हर्जाने के तौर पर दिया गया। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। हमारे रोपड़ हलके में एक इंपोर्टेण्ट सिटी मोहाली है। दिल्ली और कानपुर से जितने लोग उजड़े थे, उनको पंजाब सरकार ने सहूलियत देकर वहां मकान देकर बसाने का काम किया। लेकिन पिछली बार धनबाद के मसले में मैं गया था तो बहुत सारी औरतों ने पढ़ लिया कि भजन कौर की खातिर ये पैसे दिये हैं तो हमें भी मिलने चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण सदन में ऐसा कोई फैसला होना चाहिए कि उनको भी केस न करना पड़े और आठ-नौ साल तक कोर्ट में न जाना पड़े। उनको भी साढ़े तीन लाख रुपया मिलना चाहिए। संविधान ने Sc/ST लोगों का रिजर्वेशन दिया है और उसके एवज में हम देश के हर मूवमेंट, हर डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। कुछ दिन पहले एक ऐसा फैसला हो गया कि जब भर्ती की जाएगी, उस उस वक्त तो रिजर्वेशन होगा और उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। यह फैसला अदालत नहीं कर सकती है। यह फैसला सदन ही कर सकता है कि जब हमारी संसद ने और अंबेडकर जैसे देश के महान् लीडर्स ने फैसला किया कि उनको रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए तो उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं यह कहना चाहूगा क सदन इन लोगों को प्रमोशन दे रिजर्वेशन देने का फैसला को और इसका प्रभाव पेश करे। इसके लिए लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों से डिमांड करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार कई इनक्वायरी कमीशन बैठा देती है लेकिन ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि उनकी फाईडिंग तो आ जाती है लेकिन सरकार उसको कुबूल नहीं करती। मैं बहुत देर से ऐसी बातें अखबारों में पढ़ता रहा हूं कि जो जज हैं वह किसी मसले में अगर कोई घोटाला हो जाए, अगर किसी ने दूसरी क़म्युनिटी के आदमी को मार दिया हो, कोई बहुत बड़ा मुलजिम हो चाहे वह कितना बड़ा आदमी ही क्यों न हो और उसकी बेल न हो तो नाइंसाफी होगी। उन जजों को क्यों कोसा जाए? क्यों यहां की जाए जबकि वे कानून के मुताबिक फैसला सुना रहे हैं।

जजों की तो हम सभी ने तारीफ की है। सभी बोले हैं कि हां ठीक किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता कि उन जजों को नहीं कोसना चाहिए। अंत में मेरा कहना यह है कि हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े जज हैं उनकी सुविधा के लिए तो यह डिसकशन किया है, अमेंडमेंट किया है। लेकिन इन्ही अदालतों में छोटे-छोटे मुलाजिम हैं और दिहाड़ीदार भी हैं। मंहगाई सभी के लिए हैं। हम जो इन्क्रीमेंट, एडवांस इन्क्रीमेंट वगैरह दे देते हैं, वे बड़े लोगों को देते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए भी उनके साथ ही यह सुविधा होनी चाहिए। अतं में मैं सदन का और आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पहली दफा समय दिया और मैं चाहता हूं कि सभी ने जो जजों की तारीफ की है, जजों की सर्विस की जो बात की है, मैं उनके साथ हूं, उसको मैं सपोर्ट करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि यह बिल पास होना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा शर्त (संशोधन), 1996 का स्वागत करता है। वैसे तो अपने आप में यह बिल छोटा है और इस बिल के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सैक्शन 23(डी) का अमेंडमेंट है और इसमें सैक्शन 23(बी) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अंतर्गत 1250 और 750 के स्थान पर 4000 और 3000 रु. अंकित होने हैं और इसी प्रकार से हाईकोर्ट का जो 22(बी) सैक्शन है उसका अमेंडमेंट होना है। लेकिन इसके पीछे माननीय सदस्यों ने जो भावना इस सदन में व्यक्त की है उसको ध्यान में रखते हुए मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय न्यायाधीशों के संबंध में जो कई महानुभावों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है - "मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना, तुण्डे-तुण्डे सरस्वती।" हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन देश की न्यायपालिका

ने पिछले दो-तीन वर्षों से जो ऐतिहासिक कार्य किया है वह भारत के इतिहास में स्वर्णक्षरों से लिखा जाएगा। आलोचना करना सहज है, लेकिन न्यायपालिका इतनी सक्रिय है, जिसको ज्युडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है।

लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं- न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। अगर विधायिका अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती और सबसे बढ़कर कार्यपालिका अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती तो कोई कारण नहीं था कि न्यायपालिका अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती। लेकिन न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने के लिए कार्यपालिका ने विवश कर दिया। कार्यपालिका में जो लोग सरकार के कर्णधार बने हुए थे, माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी उनके बारे में कहते रहते हैं, "मौनी बाबा" बने हुए थे, मौन धारण किए हुए थे, किसी भी विवादास्पद विषय पर जिस पर कार्यपालिका के द्वारा या विधायिका के द्वारा निर्णय लिया जाना था वह निर्णय नहीं लिया गया। आखिर मजबूर होकर न्यायपालिका की शरण में लोग जाते और जब वहां उन्हें न्याय मिलता तो धीर-धीरे वह तरीका बन गया कि हमसे तो कोई बात सुलझती नहीं है। वह सारी बातें उनके ऊपर छोड़ दें। **(व्यवधान)** मैं मेरी बात ही कह रहा हूं।

मान्यवर, प्राचीनकाल में "नीति-शतक" के रचयिता भ्रतृहरि ने बहुत सुन्दर बात न्याय के बारे में लिखी है -

निन्दन्तु नीतिनिपुणाः, यदिवास्तुवन्तु,
लक्ष्मी समाविष्यतु, गच्छतु वाययैष्टम,
अधैवमरणमस्तु, युगान्तरे वा,
न्यायापत्थःप्रविचलेन्ति पदं न धीया।

अर्थात्, नीति में चतुर लोग उन न्यायाधीशों की या न्याय करने वालों की प्रशंसा करें या निंदा करें, खूब सारा धन-दौलत आ जाए या सारी दौलत चली जाए, कर्तव्य का पालन करते हुए आज ही मरना पड़े या युगों के बाद मरना पड़े।

जो धैर्यवान लोग हैं, वे न्याय के रास्ते से कभी विचलित नहीं होते। वैसे ही हमारे माननीय न्यायाधीशरण देश की जनता के कष्टों को अनुभव करके, उनकी समस्याओं को सुनकर, देश की जनता के दर्द को समझकर, जब भी उनके सामने कोई मामला आता है तो उस पर अपना निर्णय दे देते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है।

मान्यवर, जब आरक्षण के मामले पर देश में सामाजिक तनाव पैदा हो गया था, सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी, देश में जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसे समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार खटखटाए गए और उन्होंने एक सीमारेखा तय कर दी कि आरक्षण इससे अधिक नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार जब दलबदल विरोधी मामला सदन में चला, भ्रष्टाचार या हवाला के प्रकरण को मैं यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे जितने प्रकरण न्यायालयों के सामने आए, उन प्रकरणों को लेकन अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वार नहीं खटखटाए गए होते तो शायद न्यायपालिका के प्रति देश की जनता के मन में आज जो आशा जगी है, उम्मीद जगी है, वह न जगी होती। इसलिये न्यायपालिका ने हमारे देश में जो स्वर्णिम कार्य किया है, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। देश की जनता के मन में लोकतंत्र के इस स्तम्भ के प्रति आज भी आस्था है, श्रद्धा है।

मान्यवर, जैसा हमारे एक मित्र ने ठीक ही कहा अगर न्याय करने में विलम्ब हो तो समझना चाहिए कि न्याय देने से इंकार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है जिसका मतलब है कि अगर न्याय के मामले में जल्दी की जाती तो समझना चाहिए कि न्याय नष्ट किया जा रहा है। इसलिए न्यायालय का जो प्रोसीजर मामलों की सुनवाई के संबंध में निश्चित है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही काम चलना चाहिये, उस प्रक्रिया को फौलो करते हुए, न्याय किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका में भी कुछ प्रतिभाशाली लोग आने चाहिये। जिस तरह आई.ए.एस., आई.पी.एस.,आई.एफ.एस. या मैनेजमैंट शिक्षा प्राप्त लोग छोटी बड़ी कम्पनियों में प्रबंधकों के पद पर बड़े बड़े वेतनमान पाने के लिये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उसी तरह अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये उनके वेतनमान और उनकी सुख-सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यदि हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी ज्यूडीशियरी करप्ट न हो, ज्यूडीशियरी की प्रामाणिकता कायम रहे, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि न्यायपालिका के पीठासीन अधिकारियों को वे सारी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो आज के जमाने के अनुसार आवश्यक हैं और इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।

आज देखने में आता है कि हमारे न्यायालयों में बहुत अधिक मुकदमे लम्बित हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 12.7.1996 तक 21,357 नियमित मामले लम्बित थे जबकि 15,81। मामले एडमीशन के लिए पड़े थे। इसी तरह राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों के आंकड़े मैं यहां पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पूरे देश में, उच्च न्यायालयों में 29,32,789 मामले पैंडिग हैं। इससे मालूम पड़ता है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आज सर्वोच्च न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में अनेक न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें अविलम्ब भरने की आवश्यकता है। सारे देश के तमाम उच्च न्यायालयों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 545 है, जिनमें से पिछले दिनों हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार 82 स्थान रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 26 है जिनमें से 3 पद रिक्त पड़े हैं। मेरी मांग है कि न्यायाधीशों के तमाम रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाना चाहिए।

इसके अलावा जहां हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतनमान और सुख-सुविधाओं पर ध्यान दें वही अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की सुख-सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। इसके साथ हमें एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि देश की जनता को सस्ता न्याय जनता की भाषा में प्राप्त हो।

आज एक गांव का, देहात का आदमी उच्च न्यायालय के प्रांगण में अंग्रेजी में टाइप किया हुआ कागज लेकर घूमता है और दूसरों को बांचने के लिए कहता है कि मेरे बारे में माननीय न्यायाधीश ने क्या फैसला दिया है। वकील या मुंशी उससे कहता है कि तुम्हें तो बहुत बड़ी सजा हो गई है। वह अपनी सजा का कागज लिए हुए घूमता रहता है और उसे मालूम नहीं होता कि मेरे वकील ने मेरे लिए कैसी पैरवी की है, कौनसे तर्क दिए हैं। इसलिए जनता को, जनता की भाषा में सही और सहज न्याय उपलब्ध हो सके इसके लिए भी हमारी न्यायपालिका को थोड़ा चिंतन करना चाहिए। इससे हमारी न्यायपालिका के प्रति विश्वास और बढ़ेगा।

जैसा अभी कहा कि प्रादेशिक भाषाओं को उच्च न्यायालय के अंदर अंग्रेजी के साथ-साथ स्थान दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी को भी स्थान दिया जाए, जो देश की राजभाषा है। हम स्वाधीनता की स्वर्ण-जयन्ती मनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन आजादी के 50 वर्षों के बाद भी देश की जनता को देश की भाषा में न्याय उपलब्ध नहीं हो सके तो यह देश की जनता के साथ एक उपहास और विडम्बना ही है। इसलिए अंग्रेजी के साथ-साथ देश के संविधान में स्वीकृत जो राजभाषा है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वार खुलने चाहिए और उच्च न्यायालय के द्वार संबंधित राज्य की राजभाषा के लिए खुलने चाहिए ताकि जनता को अपनी भाषा में न्याय प्राप्त हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने समय-समय पर जितने भी कार्यपालिका के द्वारा गलत निर्णय किए गए उनको सही करने का काम किया। देश को सही रास्ते पर चलाने वाली, सही दिशा-निर्देश देने वाली और बड़े से बड़े आदमी को कटघरे में खड़ा करने वाली यह न्यायपालिका रही है। इसलिए हमें न्यायपालिका की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर हम कार्यपालिका और विधायिका के लोग यह चाहते हैं कि हमारा मान-सम्मान समाज में बढ़े तो हमें अपने दिलों में झांककर देखना पड़ेगा। हम भी अपनी विश्वसनीयता और प्रामणिकता कायम करें।

आजादी से पहले हमारे देश के जो बड़े-बड़े नेता थे उनका सम्मान होता था, जनता उनकी जय-जयकार करती थी, करोड़ों लोग उनके अनुयायी होते थे। लेकिन आज हमने कुछ इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर दी हैं जिनके कारण हमारा सम्मान थोड़ा घटता चला जा रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने सम्मान को उन्नयन करने का काम करें। मैं नई सरकार से कहना चाहूंगा कि आप अयोध्या का मामला फलां धारा में सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने की बात करते हैं। यह जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है और आपको ऐसे सवाल का निर्णय वस्तुस्थिति से करना चाहिए। जो मामले न्यायालय को सौंपने चाहिए वे तो आप सौंपते नहीं हैं। सी.बी.आई. को आखिर किसने एक्टिव किया? सी.बी.आई. सोयी हुई थी, कोई ध्यान नहीं दे रही थी, बार-बार मामलों को टाल रही थी। 1991 में हवाला की डायरी का पता लगा और 1994-95 में जाकर कोर्ट में वह पेश किया। वह भी नहीं होता अगर जनहित याचिका दायर नहीं की जाती। इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, जो पिछले काफी समय से अपने कर्तव्य का पालन कर रही है उसके लिए हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग, विशेषकर कार्यपालिका अपने कर्तव्य से थोड़ा हट गई है। अगर हम लोग अपने दायित्व का भली प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाते हैं उनको सोचना चाहिए। हमें अपने दायित्व पहचानकर भारतीय संविधान की परिभाषा के अंतर्गत जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीत हितों को सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी हम अपने कर्तव्य का भली प्रकार से पालन कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि इस बिल के लिए शुरु में एक घंटा अलाट हुआ था। साढ़े तीन घंटे हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य हिस्सा लें, यह अच्छी बात है, लेकिन कई नाम हैं। अगर वे चार-चार, पांच-पांच मिनट बोल लें।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : आप मंत्री जी को बुला लीजिए। साढ़े तीन घंटे हो गए हैं, जबकि बी.ए.सी. ने एक घंटा दिया था। मंत्री जी को बुला लीजिए और पास कराइए। ऐसे तो बहुत सारे वक्षत्र हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : तीन-चार लोगों को और बोलना है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : आप उसका बाद में क्लेरिफिकेशन ले लेना। इसके बाद और भी डिसकसन करना है, और भी बिजनेस है।

उपाध्यक्ष महोदय : हाऊस क्या चाहता है?

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : मंत्री महोदय, चेयर ने कह दिया है कि आधा घंटा बढ़ाना है या एक घंटा बढ़ाना है। इसको देखिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा निवेदन है कि पहले इस पर मंत्री जी को अपना उत्तर दे लेने दें। यदि उसके बाद कुछ पूछना हो, तो क्लैरीफिकेशन के रुप में पूछ लिया जाए, तो ज्यादा ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को बोलने के लिए भी समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में कल यह बात तय हुई थी कि इसे छः बजे तक समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद बाढ़ पर चर्चा होगी और मुझे ऐसा लगता है कि यदि इसको एक घंटा और जारी रखा जाएगा, तो फिर सात बजे के बाद इस पर चर्चा संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए जो भी चर्चा करनी हो,वह छः बजे तक कर लें, तो उचित होगा। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा बाद में गुमान मल लोढा जी भी उसका उत्तर देंगे। इस प्रकार से तो वह भी आधा रहेगा और यह भी आधा रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि छः बजे तक इस पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, वे बोल लें। ...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम सूची में है। मेरा नाम पुकारा गया है। मुझे बोलने का अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम तो मेरे पास अभी पांच और हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय,अभी न बोलें, हमें इस पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। इसलिए हमें बोलने का अवसर दिया जाए और यदि ज्यादा समय नहीं है, तो कम से कम दो-दो मिनट का ही समय दे दिया जाए।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, रामाश्रय बाबू इस सदन के पुराने सदस्य हैं। कृपया उन्हें बोलने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव रहेगा कि संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे हैं कि एक्स्प्लेनेशन के तौर पर सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप तय कर सकते हैं, मंत्री महोदय, यदि चाहें, तो कल जवाब दे सकते हैं और आज इस पर छः बजे तक डिबेट चलने दें।

श्री श्रीकान्त जेना : राम नाईक जी, मंत्री जी कल नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कल भी बहुत कार्य है।

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, जितना समय मंत्री जी को बोलने के लिए दिया जाए, उससे वे आधे समय में बोलें, लेकिन हमें समय बोलने के लिए अवश्य दिया जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी, जरा इस पर भी ध्यान दें कि लंच के बाद से सदन में कोरम नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से आपका सहयोग कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आधा घंटा बढ़ा देते हैं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, रामाश्रय प्रसाद सिंह, इस सदन के ऐसे सदस्य हैं, जो पूरे समय सदन में रहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि उनको बोलने के लिए अवसर अवश्य दिया जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : केवल चार मिनट में समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है यह बहुत सीमित उददेश्य से लाया गया है और इस पर एक घंटे में बहस पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस पर बोलने के लिए इस सदन के सभी सदस्य बहुत उत्सुक हुए और बहुत सारे औपौनियन इसमें आए हैं। इसलिए आज यह जरुरी हो गया है कि इस संदर्भ में कुछ कहा जाए। जार्ज साहब जब खुद बोलते थे, तो उन्होंने सारे राजनीतिक लोगों को सारे देश के सामने खलनायक के रुप में पेश कर दिया। अपनी सारी चर्चा के दौरान उन्होंने राजनीति लोगों को कोसा, लेकिन मेरा आग्रह है कि यह कोई राजनीतिक दल की बात नहीं है, यह देश के संविधान की पवित्रता को बचाकर रखने की बात है।

हम सब लोगों को इस बात को सोचकर इसके ऊपर कुछ फैसला करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो कानून की बात है, रुल आफ लॉ है, जो आजाद न्यायपालिका की बात है, जितने संविधान बनाने वाले लोग हैं, जितने राजनोतिज्ञ हैं, वे सब लोग इस देश के लोगों के लिए इस प्रक्रिया को अपनायें। जितनी हम इंडीपेंडेट ज्यूडिशरी की बात करते हैं या रुल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने संविधान बनाते समय यही तय किया था। इसलिए अनुचित होगा कि उसके ऊपर कोई टोका-टाकी की जाये या इस प्रकार की बात कही जाये।

जहां तक ज्यूडिशयरी एक्टीविजयम की बात है, इसमें कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं करेगा। न्यायपालिका में जिस बात की जरुरत नहीं है, जिस प्रकार से अनाप-शनाप बात कही जाती है, जिस प्रकार से टोका-टाकी की जाती है, वही कारण है जिसके अंदर लोग इस बात में उत्सुक हैं कि क्या न्यायपालिका अपने दायरे के अंदर है या अपने दायरे के बाहर जाकर दूसरों का जो दायरा है, उसमें एनक्रोचमेंट करती है। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, हम सबकी भी समाज के अंदर कुछ इज्जत है और न्यायपालिका में जो एपाइंटीज होकर जज बनते हैं तो यह कहना अनुचित होगा कि वे किसी के ऊपर जो भी लांछन लगा दें, वह बात सही है। यह बात हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि न्यायपालिका को अपने आप सोचना पड़ेगा। उनको अपने अंदर इस बात को करना पड़ेगा। बाकी जो कानून बनानी वाली संस्थायें हैं, लेजिसलेचर है, उनके साथ उनका बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिये, यह उनको खुद ही देखना पड़ेगा। यह हमारा काम नहीं है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : जस्टिस रामास्वामी जी का जो इम्पीचमेंट का केस था। ...**(व्यवधान)** उस दिन कांग्रेस ने वोट नहीं डाला था लेकिन आज ये कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : हम आपसे टोका-टाकी नहीं करते है तो फिर आप क्यों टोकते हैं? ...**(व्यवधान)** लोढा साहब भी बहुत सही बोलते हैं क्योंकि लोढा साहब काफी समय तक जज की नौकरी पर काम करने के बाद चुनाव जीकर आये हैं। उनको जज बनने का तजुर्बा भी है और सदन का भी तजुर्बा है। इसलिए यदि वे सही ढंग से बोले तो सदन के लिए और हम सबके लिए बहुत जानकारी प्राप्त होगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश के अंदर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। आज हम संविधान में 75वां अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। अभी सवाल यह है कि इतना करने के बाद जरुरत यह महसूस होती है कि इस देश के लिए एक नया संविधान रीड्राफ्ट होना चाहिए। अगर यह करना है तो आज की वर्तमान स्थिति में न्यायपालिका ने जो राय दी गोलकनाथ केस के बाद, आप इस देश में किसी नये संविधन की रचना नहीं कर पायेंगे। इस देश में गरीब जनता

है। न्यायपालिका या कार्यपालिका में आप जो भी काम करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वह काम आप नहीं कर पायेंगे। अगर आज वह काम करना हो तो आपको रिफ्रेडम में जाना पड़ेगा। पूरे देश में इस मसले पर रिफ्रेडम करने से आप आगे जाकर दुबारा कांस्टीटुएंड असम्बेली बनाकर इस देश के नये संविधान का ड्राफ्ट बना सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा मसला है।

अभी बीजू पटनायक भी बोले। उन्होंने कई बातें सही ढंग से बताई हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिनको जिस तरफ भी सुविधा होती है, उस तरफ बात करने से नहीं चलेगा। यह बात आप पूरे देश के दृष्टिकोण से देखियेगा, तब आपको मालूम होगा कि जो भी संस्थायें हैं, उनको अपने-अपने दायरे में काम करने के लिए जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, वह बिल्कुल सही बात है।

मैं आप सबके साथ इस बात पर सहमत हूं, जहां तक न्यायपालिका के काम के लिए सुविधा देने की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जितने समय से इस सदन में हूं, तब से मैंने यह कभी नहीं देखा कि जूडिशियरी के लिए कोई मांग आई हो तो उस पर इस सदन ने कभी आपत्ति की हो। आपत्ति का सवाल ही नहीं है और वर्तमान में तो बहुत सीमित बात है।

आज इस बात की जरुरत है कि आप जूडिशियल कमीशन का गठन कीजिए और उसके बाद यह देखिए, जूडिशियरी के लिए हर लैवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लैवल में हो, हाई कोर्ट लेवल में हो, सुप्रीम कोर्ट लैवल में हो, क्या जरुरत है, क्या-क्या देने से पैन्डिग मामलों पर जल्दी से जल्दी फैसला हो सकता है, उसके लिए क्या करना है। उसमें इस सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आज जरुरत इस बात को देखने की है, जैसे हमारे माननीय सदस्य श्री कल्पनाथ राय सामने बैठे हैं। जिस तरह से इन्होंने सदन के सामने अपनी व्यथा बताई, वह हम सबको समझना चाहिए। आज कल्पनाथ राय गए, कल किसी दूसरे सदस्य के ऊपर भी कोई इल्जाम हो सकता हे। यदि कोई गलती करता है तो ठीक है। बंगलादेश में श्री इरशाद जेल में हैं लेकिन उनको सदन में हाजिर होने की परमीशन दी गई है, वे सदन में हाजिर होते हैं। लेकिन इधर के एक माननीय सदस्य को इस सदन में हाजिर होने की अनुमति नहीं दी गई। ...**(व्यवधान)**

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उनका केस पैन्डिंग है इसलिए ये न तो उनके फेवर में कह सकते हैं न ही उनके खिलाफ कह सकते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने उनके खिलाफ में भी नही कहा और फेवर में भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ यह बात कही है कि जब वे जेल में बंद थे, मामला विचाराधीन था, जब तक उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं हुई, कोई बात नहीं आई, तब तक उन्हें सदन में उपस्थित होने की अनुमति देनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि यह सदन के सदस्य के साथ इनजस्टिस है कि उसको सदन में आने से रोका गया, अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं दिया गया। हम इस बात की निन्दा करते हैं। मैं समझता हूं कि आज सरकारी पक्ष, विरोधी पक्ष और सभी को बैठकर इस बात पर गंभीर विचार करना चाहिए कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी को यह देखना चाहिए कि अपना सम्मान बचाकर किस तरह से काम हो सकता है। इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महोदय, इस विधेयक का सभी ने स्वागत किया है। मैं भी इसका स्वागत करता हूं एक पहलू पर जिसपर मैं विशिष्ट रुप से बोलना चाहता हूं वह है जजों का गुणवत्ता। न्यायपालिका प्रणाली बहुत प्रशंसनीय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भारत के लोगों से बहुत सम्बन्ध है।

ध्यान में रखने योग्य मूल बात न्यायपालिका की गुणवत्ता है और उसके लिए जजों की गुणवत्ता। यदि जजों की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो उन्हें वेतन आदि तथा स्थानान्तरण आदि की कठिनाइयों में नहीं डालना चाहिए। जिसका उन्हें इस समय सामना है।

परिलब्लिब्धियों के बारे में सभी सदस्यों ने बोला है कि जजों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। स्वयं संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों के वेतन दिये गये हैं। यह 3500 रुपये प्रतिमास है यह राशि उच्चतम न्यायालय के जजों के लिए उस समय नियत की गई थी। लम्बे समय के पश्चात संविधान में संशोधन से उनके वेतन में परिवर्तन आया है। यद्यपि परिस्थितयां बदल गई थी उनके वेतनों में परिवर्तन 1985 में पेट अधिनियम होने के बाद किया गया।

मेरे विचार से उस समय भी उनको जो वेतन दिया गया वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरुप नहीं था। मैं एक बात जो माननीय वित्र मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि जजों के वेतन को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनके वेतन में परिवर्तन किया जाना चाहिए। संविधान बनाते समय यह 35000/- रुपये नियत किया गया था यदि वर्तमान वृद्धि और बीते वर्षों को ध्यान में रखा जाये तो उन्हें 35000/- रुपये वेतन देने का प्रस्ताव है। मेरे विचार से वह बुरा नहीं है।

दूसरे मैं तबादले की नीति पर आता हूं। मेरे विचार में यह ऐसी चीज है जो जज बनने वाले लोगों में सब में अधिक कठिनाई पैदा कर रही है। अब एक जज को उच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। यद्यपि उसे उच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। फिर भी उसका तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया जाता है। मेरे विचार से यह नीति जो उस समय एक अच्छे विचार से बनाई गई थी कि विभिन्न राज्यों में आने वाले जज अपने कार्य को अच्छी प्रकार नहीं कर पायेंगे, अब विफल हो गई है। यदि इस नीति की अब पुनरीक्षा की जाये तो मेरे विचार में इससे न्यायपालिका को अच्छे जज, वकील और अच्छे व्यक्ति मिलने में यह बहुत सहायता करेगी।

मेरे विचार में वकीलों में उत्तम तथा व्यवसाय में से सर्वोत्तम व्यक्तियों को न्यायपालिका में लाना चाहिए। तभी हम न्यायपालिका से अधिकल्प परिणामों की आशा कर सकते हैं।

यहां पर प्रस्तुत अन्य मामलों के बारे में मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। मेरे विचार से न्यायपालिका न्याय का मन्दिर है। जहां तक मुकदमे बजों का सम्बन्ध है उनके लिए यह बहुत महंगा हो गया है। विधि मंत्रालय द्वारा न्यायपालिका के सभी पहलुओं तथा कानूनी पद्धति पर विचार करते समय मुकदमेबाजों के पहलु पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग एक लम्बे समय की जा रही है। मेरे विचार में विधि मंत्री इस मांग पर भी ध्यान देंगे जोकि एक लम्बे समय से लम्बित है। मुकदमा लड़ने वालों के लिए दिल्ली आना तथा मुकदमा लड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। यह बहुत ही महंगा और कभी कभी दूरी में भी बहुत कठिनाई होती है। अतः सुझाव है कि इस पर विचार किया जाये और उच्चतम न्यायालय की एक पीठ, मद्रास में न सही, बंगलौर में न सही **(व्यवधान)** यदि सब एक मत हों तो मैं कोचीन का सुझाव दूंगा। इसे कोचीन में स्थापित किया जाये।

न्यायालय से बाहर मध्यस्थ निर्णय के मामले को मेरे विचार में विधि मंत्रालय ने बड़ी गम्भीरता से लिया है। एक विधेयक आ रहा है। पंच निर्णय और मध्यस्थता के बारे में दूसरे सदन में विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मेरे विचार से इस प्रकार के जिसमें मुकदमेबाज को न्यायालय में गये बिना ही शिकायत दूर करने का मौका मिलता है एक ऐसी चीज है जिसपर गम्भीरता से विचार करने की जरुरत है और इस प्रकार की कानूनी प्रणाली को सांविधिक प्रभाव दिया जाना चाहिए। जिसका इस देश में विकास होना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

मैं एक और बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। न्यायिक सेवा के बारे में कुछ बाते कही गई हैं। यह स्वयं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ही स्पष्ट हुआ है। ब्यौरा पहले ही तैयार कर लिया गया है, मेरे विचार में यह एक ऐसी चीज है जिसे न्यायिक सेवा बनाना है और इसमें न्यायिक प्रणाली विशेषकर लोक न्यायिक प्रणाली में इसमें बहुत सहायता मिलेगी। यद्यपि निचले न्यायालयों को इस समय नहीं लिया जाता है, जिसका इस समय कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी यह एक ऐसी चीज है जिससे न्यायिक प्रणाली को बहुत सहायता मिलेगी।

समय की कमी के कारण मैं अन्य ब्यौरों में नहीं जा रहा हूं। मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशाली जिला असम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा और अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा।

प्रश्नाधीन विधेयक का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की सेवा की शर्तों संबंधी अधिनियम में संशोधन करने का सीमित उद्देश्य है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलय के जजों की कुछ सुविधाओं को बढ़ाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्री से स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं कि क्या हमारी संसद और देश ने कुछ दशक पूर्व न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्णय लिया था। परन्तु आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र, असम में जिला मजिस्ट्रेट जिसे डिप्टी कमीशनर भी कहा जाता है वह ही सब जज भी होता है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ही अतिरिक्त सब जज होता है और नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में भी स्थिति वही है। मुझे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों तथा देश के अन्य अनेक भागों में भी विशेष कर जनजाति क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट अथवा डिप्टी कमीशनर ही सब जज होता है।

अतः ऐसे अवसर आते हैं जब आपको कार्यपालिका, मजिस्ट्रेट अथवा सरकार अथवा सत्र जज के आदेश को चुनौती देनी पडती है। तब जिला मजिस्ट्रेट स्वयं ही मामले को सत्र जज के पास ले जायेगा और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त नहीं रह जाता। अतः हमारे देश देश जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों को एक सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली से वंचित रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार न्यायपालिका का मूल सिद्धान्त उसे कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना है। परन्तु इन मामलों में एक की व्यक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका थी।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि सभी प्रयासों के बावजूद कि हम न्यायालयों, और अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को सस्ता कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि भारत का आम आदमी अभी भी अच्छे न्याय से वंचित है। ऐसा इसके मंहेगे होने के कारण हो सकता है, प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण हो सकता है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनायें ताकि आम आदमी के लिए न्यायिक प्रणाली सस्ती हो सके।

कम से कम स्टाम्प फीस से छूट दी जा सकती है। हालांकि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है परन्तु यह आशा के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। जब हम उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को राजसहायता दे रहे हैं तो भारत सरकार न्यायिक प्रणाली को भी थोडी राजसहायता दे सकती है जिससे कि सामान्य व्यक्ति बिना कुछ भुगतान दिये न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में शिकायते दर्ज करा सके। बेरोजगार युवक, मजदूर और दैनिक मजूरी कमाने वाले के लिए 5,10,15,20, अथवा 100 स्टाम्प फीस के लिए बहुत कठिन है और इस प्रकार यह अच्छे न्याय के लिए बाधक है।

उपाध्यक्ष महोदय : समाप्त करने का प्रयास कीजिये।

डा. जयन्त रंगपी : महोदय मैं माननीय विधि मंत्री का ध्यान सेवा की शर्तों संबंधी अधिनियम के एक पहलू की ओर दिलाकर अपना भाषण समाप्त करता हूं और वह पहलू है कि अनेक सदस्यों ने जजों की गुणवत्ता तथा उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। जजों की नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए मैं माननीय विधि मंत्री से अपील करुंगा कि वह नये विधेयक के साथ संसद में आये ताकि जजों की नियुक्ति की प्रणाली को बदला जा सके और इसे

अधिक पारदर्शी बनाया जा सके जिसमें इस देश के लोग अथवा न्यायिक पद्धति का लाभ उठाने वाले जजों का निष्पक्ष और स्वतंत्रता के बारे में सुनिश्चित हो।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट जजिस (कंडीशंल ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल 1996 पर बहस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ दो बातें हैं। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के लिए और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के लिए जो पेट्रोल की सुविधा आने-जाने के लिए दी जाती हैं वह पहले 150 लीटर थी उसको बढ़ा कर 200 लीटर कर दिया है और पैट्रोल की जगह फ्युअल शब्द का इस्तेमाल हुआ है यानी यह पेट्रोल या डीजल कुछ भी हो सकता है। दूसरा, समचुअरी एलाउंसेस का है, मतलब नाश्ता-पानी के लिए इनको प्रतिदिन के हिसाब से खर्च मिलता है। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 1250 रुपए प्रति माह मिलता था और 750 रुपये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलता था। अब मुख्य न्यायाधीशों का बढ़ा कर 4000 रुपया और न्यायाधीशों का बढ़ा कर 3000 रुपया करने का प्रावधान है। इसी तरह से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 500 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपया और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 300 रुपये से बढ़ा कर 2000 रुपये करने का प्रावधान है। मात्र यह सीमित संशोधन विधेयक है और बहस पूरे ज्यूडिशियल सिस्टम पर हो गई, न्यायाधीशों के कंडक्ट पर, कि आज कल क्या न्यायाधीश कर रहे हैं। इन सारी बातों पर चर्चा हो गई। इस तरह से इस सदन में कतिपय माननीय सदस्यों ने माननीय न्यायाधीशों को अपने ढंग से फटकारने का भी काम किया। जब कि इस बिल का कोई व्यापक दायरा ही नहीं है, अगर कोई इस बहस के पूरे ओडियो को मंगा कर सुन लेगा तो फिर पार्लियामेंट के लोग हंसी के पात्र बन जाएंगे।

महोदय, सवाल यह है कि यह विधेयक सीमित है, इनके लिए पैट्रोल का खर्च बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इसका सब लोगों को फैसला करना है। डेढ़ सौ लीटर से दो सौ लीटर करना या नहीं करना है। प्रतिदिन जो वह अपने दफ्तर में मीटिंग वगैरह करते हैं उसमें नाश्ते-पानी के लिए जो उनको मिलता था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, अगर प्रतिदिन उसके हिसाब से जोड़ दें तो 42 रुपए से कम प्रतिदिन मिलता था। सुप्रीम कोर्ट के जज को 25 रुपए मिलते थे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 17 रुपए प्रतिदिन मिलते थे और हाई कोर्ट के जज को 10 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। हम लोग 7 साल से इस सदन में हैं और इसी सेंट्रल हॉल में हम लोग कुछ खाने के लिए जाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन 7 सालों में कितनी बार यहां पर खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़े हैं। 10 रुपए में हाई कोर्ट के जज साहब अपने चेम्बर में क्या मंगाएंगे, अगर कोई मीटिंग हो गई तो 10 रुपए में क्या करेंगे, एक दिन में या पूरे महीने में 300 रुपए मिले। इसके लिए आप यह बिल यहां पर लाए हैं तो यह स्थिति है और इस पर पूरी की पूरी बहस हो गई, इसका क्या मतलब है? मन में कहीं न कहीं चोर रहता है तो इस तरह की बात होती है। आखिर कोई अब ज्यूडिशियल एक्टीविजम का दौर चला है लोग चालते हैं कि हर चीज पर जज है जिन चीजों पर कार्यपालिका को फैसला करना है तो क्या कार्यपालिका क्या नहीं फैसला करती? अब कहीं पर कोई घोटाला हो गया तो उसके बारे में मांग हो रही है कि उसकी जांच कराओ लेकिन जांच कराने के बजाय फाइल दबा दी जाती है और जब उसके बाद उसका विस्फोट होता हे और मांग होती है तो कहा जाता है सी.बी.आई. से जांच कराओ। फिर उस जांच को रोकने के लिए हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से वकील ले जाए जाते हैं। जिनकी फीस का पता नहीं कागज पर कितना लेते हैं लेकिन अगर आप वहां चले जाइए तो पता चल जाएगा कि उनका कितना फीस है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में थोडी देर के लिए खड़ा होना है उसके लिए उनको कितना पैसा चाहिए, तो इतने बड़े बड़े वकीलों को लोग खड़ा कर देते हैं कि उसके चलते घोटाले की जांच न हो तो कहना चाहिए कि "साच को आंच क्या"। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो एग्जीक्यूटिव का काम गड़बड़ी को पकड़ना है और जो गड़बड़ी करने वाला है उसको सजा देना है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ी करने वालों के साथ मिल जाए, यह एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। लेकिन जब यह काम एग्जीक्यूटिव का शुरु हो जाएगा, एक एग्जीक्यूटिव का काम हो जाएगा कि एक ही मामले में एक को दंडित करो और एक को बचाओ, यह पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का काम हो गया, तो उस स्थिति में कोई कहां जाएगा? तब वह न्यायालय की शरण लेता है, जनहित याचिकाएं दायर होती हैं। हम तो बिहार के रहने वाले हैं वहां तो हमने हाई कोर्ट में देखा है कि अगर कोई जनहित याचिका आलतू-फालतू दायर कर दे, कोर्ट का समय बर्बाद करे तो कोर्ट उसको फाइन कर देता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए वह बिना तथ्य के, बिना किसी सबूत के कोर्ट का समय बर्बाद कर दे।

अपराह्न 6.00 बजे

तो ऐसी परिस्थिति में जहां कार्यपालिका को काम करना चाहिए, वहां वह चुप है। कार्यपालिका इतनी संवेदनहीन हो जाए कि दसवीं लोक सभा में दस-दस दिन काम बंद रहे और वह भी केवल इस मांग पर कि प्रधान मंत्री सदन में आ जाएं, पर प्रधानमंत्री बिल्कुल ही नहीं आते थे। ऐसी स्थिति सदन में होती थी। ऐसी स्थिति में अगर विधायिका को भी पंगु बना दिया जाए तो उस हालत में कोई आदमी चाहे राजनीति में हो या राजनीति से बाहर हो, कोर्ट की शरण में जाता है। वहां उसको न्याय मिलता हैं लेकिन अगर उससे किसी को परेशानी होती है तो क्या फिर हम जजों पर प्रहार करने लगें। कल श्री प्रिय रंजन दास मुंशी जी का भाषण हम सुन रहे थे। किसी एक का क्या नाम लें? इस पर कितने ही लोगों का भाषण हो गया। इस तरह से छड़ी लेकर क्योंकि हमको यहां पर विशेषाधिकार प्राप्त है तो जो मर्जी हम बोलते चले जाएं, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या न्यायपालिका हो सबको अपना काम करना चाहिए। सब अपना काम करें तो ऐसी स्थिति ही न आए। लेकिन आज यह विधेयक सीमित उद्देश्य से लाया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज जी ने जो संशोधन दिया है वह सीमित उद्देश्य के लिए है। आज जब हम सेंट्रल हॉल में खाने-पीने के लिए जाते हैं तो ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब यह जजों के लिए जो सुविधा है सम्पचुरी एलाउंस की, इस पर उन्होंने संशोधन दिया है। इसको किसी न किसी कॉस्ट आफ लिविंग इंडेक्स के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। 1986 से यह रेट चल रहा था। अब यह रेट पता नहीं कितने दिनों तक चलता रहे। क्या आप बार-बार इस तरह के छोटे-छोटे काम के लिए बिल लाएंगे। बिल का उद्देश्य सीमित हो और बहस व्यापक हो जाए। अगर व्यापक बहस करनी थी तो ज्यूडिशियल सिस्टम पर बहस कर लेते, ज्यूडिशियल रिफोर्म पर बहस कर लेते, गरीबों को सस्ता न्याय कैसे मिले, इस पर बहस कर लेते। सीमित उद्देश्य के लिए बिल आया और मौका मिल गया कि जो मर्जी में आए वह हम बोल दें। यह बात नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों पर या न्यायपालिका पर प्रहार नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, हमको अपना काम करना चाहिए।

यह जो जार्ज साहब का संशोधन है इसके लिए हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी तो बहस चल रही है। छः बजे तक का समय निश्चित था, शायद बहस पूरी हो या न हो। अब यह तो सदन और उपाध्यक्ष जी पर निर्भर करता है। वैसे इस मामले पर आप खुद भी निर्णय ले सकते हैं। यह जरुरी नहीं है कि नौकरशाही ने जैसा बता दिया, हम लकीर के फकीर बने रहें। उसी पर टिके रहने की जरुरत नहीं है। अगर सही लगता हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ जोड़ देना चाहिए तो यहीं पर इस संशोधन को स्वीकार कर लीजिए। बार-बार इस तरह के छोटे से काम के लिए सदन में इसे लाने की जरुरत नहीं है। इस सदन को एक मिनट चलाने के लिए 50 हजार रुपयों की जरुरत पड़ती है। अब तो बढ़कर 70 हजार रुपए हो गए होंगे। हर चीज की कीमतें बढती ही चली जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, ठीक है, अब समाप्त कीजिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : ऐसी स्थिति में हम यह आग्रह करेंगे कि इनके संशोधन को आप स्वीकार कर लें और संशोधन को स्वीकार करके संशोधित बिल यहां से पास कराएं। जो इस बिल के पीछे सीमित उद्देश्य है मैं उसका समर्थन करता हूं।

अपरांह्न 6.03 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ की स्थिति और प्राकृतिक आपदायें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अधीन आगे चर्चा करेगी।

श्री जेवियर अराकल (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बाढ और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

अनेक सदस्यों ने बाढ और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की है। यह विषय है जिसने पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया है। अतः अध्यक्ष महोदय ने संसद सदस्यों की निराशा को समझते हुए चर्चा की अनुमति दी।

चर्चा के दौरान मौके पर राहत कार्यों में त्रुटि की अनेक मुख्य बातें प्रकाश में आई हैं। ऐसी कहावत है कि 'मौत का समय निश्चित नहीं होता'। प्रत्येक वर्ष हमें इस विपत्ति का सामना करना पड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या निवारक उपायों के रुप में कुछ विशेष किया गया है?

चर्चा में यह पहलू प्रकाश में नहीं आया था। अतः मैं इस सदन के ध्यान में ला रहा हूं। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पैदा किये गये इस संकट का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने क्या ठोस उपाय किये हैं। यह विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर यदि देश का कोई भाग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है तो केन्द्र सरकार का एक कर्तव्य है। आज देश का ऐसा कोई भाग नहीं है। जहां प्राकृतिक आपदा न आती हो। बाढ़, तूफान, भकम्प, भूमि खिसकने आदि का जिक्र आता है। यह अन्तर मंत्रालय जिम्मेदारी का मामला है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि संकट से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में कोई समन्वय नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपको लातूर भूकम्प याद होगा। वहां कितने लोग मरे थे। उनके बचाव के लिए कौन लोग आये? राहत कार्य में किन लोगों ने भाग लिया?

महोदय एक प्रमुख रुपाचन्नद 'मतपाला मनोरमा' ने वहां एक पूरा गांव बनाया था **(व्यवधान)** स्वयंसेवी संगठन आगे आये थे। राज्य सरकारे आगे क्यों नहीं आई? राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने समन्वित, प्रभावी राहत कार्य क्यों नहीं चलाये? **(व्यवधान)** अतः मेरा पहला निवेदन यह है कि (एक) राहत कार्य और (दो) निवारक कार्य के लिए एक समन्वित एजन्सी होनी चाहिए। मेरे मित्र निवारक उपायों पर बोलने की प्रतीक्षाकर रहे हैं। विभिन्न सेमिनार तथा चर्चा हुई थी। 1970 में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। यह बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्य करने के लिए एक छः सूत्री कार्यक्रम बनाया था। क्या हमारे पास रिपोर्टों की कमी है। क्या सेमिनारों की कमी है। क्या इस क्षेत्र में हमारे पास विशेषज्ञों की कमी है ? नहीं, परन्तु दुर्भाग्य की बात है केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने इस संकट से निपटने के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाई।

एक अन्य पहलू है जिस पर यहां प्रकाश नहीं डाला गया। नगरों, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति के बारे में क्या है। क्या हमने इस समस्या पर विचार किया है। मुम्बई में क्या हुआ है? कलकत्ता में

क्या हुआ है? सभी मुख्य नगर बाढ़ ग्रस्त होने वाले नगर हैं। अब केन्द्रीय सरकार कह सकती है कि यह राज्य सरकारों अथवा स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। परन्तु इसका उत्तर यह नहीं है।

जब आपदा आती है तो वह किसी आबादी अथवा क्षेत्र के बीच भेदभाव नहीं करती। हमारी एक मानवीय जिम्मेदारी है कि हम देखें कि आपदा का उचित प्रभावी उपायों से मुकाबला हो। वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार धन आवंटित किया जाता है। 9वें दिन आयोग ने 4020 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसे अब बढ़ाकर 6,304 करोड़ रुपये कर दिया गया है। क्या यह पर्याप्त है? यह आंकड़े सदन को दिये गये थे। हजारों करोड़ों रुपयों का सामान, पशु, चारा, सम्पत्ति और इमारतें नष्ट हो गई थी। क्या इसके लिए कोई बीमा पालिसी है। हम उचित प्रभावी राष्ट्रीय बीमा नीति क्यों नहीं बनाते? मुझे यह एक निवेदन करना है।

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड है। प्रायः हमें हैरानी होती है कि इसकी क्या भूमिका है और यह राहत के लिए कब आता है। यह बाढ़ आने के बाद और स्वयं सेवी एजेन्सियों द्वारा सहायता देये जाने के बाद सामने आता है। अतः इसे प्रभावी बनाने हेतु इस पर निगरानी रखने की जरुरत है।

एक अन्य समिति है जिसे राष्ट्रीय राहत समिति कहते हैं। पुनः मेरी शिकायत यह है कि बाढ़ तथा आपदा आने के बाद ही राहत दी जाती है।

माननीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कल प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। हमें उनके कारनामों पर गर्व है। हमने पूछा कि क्या उपग्रह निगरानी प्रणाली से प्राप्त ज्ञान अथवा जानकारी को हमने आगे प्रेषित किया है। और यदि राज्य सरकारों के पास चुनौतियों अथवा संकटों का सामना करने के लिए धन नहीं है तो क्या हम उनकी सहायता करने की स्थिति में हैं। बहुत ही अस्पष्ट उत्तर दिया गया था।

सारी समस्या यही है हमारे पास प्रश्नों के उत्तर नहीं है और हमारे पास समस्याओं के हल हैं। हम बाते करने में व्याख्या देने में, सेमिनार और सम्मेलनों में उपस्थित होने में और रिपोर्ट देने में बहुत अच्छे हैं। यह उचितसमय है कि हम वास्तविकता पर आयें। कृपया कोई कार्ययोजना बनायें, उसे लागू करे, पर्याप्त जानकारी दें और निवारक उपायों को बढ़ाये। यहां हम असफल हुए हैं और इसलिए लातूर को हानि उठानी पड़ी। बंगाल पीड़ित है और पंजाब भी पीड़ित है देश का प्रत्येक भाग इस से ग्रस्त है और सभी को इन आपदाओं को झेलना पड़ता है। हम बहुत प्रगति की बात कर रहे हैं। परन्तु प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए क्या न्यूनतम कार्यक्रम है?

एक अन्य बात जो मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है। वे लोग कौन हैं जो इससे सब से जयादा प्रभावित होते हैं? यह गरीब लोग हैं। अमीर लोग इसे सहन कर सकते हैं अथवा वे उस क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। जब गरीब लोगों पर दुख आता है तो वे चुपचाप सह लेते हैं। कितने वर्षों से वे इसे चुपचाप सहन कर रहे हैं। क्या उनके रोजगार के दुख और सम्पत्ति की हानि को पूरा करने के लिए हमारे पास विवेक है।

अतः मेरा पहला निवेदन जोनल सिस्टम बनाने का है जिससे निवारक उपाय कर इन आपदाओं विशेषकर भूकम्प, बाढ़ों, भूमि खिसकने आदि, का उचित रुप से सामना किया जा सके। दूसरे मैं निवेदन करुंगा कि राष्ट्रीय बीमा पालिसी बनाई जाये जिससे गरीब लोग अपनी हानि को धन के रुप में कुछ पूरा कर सके। तीसरे उचित और प्रभावी संचार प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भी अनेक गांवों में टेलीफोन नहीं है। ऐसे मामले में वे जानकारी कैसे दे सकते हैं। अतः हमें उचित संचार व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि सूचना अविलम्ब प्रेषित की जा सके।

वे तटीय क्षेत्रों में मछुआरों की बात कर रहे थे जो खराब समय में भी समुद्र में जाते हैं। उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती। ये क्षेत्र हैं जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिए **(व्यवधान)** आप मुझे याद दिला रहे हैं उसके लिए धन्यवाद।

मुझे आशा है कि राहत कार्य, निवारक उपायों और सूचना प्रेषण केन्द्रों पर अन्तर-मंत्रालय समन्वित उच्च विभाग निगरानी रखने के लिए इन उपायों पर ध्यान देगा। यदि हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो हम कम से कम बाढ़-मुक्त और आपदा मुक्त राष्ट्र बनने हेतु एक पग आगे होंगे।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बाढ़ के लिए कल से जो बहस चल रही है, उस पर सभी सांसदों ने अपना दुख प्रकट किया है लेकिन इसका निपटारा कब होगा इसके लिए किसी भी सरकार ने आज तक पूर्ण आश्वासन नहीं दिया। इससे अपार धन-हानि और जन-हानि होती है। यहां तो धन को पैसे के लिए कहते हैं लेकिन धन की हानि जानवरों से आंकी जाती है। तीसरी, ज़मीन की हानि होती है। जमीन की हानि सरकार के लए या देश के लिए सबसे बड़ी हानि है।

क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन बाढ़ के द्वारा कट रही है तथा उसकी पूर्ति किसी हालत में नहीं की जा सकती। इसलिए जमीन की हानि जो हो रही है वह सरकार के लिए और देश के लिए बड़ी हानिकारक है। हर वर्ष इतनी जमीन इस बाढ़ से कट जाती है जिसका अंदाजा एक क्षेत्र से लगाया जा सकता है। मंत्रीजी बैठे हैं, उनको बिहार के द्वारा पता होगा कि कितनी जमीन कट जाती है। इसके आंकड़े उनके पास होंगे, मेरे पास तो उसके आंकड़े नहीं हैं। ...**(व्यवधान)** लेकिन मैं यह मानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सी नहरे खुदीं, उसमें जमीन चली गई, बहुत रजवाहे लगाए गए, उसमें जमीन चली गई और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। पांच साल से मैं बराबर देखता आ रहा हूं। रजवाहों के लिए कहा गया कि 1994 में चल जाएंगे, 1995 में चल जाएंगे। 1996 में कहा गया, लेकिन 1996 तक किसी रजवाहे में पानी नहीं छोड़ा गया। उस पर सरकार का पैसा लगा। अगर थोड़ा बहुत रजवाहों और नहरों में पानी निकाल दिया जाए तो यह बाढ़ गंगाजी में जो पहुंचती है वह कम हो जाए। मैं गंगा के किनारे का रहने वाला

हूं और गंगाजी के किनारे ही सारे जिले आते हैं। तीन-चार नदियों से मेरा जिला घिरा हुआ है - गंगा नदी और रामगंगा और इनके अलावा बहुत सी नदियां हैं जो इस जिले को बाढ़ की लपेट में ले लेती हैं ओर सारा जनपद बाढ़ में डूबा रहता है।

मैंने कई ऐसे नजारे देखे हैं। एक दफा बाढ़ आई और हम उसमें थोड़ा खाने के लिए लोगों को बांट रहे थे, कारों और गाड़ियों से हम वहां पहुंचे थे। हमने किनारे पर जाकर देखा तो एक भैंस बहती हुई चली आ रही थी और उस भैंस के पीछे उसकी मालकिन जंजीर पकड़े हुए थी और उस मालकिन ने अपनी बगल में एक बच्चा भी दबा रखा था। तब हमने तैरने वालों से कहा कि जाओ इनको बचाओ। हो सकता है, भैंस, बच्चे या औरत में कोई जिंदा हो। जब वे खींचकर बाहर लाए तो भैंस भी मरी हुई थी, महिला भी मरी हुई थी और बच्चा भी मर गया था। इसी महिला का एक बच्चा जब वह बहकर दूर से आ रही थी तो वह बच्चा पीछे रह गया, कच्चे घर की छत पर चढ़ गया। फिर दौड़कर नाव से उस बच्चे को बचाया गया। बच्चे के पास में एक सांप था, वह सांप को देखकर थरथर कांप रहा था। बाढ़ में यह हालत होती है।

मान्यवर, अगर सरकार को थोड़ा सा भी अहसास हो तो इस बाढ़ के लिए कोई ठोस प्रोग्राम बनाए। इसको ऐसा कर दिया जाए, जैसा कि मैं बता रहा हूं। हमारे यहां नहरें खुदी हैं, ट्यूबवैल बेकार हुए, किसानों की जमीन कटी। वह जमीन लौटकर नहीं आ सकती, लेकिन एक बूंद पानी पश्चिमी गंगा नहर उसको कहते हैं और हरिद्वार से निकलती है, उसमें कोई पानी नहीं डाला गया और न उसके रजवाहे चलाए गए। अगर थोड़ा-थोड़ा इसी तरह से उन नहरों में पानी निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल से गंगा की जो धार है वह थोड़ी कमजोर हो जाए और वह जो तबाही करती है वह न करे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। हरिद्वार से जब गंगाजी निकलती है तो उसका रुप छोटा सा होता है। जब जंगल के बीच में आती है तो फिर उसका विकराल रुप हो जाता है और वह जमीन को काटती चली जाती है। बालावाली शहर है, जहां से मैं चुनकर आया हूं,जो गंगाजी निकली है और किनारे के 50 गांव ऐसे हैं जो 50 जगह उठकर बस चुके हैं और उनकी जमीन कटकर गंगाजी में चली जाती हैं, लेकिन हर वर्ष बरसात के इसी सीजन में और इस सेशन में मैं इस मसले को उठाता हूं लेकिन सरकार ने आज तक आंख खोलकर नहीं देखा। यहां तक नौबत आ गई कि अगर वहां जाकर उसका सर्वे कराया जाए तो थोड़े बहुत दिनों के बाद गंगाजी ऐसे स्थान पर जाने वाली है कि अगर उस स्थान पर गंगाजी आ गई और उसकी रोकथाम नहीं की गई तो बिजनौर जिला तो क्या मुरादाबाद व और भी कितने जिले अपने साथ बहाकर ले जाएगी। उनका पता नहीं चल पाएगा कि वे जिले वहां बसे हुए थे या नहीं। बिजनौर, मुरादाबाद और संभल वगैरह सब बहते चले जाएंगे क्योंकि जहां से पानी कट रहा है वह बहुत ऊंचा ढांग है और वह ढांग बहते-बहते प्लैन जगह की तरफ चल रहा है। अगर वह प्लैन जगह की तरफ चला गया तो फिर गंगाजी के बहाव को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं होगा।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्षेत्र में और जिस किसी जगह कटान हो रहा है, वहां जमीन को बचाया जाए। किसान के हित में आज जमीन का बचाना बहुत जरुरी है क्योंकि जब उसकी खड़ी फसलें डूब जाती हैं, किसी के खेत में ईख खड़ी होती हैं, किसी के खेत में धान खड़ा होता है, किसी के खेत में मूंगफली लगी होती है वे सारी फसलें नष्ट होती चली जाती हैं और किसान खड़ा खड़ा देखता रहता है, कुछ कर नहीं पाता। जब उसका घर गिरने लगता है, गांव नदी में जाने लगता है तो वह खड़ा हुआ देखता रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। सब कुछ लुट जाने के बाद, वह अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर जब चलता है तो वह नजारा देखने लायक होता है। मंत्री जी आपको वह नजारा देखने को नहीं मिलेगा। आप उसे देख नहीं सकते। अगर आप देखें तो हो सकता है कि इस समस्या का सदा के लिये निपटारा हो जाए और देश में बाढ़ की नौबत ही न आए।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं कि अगर कुछ भी बचाने की आपमें हिम्मत नहीं है तो कम से कम उसकी जमीन तो बचाईये। जब आप किसान की ज़मीन बचा लेंगे तो उसका गांव डूबने से बच जाएगा। जब जमीन बचेगी तो उसकी जान और माल की हानि नहीं होगी। अतः बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये आप कोई ठोस प्रोग्राम बनाईये ताकि हर साल आने वाली बाढ़ को रोका जा सके वरना आगे चलकर यह समस्या खतरनाक साबित होगी। इन शब्दों के साथ समय देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री परसराम मेघवाल (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारे इलाके को बाढ़ से बचाने के लिये, 1990 के बाद आज के दिन तक कोई बचाव कार्य नहीं किया गया। पश्चिमी राजस्थान में, मेरे संसदीय क्षेत्र में, जालौर और सिरोही जिलों में, अरावली पहाड़ी से बरसात के समय बहने वाली नदियों के कारण सिंचित और असिंचित हजारों एकड़ जमीन कटाव के कारण कटकर बेकार हो जाती है जिससे हमारे काश्तकार बेकार हो जाते हैं। इस कारण काश्तकारों के सामने हर बार रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाती है। और कई तरह की मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इलाके की तमाम सड़कें कट जाती हैं। अतः भारत सरकार से, आपकी मार्फत मेरा निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जमीन के कटाव को रोकने के लिए, तटबंध बनाने के लिये और रोड्स को ठीक करवाने के लिये राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से ज्यादा से ज्यादा धनराशि स्वीकृत की जाए। धन्यवाद।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, देश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह निरन्तर सातवां वर्ष है जब देश में मानसून की अच्छी वर्षा हुई है।

हमारे कृषि मंत्री जी चतुरानन मिश्र जी के दो चेहरे हैं। एक और मानसून में अच्छा होने ओर अच्छी फसल होने की सम्भावनाओं से वह प्रसन्न है तो दूसरी और देश के कुछ भागों में बाढ़ की अभूतपर्व

स्थिति का उन्हें सामना है। अतः माननीय कृषि मंत्री यह नहीं निश्चय कर पा रहे है कि वह किसको तरजीह दे-अच्छी मानसून अथवा देश के कुछ भागों में बाढ़ को? **(व्यवधान)**

महोदय, में सदन के सभी वर्गों ने बाढ़ की स्थिति पर ग़म्भीर चिन्ता व्यक्त की है। अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में बाढों की रोकथाम और देश में बाढों की पुनरावृत्ति को रोकने पर ही जोर दिया है। स्वतंत्रता के बाद पचास वर्ष बीत गये हैं परन्तु दुभाग्य से केन्द्रीय सरकार ने बाढों, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से, जोकि देश में प्रायः होती रहती है, धुटकारा पाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं।

महोदय, मैं अपने भाषण को मुख्यतः बाढ़ों की रोकथाम संबंधी पहलू तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि हमारे माननीय मंत्री श्री मिश्रा जो ने 10 जुलाई को सदन में तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्र सरकार द्वारा हाथ में लिए गये राहत कार्यों-जिसके बारे में बाद में इस सदन के माननीय सदस्यों को एक रिपोर्ट दी गई थी तथा राहत के खर्च के लिए दिये गये धन का ब्यौरा दिया था। इस सदन में वह जो उत्तर अब देंगे वह मुख्य रुप से रिपोर्ट में इस बारे में भी होगा जो हमें मिल चुकी है। अतः मैं उस पहलू पर बात नहीं करुंगा। माननीय कृषि मंत्री केवल राहत उपायों की ही देखभाल कर रहे हैं। दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य की जितने भी धन की आवश्यकता होगी केन्द्रीय सरकार को अपना भाग उसमें देना होगा और मेरे विचार में माननीय कृषि मंत्री अपने उत्तर को वहीं तक सीमित रखेंगे। यदि बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदा का प्रकोप बहुत है तो राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद केन्द्रीय दल को वहां भेजा जाता है जो दी जाने वाली राहत का मूल्यांकन करता है। मैं इस पहलू पर भी ध्यान नहीं दूंगा। मैं बाढ़ की रोकथाम के पहलू पर जोर दूंगा यदि जल संसाधन मंत्री सदन में उपस्थित होते तो मुझे खुशी होती।

जब बाढ़ पर चर्चा शुरु हुई थी तो मैंने सदन में कहा था कि जल संसाधन मंत्री को भी सदन में उपस्थित रहना चाहिए। मैं अब कृषि मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वह जल संसाधन मंत्री को सदन की भावनाओं से अवगत करा दें।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिए।

श्री अनिल बसु : कृषि मंत्री द्वारा बाढ़ पर हुई चर्चा का उत्तर दिये जाने की सम्भावना है। मेरा अनुरोध है कि वह सदन की भावनाओं को जल संसाधन मंत्री तक भेज दें। सदन की आम भावना यह है कि बाढ़ों के रोकथाम संबंधी पहलू की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मैं अपने मित्र श्री अराकल द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा था कि इस बात की देखभाल के लिए कि प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृति न हो राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय बनाया जाना चाहिए। उस निकाय को देखना चाहिए कि निवारक उपाय किये गये हैं। उसे निवारक उपायों की योजना बनानी चाहिए और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए। सर्वोच्चनिकाय समय की आवश्यकता है—देश की आवाज है—इसे तुरन्त बनाया जाना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि संसाधन कहां से आयेंगे? मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में लगभग 3000 कम्पनियां है जो दस करोड़ से 300 करोड़ रुपए तक का लाभ कमा रही हैं और वे कर के रुप में एक पैसा भी नहीं दे रहीं हैं। उन्हें 'जीरो टैम्स' कम्पनियां कहा जाता है। संसाधन तो है परन्तु प्रश्न यह है कि उन्हे किस प्रकार जुटाया जाये देश के विकास के लिए भारत को बाढ़ मुक्त और सूखा मुक्त बनाने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति भी आवश्यकता है। अतः संसाधन तो हैं परन्तु उन्हें उचित योजना द्वारा जुटाना पड़ेगा।

मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां बाढ़ आने की अत्यधिक संभावना रहती है। ऐसा प्रकृति के कारण नहीं अपितु 1957 में बनाई गई दामोदार घाटी निगम कहे जाने वाली केन्द्रीय परियोजना के कारण है। इसकी स्थापना के समय इसका बहुत प्रचार किया गया था। यह कहा गया था कि दामोदर घाटी परियोजना एक बहु-प्रयोजनीय परियोजना है। इसके निचले दामोदर क्षेत्र में बाढ़ की रोकथाम होगी। इससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और इससे बिजली भी पैदा हागी। परन्तु हुआ क्या है। इसमें सन्देह नहीं कि दामोदर घाटी निगम के बनने से पूर्व वहां बाढ़ आती थी परन्तु वह इतनी अधिक नहीं होती थी जितनी कि अब है। दामोदर घाटी निगम के बांध में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। वहां चार बांध हैं संचित, तिल्लया, मल्धान और के नगर जो कि छोटानागपुर हिल के नीचे ऊपर दामोदर क्षेत्र में हैं। समय समय पर इन बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। यह पानी दामोदर में बहता है और अपनी सहायक नदी मुंहेश्वरी द्वारा मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। मेरा पूरे चुनाव क्षेत्र, जिसमें कनाकुल, आरामबाग और पुरसुराह विधान सभा क्षेत्र आते हैं और मेरे मित्र श्री हम्नान मोल्लाह के अथवा और उलुबेरिया क्षेत्रों में प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती है। वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ की भीषणता बढ़ती जा रही है।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग जोकि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधीन है, ने कोई योजना नहीं बनाई जिससे कैचमैन्ट क्षेत्र में वर्षा और क्षेत्रों में पानी के आने के बारे में कोई अनुमान लगाया जा सके। पानी को छोडने तथा उन पर निगरानी की भी कोई योजना नहीं है।

यदि अपेक्षित वर्षों और आने वाले पानी की मात्रा का उचित हिसाब लगाया जा सके तो बांधों से पानी छोड़ने के आयोजन का काम भी आसान हो जायेगा। यदि पानी के छोड़े जाने का नियंत्रित किया जाता है तो बाढ़ की भीषणता और उससे होने वाली बर्बादी को नियंत्रित किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं श्री चतुरानन मिश्र से कहूंगा कि वह अपने साथी जल संसाधन मंत्री से कहे कि वह केन्द्रीय जल आयोग को अनुदेश दें कि बांधों से पानी योजनाबद्ध तरीके से छोडा जाये। बांधों में पानी के आगमन का अनुपात लगाने के वैज्ञानिक तरीके हैं। वैज्ञानिक तौर पर भविष्यवाणी की जाती है जिसके हम अपेक्षित वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं। बांधों में आने वाले पानी को भी नापा जा सकता है। यदि ये चीजें कर ली जाये तो बांधों से

पानी छोडने की योजना तथा उसकी निगरानी बहुत आसान हो जायेगी। परन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्रीय जल आयोग अपने कर्त्तव्यों को वांछनीय ढंग से नहीं निभा रहा है। वह समय समय पर जलाशयों से भारी मात्रा में जल छोड़ रहा है जिसमें बाढ़ आ जाती है। नदीं में गाद भर जाने के कारण बाढ़ की भीषणता में बढ़ोतरी हो रही है। 1957 में निर्मित बांधों पर जलाशयों में गाद भर जाने के कारण उनकी क्षमता काफी कम हो गई है।

मैं अपने उन मित्रों से पूरी तरह सहमत हूं जिन्होंने केचमैंट क्षेत्रों में वन समाप्त करने के बारे में बोला हैं, इससे गाद और जल्दी भरती हैं। छोटानागपुर क्षेत्र में नौ वनों की कटाई हो रही है, जहां से दामोदर नदी निकलती है, उससे 1957,1962,1963 और 1964 में निर्मित बांधों की कैच मैन्ट क्षेत्र में 50 प्रतिशत वर्षा का जल ग्रहण करने की क्षमता में कमी हो रही है। वे उतना पानी अपने अन्दर नहीं रख पा रहे हैं। जितने पानी के लिए वे बनाये गये थे।

इस वर्ष हिमालय क्षेत्र में निरन्तर वर्षा से कालिम्पोंग में भूस्खलन की अभूतपूर्व घटना घटी है जिसके फलस्वरुप 34 व्यक्ति मर गये हैं। वह पूरा क्षेत्रशेष क्षेत्र से कट गया है। भूस्खलन की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निवारक उपाय किये जाने चाहिए। राज्य सरकार ने पहले ही राहत तथा बचाव उपाय किये हैं।

मैं राहत तथा बचाव कार्यों की बात नहीं कर रहा हूं। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन को रोकने के उपाय किये जाने चाहिए क्योंकि इस वर्ष भूस्खलन की घटना अभूतपूर्व है। इतनी अधिक भूमि खिसकने की घटना पहले कभी नहीं हुई जिस में 34 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कालिम्पोंग का क्षेत्र शेष देश से कट गया है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पूर्वी क्षेत्र का एक और राज्य जिसे अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है वह है आसाम। ब्रहमपुत्र बोर्ड गठित किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से उसे कोई धन नहीं दिया गया जिससे यह बोर्ड कोई कार्य नहीं कर सका। हमारे देश की सबसे उधनती नदियां, ब्रह्मपुत्र और बारक असम घाटी में हैं। विभिन्न बांध बनाकर उन पर नियंत्रण का प्रस्ताव था और इसी प्रयोजन से संसद के अधिनियम में ब्रहमपुत्र बोर्ड गठित किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। जिससे सारी चीज एक मजाक बनकर रह गई है। आपने बोर्ड गठित किया, संसद से कानून पास कराया और तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार ने उसपर कोई कार्यवाही नहीं की।अतः बजट से पूर्व जो इस सदन में प्रस्तुत किया जायेगा मैं श्री मिश्र से अनुरोध करुंगा कि वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए कुछ धन रखवाये ताकि अपेक्षित सर्वेक्षण कार्य जो अपूर्ण है को हाथ में लिया जा सके और ब्रह्मपुत्र बोर्ड को अपेक्षित धन तथा सहायता दी जा सके जिससे वह देश के सबसे उपद्रवी ब्रह्मपुत्र और बारक नदी की बाढ़ को रोकने के उपाय कर सकेगा ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अनिल बसु : आपका बहुत धन्यवाद, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि प्रत्येक वर्ष हम राहत संबंधी उपायों तथा किये जाने वाले अन्य उपायों पर चर्चा करते हैं। दसवें वित्त आयोग के अनुसार नौवी पंचवर्षीय योजना में 700 करोड़ रुपए दिये गये थ। यह ठीक है। परन्तु बाढ़ों की रोकथाम के बारे में कुछभी नहीं कहा गया है। पिछले वर्ष के जल संसाधन मंत्रालय के बजट में भी इस राशि को कम कर दिया गया था।

हमारे जिले -चिनसुराह नगर जो गंगा की सहायक नदीं भागीरथी के किनारे पर है, बालगढ पुलिया स्टेशन क्षेत्र चिनसुराह क्षेत्र और शिपोराफली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि कटाव हो रहा है। यह इतना गम्भीर है कि ग्रामवासी गंगा तथा भागीरथी नदियों में बह रहे हैं। बालगढ़ पी.एस. क्षेत्र और दुतीपारा से शियांराफुली तक गंगा और भागीरथी के किनारों पर तुरन्त कटाव-विरोधी उपाय करने की आवश्यकता है। जल संसाधन मंत्रालय में इसके आवश्यक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस वर्ष ही मेरे जिले में गंगा के किनारों पर कटाव-विरोधी उपाय किये जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मई 1966 में जब हरियाणा प्रान्त बना तो हरियाणा डेफीसीट स्टेट था। वह अपने खाने का पूरा अनाज पैदा नहीं कर पाता था। एक लाख टन अनाज हम भारत सरकार से लेते थे और 10 साल में हरियाणा प्रान्त में इतनी प्रगति हुई कि हिन्दुस्तान की सरकार में पंजाब के बाद फूड ग्रेन्स के मामले में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हरियाणा का रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हरियाणा में बरसात के पानी का सबसे ज्यादा सदुपयोग हुआ।

हरियाणा प्रान्त में बरसाती नहरें बनाई गई कि जिस इलाके में ज्यादा फ्लड आए, वहां के पानी को उठाकर राजस्थान का इलाका,जो हमारे साथ लगता है, उसका लैवल हमारी जमीन से ऊंचा है और दक्षिणी हरियाणा जिसका सारा राजस्थान का बोर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस चुनाव क्षेत्र से आप आते हैं, उस इलाके से करीब सात सौ से आठ सौ फुट ऊंचा है। हमारी बदकिस्मती यह है कि राजस्थान में जब सबसे ज्यादा बरसात होती है तो वहां का सारा पानी हरियाणा में आ जाता है। इस बार केवल दो दिन, 14-25 जून को 575 मिलीमीटर बरसात हुई जबकि सालाना बरसात की औसत तीन सौ से पांच सौ मिलीमीटर तक है। नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के दो बांध-रावली और कामेरा, टूट गए। सरकार वक्त के मुताबिक उनको रिपेयर नहीं कर सकी जिससे हरियाणा प्राप्त में सैकड़ो करोड़ रुपये को फसल खराब हो गई वहां के लोग आज तक रोजमर्रा जीवन की कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पशुधन खराब हुआ, लोग मरे। कई गांव तो ऐसे थे कि उनमें हम भरसक प्रयत्न और कोशिश के बावजूद नहीं पहुंच सके। हमने भारत सरकार से करीब 44 करोड़ रुपये की मांग की लेकिन आज तक भारत सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं

आया। अगर आप पिछले साल की बात देखें, फ्लड से किसान की चार फसलें खराब हुई, दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हरियाणा में 35 लाख हैक्टेयर जमीन है जो काश्त के काबिल है और तीन-चौथाई जमीन लगातार तीन फसलों के लिए बेकार रही। हमने केन्द्र सरकार से 1004 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन हमारे साथ मजाक हुआ, केवल 39 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई 300 करोड़ रुपये का तीन तीन साल के लिए 13 प्रतिशत ब्याज पर दिया।

मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा की हरियाणा की आजकल की वित्तीय हालत यह है कि हमें 600 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार लोगों को पिछली बार के नुकसान का मुआवजा नहीं दे सकी है और दूसरी परेशानो सिर पर खड़ी है।

मैं आपके जरिए भारत सरकार से प्रार्थना करुंगा कि केवल पानी के निकालने से जमीन ठीक नहीं होती। हरियाणा ड्राउट-प्रोन स्टेट है, वहां हमेशा अकाल पड़ता है, मेहमान से ज्यादा अकाल रहता है। राजस्थान के हमारे भाई इस मामले में हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं। जिस जमीन मे कभी पानी नहीं आता और काश्त के लिए पानी जरुरी है, उस जमीन पर बाढ़ आने से उसके नीचे के साल्ट जमीन के ऊपर आ जाते हैं जिससे वह जमीन 10-15 साल तक काश्त के काबिल नहीं हो सकती।

कृषि मंत्री देख लें, सैलिनिटी की प्रौबल्म है, वाटर लौगिंग की प्रौबल्म दूसरे प्रान्तों में है। वह जमीन चार फसल खराब करने पर भी काश्त के लिए तैयार नहीं हो सकती।

मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी कभी नैचुरल कैलेमिटी हो और किसी प्रान्त की सरकार की मदद की जाए तो 25 और 75 का जो रेशियो है, वह हरियाणा जैसे प्रान्त के लिए बरदाश्त करना नामुमकिन है। इस बार सारे हरियाणा का बजट 25 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है। नैचुरल कैलेमिटी का जो भी लोन दें, वह इनटरस्ट फ्री हो और शॉर्ट टर्म न हो, कम से कम दस साल के लिए हो। दूसरी गुजारिश यह है कि जैसे राजस्थान और हरियाणा की प्रौबल्म है, उनका एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए।

ड्रेनेज सिस्टम ऐसा किया जाय कि अगर राजस्थान से पानी ज्यादा आता है तो हम उसको ड्रेन में डालकर चैनल करके उस इलाके में लिफ्ट करके ले जाएं, जहां हमसे भी ऊंची जमीन है और हम उस पानी का सही इस्तेमाल कर सकें।

हम तो ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मैं ईमानदारी से बताता हूं, हमारे राजस्थान के भाई यहां मौजूद हैं, कि हमारे इलाके में तो लोग रिश्ते भी नहीं करते थे। वे यह महसूस करते थे, किसी अच्छी जमीन वाले आदमी के वहां अगर किसी लड़की का रिश्ता हुआ, कोई मैरिज हुई तो लोग सोचते थे कि वहां बच्चे दुखी होंगे। कभी किसी किस्म के रिश्ते के लिए भी लोग नहीं आते थे और हमारा मजाक उड़ाते थे। वहां न केवल जमीन पर चलते हुए जानवर, बल्कि आकाश में उड़ते हुए कौए भी जंगल में गिर पड़ते थे,पीने के पानी की ऐसी दुर्व्यवस्था थी।

मेरी भारत सरकार से यह गुजारिश है कि जमीन के लेवल को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करे कि वाटर लॉग एरिया में बरसात के दिनों में जो पानी खड़ा हो जाता है, उस पानी को चैनेलाइज करके दूर ले जाया जा सके, जिस इलाके में पानी की जरुरत है।

रिक्लेमेशन के लिए प्रान्तीय सरकारों के पास कोई साधन उपलब्ध नहीं होते।

केन्द्र की सरकार के पास मैं अच्छा-खासा बजट होता है, मैं प्रार्थना करुंगा कि रिक्लेमेशन के लिए भी यह ज्यादा तवज्जह दें।

इन शब्दों के अलावा मेरी आपसे एक और प्रार्थना है, खास करके हरियाणा और राजस्थान में, जहां बाढ़ भी और सूखा भी बराबर चलते हैं, वहां 25:75 के अनुदान को न रखें, वहां शत-प्रतिशत मदद अनुदान केन्द्रीय सरकार की तरफ से हो।

यही मेरे सुझाव थे।

[अनुवाद]

डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभी संसद सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है और मैं भी अपने आप को उनमें शामिल करता हूं। यह चिन्ता संसद सदस्यों के लिए व्यक्तिगत रुप से है क्योंकि इस मुद्दे को हल करने की स्थिति में नहीं है। इस लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर भी अपने अपने राज्यों के मुद्दों को हल करने की स्थिति में भी नहीं है। यही कारण है कि इस मुद्दे को संसद में उठाया गया है जिससे कि बाढ़ के मुख्य मुद्दे को, जिसका देश को सामना करना पड़ता है, हल किया जा सके।

जब मैं स्कूली विद्यार्थी था तो संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा था जो इस प्रकार है।

> "ना गो प्रदानमा ना मुही प्रदानम ना छः
> अभ्दानय
> ही तथा प्रदानय् यथा वदन्ति बुधा, कि प्रदोनेपु
> अभयं प्रदानमा्"

इस श्लोक का अर्थ यह है कि सभी राज्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि 'हमें बाढों से डर लगता है।" विभिन्न राज्यों ने जो व्यक्त किया है कि जैसे ही गर्मी का मौसम शुरु होता है उन्हें दूर न होने वाली आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इस सभा में यह विशेष मुद्दा उठाया गया है और यह सार्वभौम संसद और भारत सरकार विभिन्न राज्यों के बचाव के लिए आगे आयेगी।

दुर्भायवश प्राकृति अपने ही कानून मानती है आदमी कभी-कभी इनको मानता है और सरकार आमतौर पर नहीं मानती है। यही कारण है कि आपदाओं को दूर किया जा सका है। हालांकि देश स्वतंत्रता का

50 वां वर्ष मना रहा है। इस कारण मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से अनुरोध करुंगा जबकि हम बाढ़ों पर चिन्ता व्यक्त करते हैं तो हमें उसके लिए उपाय भी ढूंढने चाहिए। उपाय किस तरह ढूंढे जाये यह काम आयोग की मारफ्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आयोग के बारे में हमारा बहुत खराब अनुभव है। कोठारी शिक्षा आयोग की समूचे विश्व में लगभग सभी शिक्षा विदो तथा विद्वानों के प्रशंसा की थी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। नई शिक्षा नीति बनाई गई थी जिसमें आदमियों को संसाधन कहा गया था। अब एक मंत्रालय है जिसे जल संसाधन मंत्रालय कहते हैं। मैं नहीं जानता कि मानूसन मौसम के दौरान पानी एक साधन है अथवा दुख का कारण। मैं अनेक मित्रों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं कि बाढ़ आयेगी और उसकी भीषणता अलग-अलग होगी और समूचे देश में बाढ़ के कारण भी अलग-अलग होंगे। अतः बाढ़ों से निपटते समय हमे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। दुर्भाग्य से स्वतंत्रा के बाद से बाढ़ों की समस्या को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं किया गया है।

मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि अनेक राज्यों को पहले ही बाढ़ों का सामना करना पड़ रहा है और असम कोई अपवाद नहीं है। आज मेरा मुद्दा यह है कि विभिन्न प्राधिकारियों ने जो बाढ़ प्रबन्ध में हैं, असम में बाढ़ को उचित रुप से नहीं समझा है।

ब्रहमपुत्र नदी बाढ़ का मुख्य कारण है और मैं नहीं जानता कि क्या मेरे विद्वान मित्र इससे अवगत हैं अथवा नहीं और मैं यह भी नहीं जानता कि सरकार इससे अवगत है अथवा नहीं। ब्रहमपुत्र नदी का मार्ग लगभग 2945 किलोमीटर है और इसमें से लगभग 50 प्रतिशत भारत से बाहर है और 10 प्रतिशत से थोड़ा कम भारत में है। इसमें से 640 किलोमीटर असम राज्य में है। ब्रहमपुत्र की 43 सहायक नदियां हैं।

जब हम बाढ़ पर चर्चा करते हैं तो हम असम राज्य के भीतर 640 किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ पर ही चर्चा करते हैं और भूल जाते हैं कि नदी का 1300 किलोमीटर क्षेत्र इससे बाहर है। चूंकि यह पिछले भाग में है इसलिए अरुणाचल अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से बाढ़ के स्वरुप से असम में बाढ़ की भीषणता अलग होगी। अतः असम में बाढ़ों की समस्या हल करते समय नदीं की पूरी लम्बाई इसको सहायक नदियों सहित ध्यान में रखनी होगी।

महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं हमारे कृषि मंत्री भी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कि गर्मी में समूची ब्रहमपुत्र घाटी एक नदी बन जाती है और सर्दियों में इस की चौडाई 2 से 15 किलोमीटर होती है और गर्मी में यह कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर से अधिक होती है। बाढ़ नियंत्रण उपाय करते समय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी के लगभग एक तिहाई किनारों का कटाव हो चुका है हजारों गांव समाप्त हो गये हैं और ब्रहमपुत्र अनेक नगरों के पास पहुंच गया है, इन बातों को ध्यान में रखना होगा। अतः असम राज्य का जो है कि असम अकेला इस नदी पर काबू नहीं पा सकता।

यदि इस नदी पर काबू पाना है तो ऐसा भारत सरकार की सहायता और सहयोग से ही किया जा सकता है। यदि भारत सरकार अकेली इस उपद्रवी नदी पर काबू नहीं पा सकती तो शायद हमें अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की सहायता लेनी पड़े।

जब श्री के.एल.राव. स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय मंत्री थे उन्हें चीन में बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने को कहा गया था चीन से वापस आने पर उन्होंने संसद में बताया था कि जनशक्ति की ही सहायता से बाढ़ की स्थिति पर काबू पाया जा सकता और दुर्भाग्य से वह नहीं रहे।

हमारे देश में 95 करोड़ लोग हैं। हम अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इस समस्या को हल कर सकते हैं। इसे उधार लिये गये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हल नहीं किया जा सकता। अतः उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से भारत सरकार से मेरा तुरन्त अनुरोध यह है कि हम अभी स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करें। प्रौद्योगिकी को बाहर से आयात नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो शायद हम बाढ़ की समस्या भी हल कर सकते हैं।

बाढों पर नियंत्रण के लिए उपलब्ध हलों पर विचार करते समय, एक महत्वपूर्ण बात को हमें ध्यान में रखना है।

संसद के अधिनियम द्वारा असम के लिए ब्रहमपुत्र बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है। यह बहुत ही असंतोषजनक है। ब्रहमपुत्र बोर्ड अकेले असम में बाढ़ की समस्या को हल नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि यह कार्यकारी गतिविधियों अर्थात कार्यकारी द्वारा बनाई गई कार्ययोजना द्वारा ही किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि क्या नौकरशाही द्वारा असम के बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों को हल किया जा सकता है अथवा नहीं। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपाय अलग अलग होंगे।

मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार, विशेषकर कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अन्य मंत्रालयों का निकट सहयोग तथा भागीदारी प्राप्त करें। वह वित्त मंत्री से भी अनुरोध करें कि लगभग सभी राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए भारी धनराशि आवंटित करे। इसके लिए तीन महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हमें बाढ़ों के साथ ही रहना है और प्राकृतिक कानूनों को मानना है।

वनों को काट दिया गया है। इस बारे में कानून होना चाहिए। एक विधेयक पुरस्थापित किया जाना चाहिए कि समूची वन भूमि पर पुनः वन लगाये जायें और नई वनस्पति को उगने दिया जाये। असम में बहने वाली सभी नदियां भूमि पर ही बहती हैं। ब्रहमपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों की सारी नदी घाटी अब सिचिंत है।

असम में केवल पांच महीने के लिए बाढ़ आती है और शेष सात महीने बिल्कुल वर्षो नहीं होती। परिणामस्वरुप इन सात महीनों में असम सूखाग्रस्त रहता है और पांच महीनों में यह बाढ़ ग्रस्त रहता है जो कि बाकी देश में नहीं होता। अतः महोदय आप के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि उन्हें विशेष नीति और विशेष उपायों के साथ असम में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए।

शायद असम में बाढ़ समस्या को हल करने वाले उपाय वैसे न हों जैसे कि हरियाणा, पंजाब अथवा केरल में बाढ़ समस्या को हल करने के लिये अपनाये जाते हैं।

मैं केरल के लोगों की भावनाओं के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं क्योंकि उन्हें तट के कटाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब के लोगों की भावनाओं के साथ ही स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : कृपया मुझे मत भूलिए।

डा. प्रवीण चन्द्र शर्मा : मैं आपको नही भूला हूं क्योंकि इस संसद के सदस्य हैं और मैं आपका तथा आपके राज्य का बहुत सम्मान करता हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देखें कि देश के लोगों के दिल में

अपराह्न 7.00 बजे

में बाढ़ के कारण डर न बैठे। भारत सरकार लोगों के लिए ईश्वर के समान है। उन्हें लोगों के बचाव के लिए आना चाहिए और यह बचाव कार्य बाढ़ शुरु होने से पहले होना चाहिए और आम लोगों के लिए यह स्थायी दुख की बात नहीं होनी चाहिए।

इन्ही चन्द शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश को प्रकृति का पालना कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देश में कही सूखा तो कहीं बाढ़ के कारण हमें प्रकृति की विभीषिका का भी सामना करना पड़ता है। जहां प्रकृति हमारे लिए वरदान है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रकृति अभिशाप भी बन जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम 193 के अन्तर्गत बाढ़ पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर बहस केवल औपचारिकता मात्र न हो या इसलिए न हो कि हमारे अपने-अपने क्षेत्रों में लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हैं, इसलिए इस पर औपचारिकता मात्र बहस करें। मैं चाहता हूं कि आप इस पर कोई ठोस और वास्तविक कदम उठाएं, तभी बात बन सकती है। मैं 1989 से सदन में सांसद हूं। मैंने देखा कि जब बरसात होती है तो बाढ़ पर चर्चा हो जाती है और उसी के साथ सूखे पर भी चर्चा कर ली जाती है। जो नेशनल कैलेमिटीज फंड बना हुआ है या प्राकृतिक आपदा कोष बना हुआ है उसमें राज्यों का हिस्सा वित्त आयोग ने निर्धारित किया हुआ है। जब बाढ़ आती है तो हवाई सर्वेक्षण हो जाता है, हवाई जहाज से खाने के पैकेट्स भी गिरा दिये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि "लीक लीक गाड़ी चले, लाक ही चले कपूत, लीक छोड़तीनों चलें शायर, सिंह, सपूत"। मिश्रा जी नये मंत्री बने हैं, नयी सरकार आई है मैं चाहता हूं कि ये लोग इस बाढ़ की विभीषिका से देश को बचाने के लिए कोई ठोस उपाय करें। सूखे के बारे में मैंने अभी चार लाइनों की तुकबंदी की थी।

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतरानन मिश्र) : आप भी तो लीक पर न चले आप ही कोई ठोस उपाय रखें। आप तो बहुत ही वरिष्ठ और समझदार साथी हैं आप ही बताइये।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर बता रहा हूं। "कही बाढ़ और कही सूखा, कारण यही कि मेरा देश भूखा, और सरकार का दृष्टिकोण रुखा, इसीलिए पीड़ितों का दिल दुखा"। यह जो स्थिति रही है। हिन्दुस्तान का बजट मानसून का जुआ है। जब बाढ़ आती है तो उससे करोड़ों रुपए की हानि होती है, पशुधन की हानि होती है, मकान तबाह हो जाते हैं। सूखा पड़ जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है। हमारे पहले सिंचाई मंत्री के.एल. राव थे। उन्होंने उस समय में एक कल्पना की थी कि गंगा को कावेरी से मिला दिया जाए। गंगा में जब बाढ़ आए तो उसका पानी उत्तर से दक्षिण को जाए और रास्ते में उसका संग्रह करके रखा जाए। उसकी धाराओं और उप-धाराओं को नहरों में काटा जाए, जिससे जो पानी समुद्र में बहकर चला जाता है उसका वर्ष भर उपयोग हो सके। इससे हर वर्ष जो भयंकर बाढ़ का समाना करना पड़ता है वह भी न करना पड़े और धरती की प्यास भी बुझे।

मान्यवर, राजस्थान के अंदर इस बार भंयकर बाढ़ का सामना करना पड़ा है। वहां पर मानसून 25-30 जून के आस पास जाता है। राजस्थान का पूरे वर्ष का वर्षा का औसत 522 मि.मी. होता है और जून का औसत 49 मि.मी. है लेकिन इस बार प्रकृति का ऐसा प्रकोप हुआ है कि वार्षिक औसत सारे राजस्थान में औसत से ऊपर लांघ गया। 18 जून से 26 जून, 1996 तक नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चुरु और सीकर के अंदर अप्रत्याशित वर्षा से बाढ़ की भंयकर स्थिति बनी और लगभग जितनी वार्षिक वर्षा होती है, उससे 400 प्रतिशत से लेकर 1500 प्रतिशत से ज्यादा वर्षा हुई है। इसका मतलब है कि नागौर का पिछले 100 साल का रिकार्ड टूट गया क्योंकि जहां वार्षिक 250 मि.मी. था, वह बढ़कर 478 मि.मी. केवल एक-दो दिन में हो गया। जैसलमेर के अंदर 14-14 साल के बच्चों ने कभी बादल नहीं देखे थे, विगत 2-3 वर्षों में कई बार बाढ़ आ जाती है। वहां का वार्षिक औसत 250 मि.मी. से बढ़कर 478 मि.मी. हो गया है। पोखरन, जहां भारी विस्फोट किया गया था, एक दिन में 175 मि.मी. वर्षा हो गयी। अलवर, भरतपुर की कोटा कासिम तहसील के अंदर दो दिन में 500 मि.मी. वर्षा हो गयी है। भरतपुर जिले की डीग तहसील में 536 मि.मी. वर्षा हो गयी है। मैंने ये सारे आंकड़े इसलिये बताये हैं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने राजस्थन के मुख्य मंत्री जी के साथ हवाई सर्वेक्षण किया था और अलवर, भरतपुर के इलाके देखे। उन्होंने अपने मुंह से स्वयं स्वीकार किया कि वास्तव में राजस्थान में बाढ़ से भंयकर नुकसान हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के पास संसाधन समिति हैं, उसके लिये वित्तीय भार सहने की असमर्थता है। इसलिये केन्द्र से विशेष सहायता के लिये अनुरोध किया गया है। इसका कारण यह है कि राजस्थान को दोहरी मार सहन करनी पड़ रही है। राज्य में एक तरफ तो सूखा पड़ता

है जहां पर पिछले 3-4 महीनों से अकाल राहत कार्य शुरु किये गये थे। इनमें 25 हजार गांव अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये हैं। वहां पर अकाल राहत कार्यखोले गये ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और वे शहरों की तरफ न जा सकें और अपना भरण-पोषण गांव में कर सकें। इन अकालग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार देने के लिये 300 करोड़ रुपये की जरुरत महसूस की गयी है। दूसरी तरफ अब बाढ़ का प्रकोप आ गया। इसके लिये हमारी राजस्थान सरकार ने एक नोट लिखा जिसे मैं उदधृत कर रहा हूं।

उसके उत्तर में दे रहे हैं 100 करोड़ रुपया।

[अनुवाद]

बचाव तथा राहत कार्यों तथा बुनियादी तथा सिविक सुविधाओं की बहाली के लिए तुरन्त 100 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं और भविष्य में हानि को कम से कम करने के लिए 200 करोड़ रुपयों की और बाढ़ से संरक्षण के लिए जरुरत है।

[हिन्दी]

जिसे आप कहते हैं कि रिलीफ के लिये दे रहे हैं। गत वर्ष हनुमानगढ़ और बीकानेर में बाढ़ आयी जिससे 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। उसके सर्वेक्षण के लिये एक टीम यहां से गयी थी लेकिन काट कर उसके राहत के लिये 21 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा कोष से देंगे। वह अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वह जल्दी चाहिये।

[अनुवाद]

अतः तुरन्त राहत के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर की जाए। ऐसा अनुमान है कि तुरन्त राहत के लिए 100 करोड़ रुपये और 200 करोड़ भी इसके अतिरिक्त आवश्यकता है।

[हिन्दी]

यह तो आपको पता भी है, इसलिए बता दिया। अब जो थोड़ा नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। कितने लोग कहां-कहां मारे गए हैं उससे आप भयावह स्थिति का पता लगा सकते हैं। हमारे माननीय साथी बोल रहे थे कि हरियाणा में पानी चला गया। यह तो प्रकृति का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश का पानी गोवर्धन की तरफ से मथुरा और आगरा की तरफ से इधर भरतपुर के इलाके में आ गया और इधर का पानी हरियाणा के क्षेत्र में चला गया। इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाकर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि पानी का स्टोरेज छोटे-छोटे बांध बनाकर, छोटे-छोटे टैंक या चैक डैम बनाकर करना चाहिए। वृक्षारोपण भी उन इलाकों में होना चाहिए। बाढ़ पर सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। अगर वही पैसा वनीकरण में लगाया जाए, अरावली को हरा-भरा करने की कोशिश की जाए, राजस्थान का बढ़ता हुआ रेगिस्तान जो पुष्कर और अजमेर तक आ चुका है, वहां पेड़ लगाने की व्यवस्था की जाए और सचन वृक्षारोपण किया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। पहाड़ों पर जो पेड़ तेजी से कटते जा रहे हैं, अरावली की पहाडियां नंगी हो गई हैं। अरावली में खनन के कारण, अरावली का दोहन होने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : यह काम तो आपकी राज्य सरकार का है।

प्रो. रासा सिंह रावत : लेकिन पर्यावरण के मामले में केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है और केन्द्रीय सरकार ने ऐसे कानून बना दिये कि उन मामलों में हम कभी-कभी बोल भी नहीं सकते।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : वहां जो पेड़ कट रहे हैं उनको रोकिए। वह तो आपके राज्य सरकार के अधिकार में आता है।

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सदस्य ने ठीक कहा। पेड़ काटने के लिए तो वह नहीं कह रहे हैं लेकिन अब तक जिन हाथों के अंदर शासन का सूत्र रहा, उन्होंने देश में आजादी के बाद ऐसे मूल्यों की स्थापना नहीं की जिससे लोग राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर वृक्षों की रक्षा कर सकें। पश्चिमी बंगाल से आए हुए सांसद को जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान वह भूमि है जहां के लोगों ने रियासती जमाने में खेजडी के वृक्षों की रक्षा करने के लिए खेजडी के पेड़ के पास खड़े होकर सीने पर गोलियां खाई और सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। राजस्थान की भूमि वह है जहां लोगों ने हिरणों को बचाने के लिए कुर्बानी दी। यह वहां की परंपरा में है। शादी-विवाहों में वृक्षारोपण किया जाता है। एक दिन का उत्सव इसीलिए होता है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : हमारे यहां ऐसा इतिहास नहीं है लेकिन सोशलल फोरेस्टरी में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है।

प्रो. रासा सिंह रावत : सोशल फोरेस्टरी के लिए केन्द्र सरकार पैसा दे तो ठीक है। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अरावली की पहाड़ियां दिल्ली से शुरु होती हैं। हरियाणा के कुछ भाग को छूती हुई वह राजस्थान तक जाती हैं। अरावली विकास योजना में जापान और विश्व बैंक ने जो पैसा दिया, उसमें राजस्थान के कई जिलों को सम्मिलित नहीं किया गया है। उसमें जो पैसा समय पर दिया जाना चाहिए और जो व्यवस्था की जानी चाहिए वह भी नहीं की गई है।

हमारे यहां फ्लड अफैक्टेड एरियाज जैसलमेर, जोधपुर, अलवर नागौर और भरतपुर हैं।

आंकड़े निम्नलिखित हैं :-

प्रभावित गांव	1,257	
क्षतिग्रस्त घर	70,000	
मरे व्यक्ति	70	(उनमें से 16 व्यक्ति बह गए)
पशु	5,000	
क्षतिग्रस्त तालाब	300	

[अनुवाद]

सड़कें : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की भारी क्षति

नमक क्षेत्र : व्यापक क्षति फलस्वम्प 15000 मजदूर बेकार हुए।

[हिन्दी]

मान्यवर, जोधपुर में जो पीने का पानी आता है, वह कैनाल के द्वारा मेन सप्लाई है। 40 किलोमीटर लंबी वह लिफ्ट कैनाल बाढ़ का पानी आने से रेत भरने से डैमेज हो गई।

[अनुवाद]

मैं और ब्यौरा देता हूं।

अन्य स्थानों में पेय जल साधनों तथा पाइपलाइन क्षति ग्रस्त हुई

बिजली सप्लाई : अनेक ग्रिड स्टेशन प्रभावित।

[हिन्दी]

इसलिए हमने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपने साधनों से रिलीफ का काम किया है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान की सूखे की स्थिति और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, राजस्थान के पिछड़ेपन और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य होते हुए राष्ट्रीय आपदा कोष से पूर्व के 21 करोड़ रुपए और इस बारे के 300 करोड़ रुपए स्वीकार करे ताकि हमारी समस्या का निराकरण हो सके।

मान्यवर, एक अंतिम बात कहने की मैं अनुमति चाहूंगा। मंत्री जी स्वयं चिंतन करेंगे और हम सभी चिंतन करेंगे। 1954 में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था और उस समय अनुमान लगाया गया था कि देश के अंदर 3290 लाख हैक्टेटर भौगोलिक क्षेत्र है और उसमें से चार सौ लाख हैक्टेअर में बाढ़ की आशंका रहती है और सरकार ने उस समय अनुमान लगाया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें से 320 लाख हैक्टेअर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन 1954 की स्थिति और आज में अंतर आ गया। लगभग 40-50 वर्ग का जो अंतराल निकला है। इस अंतराल के बाद दोबारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि हमारे देश के अंदर यह जो बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम है इसमें हमारे देश का कितने लाख हैक्टेअर क्षेत्रफल बाढ़ के अंतर्गत प्रतिवर्ष आ जाता है और कौन से उपाय हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मृतकों के जो परिवार हैं, उन्हें 50-50 हजार रुपये की राहत दी है। आपने कहा कि प्रधान मंत्री कोष से हमने भेजा है। राज्य सरकार ने कुछ दिया है कुछ आप भी दें, रेलवे की दुर्घटना में आप एक लाख रुपये राहत दे देते हैं। उन मरने वालों का क्या कसूर है, बाढ़ आई, प्राकृतिक प्रकोप हुआ, अकाल मौत के मुंह में चले गये। उन मृतकों के परिवारों को भी राहत पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। पानी की निकासी की कोई योजना हो। अभी तक पानी भरतपुर के आसपास भरा हुआ है। यू.पी. की तरफ वापस जा रहा है। जहां ऊपर था, पहले भरा हुआ था सब एक था। अब नीचे से ऊपर के इलाके की तरफ आ रहा है और ऊपर के इलाके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसकी निकासी की व्यवस्था के लिए कोई स्थायी उपाय बनाएं ताकि जो बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें स्थायी उपाय किये जा सकें और पानी की निकासी भी हो सके और बीमारियां न फैलें। बाढ़ से बहुत सा पानी भर जाता है, निकलता नहीं है जिससे नाना प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। उन बीमारियों को रोकने के लिए उपाय करें और गड्ढों में भरा हुआ पानी निकाला जाए।अगर बाढ़ का पानी आ जाता है तो बाढ़ के रास्ते में जो नदियां हैं उन नदियों पर फीडर बनाए जाएं तथा वह पानी रिजर्वायर की तरफ ले जाया जाए ताकि जितना अतिरिक्त पानी आए वह फीडर के माध्यम से उन टैंकों में एकत्रित हो जाए। पशुओं की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए।

इन्ही शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे बडे-बडे विशेषज्ञ बैठकर इस बारे में सोचें। वनीकरण की ओर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक है और साथ ही छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को देखें ताकि पानी का एकत्रीकरण हो सके और आवश्यकता के समय वह पानी काम आ सके। गंगा को कावेरी से मिलाने की बात जो देखने में एक सपना है, लेकिन अगर यह सपना सार्कार हो जाए तो मेरा देश हरा-भरा हो जाए ओर देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी 11 वक्ताओं की लिस्ट है। तय कीजिए कि क्या करना है। आज समाप्त करना है या कल के लिए पोस्टपोन करना है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि तीन-चार मिनट बोलें लेकिन हर आदमी ज्यादा समय लेता है। यह आप पर डिपेण्ड करता है।

[अनुवाद]

श्री प्रमलेश मुखर्जी (बरहामपुर) : मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो एक-दो मिनट लेंगे लेकिन जब बोलना शुरु करेंगे तो मुझे पता नहीं कि कितना समय लेंगे। चर्चा कल भी करनी है या आज कनक्लूड करनी है? ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कल तक ही ले जाना है तो आज साढ़े सात बजे तक तो जरुर कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री आस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : हम अपने भाषण आज समाप्त कर सकते हैं और मंत्री महोदय उत्तर कल दे सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ) : उपाध्यक्ष जी, आज ही जल्दी-जल्दी कर लीजिए। सबको दो-दो मिनट दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर दो-दो मिनट में करें तो हो सकता है लेकिन दो मिनट में कोई बैठता नहीं है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : चलिए, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री आस्कर फर्नान्डीज जी मुझे बताया गया है कि कन्नड भाषा के भाषान्तरणकी व्यवस्था नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि आप अंग्रेजी में ही भाषण दें।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : मुझे अंग्रेजी में बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहले विरोध प्रकट करुंगा और फिर अंग्रेजी में बोलूगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : श्री फर्नान्डीज आप को अंग्रेजी भलीभांति आती है।

श्री आस्कर फर्नान्डीज : महोदय, जब हम क्षेत्रीय भाषा में बोलते है तो लोग महसूस करते हैं कि हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

अन्यथा क्षेत्रीय भाषा में बोलने का और कोई कारण नहीं है।

महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रति वर्ष हम इस विषय को इस सदन में उठाते हैं। हमें इस समस्या का स्थायी हल ढूंढना है। अतः मेरा पहला सुझाव है कि इस सदन में बहस के अलावा इस पर राष्ट्रीय बहस भी होनी चाहिए।

दूसरे कृषि मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, समूचे देश से विशेषज्ञों से सुझाव मांगने चाहिए और इस आवर्ती समस्या का स्थायी हल ढूंढना चाहिए। अन्यथा यह एक रीति बनकर रह जायेगी।

अपराह्न 7.21 बजे

[श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए]

महोदय, आज जो भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, हमें इस समस्या को हल करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। यह केवल बाढ़ से निपटने का प्रश्न नहीं है। परन्तु यह सूखे से निपटने का भी प्रश्न है। हमारे पास पर्याप्त पानी है फिर भी हम देखते हैं कि लोग पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। इस असाधारण स्थिति से निपटा जाना चाहिए। जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है हमें बाढ़ों की रोकथाम तथा अपने लोगों को सिचाई तथा पीने के लिए पर्याप्त पानी देने हेतु हमें देश में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु भूमिगत जल को भी ग़योग किया जा सकता है। मेरी जानकारी यह है कि बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ने प्रौद्योगिकी विकसित की है जिससे बहते पानी को भी वापस कुओं में भेजा जा सकता है। इससे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कमी के दिनों में लोगों को यह पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। हमें इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए।

महोदय, मुआवजे का भुगतान आटोमेटिक होना चाहिए ऐसी बीमा योजना होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत प्रीमियम राष्ट्र दे और प्रभावित लोगों को इसका लाभ मिले। सम्पत्ति की हानि के मामले में विशेषकर जब मकानों का नुकसान हो चाहे वे लोग अमीर हों अथवा गरीब, अमीर भी गरीब बन जाते हैं अतः मध्यम आय वर्ग के लोगों को दी जाने वाली सहायत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं पुरजोर सुझाव देता हूं कि हमें ऐसी बीमा योजना बनानी चाहिए जो मुसीबत में लोगों का बचाव कर सके।

महोदय, जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है जहां से मैं आया हूं वहीं 100 व्यक्ति मरे हैं और अनकों घर नष्ट हो गए हैं। मेरे जिले में मैं तटीय जिले से आया हूं वहां भयंकर समुद्री तूफान आया था जिससे सैकडों घरों की छते उड़ गई थी। सरकार ने सहायता दी है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार लोगों के बचाव के लिए आई। केरल राज्य की भांति हमारे ही तट बहुत लम्बा है और वहां पर गम्भीर समुद्री कटाव हो रहा है। जिसे लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति प्रभावित हो रही है और समुद्री कटाव के कारण मछुआरों को बहुत हानि हो रही है। बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है, जैटीज पर प्रभाव पड़ता है और सड़कें बह जाती हैं। मेरा सुझाव है कि जैसे केरल ने समुद्री दीवार व सड़क विकसित की है वैसे ही समुद्री कटाव का मुकाबला करने के लिए कर्नाटक में बुनियादी ढांचा विकसित किया जाये। यदि आवश्यक हो तो हम इसके लिए विश्व बैंक से भी सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि विश्व बैंक से सहायता लेने का प्रस्ताव है और यदि विश्व बैंक से सहायता मिलती है तो मुझे विश्वास है कि हम स्थिति से निपट सकेंगे।

सभापति महोदय : श्री फर्नान्डीज, कृपा करके भाषण समाप्त कीजिए। आप मुख्य बातें बता सकते हैं ताकि माननीय मंत्री उत्तर दे सके।

श्री आस्कर फर्नान्डीज : महोदय, मैं केवल दो मिनट और लूंगा तूफान में नारियल के अनेक बागान नष्ट हो गये हैं तथा अन्य फसलों की भी हानि हुई है। प्रति वर्ष अनेक मछुआरों को बाढ़ अथवा तूफान के कारण हानि उठानी पड़ती है। नदी के किनारों को साफ करना होगा ताकि बाढ़ अकसर न आये। यह मुख्य कार्यक्रम है जिसे हमें हाथ में लेना है।

अन्त में, अनेक सदस्यों ने गंगा-कावेरी सम्पर्क परियोजना की बात की है। प्रश्न धन का है। हम रोजगार आवास योजना पर पर्याप्त धन खर्च कर रहे हैं। सिंचाई मंत्रालय के पास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास भी धन उपलब्ध है। ये तीन मंत्रालय मिलकर धन जुटा सकते हैं ताकि हम मुख्य परियोजना को हाथ में ले सकें। यह देश के लिए वरदान हो सकता है और इससे लोगों की आंखों से आसू पोछे जा सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, कल शुक्रवार है और राज्य सभा में भी मेरा कुछ कार्य है। कृपया आज टी समाप्त कीजिए।

सभापति महोदय : अब केवल चार अथवा पांच सदस्यों को बोलना है। मैं सभी सदस्यों ने अनुरोध करुंगा कि वे दो अथवा तीन मिनट का समय लें आप लोग केवल मुख्य बातें ही बता सकते हैं। इस प्रकार माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि माननीय मंत्री उत्तर दे सकें। मेरे विचार में, उन्हें कल पटना जाना है। अतः हमें चर्चा को आज ही समाप्त करना है।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : पानी एक कीमती वस्तु है। यह हानि भी बहुत करता है। 1995 में विभिन्न राज्यों अर्थात, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बाढ़ से बहुत तबाही हुई थी। इन बाढ़ों के कारण लाखों लोग तबाह हो गये थे और करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गई थी। हरियाणा में 5.5 मिलियन रुपयों की क्षति हुई थी। 1978 में पश्चिम बंगाल में बाढों में लगभग सात मिलियन रुपयों की क्षति हुई थी। असम में सबसे प्रभावित क्षेत्र दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, पश्चिमी दिनाजपुर, पालदा और नाडिया हैं। इस वर्ष जलपाईगुडी, दार्जिलिंग और कलिंगपोग सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। राज्य सरकार ने कालिंगपोग में 25 मीट्रिकटन अनाज तथा नकदी रुपया भेजा है। जलपाईगुडी में 100 मीट्रिकटन चावल, 2 लाख रुपए, 2000 तारपोलिन तथा अन्य खाद्य सामग्री भेजी गई है। परन्तु प्रभावित लोगों के लिये यह पर्याप्त नहीं है। अतः भारत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह सहायता दे।

हमें इस बात का पता लगाना है कि बाढ आने का कारण क्या है। आजकल ब्रहमपुत्र और गंगा से घिरे क्षेत्रों में बाढ़ आती है। मेरे क्षेत्र में गत सात वर्षों से गाद जमा हो जाने के कारण नदी ने अपना मार्ग बदल लिया है और इसमें से कई छोटी छोटी जल धाराएं निकल गई हैं। नदी की सतह भी उपर उठ रही है और उसके परिणामस्वरुप जब भी मानसून की भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी न केवल किनारों का कटाव कर देता है बल्कि यह भमि भी डुबो देता है और कभी कभी पक्की इमारतों और स्कूलों की इमारतों तथा छोटे नगरों को भी साथ बहा ले जाता है। इस प्रकार की क्षति हो रही है। राज्य सरकार ने काफी धनराशि खर्च की है परन्तु वह राशि उचित रुप से खर्च नहीं की गई है।

पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक 80 प्रतिशत पूंजी निवेश सिंचाई क्षेत्र में किया गया है परन्तु जो काम किया गया है वह बहुत कम है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सिंचाई मंत्रियों के एक सम्मलेन में एक तस्वीर पेश की थी और कहा था कि 1981 से 246 बड़ी सतही परियोजना शुरु की गई थी परन्तु केवल 65 ही पूरी हुई हैं और शेष पूरी नहीं हुई हैं। बाढ सिंचाई और बांध एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। बाढों की रोकथाम के लिए सिचांई हेतु पानी लेने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए हमें एक संयुक्त योजना की आवश्यकता है। यह एक स्थायी समस्या है। हमें बाढों के मूल कारणों का पता लगाना है ताकि इनकी रोकथाम की जा सके।

ब्रहमपुत्र क्षेत्र में, जैसाकि मेरे माननीय साथी ने कहा, तीन बृहत परियोजनाएं क्रियानिवत की गई हैं और फलस्वरुप उन्होंने 35,000 करोड़, 32,000 करोड ओर 43.8 और 25 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। तब भी हम पाते हैं कि ब्रहमपुत्र अभी भी लोगों को पीड़ित कर रहा है। जैसा मैंने पहले कहा हमें सिंचाई तथा बिजली उत्पादन और पेय जल के प्रयोजनों हेतु एक संयुक्त योजना बनानी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ में सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में पहल करे।

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : माननीय सभापति महोदय,

सभापति महोदय (श्री पी.एम. सईद) : कृपया संक्षेप में मुद्दे-मुद्दे बताइए।

श्री एस.पी. जायसवाल : माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि एक नए सदस्य को आपने बोलने का अवसर दिया।

महोदय, आवश्यकता तो इस बात की थी कि माननीय कृषि मंत्री महोदय के साथ-साथ जल संसाधन मंत्री और वित्त मंत्री भी उपस्थित होते, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि कैबीनेट की संयुक्त जिम्मेदारी है और इस नाते कोई भी मंत्री उपस्थित है, तो ऐसा माना जाता है कि पूरी कैबिनेट उपस्थित है। इसलिए मैं अपनी बात केवल कुछ सुझाव देकर समाप्त करना चाहता हूं।

बाढ़ की विभीषिका से देश के अनेक क्षेत्रों में जो तकलीफें हुई, उसका वर्णन इस सदन में विस्तार से हुआ है। लेकिन बाढ़ कैसे रोकी जाये, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस गंगा को भगीरथ ने तपस्या और खोज करके गंगोत्री से निकाला है, उस गंगा में कई हजारों वर्षों से बहते-बहते रेत काफी ऊंचाई तक आ गयी है, उसमें मिट्टी भर गयी है और गंगा उथली हो गयी है। गंगा के अदर से रेत को निकालकर गंगा को गहरा कर देना चाहिए जिससे वह पानी का समावेश कर सके। यह भी बाढ़ से बचने के लिए एक उपाय हो सकता है, उन बांधों में भी रेत का प्रभाव अधिक हो गया है, स्तर ऊंचा हो गया है। वहां से रेत निकालने की आवश्यकता है। गंगा को कावेरी से जोड़ने की बात कही गयी है। उस पर भी विचार करना होगा।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त ने जल-वृष्टि को जैसे नहरों के द्वारा अलग ले जाने का प्रयास किया गया और उसमें वह काफी सफल भी रहे। उसी तरह जहां-जहां जल के प्रभाव से नदियों में बाढ़ आती है तो उसमें हम नदियों के पानी को नहरों के द्वारा निकाल सकें। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार करके एक बड़ी योजना बनानी चाहिए। एक मास्टर प्लान की आवश्यकता है, जिस पर शासन को विचार करना चाहिए।

सभापति जी, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जो निर्मित नहरें हैं, बाढ़ के समय उन नहरों में पानी को डाइवर्ट करने की बात सोचनी चाहिए। बाढ़ का एक कारण यह भी है कि हमारे जो बांध बने हुए हैं, उनका पानी कैसे छोड़ा जाये? इस पर विवेक से काम नहीं लिया जाता। अगर इस पर विवेक से काम लिया जाये तो जो कृत्रिम बाढ़ है, उसे रोका जा सकता है। पिछले वर्ष हमारे जिले के चकिया क्षेत्र के अंदर जो बाढ़ आयी, वह रिहंद बांध का पानी अचानक छोड़े जाने के कारण आयी। वैसे तो मेरे वाराणसी क्षेत्र में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने वहां के किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया है जिससे किसान दुखी हैं। अगर आप उस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। स्वयं मैं बाढ़ से पीड़ित हूं। मैं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के कांडी नगर का रहने वाला हूं और 1956 में पण्डित जवाहर लाल नेहरु ने वहां का दौरा किया था। उनकी यात्रा का उद्देश्य वहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली क्षति का अनुमान लगाना था और उनकी कृपा से श्री मानसिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। मानसिंह समिति ने इस क्षेत्र में बाढ़ के संरक्षण की सिफारिश की थी। 40 वर्ष गुजर गये है। अभी तक केन्द्रीय सरकार ने मानसिंह समिति की बाढ़ सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु कोई उपाय नहीं किये हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह मेरे क्षेत्र को बाढ़ से बचाने हेतु मानसिंह समिति की सिफारिशों को तुरन्त लागू करे। यह नम्बर एक है।

मेरी दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया था और श्री ज्योति बसु की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल भेजा था और उन्हें कहा गया था कि वह कटाव विरोधी उपाय अपनाने और मेरे जिले मुर्शिदाबाद तथा मालदा जिले में बाढ़ से संरक्षण के उपाय करने संबंधी मांग केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखें। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने आज तक कटाव-विरोधी उपायों को स्वीकृति नहीं दी है। मैं माननीय मंत्री तथा सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह इस योजना को अपनी मंजूरी दे।

महोदय, मैं केवल एक मिनट और लूंगा। हाल ही में दक्षिण दिनाजपुर जिले में मेरे नगर से लगता हुआ नगर बलूरघाट बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। बंगलादेश से आने वाली नदी इस नगर में बहती है और 'यू' टर्न लेते हुए पुनः बंगलादेश चली जाती है इस 'यू' प्रकार के डेल्टा में बलूरघाट नगर स्थित है और यह पानी से घिरा हुआ है। आज तक बलूरघाट के लोग घिरे हुए हैं। सीमा पर बाड़ लगी हुई है और वह इतने ऊंचे स्थान पर लगी है कि वह बांध का काम करती है और लोग घिरे हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने तथा बचाव कार्य करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करे।

सभापति महोदय : श्री सैयद मसूदल हुसैन बोलेंगे। आप को केवल इन के अलावा बातें ही कहनी हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मेरे साथी बोल चुके हैं इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा। पश्चिम बंगाल में बाढ़ नहीं आती लेकिन बिहार से भेज दी जाती है। बिहार उस बाढ़ को नेपाल से लाता है और बंगाल में भेज देता है। हर साल की यही कहानी है। अभी तो नॉर्थ बंगाल का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया है। ...**(व्यवधान)** इस बारे में मेरे जिले के माननीय सदस्य ने अपनी डिमांड प्लेस कर दी है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर इंसान के जीवन की कीमत बराबर होनी चाहिए। जो लोग एयर क्रैश में मारे जाते हैं, उनके लिए पांच लाख रुपये हैं, रेलवे ऐक्सीडैंट में मरने वाले लोगों के लिए दो लाख रुपये है, कहीं कम्युनल रॉयट्स हो जाए तो उसके लिए एक लाख रुपये है, शैडयूल कास्ट्स, शैडयूट ट्राईब्स के लोग मारे जाते हैं तो उनको तीस से पचास हजार रुपये तक दिए जाते हैं, रोड ऐक्सीडेंट में भी दस-बारह हजार दे देते हैं लेकिन जो लोग बाढ़ से मर जाते हैं उनके लिए क्या है।

कुछ दिन पहले अमावस्या में कुछ लोग तीर्थस्थल में गए थे। ...**(व्यवधान)** वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के जाने की वजह से कुछ धक्का-मुक्की में लोग मरे। उनके लिए एक लाख रुपये हुए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि उनके लिए एक लाख रुपये हैं तो जो लोग बाढ़ से मारे जाते हैं, उनके लिए भी एक लाख रुपये देना स्वीकार करें। यह मेरी कृषि मंत्री से गुजारिश है।

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी (श्रीनगर) : सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करुंगा कि मैं श्रीनगर हल्के इन्तखाब से जीतर आया हूं। मेरी कौन्सटीटूऐंसी में दो जिले हैं- एक बडगाम और दूसरा श्रीनगर सिटी है। इस साल शदीद बारिशों की वजह से नदी, नालों में तुगयानी सैलाब आया जिससे तमाम सड़कें वगैरह तबाह हो गई। नदी, नाले पहले से ही भरे हुए थे। शहरी एरिया में डल एरिया पूरा पानी से भरा हुआ है। औनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में श्रीनगर का दौरा फरमाया।

उन्होंने दो घंटे तक सैलाब का हवाई सर्वे किया। उस समय उन्होंने नेहरु गैस्ट हाउस में एक मीटिंग बुलाई, तमाम पार्टियां वहां थी। हम लोगों का जो वहां जाने का रास्ता था, वह डल एरिया का रास्ता था, उसमें इतना पानी भरा हुआ था कि तमाम मैम्बरों को बसों में जाना पड़ा, गाड़ियों में हम नहीं जा सके। यही सिलसिला 17 दिन तक जारी रहा। वहां जो आबादी है, वह पानी के नीचे आ गई है। जो लोग वहां से भागकर चले गए थे, उनके तमाम मकान वहां गिर गए

हैं। उस पानी का कही निकास नहीं हुआ और न कहीं उसका रास्ता है।

मैं बड़गांव जिले से ताल्लुक रखता हूं, मेरे एरिया में जो तमाम फसल तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, वहां कोई फसल नहीं रखी, टेली-कम्युनिकेशन का सब निजाम खत्म हो गया, वहां बिजली भी नहीं है। मेरी शॉर्ट में गुजारिश है, मैंने ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुंह जबानी श्रीनगर में भी गुजारिश की कि यह मेरा एरिया है, आप देख लीजिए, यहां कितना सैलाब आया हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, खुदा के लिए आप इन लोगों पर रहम फरमाओं। इन इलैक्टेड एरियाज में हमारे जमीदारों ने जो धान लगाया था, वह बर्बाद हो गया है, सड़कें भी बर्बाद हो चुकी हैं, इसलिए इन एरियाज में जवाहर रोजगार योजना के तहत रिलीफ के काम शुरु किए जाएं ताकि इस इलाके के लोगों को, जो इस वक्त भूखे हैं और बेकार हैं, उनको रोजगार मिल सके।

मेरी दूसरी गुजारिश यह है कि हमारा कश्मीर पहले से 7-8 सालों से मिलिटेंसी की वजह से इफैक्टेड है, वहां बेकारी आम है, वहां बेरोजगारी है, टूरिज्म खत्म है, कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे भी बेकार हैं, उनको मरकजी हुकूमत मरकजी दफ्तरों में लगाने का इन्तजाम करे।

जवाहर रोजगार योजना के तहत वहां काम शुरु किया जाए ताकि उनको मजदूरी मिले। दूसरा मेरा मुतालबा है, मैं बस इतना ही कहूंगा कि वहां पर एक महीने के लिए फ्री राशन भी इफैक्टेड एरिया के लोगों को दिया जाय, जिनका नुकसान हुआ है, जिनका मकान का नुकसान हुआ, धान का नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सरकार को क्या करना चाहिए, उसके लिए सुझाव दीजिए।

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगनी (श्रीनगर) : सिर्फ एक महीने के लिए फ्री राशन के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा किया है। श्रीनगर में भी किया है कि वह छह महीने के लिए उनका राशन दिया जाय और वह फ्री दिया जाय। बाकी आम जगह पर भी राशन का इन्तजाम किया जाय।

श्री पीताम्बर पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, बाढ़ तो देश के लिए प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मैं जहां से आता हूं, उत्तरी बिहार के करीब-करीब बीस जिले ऐसे हैं, जिनमें बाढ़ आना नियति है और छह महीने तक पानी उसमें मेहमानी करता है। ये जिले हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, झंझारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, अररिया, बांका, शिवहर। ये सब ऐसे जिले हैं कि इन तमाम जिलों में पानी आ गया है, बाढ़ आ गई है। यह पानी नेपाल से आता है। नेपाली नदियां हैं, बूढ़ी गंडक, करेर, कमला, जीवच्छ, भूतही बलान और सबसे बड़ा अभिशाप कोसी है। हर साल बाढ़ आती है और नेपाल से ये नदियां निकलती हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बाढ़ का निदान बिहार सरकार से होना सम्भव नहीं है। जब तक भारत सरकार इसमें नेपाल सरकार से पहल नहीं करेगी, जब तक बात नहीं होगी, तब तक इसका निदान नहीं हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज पूरा क्षेत्र बाढ़ से घिरा हुआ है।

कुशेश्वर स्थान एक ऐसा धाम है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहां रास्ता अभी बिल्कुल बंद है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा, माननीय मंत्री जी भी जानते हैं, यह भी बिहार से आते हैं और बाढ़ के इलाके में इनका भी घर है, मैं आग्रह करुंगा कि एक बार कम से कम अभी उस इलाके का, बाढ़ के इलाके का निरीक्षण करें।

उसमें बिहार सरकार को अधिक से अधिक केन्द्र सरकार द्वारा राहत कार्यों के लिए पैसा देना चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि वहां दरजिया-सुइया बांध कोसी नदी पर बनाया जाए। इससे कीरतपुर, निरोल, हसनपुर और कुशेवर प्रखंडों के लोग बच सकते हैं, जान-माल की रक्षा हो सकती है और फसल की बर्बादी को रोका जा सकता है।

डा. अरविन्द शर्मा (सोनीपत) : माननीय सभापति महोदय, बाढ़ हो या सूखा हो, सबसे ज्यादा मार किसानों और मजदूरों पर पड़ती है। बाढ़ या सूखे में मुआवजे का जो वितरण होता है, मैं उसके बारे में एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथी सदस्यों ने उस तरफ सदन का ध्यान नहीं दिलाया है। हरियाणा में पिछली बार जब सोनीपत, जीन्द और रोहतक जिलों में बाढ़ आई तो गरीब किसान और मजदूर उसकी चपेट में आए, लेकिन उनको पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला। हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोग हमसे पिछली बार के मुआवजे के बारे में बात करते हैं। अगर 5000 रुपये का मुआवजा केन्द्र सरकार से चलता है तो किसान को जाकर केवल 200 रुपये ही मिलते हैं। आज भी हमारे यहां गरीब किसानों और मजदूरों के तथा हरिजन-दलित लोगों के घर नहीं बने हैं, जोकि पिछली बार की बाढ़ में गिर गए थे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मुआवजा वितरण समिति में वहां के सम्बन्धित सांसद को जरुर रखा जाए। इससे अधिकारियों के ऊपर चैक रहेगा और मुआवजे का भी वितरण ठीक ढंग से हो सकेगा।

अबकी बार फरीदाबाद और गुडगांव जिलों में बाढ़ आई है, वे बुरी तरह बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमारे हरियाणा के सांसदों ने जो मांग की है, उसको जल्दी से जल्दी पूरी करके हरियाणा सरकार को राशि दी जाए।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ) : सरकार बाढ़ के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर और रुरल एरिया में प्रभावित लोगों को मुआवजा देती हैं। वह देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन अर्बन सेक्टर के अंदर भी बाढ़ और बारिश से काफी नुकसान होता है। वहां पर छोटे कर्मचारी, छोटे दुकानदार जो हैं, जिनका एक मरले का, दो मरले का मकान होता है, उनकी भी जान-माल की क्षति होती है। जहां आप एग्रीकल्चर और रुरल सेक्टर में मुआवजा देते हैं, वहीं अर्बन सेक्टर में जो छोटे दुकानदार, कर्मचारी और मजदूरों का नुकसान होता है, उनको भी मुआवजा देने के बारे में विचार करें, क्योंकि उनका भी

नुकसान बारिश से होता है। इसका कोई स्थाई समाधान निकालने की भी कोशिश करें।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर इस बार सूखा है। लेकिन तीन साल पहले इतनी बाढ़ आई थी कि गांवों का नामो-निशान ही मिट गया। मुआवजा भी कम दिया जाता है। कही पर 200 रुपये और कही पर 1000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इसका आंकलन करने की नए तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री गिरधारी यादव (बांका) : अभी तक उत्तरी बिहार में बाढ़ की चर्चा सुनते आए हैं, लेकिन पिछले साल बांका में जोकि दक्षिणी बिहार में है,वहां भयंकर बाढ़ आई थी। जिसकी वजह से 100 लोग मारे गए और 40000 लोग बेघर हो गए। लेकिन अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों है। वहां रेल लाइन भी बंद पड़ी हुई है और पुल भी चालू नहीं हो पाया है। चानन नदी और रोहिणी नदी में इतनी बाढ़ आई कि पूरा बांका बह गया, 40000 लोग बेघर हो गए ओर 100 से अधिक लोगों की जानें गई। इस प्रकार वहां जान-माल की काफी क्षति हुई है, जानवर भी बह गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई राहत कार्य शुरु नहीं हो पाया है। मेरी मांग है कि जो 40000 मकान गिर गए हैं उनकी जगह पक्के मकान बनाए जाने की घोषणा की जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मंत्री जी का जवाब कल कराया जाए। इनका महत्वपूर्ण भाषणा होगा, क्योंकि सारा राष्ट्र बाढ़ से प्रभावित है, सब इसको सुनेंगे और देखेंगे, मगर अभी कोई सुन नहीं पाएगा। यह हमारे मंत्री जी का अपमान है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री जी आज ही जवाब देंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की है। उससे भी ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि उनकी राय काफी कारगर है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। मैं सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा किया है। मैं उन सदस्यों को सिर्फ विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे से बहुत बड़ी-बड़ी आशाएं की हैं। मैं आपकी आशा के अनुरुप सही उतर सकूं तो मुझे खुशी होगी लेकिन परिस्थिति बड़ी गंभीर है, आप सभी इस बात को जानते हैं।

महोदय, अब हम कुछ बातों को कहना चाहेंगे। हमारा जो मंत्रालय है उससे जो संबंधित बात है हम कानूनन उसी बात की चर्चा आपसे कर सकते हैं। यहां ज्यादातर मित्रों ने ...**(व्यवधान)**

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : मेरा अनुरोध है कि कोई भी मंत्री जो यहां उपस्थित है, संयुक्त जिम्मेदारी पूरे मंत्रिमंडल की है। आप कृषि मंत्री हैं। **(व्यवधान)** आप केबिनेट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए आप केवल अपने विभाग की बात न करें, संपूर्ण बात करें ...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आप जो समझे हैं उसमें वह बात नहीं है। इसमें अभी हम कृषि विभाग से जो संबंधित है उसी के बारे में कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टेम्पेरेरिली प्रधान मंत्री हो गए, ऐसा नहीं होता है। **(व्यवधान)** आप लोगों की यह चिन्ता है कि इसका स्थाई निदान निकाला जाए, इसमें मैं पूर्णतया आपके साथ हूं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि उसी विषय पर बहस करने के लिए आप नोटिस दें और हम चेयर से अनुरोध करेंगे कि उसको जवाब भी दे सके और उसका कोई निराकरण भी निकल सके। आप में से कुछ लोगों ने आग्रह किया है कि आप हमारी बातों को उनके पास पहुंचाएं। उनके पदाधिकारी स्वयं यहां बैठे हुए हैं, फिर भी मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं आपकी बातों को, आपके पूरे के पूरे भाषण को या जिस्ट निकाल करके विभिन्न मंत्रालयों को पहुंचा दूंगा। उसमें चाहे जल संसाधन हो,पर्यावरण हो, चाहे वित्त विभाग हो, उनको पहुंचा दूंगा।

दूसरा जो आपने सवाल उठाया है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी बात यह आई है कि जो पैसा हम लोग देते हैं वह रकम बहुत कम है, मेरा ख्याल है कि इस पर विचार करने की जरुरत है और शायद प्रधानमंत्री जो ने इसको समझा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने 50 हजार रुपया मृतकों के लिए दिया है। यह तो बात जाहिर है कि यह रकम बहुत कम है। **(व्यवधान)** हमारे यहां से जो तय हुआ था उसको आप लोग मुआवजा-मुआवजा कहते हैं, मुआवजा तो बहुत बड़ी रकम होती है। हमने भी आपको जो क्षति दिखाई है उतनी ही क्षति नहीं है, उसकी पूर्ति करेंगे तो वह कई गुना बढ़ जाएगी। इतना देने की हालत में हमारी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी कलैमिटी रिलीफ फंड से जो मिलना चाहिए था उसमें 20 हजार रुपए मृतकों के लिए मिलना चाहिए था, यह आज से 2-3 साल पहले तय हुआ था।

अपराह्न 8.00 बजे

यह रकम बहुत कम थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने इसमें 50 हजार रुपए और जोड़ दिए। ...**(व्यवधान)** अब यह रकम एक लाख या इससे ज्यादा हो सकती है। उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था करने के लिए सोचा है। लेकिन अभी तो यह रकम फंड की 20 हजार मिलाकर कुल 70 हजार हुई है। हमें इसे और बढ़ाने के लिए विचार करना चाहिए।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : बाढ़ में जो मर जाते हैं उनके लिए तो व्यवस्था है लेकिन अकाल में जो मर जाते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है?

श्री चतुरानन मिश्र : हमारे यहां दोनों की चर्चा हो रही है। बाढ़ में भी ऐसा होता है और सूखे में भी। आपके कालाहांडी के बारे में अलग से बताया है।

श्री भक्त चरण दास : 1986 से 1989 तक ढाई हजार लोग मर गए थे लेकिन उनमें से किसी को कोई पैसा नहीं मिला।

श्री चतुरानन मिश्र : यह साबित करना कि कोई व्यक्ति भूख से मरा है बड़ा मुश्किल होता है।

श्री भक्त चरण दास : पांच लोगों के बारे में हाई कोर्ट ने साबित किया था और उन्हें 25 हजार रुपया भी दिया गया था।

श्री चतुरानन मिश्र : कोई भी डाक्टर किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने का प्रमाण-पत्र नहीं देगा। यही कहेगा कि हार्ट-फैल हुआ है। भूख नाम की कोई बीमारी नहीं है। जो बूढ़े या कंगाल लोग हैं उनके लिए पांच रुपये प्रति एडल्ट और तीन रुपए बच्चों के लिए, खाने की बात तो अलग है, इतने में तो नाश्ता भी नहीं होगा। इसी तरह से जो छोटे-छोटे किसान हैं उनके खेत में अगर बहुत ज्यादा बालू या सिल्ट भर गया है तो उनके लिए 2500 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी कहकर दिया गया है। जहां प्लांटैशन्स हैं उसके लिए 500 रुपए प्रति हैक्टेयर था। जहां पर लैंड-स्लाइड्स हुए हैं उसके लिए 5000 रुपए पर फैमली केन्द्रीय सहायता है। पशुओं के चारे के लिए आठ रुपए रोज था। बूढ़े को पांच रुपए और जानवरों को आठ रुपए। आप विचार करें कि कौन समाज के लिए ज्यादा जरुरी है। हम तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं। आप मालिक हैं। आप जैसा करना चाहो कर लीजिए। मकान बनाने के लिए चार हजार रुपए है। इसमें तो आप मकान बना नहीं सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना में जो मकान बनता है या इंदिरा आवास योजना में जो मकान बनता है, कुछ इस किस्म का इंतजाम होना चाहिए। मैंने इस पर ध्यान दिया है कि कैसे इसको सम्यक बनाया जाए, आपके विचारों के अनुकूल कैसे इसे किया जाए। मैं इसकी व्यवस्था करना दूंगा। ...**(व्यवधान)**

श्री सत्य पाल जैन : इसमें लैंड-लैस लेबर को मुआवजा नहीं मिला।

श्री चतुरानन मिश्र : उस पर हम आ रहे हैं। आप लोगों ने जो फसल बीमा की बात की है, मैंने उस पर ध्यान दिया है। आप लोगों ने तो कई बार कहा है कि नये दृष्टिकोण से विचार किया जाए। मैं आदमी तो बूढ़ा हूं लेकिन विचार नया है। ...**(व्यवधान)**

श्री सत्य पाल जैन : आपको किसने कहा कि आप बूढे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने फसल बीमा पर विचार किया है। वह वास्तव में सरकार का लोन-रिकवरी बीमा है। जिसने कर्जा लिया है उसी को यह मिलता है, ताकि सरकारी कर्जा वापस आ जाए। सारे लोगों के लिए फसल बीमा नहीं है। एक एकड़ या आधी एकड़ भूमि वालों के लिए फसल बीमा नहीं है। ...**(व्यवधान)** मैंने जी.आर.वाई. पूरा तो पढ़ा नहीं हैं, उसको पढ़ने में घंटा लग जाएगा। आपने जिन बिंदुओं को उठाया है, उनको देख लेते हैं। जहां तक फसल बीमा के मुआवजे की बात है, मैं समझता हूं हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है।

मैं इतना चाहता हूं कि फसल लगाने में जितना पैसा खर्च होता है उतनाभर हर किसान को मिले चाहे वह छोटा किसान हो या मध्यम किसान हो। लेकिन इसमें टिक्कत यह है कि यहां पर प्रीमियम सरकार देती है और फिर जब कर्जा देती है तो काट भी लेती है। कोई घर से नहीं देती है। अगर सब के लिये देंगे तो इसका कुछ प्रीमियम देंगे, नही तो कम्पनी दिवालिया हो जायेगी। मैं इस पर आपके सुझाव चाहता हूं। उसपर विचार करने के लिये तैयार हैं। हम एक जगह 5 एकड़ तक मालगुजारी की माफी देते हैं तो क्या वह पैसा नहीं है जो उनसे लिया जाये जिसके जरिये हम बीमा को सफल बना सकें। इसके लिये मैंने मंत्रालय से कहा है कि कम से कम कैपिटल कॉस्ट तो दे दें इसका अध्ययन करने के लिये कहा है। हमारे प्रधान मंत्रीजी एक रोज कह रहे थे कि इस बारे में सोचा जाये तो अच्छा होगा। इस पर आप लोग भी मदद करें। किसी रोज उस पर चर्चा करने के लिये माननीय सदस्यों को बुला लेंगे। कुछ लोगों ने चर्चा भी की है। हर साल बाढ़ आती है, हम चर्चा करते हैं और इसी तरह होता रहता है। जैसाकि शंकराचार्य जी ने कहा है हर दिन सुबह होती है, दोपहर होती है, संध्या होती है, फिर सुबह होती है। ऐसा तो चलता रहता है लेकिन आप लोगों ने सार्थक बहस चलायी है। दूसरे मंत्रालय में जाकर हम उसका स्थाई समाधान करेंगे।

माननीय सदस्य हमारे पास कई विषय लेकर आते हैं। हम उसका यहां पर यह कहकर जवाब नहीं देना चाहते हैं कि "आई एम लुकिंग इनटू" हम इसको रोक देना चाहते हैं। हमारे सैक्रेटरी, जाइंट सैक्रेटरी आये हैं, आपसे डिसकस कर लेते हैं। या तो तुरंत समाधान हो जाता है या फौलो अप हो जाता है। हम ऐसा तरीका निकालना चाहते हैं जिसमें आपके सहयोग की जरुरत है। आपका जो पत्र जायेगा, उसका एकनॉलेजमेंट 15 दिन में आयेगा और उसका जवाब जल्दी देना पड़ेगा। यदि हमारे पास आयेगा तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि उसका जल्दी जवाब भिजवा दें। आपसे सुनिश्चित करके इसका रास्ता निकाल देंगे और आपने जो कहा है, हम उस बात को बेकार नहीं जाने देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे अफसर तैयार हो गये हैं। अगर उनमें से एक-दो नहीं मानेंगे तो उसके लिये भी नियम बने हैं। उनके खिलाफ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का चार्ज लगाया जा सकता है। फिर भी सभी आदमी सहयोग कर रहे हैं।

मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं यदि आज ऐसी खराब स्थिति आ गयी है तो आप बताइये क्या किया जाये। कल जुमां का दिन है। आप लोग अपने इलाके में जायेंगे। वापस आने पर बताइयेगा कि कौन कौन सी जगह पर बाढ़ आई। अभी बरसात चल रही है। अभी हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास, सरकार के पास, राज्य सरकार के पास साधन नहीं हैं, अगर चाहें कि बिना रुपये के मर जायेंगे, यह परिस्थिति नहीं आयेगी। अगर आप चाहें तो हम पढ़कर सुना देते हैं कि प्राकृतिक आपदा कोष में ज्यादा रुपया नहीं है। हम लोगों ने यह लिखकर सब को पत्र भेज दिया है ताकि डिटेल्ड इंफरमेशन रहे। आपने उसका उपयोग किया है और अच्छी बहस की है, हमें अच्छा लगा। इस तरह से हमको सचमुच प्रसन्नता है और हम आगे से और भी जानकारी आपको दिया करेंगे ताकि अच्छी डिबेट चले और इसका निराकरण हो।

असम के माननीय सदस्यों ने बड़ी चर्चा की है। वहां सचमुच हालत बहुत खराब है लेकिन अभी भी आपका 18.75 करोड़ रुपया बाकी है। जब चाहिए आप ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी सरकार रिपोर्ट तो भेजे कि सारा रुपया खर्च हो गया, हमें और

चाहिए। यह रिपोर्ट नहीं आएगी तो हम रुपया कैसे भेजेंगे? जिन राज्यों ने रिपोर्ट भेजी है वह हम बताते हैं। हरियाणा ने जिस दिन कहा, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही हमने सेंट्रल टीम डिसपैच करने का आदेश दे दिया। दूसरा है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हमारे माननीय सदस्य शायद चले गए हैं।

एक माननीय सदस्य : वे भाषण देकर चले गए।

श्री चतुरानन मिश्र : फ्लड भी यही करता है कि आता है और चला जाता है। जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट आई तो हमने वहां भी सेन्ट्रल टीम डिसपैच की है। बाकी राज्यों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। राजस्थान के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके मुख्य मंत्री ने कहा कि 300 करोड़ रुपया तुरंत चाहिए या 100 करोड़ रुपया चाहिए। यह पैसे की बात तो ठीक है लेकिन क्षति कितनी हुई है, कितनी फसल बरबाद हुई है, कितनी जमीन बरबाद हुई है, यह रिपोर्ट भी तो देनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को सुनो व्यवधान न डालो वह महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : जो भी फसल बीमा योजना है, उसकी त्रुटियों के बारे में हमने आपसे चर्चा की है लेकिन जो है उसका भी फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं यह हमें समझ में नहीं आता। बाढ़ या सुखाड़ आने से पहले एक नोटिस देना पड़ता है कि फलां जगह फसल बरबाद होने की संभावना है। तब हमारी इंश्योरेन्स कंपनी उसके लिए तैयार करेगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि खरीफ 85 से खरीफ 95 तक असम ने सिर्फ 0.50 करोड़ रुपया लिया है लेकिन गुजरात ने 102 करोड़ रुपया लिया है। आंध्र प्रदेश ने 167 करोड़ रुपया लिया है। बिहार मात्र 34-35 करोड़ रुपया लिया है।इनसबकी लिस्ट हम कल आपको भिजवा देंगे। हमने मंत्रालय को कह दिया है कि ये सब चीजें कोई गुप्त चीजें नहीं हैं। ऐटम बम नहीं बना रहे हैं कि सीक्रेट है। ये सब जनता की संपत्ति है और माननीय सदस्यों को दे दीजिए। हम तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके सेवक हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है। आपको हम यह नोट भिजवा देंगे नहीं तो पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। हमने इतना कहा कि आपके लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें करीब 1200 करोड़ रुपया हमने करीब 1985 से करीब 1995 तक दिया। आप उसका फायदा उठाते तो निश्चित रुप से और ले सकते थे। वेस्ट बंगाल हो या कोई और प्रांत हो सबकी जानकारी आपको इस नोट में मिल जाएगी। एक-एक करके बताएंगे तो डिसक्रिमिनेशन होगा कि एक की जानकारी दे रहे हैं और दूसरे की नहीं इसीलिए हमने कहा कि अभी तक की यह व्यवस्था है। रुपया है हमने आपको बता दिया। वह आपको मिल गया है। राजस्थान का 33 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा जमा है। जिस वक्त चाहिए रिपोर्ट देकर पैसा ले जाइए। हम आपको ऐडवांस में भी दे सकते हैं। आप एडवांस ले लीजिए। अगर कुछ जयादा होगा तो पांचवें साल में ऐडजस्ट कर लेंगे। बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो अलग बात है। अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम पूरे पांच साल रहेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हमारा सहयोग तो नहीं रहेगा। हम तो आपको जल्दी से जल्दी उतारना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि पिछली बार राजस्थान में बाढ़ आई थी। ...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आप क्यों धैर्य खो रहे हैं। हम उस पर भी आ रहे हैं। आपका 21 करोड़ रुपया बकाया है। ...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हमने कहा है कि वह रुपया सैंकशंड है। 21 करोड़ रुपया तो दे दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : आप सही बोल रहे हैं आप ही का नहीं बिहार का भी बाकी है और कई राज्यों का बाकी है। सभापति महोदय, यह हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां से तो तय हो गया अब वित्त मंत्रालय में है तो वहां आकर लोग अपना काम करेंगे। हमारे यहां खजाना तो नहीं है कि हम गठरी बांध-बांध कर दे दें। हमारे यहां से तो सैंक्शन हो गया है और जो उसकी कमेटी है उसने सैंक्शन करके दिया है। अब वित्त मंत्रालय में जाकर बात कीजिए। हमारे यहां बिना सैंक्शन के एक पैसा भी नहीं रुका हुआ है। जो हमारे पास आया है, जो नहीं आया है उसकी चर्चा हम करेंगे। अब हम कुछ बिंदुओं पर जल्दी-जल्दी चर्चा करेंगे जो आप लोगों ने उठाए हैं। जो हमारे केरल के करीब सभी माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। जो सी-इरोजन होता है, वह हमारे विभाग के अंदर नहीं है। अगर होता तो हम उसके लिए सहायता करने के लिए तैयार हैं। दूसरा सवाल महाराष्ट्र के माननीय सदस्यों ने उठाया था, वह भी उसी से संबंधित है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : सी-इरोजन कर्नाटक में भी है।

श्री चतुरानन मिश्र : यह भी ठीक है लेकिन हमारे मंत्रालय में नहीं आता है। कालाहांडी, उड़ीसा के बारे में कहा है। वहां पहले कई बार भुखमरी हो गई। माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां लोगों में भगदड़ मची हुई है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो हम ग्रामीण विभाग को तुरंत कहेंगे कि वहां पर जाकर यथाशीघ्र उसको करे और आपकी रिपोर्ट तो यहां पर आई नहीं है लेकिन हम उस रिपोर्ट को सरकारी तरीके से मंगवा लेंगे उसे देखकर प्रयास करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि रुरल डेवलपमेंट के अंडर जे.आर.वाई. है और जो दूसरे संबंधित विभाग हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे ताकि तुरंत काम हो सके।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मंत्री जी, गरीबों के पक्के मकानों का क्या होगा?

श्री चतुरानन मिश्र : पक्के मकानों के बारे में हमने जैसा पहले कहा कि इंदिरा आवास योजना में जितने भी आते हैं उनके बारे में हम अपनी तरफ से रुरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि अगर मकान बाढ़ से बर्बाद हो जाए या आगजली में जल जाए। तो हम उन लोगों को इंदिरा आवास योजना में प्राथमिकता दें, बाद में और लोगों को दें यह हम अनुरोध करेंगे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : महोदय, आपकी परमीशन से एक सूचना देना चाहूंगा कि उड़ी में जितनी भी फूड प्रोक्योरमेंट होती है उसमें कालाहांडी और कोरापुट का नंबर दूसरा है और फिर भी वहां के लोग भुखमरी से मरते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां जो प्रोपर लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए था और जरुरतमंद लोगों के पास जमीन जानी चाहिए थी, यह नहीं हुआ और ये आपके विभाग से संबंधित है। आप जरा इस पर ध्यान दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : यह हमारे विभाग से तो संबंधित है लेकिन हम उनको सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं। लैंड का जो मामला है। सभापति महोदय एक्सक्लूसिवली राज्य सरकार का है। ...**(व्यवधान)**

श्री सैयद मसूदल हुसैन : वहां भुखमरी क्या कभी खत्म नहीं होगी? ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना में जिन लोगों के मकान गिर जायेंगें तो आप डाइरेक्शन देंगे उस पर मेरा संशोधन यह था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंदिरा आवास योजना के क्राइटीरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रिलीफ के तौर पर आप पक्के मकान बना दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री चतुरानन मिश्र : आपका जो सुझाव है उसके अनुसार हम विभाग को विचार हेतु निर्देश देंगे।

श्री राम कृपाल यादव : रिलीफ के मालिक तो आप हैं रिलीफ तो आपको ही देना है।

श्री चतुरानन मिश्र : पैस तो हम भेज देंगे वहां पर करना तो आपको है।

श्री राम कृपाल यादव : सर, आप डाइरेक्शंस दे दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : हम डाइरेक्शन कैसे दें। संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक हम और दूसरे अनुच्छेद के मुताबिक राज्य सरकार एक सीमा में बंधी हुई है।

श्री राम कृपाल यादव : तो क्या राज्य सरकार को सुझाव दिया जायेगा?

श्री चतुरानन मिश्र : मैं सुझाव ही कह रहा हूं, हम आदेश नहीं दे सकते। **(व्यवधान)**

श्री सत्य पाल जैन : मंत्री जी, आप इतना तो कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि यह जो नोट जाना है या एडवांस जाना है वह राज्य सरकार को जायेगा। आपने सैंक्शन करके वित्त मंत्रालय को भेज दिया। वित्त मंत्रालय उसको एक महीने रिलीज नहीं करता है तो तब तक तो लोग मर जायेंगे। **(व्यवधान)** आप सदन को इतना आश्वासन तो दें कि आप वित्त मंत्रालय से पैसे की क्लिअरेंस कराकर भिजवा देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जैन आप नये सदस्य हैं। अतः मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी स्पष्टीकरण तभी मांग सकते हैं, जब मंत्री जी अपना भाषण रोक कर आपको सुनने के लिए तैयार हों अथवा यील्ड करें बस इतना ही।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : हम तो इन लोगों की बात पर यील्ड कर ही रहे हैं, कल से यील्ड करते करते यहां तक आ पहुंचे हैं और जुम्मे की नमाज से बचने के लिये यहां बैठे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : मंत्री जी, क्या आप सरकार से कहेंगे ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने अभी बताया कि अगर मिनिस्टर साहब आपको यील्ड करें तभी आप कोई क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : यहां एक माननीय सदस्य की तरफ से डिजैस्टर कंट्रोल के लिए कुछ उपकरण राष्ट्र संघ से मंगाने का सुझाव आया था, लेकिन मैं इसे अपमानजनक मानता हूं। हमारे देश में इतना अन्न है कि हम किसी दूसरे से खैरात लेने के पक्ष में नहीं हैं।

यहां पर 21 करोड़ वाली बात आई, जिस पर हमने पहले ही कह दिया है। दियारे के कटाव का सवाल आया था, राम कृपाल बाबू का था। फसल बीमा का सुझाव भी आया था, उसे हम दिखला लेते हैं कि कटाव हमारे अंडर है या किसी दूसरे विभाग के अंडर है। वैसे हमारे मंत्रालय का हाल गजब का है। ईख की बुआई से लेकर कटाई तक हमारे विभाग में आता है, कटाई से लेकर चीनी की पेराई तक राज्य सरकार के अंडर है और जब चीनी बन जाती है तो फूड मंत्रालय के अंडर आता है। इसलिये इसमें काफी झंझट है। उसे हम देखेंगे। इरोजन का मामला हमारे अंडर नहीं है।

श्री सत्य पाल जैन : हम चाहते हैं कि तीनों मंत्रालय आपको मिल जाएं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : कभी आप मंत्रालय देना चाहते हैं, कभी जल्दी से उतारना चाहते हैं, आखिर क्या चाहते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : एक माननीय सदस्य ने 22 फिशरमैंन की डैथ के बारे में जिक्र किया था लेकिन वह प्रकरण हमारे विभाग की जानकारी में नहीं है। अगर आप नाम भेज देंगे तो हम उसकी इंक्वायरी करायेंगे।

जहां तक फसल बीमा के सुझाव का संबंध है, अगर करोड़ों आदमी उसके सदस्य हो जाएंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा, यदि लाखों की संख्या में रहेंगे तो प्रीमियम कुछ हाई हो जाएगा। नई पौलिसी के बारे में आप लोगों ने सुझाव नहीं दिया और जो कुछ माननीय सदस्यों ने बताया, उस पर कहा जा चुका है।

जहां तक ब्रहमपुत्र बोर्ड वगैरह की बात है, वैसे हमारे विभाग से यह संबंधित नहीं है लेकिन एक बात मैं माननीय सदस्यों से कहना

चाहूंगा कि हमने जो कौमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उसमें कहा गया है कि जो योजनाएं बहुत दिनों से लम्बित हैं, उसके लिये हम पैसा देंगे, साधन देंगे। जहां तक हमें सूचना मिली है, प्लानिंग कमीशन 500 करोड़ एंड एवज की जितनी योजनाएं बहुत दिनों से लम्बित हैं, उनके लिए इसी बजट में कुछ न कुछ देना शुरु करेगा। सही स्थिति तो बजट आने पर ही मालूम होगी और तभी आप लोग जान पायेंगे। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बतायें।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : वैस्ट बंगाल अगर हमारे पास रिपोर्ट भेज देगा

[अनुवाद]

मेरा पश्चिम बंगाल की तरफ उतना ही झुकाव है जितना देश के किसी अन्य भाग की तरफ आप की तरफ तो ओर भी।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह आप की मेहरबानी है। कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में बतायें

श्री चतुरानन मिश्र : मैं अपनी जेब से निकाल कर कुछ पश्चिम बंगाल को नहीं दे सकता आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं। तथ्य दिखाये मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं क्योंकि समूचे भारत में लोगों की सहायता करने का हमारा प्रयास है।

[हिन्दी]

ब्रहमपुत्र बोर्ड की चर्चा मैंने इसलिये की क्योंकि

[अनुवाद]

यह सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है और बार बार इस बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : चर्चा के पूरा खत्म होने के बाद मेरी तरफ से भी एक सुझाव है।

श्री चतुरानन मिश्र : आपका सुझाव सिर पर है।

सभापति महोदय : बहस के दौरान कई मैम्बरों ने यह बताया था कि देश में हर साल बाढ़ आती है और जहां वाटर नहीं होता है वहां फैमीन होता है। इसके लिये उत्तर से दक्षिण को जोड़कर आप कोई ऐसी स्कीम निकालिए, वैसे आप बहुत एबल मिनिस्टर हैं, ऐसी स्कीम के बारे में सुझाव बहस के दौरान आया था, उस पर आप जरा गौर करके सोचिए।

श्री चतुरानन मिश्र : हम गौर से सोचने के लिए तैयार हैं इसीलिए तो हमने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वही सब्जेक्ट कॉल-अटेंशन या कुछ और माध्यम से लाएं तो मंत्रालय के लोग आएंगे और हम लोग डिबेट करेंगे। इसमें जो सिंचाई व वाटर रिर्सोसेज की बात है उसके बारे में कहें तो अच्छा नहीं होगा। वह कहने का हमें क्या अधिकार है? उसी तरह अपेक्स बॉडी वगैरह की बात की वह उसी सिलसिले में हो जाएगा। कमोबेश यही सुझाव आए थे।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : सभापति महोदय, असम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें असम में बाढ़ की विशिष्ट स्थिति के बारे में बताया गया था। असम को अब तक जो राशि आवंटित की गई है वह ऋण के रुप में दी गई है। होता यह है कि वर्ष में राज्य को 20 करोड़ अथवा 30 करोड़ रुपये आवंटित किये जाते हैं। अधिकांश राशि केन्द्रीय स्तर पर ही काट ली जाती है और राज्य को केवल 3 अथवा 4 करोड़ रुपये ही दिये जाते हैं। इन्हें राज्य के ऋण के प्रति समायोजित कर लिया जाता है। अतः अनुरोध है कि ऋण को माफ कर दिया जाये तभी निवारक उपाय करने हेतु अनुदान के रुप में राज्य को वास्तविक राशि मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, कर्ज माफ करने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है। हमें यह अधिकार है कि वे चाहें तो उसका पैमेंट प्रोलोंग करवा दें। जो शॉर्ट टर्म होगा उसको लोंग टर्म करने की व्यवस्था करेंगे। उसके 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन कोई कह ही नहीं रहे हैं तो हम अपने आप क्यों करें? अगर चाहिए तो आप रिपोर्ट भिजवा दें कि हमारा इतना कर्ज है और हम इसका अभी पैमेंट नहीं करेंगे, पांच साल बाद करेंगे। आप वह भेज दीजिए, उसका बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एक स्टेट को माफ करना और दूसरे को नहीं करना, वह डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। फिल्हाल अभी जो आपका रुपया पड़ा हुआ है उसके लिए हमने कहा कि 18.755 करोड़ रुपया आपका है। उसके लिए किसी को मरने मत दीजिए, तबाह मत होने दीजिए। अगर घट जाएगा तो हम किस बात के लिए हैं। इस देश के आप ही मालिक हैं। यह बात और है कि कुछ कम लोग हैं, लेकिन यह सदन है उसको अधिकार है और वह कह सकता हे। ...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : देश में बाढ़ नहीं आए, इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। मेरा सुझाव है कि सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके ऊपर भगवान के पास भेज दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : ऊपर तो हम जाते नहीं है और जो गए हैं वे हमारे पास वापस नहीं आए हैं। ऊपर वाले का एड्रेस भी हमारे पास नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करुंगा।आज की चर्चा तो खत्म हो गई, लेकिन आज की चर्चा के बाद

माननीय मंत्री जी हर स्टेट को अलग-अलग बुलाकर उनके साथ अलग-अलग मीटिंग करें।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि स्टेट के लिए आप लिखकर भेजें।

श्री चतुरानन मिश्र : हम बात करेंगे। आपके स्टेट से रिपोर्ट आए और उसको नहीं माने तो बात है। आप स्टेट से रिपोर्ट भिजवा दीजिए। हम निश्चित रुप से आपसे बात करेंगे कि क्या करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 8.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 19 जुलाई, 1996/28 आषाढ़ 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।